भारत सरकार

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

विधिक दस्तावेजों

के

मानक प्ररूप

STANDARD FORMS

OF

LEGAL DOCUMENTS

जिल्द 7

Volume VII

1992

राजभाषा खंड

OFFICIAL LANGUAGES WING

प्राक्कथन

यह विधिक दस्तावेजों के मानक प्रारूपों के द्विभाषिक संकलन (हिन्दी-अंग्रेजी) की शृंखला में सातवीं कड़ी है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार यह आवश्यक है कि करार, संविदा, पट्टे, बंधपत्र, निविदा, आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हों। राजभाषा अधिनियम, 1963 की अपेक्षाओं का पालन सुगमता से हो सके इस दृष्टि से विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड ने बार-बार प्रयोग में आने वाली दस्तावेजों के छह संकलन द्विभाषीय रूप में क्रमशः अगस्त, 1978, जून, 1981, जुलाई, 1983, नवम्बर, 1983, सितम्बर, 1987 और अगस्त, 1990 में प्रकाशित किए हैं।

इन सभी संकलनों का भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों के अतिरिक्त, सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों में भी स्वागत हुआ है। इनसे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में सहायता मिली है।

भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय एक विशाल और महत्वपूर्ण स्थापन है। रक्षा मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः राजभाषा खण्ड ने अनन्य रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए दो जिल्दें प्रकाशित करने की योजना बनाई है। इसकी पहली जिल्द (शृंखला की छठी) प्रकाशित हो चुकी है। यह इसकी दूसरी जिल्द (शृंखला की सातवीं) है जिसमें रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 39 मानक विधिक दस्तावेजों के हिन्दी-अंग्रेजी पाठ दिए गए हैं।

इस संकलन को अधिक उपयोगी और संदर्भ-कार्य अधिक सरल बनाने की दृष्टि से इसके अन्त में एक पैरावार अनुक्रमणिका भी दी गई है।

नई दिल्ली,
जनवरी, 1992

ब्रजकिशोर शर्मा,
अपर सचिव, भारत सरकार

विषय-सूची

निविदा

	पृष्ठ
1. नौसेना के लिए सामान के प्रदाय के लिए	11
—आमंत्रण	11
—अनुदेश	11
—स्वीकृति	14
—अनुसूची	15
—विशेष अनुदेश	23
2. केवल देश में विनिर्मित चिकित्सीय सामान के क्रय के लिए —आमंत्रण	25
3. सशस्त्र-बल झंडा दिवस के लिए टोकन और कार-झंडों के मुद्रण के लिए	41
4. भारतीय नौसेना के जलयानों, यार्डों, यानों और स्थापनों में कोयला भरने, हटाने और बदलने के लिए	46
5. विदेशी/भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रदाय के लिए —आमंत्रण	51
6. पाक सेवाओं के लिए —निविदाकारों को अनुदेश—	52
7. फर्नीचर के प्रदाय के लिए —निविदाकारों को अनुदेश	78
8. नौसैनिक स्थापनों में तुला मशीनों को सर्विस के लिए निविदा	84

करार

1. फल, पान और सिगरेट स्टाल चलाने की अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए	1
2. प्रधान संपादक की नियुक्ति के लिए	31
3. समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं या नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रदाय के लिए	53
4. सिविल जोन में पान की दुकान खोलने के लिए	109
5. डी. एल. बाई. कारें किराए पर दी जाने के लिए	103
6. तट रक्षक में नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारी द्वारा	106
7. संचार उपस्कर आदि के प्रदाय के लिए	88
8. फिल्म की शूटिंग के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए	73
9. बैंक विस्तारण काउंटर स्थापित करने के लिए	95
10. भवन किराए पर लेने के लिए करार	62
11. आबंटित मकान के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए	70

पट्टा विलेख

1. 30 वर्षीय पट्टा विलेख—भवन के लिए	56
2. 30 वर्षीय पट्टा विलेख—भवन के लिए —90 वर्ष तक विस्तारणीय	60
3. लोक-प्रयोजन के लिए भवन का शाश्वत पट्टा	58

बंधपत्र

	पृष्ठ
1. रक्षा-अकादमी में प्रवेश पाने वाले बालकों के माता-पिता या संरक्षक द्वारा	33
2. प्रत्याभूति बंधपत्र (प्रतिभूति निक्षेप के बदले में)	55
3. (i) तटरक्षक (बल) में सहायक कमाण्डेंट के पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र	103
(ii) तटरक्षक (बल) में सहायक कमाण्डेंट के पद के प्रशिक्षण के लिए चुने गए अभ्यर्थी के माता-पिता द्वारा	104
4. किराए पर लिए गए मकान के आबंटिती द्वारा वचनबंध	5
5. वैयक्तिक बंधपत्र	35
6. गृह-निर्माण ऋण के लिए प्रतिभू द्वारा	37
7. बाध्यताओं के निष्पादन के लिए प्रत्याभूति	39
8. प्रतिहस्तांतरण विलेख	40

संविदा (विशेष शर्तें)

1. मसालों के प्रदाय के लिए	97
2. दर्जी कार्य के लिए	98
3. धुलाई के लिए	99
4. कम्बलों की निर्जल धुलाई के लिए	100
5. रंगीन चीथड़ों के प्रदाय के लिए	101
6. कपड़ा धोने के सोडे के प्रदाय के लिए	101
7. पीले साबुन के प्रदाय के लिए	102
8. रूई की छीजन के प्रदाय के लिए	102

शपथपत्र

नमूना प्ररूप	103

करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री ------------------------------ जो श्री ------------------------------ का पुत्र है और ------------------------------, नई दिल्ली का निवासी है (जिसे इसमें आगे "विक्रेता" कहा गया है और जिसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके विधिक प्रतिनिधि, पदोत्तरवर्ती, अनुज्ञात समनुदेशिती और वारिस भी हैं) के बीच आज तारीख ------------------ को किया गया।

सरकार को ------------------------------ में फल, पान, बीड़ी और सिगरेट का एक स्टाल, जिसे इसमें आगे "उक्त स्टाल" कहा गया है, चलाने की आवश्यकता है और ऐसे स्टाल के लिए उसके पास ---------------- में ------------------ के लिए स्थान उपलब्ध है।

उक्त परिसर में स्टाल चलाने के लिए सरकार, इसमें आगे वर्णित निर्बंधनों और शर्तों पर, विक्रेता को अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सहमत हो गई है।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार और घोषणा की जाती है :—

1. यह करार--------------(तारीख) से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी समझा जाएगा। इस अनुज्ञप्ति/करार को, इसमें अन्तर्विष्ट निर्बंधनों और शर्तों पर ही, ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जैसी सरकार अपने एकमात्र विवेकानुसार चाहे, विस्तारित किया जा सकेगा। करार के विस्तारित कर दिए जाने की दशा में सरकार को हक होगा कि वह इस करार को कोई कारण बताए बिना, एक मास की सूचना देकर, किसी भी समय समाप्त कर दे। यदि विक्रेता को दिवाला अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध रिसीवर की नियुक्ति का कोई आदेश या कोई अन्य आदेश प्राप्त होता है तो सरकार इस करार को तुरंत समाप्त कर सकेगी।

2. उक्त स्टाल सरकार की पूर्ण संपत्ति है और वह विक्रेता को, इसमें अनुबंधित अवधि या विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के लिए इसमें आगे अन्तर्विष्ट शर्तों पर फल, चाट, पान और बीड़ी/सिगरेट विक्रय करने के लिए अनन्तरणीय अनुज्ञप्ति मंजूर करती है।

3. विक्रेता सरकार को अनुज्ञप्ति फीस की बाबत------------रु० (----------------रुपए) प्रत्येक मास की 5 तारीख तक अग्रिम रूप में संदत्त करेगा। उक्त स्टाल के लिए जल और विद्युत प्रभार भी विक्रेता द्वारा निम्नलिखित दरों पर संदत्त किए जाएंगे--

(i) जल प्रभार @ .... रु० प्रति मास

(ii) विद्युत प्रभार :

(क) प्रकाश प्वाइंट @ ..... प्रतिमास प्वाइंट

(ख) छत के पंखे उत्तरी भारत में केवल ग्रीष्मकाल के मासों के दौरान (प्रति वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 अक्तूबर तक) ....रु० प्रति पंखा प्रतिमास

(ग) मेज का पंखा @ .... प्रति पंखा प्रतिमास

(घ) रेडियो @ .... प्रति सेट प्रतिमास

(ङ) जूस निष्कर्षक/मिक्सी @ ... प्रतिमास :

परन्तु जहां जल विद्युत के लिए अलग-अलग मीटर हैं वहां उनके लिए प्रभार मीटर का किराया जोड़ कर वास्तविक उपभोग के अनुसार होगा और विक्रेता द्वारा उसका संदाय, सीधे सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों को, अपने बिलों के अनुसार, किया जाएगा।

4. विक्रेता उक्त स्टाल को साफ-सुथरा रखेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसमें ऐसी कोई बात नहीं होने देगा जिससे परिसर को या पार्श्वस्थ भवनों को आग से नुकसान पहुंचने का खतरा हो या वहां कोई न्यूसेंस या अवांछनीय कार्य न तो करेगा और न करने देगा और वह इस करार की समाप्ति पर उक्त स्टाल अच्छी हालत में सरकार को सौंप देगा।

5. विक्रेता, फल, चाट, बीड़ी के विक्रय से सम्बन्धित नगरपालिक उपविधियों का पालन करेगा और उनके विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

6. विक्रेता, इस करार के उचित कार्यान्वयन के लिए, उप-पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा संपदा (जिसे इसमें आगे ———————— कहा गया है) द्वारा या उसके द्वारा इस बाबत लिखित रूप में सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का, पालन करेगा।

7. विक्रेता द्वारा उक्त स्टाल में ली जाने वाली कीमतें उचित बाजार दरों से अधिक नहीं होंगी जो उप-पुलिस प्रशासनिक अधिकारी या उसके द्वारा इस बाबत लिखित रूप में सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रमाणित करे। दरें उक्त स्टाल में सहज-दृश्य रूप से प्रदर्शित की जाएंगी।

8. उक्त स्टाल में बेचे जाने वाले चाट/फल ताजे और उच्चतम क्वालिटी के होंगे। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उक्त स्टाल में विक्रय के लिए रखी गई ऐसी वस्तु के विक्रय को रोक दे या उसे फेंक दे जो अपेक्षित क्वालिटी की नहीं समझी जाती है या जो उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। मांग की जाने पर प्राधिकृत सरकारी प्रतिनिधि को किसी फल/चाट का, जो विक्रय के लिए रखी गई है, नमूना निःशुल्क दिया जाएगा जिससे कि वह यह देख सके कि वह वस्तु अपेक्षित क्वालिटी की है या नहीं। यदि फल और चाट मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाते हैं या सड़े-गले फल प्रयोग में लाए जाते हैं तो विक्रेता यह करार करता है कि वह ऐसे हर अवसर के लिए सरकार को ————————रु० की राशि का संदाय करेगा। यदि ऐसा दोष दो से अधिक बार पाया जाता है तो सरकार अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगी और विक्रेता से, उस समय तक सरकार को उद्भूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्टाल खाली करवा सकेगी।

9. विक्रेता इस करार के प्रवृत्त रहने के दौरान उक्त स्टाल में सहजदृश्य स्थान पर एक शिकायत पुस्तक रखेगा जिसमें शिकायतें लिखी जा सकें और वह सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, नई दिल्ली और सेना चिकित्सा प्राधिकारी भी हैं, द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखी जाएंगी। विक्रेता ऐसी शिकायतें तुरन्त दूर करेगा।

10. विक्रेता, करार के समुचित क्रियान्वयन के लिए अपने खर्च पर आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था रखेगा। ऐसे कार्मिक संक्रामक या सांसर्गिक रोगों से मुक्त होंगे और सदैव साफ-सुथरे और उचित कपड़े पहनेंगे।

11. विक्रेता और उसके कर्मचारियों का ग्राहकों के साथ व्यवहार कारबारी और अत्यन्त विनम्र होगा।

12. विक्रेता सभी आवश्यक फर्नीचर की अपने खर्च पर व्यवस्था करेगा और उसका रख-रखाव करेगा और उक्त स्टाल को सदा सरकार या सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के समाधानप्रद रूप में साफ-सुथरा और स्वच्छ दशा में रखेगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक मरम्मत कर दी जाने के पश्चात् विक्रेता उक्त स्टाल, को विशेष रूप से उसके फर्श, दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों को अपने खर्च पर साफ रखने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। विक्रेता, उक्त स्टाल के लिए बिजली के बल्ब, अपने खर्च पर लगाएगा।

13. विक्रेता सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार की मुद्रित अथवा लिखित सूचनाएं या विज्ञापन, उनको छोड़कर जिनका संबंध उक्त स्टाल में उसके कारबार से है, उक्त स्टाल में प्रदर्शित नहीं करेगा।

14. सरकार विक्रेता के किसी माल, सामान और वस्तुओं को, जो विक्रय या अन्यथा के लिए उक्त स्टाल में रखी जाती हैं, होने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

15. सरकार उस रकम की वसूली या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो उक्त स्टाल से सामान उधार खरीदता है, विक्रेता को शोध्य हो। यदि विक्रेता कोई वस्तु उधार बेचता है तो वह ऐसा अपनी जोखिम पर करता है और सरकार उसे किसी भी रूप में प्रतिकर देने के लिए आबद्ध नहीं होगी।

16. विक्रेता, उक्त स्टाल को न तो उप-पट्टे पर देगा, न इस करार से भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा देगा और न सरकार की यथावांछित समयों पर पूर्व मंजूरी के बिना, उक्त स्टाल में कोई निर्माण संबंधी कोई परिवर्धन/परिवर्तन करेगा या करने देगा।

17. विक्रेता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को भवन में ऐसे निर्माण संबंधी परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत या पुनर्सज्जा करने के लिए, जो समय-समय पर आवश्यक पाई जाए, और उनका निरीक्षण करने के लिए परिसर में प्रवेश करने देगा। इस प्रयोजन के लिए समय और तारीख विक्रेता की सुविधा का समुचित ध्यान रखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप में नियत की जाएगी।

18. विक्रेता परिसर के अन्दर सरकारी सम्पत्ति को हुए सभी नुकसानों या हानियों के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसी हानि या नुकसान की, उनको छोड़कर जो उचित उपयोग और टूट-फूट अथवा आंधी, भूकम्प या अन्य अप्रतिरोध्यबल के कारण हों, प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा।

19. विक्रेता ने संविदा के समाधानप्रद रूप से पालन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में----------रु० (केवल ----------रुपए) की राशि डाकघर के प्रतिपूर्ति निक्षेप खाते में जमा करा दी है और उसकी पास बुक उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी गई है। यदि विक्रेता, इसमें अन्तर्विष्ट किसी बाध्यता का भंग करता है तो ऐसे भंग को छोड़कर जो उसके नियंत्रण से परे कारणों से हो, और जिसकी सूचना सरकार को वह, उसके घटित होने पर तुरन्त दे दे, और सरकार द्वारा ऐसे भंग को दूर कर देने की बाबत लिखित सूचना की प्राप्ति से दस दिन के भीतर वह उसे दूर नहीं कर देता है तो सरकार, कोई और सूचना दिए बिना और अपने अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करार को तुरंत समाप्त कर सकती है और उसे यह भी हक होगा कि वह अपने एकमात्र विवेकानुसार प्रतिभूति निक्षेप, पूर्णतः या भागतः समपहृत कर ले। इस करार की अवधि के पर्यावसान या उसकी पूर्वतर समाप्ति पर, सरकार प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग, जिसे सरकार ने पूर्वोक्त रूप में या अन्यथा समपहृत नहीं किया है, विक्रेता को लौटा देगी।

20. उक्त स्टाल साप्ताहिक दिनों में नीचे दर्शित रूप में खुला रहेगा :—

गर्मी में	8.00 पूर्वा० से 6 बजे अप० (1 अप्रैल से 30 सितंबर)
सर्दियों में	9.00 पूर्वा० से 6 बजे अप० (1 अक्तूबर से 31 मार्च तक)

21. इस करार की समाप्ति या उसकी पूर्वतर समाप्ति पर विक्रेता उक्त स्टाल को शांतिपूर्वक खाली कर देगा। यदि विक्रेता उक्त परिसर खाली नहीं करता है तो विक्रेता का----------रु० का प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किया जा सकेगा और साथ ही वह ऐसे विधिक उपचार के लिए भी दायी होगा जो सरकार को उपलब्ध हो।

22. उक्त स्टाल का उपयोग आवासीय प्रयोजनों या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इसमें विनिर्दिष्ट नहीं है, नहीं किया जाएगा।

23. इस संविदा के अधीन विक्रेता को शोध्य कोई धनराशि (जिसके अन्तर्गत लौटाए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप की रकम भी है) सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो सरकार के माध्यम से संविदा करें, विनियोजित की जा सकेगी और वह सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से विक्रेता द्वारा सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ की गई किसी अन्य संविदा से अथवा उसके अधीन उद्भूत किसी धनराशि के संदाय के लिए मुजरा की जा सकेगी।

24. विक्रेता सशस्त्र बल मुख्यालय को लागू सुरक्षा पूर्वाविधानियों संबंधी सभी नियमों का पालन करेगा जो उसे बता दिए गए हैं और अग्नि से बचाव की पर्याप्त पूर्वाविधानियां बरतेगा। इन नियमों और पूर्वाविधानियों का भंग होने पर यह करार, सरकार को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त, समाप्त किया जा सकेगा।

25. यदि विक्रेता इस करार को भंग करता है और सरकार से इस बारे में लिखित सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर उसका उपचार नहीं करता है तो सरकार को यह हक होगा कि वह इस करार को रद्द कर दे और विक्रेता को और कोई सूचना दिए बिना और पक्षकारों के उद्भूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आनुकल्पिक व्यवस्था कर ले। इसके अतिरिक्त सरकार विक्रेता से अपने एकमात्र विवेकानुसार ऐसा कोई अतिरिक्त व्यय/हानि वसूल कर सकेगी जो उसने उपगत किया जो/उठाई हो, किन्तु विक्रेता सरकार को प्राप्त हुए किसी लाभ का हकदार नहीं होगा।

26. इसमें आगे जैसा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए सरकार की ओर से दी जाने वाली या ली जाने वाली सभी सूचनाएं, उपमुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी या ली जा सकेंगी जिसे तत्समय ऐसे उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हों।

इस करार के निबंधनों के अधीन विक्रेता को दी गई कोई सूचना, सम्यक् रूप से तामील की गई समझी जाएगी, यदि वह विक्रेता को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दी जाती है। इसी प्रकार, सरकार को दी जाने वाली कोई सूचना सम्यक् रूप से तामील की गई समझी जाएगी यदि वह उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को परिदत्त कर दी जाती है, उसके पास छोड़ दी जाती है या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दी जाती है। इस प्रकार डाक से भेजी गई कोई सूचना, उस अवधि के पश्चात् जिसमें वह डाक से साधारण रूप में उस पते पर पहुंच जाती जहां वह भेजी गई है, तामील का प्रथमदृष्टया सबूत होगी।

27. इस करार से उत्पन्न या इससे किसी भी रूप में संबंधित सभी विवाद और मतभेद (उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में स्थापन के भारसाधक संयुक्त सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति के, जो उसके द्वारा नियुक्त किया जाए, एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे। ऐसी किसी नियुक्ति के बारे में यह आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी सेवक है, कि उसे उन विषयों के संबंध में कार्रवाई करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी या सभी विषयों में अपने विचार व्यक्त कर चुका है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस करार का एक निबंधन यह भी है कि यदि वह मध्यस्थ जिसको मामला मूल रूप से निर्देशित किया गया है, स्थानांतरित हो जाता है या वह अपना पद त्याग देता है या वह किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे स्थानांतरण, पद-त्याग या कार्य करने में असमर्थता के समय यथापूर्वोक्त रक्षा मंत्रालय में स्थापन का भारसाधक संयुक्त सचिव किसी अन्य व्यक्ति को, इस करार के निबंधनों के अनुसार, मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को हक होगा कि वह निर्देश संबंधी कार्यवाही उस प्रक्रम के आगे से आरंभ करे जिस पर उसके पूर्वाधिकारी ने उसे छोड़ा है। इस करार का एक निबंधन यह भी है कि उक्त संयुक्त सचिव द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मध्यस्थ का कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो मामला माध्यस्थम् के लिए भेजा ही नहीं जाएगा। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन समय-समय पर बनाए गए नियमों के उपबंध तथा उसके कानूनी उपांतर या पुनः अधिनियमितियां ऐसे माध्यस्थम को लागू होंगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप, राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने और विक्रेता ने ऊपर सर्व प्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने,

1. ————————
2. ————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

. . . . . .

(उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर)

विक्रेता ने,

1. ————————
2. ————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

. . . . . .

(विक्रेता के हस्ताक्षर)

प्ररूप सं० 4 **जब संपत्ति पट्टाधृति है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप**

[नियम 5(क)]

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री ---------- जो---------- के श्री ---------- का पुत्र है और जो इस समय ---------- में ---------- मंत्रालय, कार्यालय में ---------- के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "बंधककर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके दायिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख ---------- को किया गया है।

तारीख ---------- के पट्टे द्वारा, जो ---------- और ---------- के बीच किया गया था, पट्टाकर्ता ने ---------- में स्थित संपत्ति का जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे अनुसूची में किया गया है, पट्टान्तरण ---------- रु० के वार्षिक/मासिक किराए पर ---------- से आरंभ होने वाली ---------- वर्ष की अवधि के लिए और इस बात के अधीन रहते हुए कि इसमें वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों का पालन और अनुपालन किया जाएगा, बंधककर्ता को किया है।

बंधककर्ता ने ----------रु० (केवल ---------- रुपए) के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है। बंधककर्ता ने यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है :--

*(1) भूमि का क्रय करने के लिए और *उस पर मकान बनाने के लिए या *(उक्त विरासत योग्य भू-संपत्ति पर विद्यमान मकान में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)।

*(2) उक्त विरासत योग्य भू-संपत्ति पर मकान बनाने के लिए या *(उक्त विरासत योग्य भू-संपत्ति पर बने मकान में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)।

*(3) उक्त बने बनाए मकान का क्रय करने के लिए।

बंधकदार ---------- मंत्रालय, कार्यालय के तारीख ---------- के पत्र सं०---------- के अनुसार जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसमें उपवर्णित निबंधनों और शर्तों पर---------- रुपए की उक्त धनराशि (पूर्ण रकम लिखिए) बंधककर्ता को उधार देने के लिए सहमत हो गया है।

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें आगे अनुसूची में वर्णित संपत्ति का बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उस सभी निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करें जो भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा उसके कार्यालय ज्ञापन सं० एच० 11-27(5)/54, तारीख 12 अप्रैल 1956 के साथ जारी किए गए "मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के नियम" में (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल हो, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्द्धन भी हैं) दी हुई हैं।

और बंधकदार ने--

*(1) बंधककर्ता को ---------- रुपए (केवल ---------- रुपए) का अग्रिम मंजूर कर दिया है। यह अग्रिम उतनी किस्तों में और उस रीति में संदेह होगा जो इसमें आगे बताई गई है।

*(2) बंधककर्ता को ---------- रु० (केवल ---------- रुपए) का अग्रिम तारीख ---------- को उक्त नियम में उपबंधित रीति में दे दिया गया है तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त नियम में दिए गए निबंधनों और शर्तों का, जिनका इसमें आगे उल्लेख किया गया है, अनुपालन इसमें आगे दी गई रीति से, प्रतिभूत करा लिया गया है।

बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तों में मिलना है :--

---------- **रुपए तारीख ---------- को मिल चुके हैं। ----------रुपए तब तक बंधककर्ता, बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेंगे।

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

**यह (सामान्यतः) नजूल भूमि को लागू होता है और जहां लागू होता हो वहां इसे अंतःस्थापित कर दें।

टिप्पणी -- यदि अग्रिम के संदाय का ढंग नियम 5 में विहित ढंग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा।

*————रुपए तब जब मकान का निर्माण कुर्सी स्तर तक पहुंच जाएगा।

*————रुपए तब तक जब मकान का निर्माण छत स्तर तक पहुंच जाएगा, परन्तु यह तब तक जब बंधकदार का यह समाधान हो जाए कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें मकान बनाया गया है, जल प्रदाय, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों, नालियों और मलवहन जैसी सुविधाओं की दृष्टि से पूरा हो गया है।

**और परिसर के पट्टाकर्ता ने बंधक का अनुमोदन इस शर्त पर किया है कि यदि इसमें अंतर्विष्ट शक्तियों के अधीन या अन्यथा संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो ऐसे विक्रय के खर्च के पश्चात् पहले उसे अनुपार्जित वृद्धि में उसका हिस्सा दिया जाएगा जैसा कि उक्त पट्टे में उपबंधित है।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :--

(1) (क) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त नियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और ---- रुपए (केवल ——— रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय ———— रुपए (केवल ———— रुपए) की ***————मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय ———— के————मास से अथवा मकान पूरा होने के पश्चातवर्ती मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी****———मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबंधनों पर करेगा जो उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट हैं। परन्तु बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा। जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला/वाली है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेगी तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम उस तथा पर ब्याज, वसूली का खर्च सहित बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता चाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(1) (ख) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियम के उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसक द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त नियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से पालन और अनुपालन करेगा और ———— रुपए (केवल ———— रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय ———— रुपए (केवल ————रुपए) की ———— मासिक किस्तों में, अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय ———— के ———— मास से या मकान पूरा होने के पश्चातवर्ती मास से, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होकर उसकी अधिवर्षिकता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्षिकता की तारीख पर जो रकम बकाया होगी वह रकम तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक का ब्याज उसके उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपदान में से वसूल किया जाएगा। बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से तथा शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, उसके उपदान मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता चाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

टिप्पण: खण्ड (1) (क) या (1) (ख) में से जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

**यह (सामान्यतः) नजूल भूमि को लागू होता है और जहां लागू होता है वहां इसे अंतः स्थापित कर दें।

***180 से अधिक नहीं होंगी।

****ये 60 से अधिक नहीं होंगी।

(ii) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकी से भिन्न किसी कारणवश सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बंधककर्ता उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट और उनकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन शर्त और अनुबंध का पालन और अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में अग्रिम का संपूर्ण मूलधन या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता है और जिसका नहीं किया गया है, तथा उस पर ——————*प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकलित किया जाएगा, तुरंत संदेय हो जाएगा । इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार, बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो उसे (बंधककर्ता को) लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो ।

(iii) उक्त नियमों के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात् किसी समय या समय-समय पर इस विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता बंधकदार को तारीख..... के उक्त पट्टे में समाविष्ट उक्त संपत्ति का जिसका और विशिष्ट रूप से वर्णन इसमें आगे अनुसूची में किया गया है, उक्त संपत्ति पर (जिसे इसमें आगे "बंधक संपत्ति" कहा गया है) बंधककर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय उस पर रखी सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित अनुदान, अभिहस्तांकण, अंतरण या हस्तांतरण, बंधकदार द्वारा की गई प्रसंविदाओं और इसमें अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, करता है । बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त पट्टे के निबंधनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए, धारण करेगा । किन्तु यह इसमें आगे दिए गए मोचन संबंधी परन्तुक के अधीन होगा । यह उपबंध और इसमें पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो अभिकर्ता द्वारा बंधकदार को उक्त नियमों के निबंधनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए, सम्यक् रूप से संदाय इसमें दी गई रीति से कर देगा तो बंधकदार उसके बाद किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रति-अभिहस्तांतरण, प्रतिअंतरण और प्रति हस्तांतरण बंधककर्ता को और उसके उपयोग के लिए या उसके निदेशानुसार, कर देगा ।

(iv) अभिव्यक्त रूप से यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी गई प्रसंविदाओं को भंग करता है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारणवश सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व, उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरंत संदेय हो जाता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या भागों में और लोक नीलामी द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा, कर दे । उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो । उसे यह भी शक्ति होगी कि वह ऐसे किसी विक्रय को प्रभावशील करने के लिए, ऐसे सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे जो बंधकदार ठीक समझे । यह भी घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी भाग के क्रयधन के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेताओं ने क्रयधन का भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा । उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा **(और उसके बाद, बंधक संपत्ति के पट्टाकर्ता को उक्त पट्टे के खण्ड.....के अनुसरण में, अनुपार्जित वृद्धि के 50 प्रतिशत का संदाय किया जाएगा) और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा ।

**(v) बंधक या भारित संपत्ति के विक्रय या पुरोबंध की दशा में, पट्टाकर्ता (भारत के राष्ट्रपति) आवासिक भू-खंड के मूल्य में पूर्वोक्त रूप से अनुपार्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत का, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दावा करने और उसे वसूल करने का हकदार होगा और उक्त अनुपार्जित वृद्धि पट्टाकर्ता के अंश की रकम, उक्त बंधक या प्रभार पर पूर्विकता रखते हुए प्रथम भार होगी । उक्त आवासिक भू-खंड के बाजार मूल्य के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधित पक्षकारों पर आबद्धकर होगा, परन्तु पट्टाकर्ता को यह अधिक्रमयाधिकार होगा कि वह बंधक या भारित संपत्ति का क्रय पूर्वोक्त रूप में अनुपार्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् कर ले ।

*उक्त नियमों के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर ।

**दिल्ली में नजूल भूमि के मामले में और इसी प्रकार के मामलों में जहां भी लागू हो ।

(vi) बंधककर्ता बंधकदार से प्रतिज्ञा करता है कि :—

(क) बंधककर्ता को इस बात का, विधिपूर्ण अधिकार और प्राधिकार है कि वह बंधक संपत्ति का बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, अभिहस्तांतरण, अंतरण, समनुदेशन और हस्तांतरण उक्त रीति से करे।

*(ख) बंधककर्ता मकान के निर्माण/उक्त मकान में अवास स्थान में परिवर्द्धन का कार्य अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है, तब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने दे दी हो। बंधककर्ता कुर्सी/छत स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं, और यह कि निर्माण कार्य कुर्सी/छत स्तर पर पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग मकान के निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए बंधकदार को स्वयं या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देगी। यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार को यह संपूर्ण अग्रिम, जो उसे मिला है तथा उस पर--------**प्रतिशत की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा। इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसे लागू सेवा के नियमों के अधीन, उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ग) बंधककर्ता मकान का निर्माण उक्त मकान में आवास स्थान में परिवर्द्धन————————*के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा, जब तक कि बंधकदार ने इस काम के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया हो। इसमें व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता को, उसे दी गई संपूर्ण रकम का और उक्त नियमों के अधीन परिकलित ब्याज की एक सूची प्रतिसंदाय तुरंत करना होगा। बंधककर्ता मकान पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

(घ) बंधककर्ता साधारण बीमा निगम में उस मकान का अपने खर्च पर तुरंत बीमा उतनी रकम के लिए कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि, बाढ़ या तड़ित से हानि या नुकसान के विरुद्ध बीमाकृत रखेगा जैसा कि उक्त नियमों में उपबंध है, और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देगा। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा को प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उससे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीद बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा। यदि बंधककर्ता अग्नि, बाढ़, तड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण किन्तु आबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त मकान का बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले, तब बंधककर्ता को उस पर————————की दर से ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसे पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई हो। यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती या जब तक उसकी वसूली उस रूप में नहीं हो जाती मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अन्तर्गत आने वाली रकम हो बंधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस मकान का बीमा कराया गया है। यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है।

(ङ) बंधककर्ता उक्त मकान की अपने खर्च पर उपयुक्त मरम्मत कराता रहेगा और बंधक संपत्ति की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर, और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से चुकाता रहेगा जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता। बंधककर्ता बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा।

(च) बंधककर्ता मकान पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मकान की उपयुक्त मरम्मत की जाती रही है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता।

(छ) बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज यदि कोई हो, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम मद्दे उस व्यय के आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम दिया गया था।

---

*नियमों के अधीन प्रभार्य ब्याज की असामान्य दर।

**जहां बने-बनाए मकान के क्रय के लिए है वहां यह खंड लागू नहीं होगा।

***जहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है।

****दिल्ली में नजुल भूमि के मामले में और इसी प्रकार के मामलों में जहां भी लागू हो।

(ज) तारीख————————का उक्त पट्टा अब उक्त बंधक संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य या शून्यकरणीय नहीं है तथा पट्टा विलेख में या उसके द्वारा आरक्षित किराए का संदाय और उसमें दी गई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है और इसमें इसके पूर्व वर्णित रीति में इसका समनुदेशन किया जा सकता है।

(झ) बंधककर्ता उस समय तक, जब तक कोई ऐसा उक्त बंधक संपत्ति को, जो इसमें पहले इसके द्वारा समनुदेशित अभिव्यक्त है, प्रतिभूति पर देय रहता है और हर हालत में उक्त करार की अवधि तक, पट्टे की सभी प्रसंविदाओं का उक्त और पट्टा करार में अंतर्विष्ट शर्तों का सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा तथा बंधकदार को उन सभी अनुयोजनों, वादों, कार्यवाहियों, खर्चों, प्रभारों, दावों और मांगों की बाबत क्षतिपूर्ति रखेगा जो उक्त किराए का संदाय न किए जाने के कारण या उक्त प्रसंविदाओं और शर्तों का या उनमें से किसी के भंग किए जाने, पालन न किए जाने या अनुपालन न किए जाने के कारण उपगत होंगी।

(ञ) बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर विल्लंगम सृजित करेगा, न उसका अन्य संक्रामण करेगा और न उसका किसी अन्य प्रकार से व्ययन करेगा किन्तु, यदि बंधककर्ता किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में दूसरा बंधक सृजित करने की प्रसंविदा करता है तो वह बंधकदार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना ऐसा नहीं करेगा और सम्मति दिए जाने पर दूसरे बंधक का प्रारूप बंधकदार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यदि बंधककर्ता किसी वित्तीय संस्था के, जिसके अंतर्गत एच डी एफ सी या कोई बैंक भी है, पक्ष में हक विलेख के केवल निक्षेप द्वारा उसी परिसर का दूसरा बंधक सृजित करता है तो बंधकदार, बंधककर्ता और इस बंधक से संबंधित वित्तीय संस्था के लिखित अनुरोध पर, उक्त परिसर के ऐसे हक दस्तावेज, जो बंधकदार के कब्जे में है, उक्त प्रस्तावित दूसरे बंधक के सृजित किए जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए उक्त वित्तीय संस्था को सौंप सकेगा।

यह कड़ी शर्त है कि बंधकदार द्वारा, इसमें पहले उपबंधित उक्त हक दस्तावेज उक्त वित्तीय संस्था को सौंपे जाने से पूर्व उक्त वित्तीय संस्था और बंधककर्ता बंधकदार को ऐसे प्ररूप में, जैसा बंधकदार अवधारित करे, यह लिखित आश्वासन देंगे और वचनबंध करेंगे कि :—

(i) उक्त हक दस्तावेज केवल दूसरे बंधक के रूप में संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा, इसके अधीन बंधकदार के अधिकारों के अधीन और अधीनस्थ रूप में धारित और प्रतिधारित किए जाएंगे ;

(ii) उक्त वित्तीय संस्था किसी भी समय या किसी भी कारणवश बंधकदार की लिखित पूर्व मंजूरी लिए बिना और ऐसी शर्तों पर जैसी बंधकदार स्वविवेकानुसार अधिरोपित करे, ऐसे हक विलेखों को विलग नहीं करेगा ;

(iii) उक्त वित्तीय संस्था के उक्त परिसर का दूसरा बंधकदार न रह जाने के पश्चात् किसी भी समय, उक्त वित्तीय संस्था के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह उक्त हक विलेख के साथ उक्त बंधकदार को लौटा दे, चाहे इस बाबत बंधकदार ने मांग की हो या नहीं ;

(iv) उक्त बंधकदार द्वारा किसी भी कारणवश कभी भी अपेक्षा की जाने पर, इस बात को ध्यान में लाए बिना कि उक्त प्रस्तावित दूसरा बंधक विद्यमान है या नहीं अथवा अन्यथा उन्मोचित हो गया है, उक्त वित्तीय संस्था उक्त हक-विलेख प्रस्तुत करेगी या कराएगी ; यह मान लिया गया है कि जैसे ही प्रयोजन पूरा हो जाएगा, उक्त हक दस्तावेज बंधकदार द्वारा वित्तीय संस्था को, इन शर्तों के अधीन निपटारे के लिए, लौटा दिए जाएंगे।

(v) इन उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उनके कारण उक्त वित्तीय संस्था के प्रति बंधकदार की किसी वित्तीय या अन्य बाध्यता या दायित्व का सृजन हुआ है या इसके अधीन बंधकदार के अधिकारों में कोई परिवर्तन हुआ है या वे कम हुए है या निराकृत हुए है, बंधकदार सदा सर्वोपरि बंधकदार होगा और बना रहेगा।

(ट) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज, जिसका संदाय बंधककर्ता की सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग से वसूल कर ले।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

(बंधककर्ता द्वारा भरे जाने के लिए)

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ————मंत्रालय/कार्यालय के श्री — — ———— ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

on behalf

उक्त (बंधककर्ता) ---------------------- ने

1. ------------ (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

------------ (प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)

2. ------------ (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

-------- (द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर) ----------

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। (हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा आदेश और निदेश से ---------- मंत्रालय/कार्यालय के श्री ------ ---------------------- ने,

1. ----------- (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

-----------(प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)

2. ----------- (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

-----------(द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर) -----------

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। (हस्ताक्षर)

भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय,
उपापन (प्रोक्योरमेण्ट) नियंत्रक,
नौसेना स्टोर्स डिपो, घाटकोपर
मुम्बई-400086

निविदा-आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश

ध्यान दें: जिस लिफाफे में निविदा भेजी जाए वह लिफाफा और तत्पश्चात् सभी पत्रव्यवहार निम्नलिखित को संबोधित और परिदत्त किया जाए, अर्थात् :—

उपापन नियंत्रक, नौसेना स्टोर डिपो, घाटकोपर मुम्बई - 400086

तार का पता : नवप्रोक्योर, मुम्बई-400086

टेलेक्स: 1171046

सभी पत्रव्यवहार ऊपर नामित आफिसर के पदनाम से, न कि उसके नाम से, करें।

सेवा में,

प्रिय महोदय,

संलग्न निविदा प्ररूप से उपाबद्ध अनुसूची में नामित क्रेता की ओर से मैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामान के प्रदाय के लिए निविदा प्रस्तुत करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। की जाने वाली संविदा अनुसूची "ख" में उल्लिखित शर्तों, निविदा प्ररूप में विनिर्दिष्ट विशेष शर्तों तथा इसमें संलग्न शर्तों से शासित होगी। यदि आप, संलग्न अनुसूची में कथित अपेक्षाओं के अनुसार प्रदाय के लिए कोटेशन देने की स्थिति में हैं तो कृपया संलग्न विहित निविदा प्ररूप में अपनी कोटेशन प्रस्तुत करें।

फर्मों की तार से या पत्र से प्राप्त कोटेशनों पर केवल आपवादिक मामले में और पर्याप्त कारण होने पर विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब तार से और पत्र से प्राप्त होने वाली कोटेशनें, कीमत (मदवार कीमतें, जहां आवश्यक हों), विनिर्देशों, परिदान और अन्य सभी विशिष्टियों की दृष्टि से, जो क्रय विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं, पूर्ण हों और यह भी कि विहित प्ररूप में निविदा प्राप्ति की सम्यक् तारीख से तीन दिन के भीतर उन कोटेशनों की पुष्टि कर दी जाए।

2. **विशिष्टियां, विनिर्देश और रेखाचित्र**—(i) वे स्रोत जिनसे मानक विशिष्टियां, विनिर्देश और रेखाचित्र प्राप्त किए जा सकते हैं, उपाबंध में वर्णित हैं।

(ii) ऐसे विनिर्देश और रेखाचित्र जो समूल्य प्रकाशन नहीं हैं और जिन पर "लौटाए जाएं" लिखा है तथा निविदा के संबंध में जारी किए गए प्रमाणित नमूने, ठीक दशा में, निविदा के साथ या निविदा प्रस्तुत न की जाने की दशा में, निविदा की अन्तिम तारीख तक पृथक्तः लौटा दिए जाने चाहिए। व्यतिक्रम की दशा में प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा और व्यतिक्रमी फर्म इस बात के लिए भी दायी होगी कि वह क्रेता को, नुकसानी के रूप में, 20 रुपए या उसके मूल्य की तीन गुनी रकम, जो भी अधिक हो, तुरन्त दे। किन्तु ऐसा संदाय कर दिए जाने पर भी, निविदा कार-की फर्म, विनिर्देश, रेखाचित्रों और/या नमूने रखने की हकदार नहीं होगी। ये उस ठेकेदार को पुनः जारी किए जाएंगे जिससे संविदा की जाती है और वह संविदा पूरी हो जाने पर उनकी वापसी के लिए जिम्मेदार होगा।

3. **निविदा की तैयारी**—(क) निविदा प्ररूप की अनुसूची अविकल रूप से लौटाई जानी चाहिए, चाहे किसी मद के लिए कोटेशन दिया गया हो या नहीं। उसके पन्ने अलग नहीं किए जाने चाहिए किन्तु यदि किन्हीं मदों के लिए निविदा नहीं दी जाती है तो संबंधित स्थान में, "कोटेशन नहीं दिया जा रहा है" जैसे शब्द लिख दिए जाने चाहिएं।

(ख) यदि विहित प्ररूप में किसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है तो उसमें अतिरिक्त पन्ने जोड़े जा सकते हैं। ऐसे प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्यांक और निविदा संख्यांक लिख दिया जाना चाहिए तथा उस पर निविदाकार के पूरे हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ऐसे मामलों में अतिरिक्त पृष्ठों का हवाला निविदा प्ररूप में अवश्य दे दिया जाना चाहिए।

(ग) यदि अनुसूची में कोई उपान्तरण आवश्यक समझा जाता है तो उसकी संसूचना निविदा के साथ, पृथक् पत्र भेज कर, दें।

4. **निविदा पर हस्ताक्षर करना**—(क) यदि निविदा में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है या निविदा अनुसूची में मांगी गई विशिष्टियां पूर्ण रूप से भरी नहीं जाती हैं तो निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा। परिदान की तारीखों और संविदा की साधारण शर्तों को भी ध्यान में रखें।

(ख) निविदा पर या संविदा से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा यह अवश्य विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि उसने निम्नलिखित में से किस हैसियत से हस्ताक्षर किए हैं :—

(i) फर्म के एकमात्र स्वत्वधारी या ऐसे एकमात्र स्वत्वधारी के नियत अटर्नी के रूप में;

(ii) किसी भागीदारी फर्म की दशा में, एक भागीदारी के रूप में, जिस दशा में उसे भागीदारी के कारबार से संबंधित विवादों को भागीदारी करार या साधारण मुख्तारनामे के आधार पर माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का प्राधिकार हो;

(iii) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी के नियत अटर्नी के रूप में।

कृपया ध्यान दें :—1. उपर्युक्त (ii) के मामले में, भागीदारी करार या साधारण मुख्तारनामे की प्रति, यदि वह पहले ही कार्यालय में न दे दी गई हो, दोनों दशाओं में, नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित रूप में दी जानी चाहिए ऐसे सभी भागीदारों का, भागीदारी करार या साधारण मुख्तारनामे के निष्पादन को स्वीकार करते हुए, एक स्टाम्पित कागज पर शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

2. भागीदारी फर्मों के मामले में, जहां भागीदारी के कारबार से संबंधित विवादों को निर्देशित करने का कोई प्राधिकार किसी भागीदार को प्रदत्त नहीं किया गया है, निविदा और अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों पर फर्म के प्रत्येक भागीदार के हस्ताक्षर होंगे ।

3. निविदा प्ररूप या संविदा के भागरूप किसी दस्तावेज पर, किसी अन्य की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यह वारण्टी दी है कि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसे अन्य भागीदारों को आबद्ध करने का प्राधिकार है और यदि जांच करने पर यह पता चलता है कि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है तो क्रेता, अन्य सिविल और दाण्डिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा रद्द कर सकता है और हस्ताक्षरकर्ता को सभी खर्च और नुकसान के लिए दायी ठहरा सकता है।

4. निविदाकार को, निविदा अनुसूची और उपाबंध, यदि कोई हों, के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने चाहिएं।

5. **निविदा देना**—निविदा की मूल प्रति दोहरे लिफाफे में बन्द की जानी चाहिए । अन्दर वाला लिफाफा सीलबन्द होना चाहिए । बाहर वाले लिफाफे पर केवल इस कार्यालय का पता लिखा होना चाहिए किन्तु उस पर, ऐसी कोई बात लिखी नहीं होनी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि उसके अन्दर निविदा रखी है । ऐसी निविदा पर, जिसमें उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया जाता है, विचार नहीं किया जा सकेगा । अन्य स्टेशनों से भेजी जाने वाली निविदाएं रजिस्ट्री डाक से भेजी जानी चाहिए । एक लिफाफे में एक ही निविदा रखी जानी चाहिए । यदि एक लिफाफे में एक से अधिक निविदाएं रखी जाती हैं तो ऐसी सभी निविदाएं रद्द की जा सकेंगी ।

6. **निविदाओं की प्राप्ति के लिए अन्तिम समय**—यदि निविदा अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है तो निविदा इस कार्यालय में, निविदा खुलने की तारीख को 1 बजे अपराह्न तक अवश्य पहुंच जाए । यदि निविदा अनुसूची में अन्यथा अनुबंधित नहीं है तो दस्ती रूप में भेजी गई निविदाएं, नियत तारीख को 1 बजे अपराह्न तक निविदा पेटी में डाल कर, इस कार्यालय में परिदत्त कर दी जानी चाहिए ।

7. **प्रस्ताव कब तक खुला रहेगा**—(i) निविदा देने वाली फर्मों को वह अवधि अवश्य लिखनी चाहिए जिस तक वे चाहते हैं कि उनका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए खुला रहे यदि फर्म किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अपने प्रस्ताव खुले रखने में असमर्थ हैं तो उन्हें विनिर्दिष्ट तथा उस विधि का उल्लेख करना चाहिए जिस तक उनके प्रस्ताव खुले रहेंगे किन्तु तब उन्हें यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि यह हो सकता है कि उनके प्रस्ताव पर विचार न किया जाए । यदि वह दिन जिस तक प्रस्ताव खुला रहना है, सरकारी कार्यालयों की छुट्टी का दिन है या रविवार है तो प्रस्ताव अगले कार्य दिवस तक स्वीकृति के लिए खुला रहेगा ।

(ii) "तुरन्त स्वीकृति किए जाने पर" पूर्व विक्रय किए जाने पर, जैसी अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों से विशेषित कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8. ***निविदाओं का खोला जाना**—अनुसूची में निविदाओं के खुलने की यथाविनिर्दिष्ट तारीख और समय पर, आप स्वयं उपस्थित रह सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं । उस प्रतिनिधि का नाम और पता, जो निविदा के खुलने के समय आपकी ओर से उपस्थित रहेगा, अपनी निविदा में उपदर्शित करें । कृपया अपने स्थायी प्रतिनिधि, यदि कोई हो, का नाम और पता भी लिखें ।

9. **कीमतें**—(i) कोट की गई कीमतें अनुसूची में दी गई प्रति इकाई शुद्ध होनी चाहिए तथा उनमें सभी पैकिंग और परिदान भार सम्मिलित किए जाएंगे । वापस किए जाने योग्य पैकेजों (यदि कोई हों) की बाबत प्रतिदाय पृथकतः विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । कीमतें और प्रतिदाय स्पष्ट रूप से अंकों और शब्दों में, भारतीय मुद्रा में, उल्लिखित किए जाएं ।

* यदि निविदाएं जनता के समक्ष नहीं खोली जानी हैं तो इसे काट दें ।

(ii) प्रत्येक मद के लिए कीमतें पृथक्-पृथक् उल्लिखित करें। सम्पूर्ण मांग की दशा में कुल कीमत में कटौती का प्रतिशत भी कोट किया जाना चाहिए, यदि उस सीमा तक आदेश आपको दिया जाता है।

(iii) यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट से भिन्न इकाइयों के लिए कोटेशन दिए जाते हैं तो निविदा में उनका पारस्परिक संबंध उल्लिखित किया जाना चाहिए, अर्थात् :—

1 ग्राम = 0.0352740 औंस = 0.085735 तौला

1 किलोग्राम = 2.20462 पौंड = 1.07169 सेर

1 मीटर टन = 0.98420 टन = 26.7923 मन

(iv) (i) यदि उत्पाद-शुल्क या किसी अन्य प्रभार के लिए अतिरिक्त रूप में मांग की जाने का विनिश्चय किया जाता है तो उस बाबत विनिर्दिष्ट कथन किया जाना चाहिए। ऐसा कोई अनुबंध न होने पर, यह उपधारणा की जाएगी कि कीमतों में ऐसे सभी प्रभार सम्मिलित हैं और उनके लिए कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(ii) निविदाकार द्वारा कोट की गई कीमतों में विक्रय-कर सम्मिलित नहीं होना चाहिए (ऐसा स्पष्टतया कथन भी किया जाना चाहिए) और वह क्रेता द्वारा संदत्त किया जाएगा। किन्तु यह तब जब वह निविदा स्वीकृति में यथा विनिर्दिष्ट प्रदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर विधिक रूप से उद्ग्रहणीय हो।

10. **परिदान के निबंधन**—माल का परिदान, निविदा-अनुसूची में विनिर्दिष्ट तारीख (तारीखों) तक अपेक्षित है किन्तु यदि आपके लिए उस तारीख (तारीखों) तक परिदान करना संभव नहीं है तो विहित निविदा-अनुसूची में वह तारीख विनिर्दिष्ट करें जिस पर आप निश्चित रूप में परिदान कर सकते हैं।

11. **नमूने**—निविदा-नमूने, यदि विनिर्दिष्टतया मांगे न गए हों, देने की आवश्यकता नहीं है।

जहां विनिर्दिष्ट तथा नमूने मांगे गए हों वहां बिना नमूनों वाली कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

जो प्रदाय आप करना चाहते हैं उनके नमूनों की मात्रा, विनिर्देशों में, यदि कोई हो, या निविदा अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट से कम नहीं होनी चाहिए। यदि परीक्षण के लिए अपेक्षित नमूनों की मात्रा विनिर्देशों या निविदा-अनुसूची में दी गई है तो उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रत्येक नमूने पर एक कार्ड चिपकाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :—

(क) आपका नाम और पता

(ख) निविदा संख्यांक

(ग) निविदा खुलने की तारीख

(घ) मद संख्यांक, जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है

(ङ) कोई अन्य आवश्यक वर्णन भी स्पष्टतया किया जा सकता है।

नमूने निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी (जिसे निविदा-अनुसूची में नामित किया गया हो) को इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट तारीख तक उसके पास पहुंच जाएं। नमूने भेजने का खर्च और भाड़ा निविदाकार ही वहन करेगा और प्राप्तकर्ता अधिकारी पर उनकी सुरक्षित अभिरक्षा का कोई दायित्व नहीं होगा। जो निविदाकार नमूने और उनके परीक्षण के लिए अपेक्षित परीक्षण फीस, यदि कोई हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो यह जोखिम रहेगी कि उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाए।

भाड़ा देय, आधार पर भेजे गए नमूने स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पैकेज और रेल रसीदें, "स्वयं को" नहीं अपितु निरीक्षक अधिकारी या अन्य संबद्ध अधिकारी को भेजे जाएंगे।

यदि नमूने रेल पार्सल से भेजे जाते हैं तो रेल रसीद निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न न करके पृथकतः उस कार्यालय को (आवश्यक पत्र के साथ, जिसमें ऐसी आवश्यक विशिष्टियां दी जाएंगी जिससे कि यह सुगमता से पता लग सके कि वह रसीद किस पार्सल की है) भेजी जाएगी जिसे नमूने भेजे जाने हैं। ऐसे निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने, जिनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं (यदि नमूने परीक्षण के दौरान नष्ट नहीं किए गए हैं) उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांग की जाने पर उन्हें लौटा दिए जाएंगे अथवा सीधे उन्हें, उनके खर्च पर, लौटा दिए जाएंगे, परन्तु यह तब जब सफल निविदाकार से निविदा हो जाने के या मांग के रद्दकरण की अधिसूचना के पश्चात् से एक मास के भीतर उस अधिकारी से, जिसे नमूने भेजे गए हैं उनकी वापसी के लिए आवेदन कर दिया गया हो। यदि उस तारीख तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो नमूनों का व्ययन लोक नीलाम द्वारा कर दिया जाएगा और विक्रय-आगम सरकार के खाते जमा कर दिया जाएगा।

12. **प्रमाणित नमूनों के पैटर्नों की परीक्षा**---जब निविदा-अनुसूची प्ररूप में या विनिर्देशों में सामान के मोहरबंद पैटर्नों का उल्लेख हो तो निविदा प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वे या उनके प्रमाणित नमूने निविदा-अनुसूची में यथाकथित स्थान को भेजे जा सकते हैं और आपकी ओर से किसी सक्षम व्यक्ति (जो यह आश्वासन अपने साथ लाएगा) द्वारा उनकी परीक्षा की जानी चाहिए।

13. **पैकिंग**---यदि पैकिंग की रीति विनिर्देशों में या निविदा-अनुसूची प्ररूप में उपदर्शित नहीं की गई है तो ठेकेदार पैकिंग की जिस रीति का अनुसरण करना चाहता है वह निविदा-अनुसूची प्ररूप में अवश्य वर्णित की जानी चाहिए। ठेकेदार, अतिरिक्त विकल्पी आकारों और वर्णन के पैकों के लिए कोटेशन दे सकते हैं किन्तु उनका उल्लेख निविदा-अनुसूची में अवश्य किया जाए।

14. **स्वीकृति का अधिकार**---कार्यालय, निम्नतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है। वह संपूर्ण निविदा या प्रस्तावित मात्रा के किसी भाग को स्वीकार कर सकता है और तब आप कोट की गई दर पर ही उसका प्रदाय करेंगे। आप संपूर्ण सामग्री के लिए या उसके किसी एक भाग के लिए निविदा दे सकते हैं और निविदा में यह कथन कर सकते हैं कि कोट की गई दर तभी लागू होगी जब आप पूरी मात्रा लेंगे।

15. **स्वीकृति की संसूचना**---केवल आपकी स्वीकृति, तार से, एक्सप्रेस पत्र से या औपचारिक प्रदाय आदेश से संसूचित कर सकता है। यदि स्वीकृति, तार या एक्सप्रेस पत्र से संसूचित की जाती है, तो औपचारिक प्रदाय आदेश आपको यथाशक्य शीघ्र भेजा जाएगा किन्तु तार या एक्सप्रेस पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का तुरन्त पालन किया जाना चाहिए।

16. यह निविदा अन्तरणीय नहीं है।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी
ओर से

निविदा आमंत्रण का परिशिष्ट

विनिर्देश और रेखाचित्र तथा पैम्फलेट, जिनमें संविदा की शर्तें अन्तर्विष्ट हैं, कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं।

1. विनिर्देश :

(क) रक्षा विनिर्देश, जो समूल्य प्रकाशन हैं, केवल नकद या धनादेश द्वारा पूर्वसंदाय करके, निविदा अनुसूची में वर्णित निरीक्षक प्राधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टिप्पण 1. पोस्टल आर्डर या डाक टिकट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. मानक विक्रय विनिर्देश का मूल्य निविदा अनुसूची में दिया गया है।

(ख) रक्षा विनिर्देश, जो समूल्य प्रकाशन नहीं हैं, (अविक्रेय हैं), निविदा अनुसूची में वर्णित निरीक्षक प्राधिकारी से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. रेखाचित्र :

मानक (विक्रेय) रेखाचित्रों, अमानक रेखाचित्रों (विक्रेय) का मूल्य एक रुपया है (डाकखर्च अतिरिक्त)। इनकी कीमत सूचना दिए बिना बढ़ाई जा सकती है।

3. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई संविदा की साधारण शर्तें जिस पैम्फलेट में हैं वह, उपापन नियंत्रक के कार्यालय से नकद या धनादेश द्वारा 5 रुपए का संदाय करके, प्राप्त किया जा सकता है।

89-M/B(N)205Mof LJ&CA—3

निविदा सं०

डी डी एस 100

इस कार्यालय को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं में निविदाकार का पोस्टबॉक्स सं० यदि कोई हो, तथा पूरा नाम और पता भी कोट किया जाना चाहिए

ठेकेदार का तार का पता———————
———————————————
टेलीफोन नं० ——————

प्रेषक ———————————————
———————————————
———————————————

प्रेषिती

उपापन नियंत्रक,
नौसेना सामग्री डिपो,
मुम्बई–400086.

मैं/हम, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सामग्री या आपके प्रदाय आदेश में यथाविनिर्दिष्ट मात्रा उक्त अनुसूची में दी गई कीमत पर, प्रदाय करने की प्रस्थापना करता हूं/करते हैं और——————तक इस प्रस्थापना को खुला रखने का करार करता हूं/करते हैं। मैं/हम, समय के भीतर प्रेषित की गई स्वीकृति की संसूचना से आबद्ध हूंगा/होंगे।

2. मैंने/हमने, समय-समय पर यथासंशोधित पुस्तक नि०पु०म०नि० 229 में निविदाकारों को अनुदेश और नि०पु०भ०नि० 68 (पुनरीक्षित) की अनुसूची 'ख' में दी गई संविदा की शर्तें समझ ली हैं। मैंने/हमने, अनुसूची में कोट किए गए विनिर्देशों, रेखाचित्रों और/या पैटर्न की पूरी तरह परीक्षा कर ली है। मुझे/हमें अपेक्षित सामग्री की प्रकृति की पूरी जानकारी है और मेरी/हमारी प्रस्थापना पूर्णतया अपेक्षाओं के अनुसार सामग्री का प्रदाय करने के लिए है।

3. इस निविदा में निम्नलिखित पृष्ठ जोड़े गए हैं और वे उसके भागरूप में :————————————

भवदीय,

*(निविदाकार के हस्ताक्षर)

पता:
तारीख:
साक्षी के हस्ताक्षर:
पता:

*टिप्पणी : निविदा के पृष्ठ 3 का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।

डी डी एस 100बी

निविदा-अनुसूची

निविदा खोली जाने का समय और तारीख———————————

*स्वीकृति के लिए निविदा——————तक खुली रहेगी

मद सं०	सामान का वर्णन	विनिर्देश सं०	मात्रा या संख्या	इकाई	प्रति इकाई कीमत	प्रेषण का स्टेशन/रेल पर्यन्त निःशुल्क परिदान का स्थान

कृपया उपाबद्ध संलग्न देखें

(इस निविदा को लागू विशेष अनुदेश और संविदा की शर्तें, इस अनुसूची से संलग्न हैं)।

*यहां वह तारीख लिखिए जिस तक निविदा खुली रहेगी।

टिप्पण

1. (i) **निविदा नमूने**—निविदा नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट नहीं दी जाएगी।

(ii) **निविदाकारों द्वारा प्रस्थापित मात्राएं**—यदि निविदाकार संपूर्ण मात्रा के लिए कोटेशन देने और यथाअपेक्षित परिदान करने की स्थिति में नहीं है तो वे वह मात्रा स्पष्टतः लिखें जो वे कोट की गई कीमत पर और यथा अपेक्षित रूप में, परिदान कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं लिखेंगे तो कोट की गई कीमत पर पूर्ण मात्रा प्रदाय करने की जिम्मेदारी आप की होगी।

(iii) **विकल्पी पैकिंग :** जहां विकल्पी पैक दिए जाएं वहां निविदाकार दिए गए सभी विकल्पी पैकों के लिए कीमतें कोट करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे उन पैकों में प्रदाय करने के लिए असमर्थ या अनिच्छुक हैं जिनके लिए उन्होंने कोटेशन नहीं दिया है। इस विषय में उनसे और कोई सम्पर्क नहीं किया जाएगा।

निविदाकार, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के सामने अपना उत्तर विनिर्दिष्ट करें। ऐसी निविदाओं पर जिनमें अनिश्चित या अस्पष्ट उत्तर दिए जाएंगे विचार नहीं किया जाएगा।

क्या प्रस्थापित सामान, इस पृष्ठ के पृष्ठभाग पर कोट की गई विशिष्टियों के अनुरूप है, यदि नहीं, तो विचलनों का ब्यौरा यहां दें :—

2. (i) ब्रांड

(ii) विनिर्माता का नाम और पता

(iii) विनिर्माण का स्थान

3. वह निश्चित तारीख जिस तक परिदान पूरा किया जाएगा।

4. वह पैकिंग जिसके प्रयोग की प्रस्थापना है। क्या विनिर्देश में दी गई पैकिंग का प्रयोग किया जाएगा ?

5. क्या नमूना दिया गया है ?

6. परेषण का सकल भार

प्रत्येक मद का शुद्ध भार

7. क्या आप यथा अनुबंधित निरीक्षण खण्ड से सहमत हैं ?

8. हस्तगत वर्तमान स्टाक, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :—

(क) हमारे द्वारा धारित .....

(ख) सर्व श्री ..... द्वारा धारित जिसके लिए हमने विकल्प प्राप्त कर लिया है।

9. भारत के लिए मार्गस्थ स्टॉक

10. यदि प्रस्थापित सामान का विनिर्माण भारत में किया जाता है तो क्या उसके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले समस्त कच्ची सामग्री, संघटक आदि भी भारत में उत्पादित किए जाते हैं। यदि नहीं तो उस सामग्री संघटक आदि का जो आयात की जाती है और उनके उद्भव का देश भी बताएं। देशी और आयातित संघटक के स्पष्ट विभाजन के साथ ही उनका मूल्य और कुल सामान में उनका अनुपात भी बताएं।

11. .....के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री का पर्याप्त स्टाक है।

12. (i) यहां विनिर्दिष्ट रूप से लिखें कि क्या आपके द्वारा निविदत्त कीमत आपके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसी प्रकृति/वर्ग या वर्गन के सामान के लिए किसी प्राइवेट क्रेता, चाहे वह विदेशी हो या नहीं, या क्रेता चाहे सरकार से प्राथिकतः प्रभारित कीमत से अधिक नहीं है। यदि नहीं तो उसके लिए कारण, यदि कोई हों, लिखें। अन्तर की मात्रा भी उपदर्शित करें।

(ii) ऐसे देशी सामान की बाबत, जिसके लिए विधि द्वारा नियंत्रित कीमत नियत है, कोट की गई कीमत, नियंत्रित कीमत से अधिक नहीं होगी। यदि कीमतें अधिक हैं तो उनके लिए कारण विनिर्दिष्ट करें।

13. **निविदाकार फर्म का कारबारी नाम और गठन:** क्या फर्म निम्नलिखित के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956

(ii) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (कृपया भागीदारों के नाम लिखें)

(iii) यदि किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो स्वामी कौन है ? (कृपया उनके पूरे नाम लिखें)।

14. क्या आप संविदा की साधारण शर्तों की अनुसूची "ख" में यथा उपबंधित सचिव, रक्षा मंत्रालय, रक्षा पूर्ति विभाग या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकमात्र माध्यस्थम् से सहमत है।

(इस खण्ड की आपके द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति से निविदा के विनिश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु यह ध्यान रहे कि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने में लोप किए जाने को इस खण्ड की स्वीकृति समझा जाएगा)।

(ऐसी भागीदारी फर्मों के लिए, जो चाहे भारतीय भागीदार अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या नहीं)

यदि किसी भागीदारी फर्म द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो कृपया यह भी बताइए,—

(क) कि क्या भागीदारी करार द्वारा भागीदारी, कारबार से संबंधित विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का प्राधिकार उस भागीदार को प्रदत्त किया गया है जिसने निविदा पर हस्ताक्षर किए हैं ?

(ख) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निष्पादित कोई साधारण मुख्तारनामा है, जिसके द्वारा उस भागीदार को, जिसने निविदा पर हस्ताक्षर किए हैं, भागीदारी के कारबार से संबंधित विवाद माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का प्राधिकार दिया गया है ।

(ग) यदि (क) या (ख) में से किसी का उत्तर सकारात्मक है तो आप, यथास्थिति, भागीदारी करार या साधारण मुख्तारनामे की प्रति दे सकते हैं । प्रति नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए या उचित रूप से स्टाम्प लगे कागज पर दिए गए शपथपत्र द्वारा उसका निष्पादन सभी भागीदारों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए ।

कृपया ध्यान दें : जहां निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले भागीदार को माध्यस्थम् के लिए विवाद निर्देशित करने का प्राधिकार नहीं दिया गया है वहां प्रत्येक भागीदार निविदाओं पर हस्ताक्षर करें ।

तारीख :

निविदाकार के हस्ताक्षर

डी डी एस 100सी

निविदा-अनुसूची का उपाबंध

(इसे निविदाकार सम्यक्तः हस्ताक्षर करके निविदा के साथ लौटा दें)

1. **साधारण**

निविदाकार स्पष्ट रूप से निम्नलिखित घोषणा करें :—

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम,—

(i) विनिर्माता हूं/हैं

(ii) विनिर्माता का/कि प्राधिकृत/अभिकर्ता हूं/हैं

(iii) निविदत्त सामान का/कि स्टाकधारक हूं/हैं

(जो लागू न हो उसे काट दें)

2. **संविदा की शर्तें**

निविदाकार फर्मों के मुद्रित या साइक्लोस्टाइल रूप में ऐसे निबन्धन और शर्तें, जो निविदा में सम्मिलित नहीं हैं, निविदा की भागरूप नहीं समझी जाएंगी । निविदाकार फर्में; निविदा-आमंत्रण और निविदाकारों को अनुदेश के पैरा 1 में निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर कोटेशन दें । यदि इस निविदा आमंत्रण को लागू संविदा के कोई निबन्धन और शर्तें, निविदाकार फर्मों को स्वीकार्य नहीं हैं तो वे उनसे विचलन का कथन अपनी निविदा में विनिर्दिष्टतया करें ।

3. **विनिर्देश के विचलन**

यह निविदाकारों के हित में होगा कि वे कोटेशन देने से पूर्व निविदा अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनिर्देश, रेखाचित्र आदि का भली प्रकार अध्ययन कर लें और यदि वे उनसे कोई विचलन करते हैं तो ऐसे विचलन वे अपनी निविदा में स्पष्टतया दर्शित करें ।

4. **कीमत**

(क) कीमतें रुपए-पैसों में व्यक्त करें ।

(ख) इकाई कीमतें, निविदा अनुसूची में उपदर्शित इकाई के लिए ही न कि किसी अन्य इकाई के लिए होगी ।

(ग) मात्रा छूट, यदि कोई हो, स्पष्टतः उपदर्शित की जानी चाहिए ।

(घ) रेलपर्यन्त निःशुल्क प्रेषण स्टेशन कीमतों में, स्थानीय परिदान की दिशा में, फर्म के परिसर से 10 किलोमीटर व्यास/नगर निगम सीमा के भीतर स्थित के प्रेषिती को निःशुल्क परिदान सम्मिलित है ।

(ङ) (i) निश्चित कीमत आधार पर प्रस्थापनाओं को अधिमान दिया जाएगा ।

(ii) जहां फर्में निश्चित कीमतें कोट नहीं कर सकती है वहां अधिकतम सीमा वाली परिवर्तनीय कीमतों के अधिमान दिया जाएगा ।

(iii) जहां मजदूरी में वृद्धि के लिए आग्रह किया जाएगा वहां निम्नतम मजदूरी वृद्धि वाली प्रस्थापना पर सम्यक्तः विचार किया जाएगा ।

5. अभिवहन बीमा

क्रेता अभिवहन बीमा के लिए पृथक् से संदाय नहीं करेगा और संविदाकृत सामग्री के अच्छी हालत में गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक प्रदायकर्ता की जिम्मेदारी होगी ।

प्रेषिती यथासाध्य शीघ्र किन्तु सामग्री के गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख से 45 दिन के अपश्चात्, ठेकेदार को ऐसी किसी हानि या नुकसान की सूचना देगा जो अभिवहन में सामग्री को होती है ।

ऐसी निविदाओं/कोटेशनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा जिनमें अभिवहन बीमा के खर्च का अलग से दावा किया गया है ।

6. पूर्वतर परिदान के लिए कीमत-अधिमान

ध्यान रहे कि यदि निविदा आमंत्रण के परिणामस्वरूप निम्नतम स्वीकार्य प्रस्थापना की अपेक्षा उच्चतर निविदाकार से संविदा की जाती है तो ठेकेदार, निविदा में विनिर्दिष्ट और संविदा में सम्मिलित परिदान की तारीख के भीतर ऐसी संविदा के निबन्धनों के अनुसार प्रदाय पूर्ण करने में असफलता की दशा में रेल पर्यन्त निःशुल्क गंतव्य स्थान तक अन्तिम मूल्य, जिसमें माल भाड़ा, विक्रय-कर, स्थानीय कर, शुल्क और अन्य आनुषंगिक सम्मिलित है, के आधार पर निम्नतम स्वीकार्य निविदा और संविदा दर के बीच अन्तर का संदाय सरकार को करने के लिए दायी होगा । सरकार का यह अधिकार, विलंब से प्रदाय किए जाने तथा सामान के प्रदाय में असफलता की दशा में रद्दकरण और जोखिमक्रम के परिणामस्वरूप होने वाली अन्य हानियों और नुकसानों की वसूली करने के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उनके अतिरिक्त, होगा । ऐसी संविदा में जोखिम-क्रय की दशा में, ठेकेदार सरकार को उपगत व्यय के रूप में ऐसा अतिरिक्त संदाय करने के लिए दायी होगा जो वर्तमान निविदा आमंत्रण पर निम्नतम स्वीकार्य निविदाकार द्वारा कोट की गई दर और जोखिम-क्रय दर के बीच अन्तर के बराबर है ।

7. संदाय के निबंधन

संदाय को, संविदा की साधारण शर्तों और/या विशेष शर्तों में यथा समाविष्ट संदाय के मानक निबन्धन, लागू होंगे और उनसे कोई छूट देना संभव नहीं होगा ।

8. आयात सिफारिश प्रमाणपत्र

(क) ऐसे निविदाकारों को अधिमान दिया जाएगा जिन्हें आयात अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है । निविदाकार अनिवार्य रूप से यह कथन करें कि क्या उन्हें आयात अनुज्ञप्ति के लिए सिफारिश की आवश्यकता है । इस संबंध में किसी जानकारी के अभाव में यह मान लिया जाएगा कि निविदाकारों को आयात अनुज्ञप्ति के लिए किसी विशेष सिफारिश की आवश्यकता नहीं है । वे निविदाकार, जो ऐसी सहायता के आधार पर, कोटेशन देते हैं, वह लागत बीमा भाड़ा मूल्य अवश्य कोट करें जिस पर उनका रुपयों के रूप में कोटेशन (इसमें लाभ, रिबेट या छूट आदि सम्मिलित नहीं है) आधारित है ।

(ख) निविदाकारों को अपनी निविदा में प्रत्येक मद के सामने वह संख्या या मात्रा विनिर्दिष्टतया उपदर्शित करनी चाहिए जिसकी बाबत वे, विशेष आयात अनुज्ञप्ति के लिए, इस कार्यालय की सिफारिश चाहते हैं ।

(ग) निविदाकारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि इससे संलग्न निविदा प्ररूप में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सामान के प्रदाय के लिए कोई आयात अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो तो सरकार उसके दिए जाने का न तो वचन देती है और न किसी निविदा की स्वीकृति से सरकार की ओर से ऐसा कोई वचनबंध विवक्षित होगा । की जाने वाली किसी संविदा के संबंध में प्रदाय करने के लिए संघटकों का शीघ्र आयात करने में समर्थ बनाने के लिए, सफल निविदाकार को एक आयात सिफारिश प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है ।

की जाने वाली किसी संविदा के संबंध में तदर्थ आयात अनुज्ञप्ति शीघ्र जारी करने को सुकर बनाने के लिए सफल निविदाकार से यह अपेक्षित होगा कि वह अपने ही हित में, मुख्य आयात-नियंत्रक/लौह और इस्पात नियंत्रण/तकनीकी विकास विभाग (डी ओ उपकरण) को आवेदन देते समय उसके साथ अन्य प्राथमिक दस्तावेजों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रोफार्मा में (पांच प्रतियों में) अनुसूची संलग्न करें । अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में, पृथक्-पृथक् आई० टी०सी० क्रम संख्यावार लागत बीमा भाड़ा मूल्य उपदर्शित किया जाना अपेक्षित है ।

आयात अनुज्ञप्ति सं० ----------के अन्तर्गत माल का वर्णन

(अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी)

प्रोफार्मा

मद सं०	माल का वर्णन	आई० टी० सी० अनुसूची सं०	लागत/बीमा भाड़ा मूल्य	मात्रा

केवल मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक को आवेदन देने के लिए

सफल निविदाकार, जिसे आयात सिफारिश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आयात अनुज्ञप्ति के लिए तुरन्त, किन्तु किसी भी दशा में आयात सिफारिश प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 15 दिन के अपश्चात्, आवेदन करेगा।

निविदाकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि की जाने वाली किसी संविदा में "मात्रा", सीमाशुल्क से निकासी के प्रयोजनार्थ अधिकतम सीमा के रूप में उपदर्शित की जाएगी। यदि वास्तविक लागत बीमा भाड़ा मूल्य, अनुज्ञप्ति में दर्शित मूल्य से अधिक है तो अनुज्ञप्ति निकासी के लिए विधिमान्य नहीं होगी। किन्तु यदि लागत बीमा भाड़ा मूल्य में कोई वृद्धि वांछित है तो आयात-अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पर्याप्त समय पूर्व और माल के पोत-भरण से भी पूर्व संशोधन के लिए अनुरोध, कारणों और दस्तावेजी साक्ष्य से सम्यकृतः समर्थित, प्रस्तुत करना होगा।

सभी निविदाकारों को सचेत किया जाता है (उनमें से किसी के साथ संविदा की जाने की दशा में) कि आयात अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से पूर्व या उसकी समाप्ति के पश्चात् किया जाने वाला कोई भी पोतभरण अप्राधिकृत समझा जाएगा। इसी प्रकार यदि अनुज्ञप्ति की शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं तो आयात अप्राधिकृत समझे जाएंगे। माल का अप्राधिकृत आयात एक अपराध है और वह सीमाशुल्क प्राधिकारियों के न्यायनिर्णयन के अधीन है और आयात व्यापार संविदा प्राधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अतः इस निमित्त कोई अभ्यावेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा और इस विषय में पक्षकार सीमाशुल्क प्राधिकारियों से सीधे सम्पर्क करेंगे।

9. निविदाकार अपनी निविदाओं के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(i) आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र (संबद्ध सर्किल के आय-कर अधिकारी द्वारा, कार्यालय के मुद्रा सहित सम्यकृतः प्रतिहस्ताक्षरित)

(ii) उनके बैंकर का नाम और पूरा पता

(iii) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय और रक्षा मंत्रालय/रक्षा पूर्ति विभाग, जिसमें आर्डनेंस डिपो और वैसे ही सामान के लिए अन्य रक्षा स्थापन भी सम्मिलित हैं, से गत तीन वर्षों में हुई संविदाओं के संबंध में प्रदाय किए गए सामान के संबंध में, उनके द्वारा सम्यकृतः हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रोफार्मा में सम्पादन विवरण। यदि निविदाकार ने पिछले तीन वर्ष में ऐसी कोई संविदा नहीं की है तो वह, उससे की गई किन्हीं पूर्वतर संविदाओं, यदि कोई है, मद्दे किए गए प्रदाय की बाबत ऐसा विवरण प्रस्तुत करे।

(iv) सामान के विनिर्माण और क्वालिटी नियंत्रण के लिए उनके पास जो उपस्कर हैं उनका ब्यौरा निम्नलिखित प्रोफार्मा में :—

टिप्पण :—जिन निविदाओं में निम्नलिखित विशिष्टियां नहीं होंगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

कार्य सम्पादन विवरण का प्रोफार्मा [देखें उपर्युक्त 9 (iii)]

क्रम सं०	ए/टी या प्रदाय संख्या	आदेश और तारीख	प्रत्येक ए/टी या प्रदाय आदेश की मात्रा	ए/टी या प्रदाय आदेश में विनिर्दिष्ट परिदान की तारीख	परिदान की वास्तविक तारीख	टिप्पणियां (यहां परिदान की मूल तारीख का अनुसरण न किए जाने के कारण का उल्लेख करें)

टिप्पणी:—

संदर्भ :— जारी करने वाला कार्यालय ----------

निविदा संख्यांक ---------- तारीख ----------

---------- के प्रदाय के लिए

1. फर्म का नाम और पता ----------
2. (क) टेलीफोन नं० ---------- कार्यालय कारखाना/संकर्म ----------
   (ख) तार का पता ----------
3. अवस्थिति—आपके स्वामित्वाधीन विनिर्माण संकर्म/कारखाना/(स्वामी होने का दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करें)
4. कारखाने का संक्षिप्त वर्णन (उदाहरणार्थ, आच्छादित क्षेत्र, स्थान विभाग जिनमें वह विभाजित है, प्रयोगशाला आदि)
5. प्रत्येक विभाग में लगाए गए और चालू संयंत्र और मशीनरी के ब्यौरे (मोनोग्राफ और वर्णन पर्चे) भी, यदि उपलब्ध हों, प्रस्तुत करें
6. कारखाने में विनिर्माण की प्रक्रिया, विद्युत की सहायता से या उसके बिना चल रही है
7. धारित कच्ची सामग्री के ब्यौरे और उसका स्टाक
8. विद्यमान संयंत्र और मशीनरी की सहायता से उन मदों की उत्पादन क्षमता, जिनके लिए कोटेशन दिया गया है :—
   (क) सामान्य
   (ख) अधिकतम
9. उत्पादों के क्वालिटी नियंत्रण की व्यवस्था, जैसे प्रयोगशाला आदि के ब्यौरे
10. (क) उत्पादन और क्वालिटी नियंत्रण के भारसाधक तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के ब्यौरे।
    (ख) नियोजित कुशल श्रमिक
    (ग) नियोजित अकुशल श्रमिक
    (घ) आवेदन की तारीख के पूर्ववर्ती 18 मास के दौरान किसी भी दिन नियोजित (कुशल और अकुशल) कर्मकारों की अधिकतम संख्या।
11. क्या सामान या किसी मानक विनिर्देश के अनुसार परीक्षण किया गया है, यदि हां तो तीन प्रतियों में मूल परीक्षण प्रमाण-पत्र या उसकी प्रतियां, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

निविदाकार के हस्ताक्षर

ध्यान दीजिए—(1) स्तम्भ 5 से 10 के अन्तर्गत आने वाले ब्यौरे वहीं तक दिए जाएं जहां तक कि वे निर्दिष्ट मदों से संबंधित हैं।

(2) निर्दिष्ट मदों या वैसी ही उन मदों की, जिनकी मांग उसी हैसीयत में की जाती है, की बाबत सरकार के पूर्ववर्ती आदेशों और/या उसके प्रति विद्यमान वचनबद्धताओं के ब्यौरे निम्नलिखित प्रोफार्मा में, हस्ताक्षर सहित दिए जाने चाहिए :—

क्रम सं०	आदेश देने वाला प्राधिकारी और आदेश संख्यांक तथा तारीख	आदेश प्राप्त होने की तारीख	सामान का वर्णन	मात्रा	मूल्य	परिदान के लिए नियत तारीख	सामग्री के परिदान की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रेषण की विशिष्टियां	परिदान के समय में कितनी बार विस्तार अनुज्ञात किया गया	टिप्पणियां
9	10	11

12. इस्पात के नियंत्रित प्रवर्गों के लिए प्रमाणपत्र

उनकी निविदा में कोई अनुबंध न होने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि निविदाकारों ने, इस कार्यालय की किसी सहायता के बिना ही, नियंत्रित प्रवर्गों के इस्पात की व्यवस्था कर ली है या कर सकते हैं।

जहां इस कार्यालय से अनिवार्यता प्रमाणपत्र के रूप में सहायता अपेक्षित हो वहां निविदाकार निम्नलिखित जानकारी अवश्य प्रस्तुत करें :—

(i) निविदाकार, अपनी अनुमोदित निर्धारित क्षमता के आधार पर, चालू वर्षों के आबंटन मद्दे उन्हें आबंटित और देय इस्पात के एस० पी० आई० कोटा अवश्य लिखें । वे निम्नलिखित के लेखे अपने वर्तमान लोड का भी मीटरी टनों में, उल्लेख करें :—

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय,
(ख) रक्षा मंत्रालय, और
(ग) अन्य

वे वह अवधि भी विनिर्दिष्ट करें जिसमें उनके पूरा हो जाने की प्रत्याशा है । ऐसा निविदाकार जो विकास खण्ड या राज्य सरकार की सूची में नहीं है और जिसे सामान्य प्रयोग की मदों के लिए इस्पात का एस० पी० आई ० कोटा नहीं मिलता है, कोटेशन दे सकता है, किन्तु उसे स्वयं इस्पात की व्यवस्था करके विनिर्मित सामान का प्रदाय करना होगा ।

(ii) यदि निविदा में विनिर्दिष्ट किया गया हो तो सफल निविदाकार को, इस्पात के निर्बन्धित प्रवर्गों के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र विनिर्माण के लिए वस्तुतः आवश्यक निर्धारित की जाने वाली मात्रा के लिए, उसके अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा । प्रत्येक निविदाकार, यथास्थिति संबद्ध विकास, खण्ड या उद्योग निदेशक द्वारा आश्वस्त अपनी इस्पात की वार्षिक क्षमता भी लिखेगा । सफल निविदाकार द्वारा मांग पत्र में लिखा जाने वाला इस्पात वर्गीकृत प्रवर्गों का और ऐसी मानक लम्बाई/आकार का होगा जो लौह और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता के माध्यम से उत्पादक/आयातकर्ता द्वारा शीघ्र प्रदाय किया जा सकता हो । जहां इस्पात के सेक्शनों की निश्चित लंबाई/आकार की आवश्यकता समझी जाए वहां उसका औचित्य निविदा में कथित किया जाना चाहिए । ठेकेदार, इस्पात की यथा उपलब्ध अपेक्षित मात्रा, प्रपुंज रूप में, अभिप्राप्त करने और उसके लिए संदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

(iii) निविदाकार, समय-समय पर लौह और इस्पात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का हवाला दे सकता है। जहां लौह और इस्पात नियंत्रक द्वारा यह अधिसूचित किया गया हो कि इस्पात के कुछ प्रवर्गों के लिए कोटा, प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा, वहां ऐसे प्रवर्गों के लिए इस कार्यालय द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी ।

सफल निविदाकार, अपेक्षित इस्पात, लौह और इस्पात नियंत्रक/नियंत्रित स्टाकिस्टों से सीधे क्रय कर सकेगा किन्तु यह क्रय, इस्पात के अर्जन के लिए उन इस्पात उत्पादकों या नियंत्रित स्टाकिस्टों से अनुबंधित शर्तों पर निर्भर होगा । यदि निविदाकार को इस्पात के अर्जन के विषय में फिर भी इस कार्यालय की सहायता की अपेक्षा हो तो उसे अपनी निविदा में ऐसा उल्लेख विनिर्दिष्टतया करना चाहिए और निविदा के साथ प्रत्येक प्रवर्ग के इस्पात की इकाइयों का प्राक्कलन और कुल अपेक्षा का विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए । यदि ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है तो संभव है कि निविदा पर विचार न किया जाए । यदि इस कार्यालय द्वारा सहायता का अनुबंध करने वाली निविदा स्वीकृत हो जाती है तो सफल निविदाकार को एक अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसमें की गई संविदा की विशिष्टियां उपदर्शित की जाएंगी और सफल निविदाकार को इस्पात की मात्रा जारी कर दी जाएगी । अनिवार्यता प्रमाणपत्र केवल उन मदों/मात्राओं के लिए जारी किया जाएगा जो इस कार्यालय द्वारा उपयुक्त समझी जाएंगी ।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त होते ही ठेकेदार, कच्ची सामग्री के उपापन के लिए तत्काल कार्रवाई करेगा । इस संबंध में उसकी ओर से किसी प्रकार का विलम्ब होने पर, संविदा, उनकी जोखिम और व्यय पर, रद्द की जा सकेगी ।

13 इस्पात/कच्चे लौह की कीमतों में परिवर्तन हो जाने के कारण कीमत-परिवर्तन

जो निविदाकार इस्पात/कच्चे लोहे की कीमत में परिवर्तन का उपबन्ध करते है, उन्हें इस्पात/कच्चे लोहे की वे नियंत्रित कीमतें/संयुक्त संयंत्र समिति की वे कीमतें जिन पर कि उनकी दरें आधारित हैं, विनिर्दिष्ट करनी चाहिएं । इस्पात/कच्चे लोहे की उस नियंत्रित कीमत/संयुक्त समिति की कीमत, जिस पर कोटेशन आधारित है, तथा वास्तविक क्रय के समय प्रवृत्त कीमत के बीच अन्तर (अधिक या कम का, सरकार और ठेकेदार के बीच समायोजन किया जाएगा । किन्तु यदि ठेकेदार को, उत्पादक/रजिस्ट्रीकृत स्टॉकिस्ट से कोई व्यापारिक/नकद छूट मिलती है तो उसका समायोजन उस अन्तर में (कम या अधिक) कर दिया जाएगा जो इस्पात/कच्चे लोहे की उस नियंत्रित कीमत/संयुक्त समिति की कीमत, जिस पर कोटेशन आधारित है, तथा ठेकेदार द्वारा वास्तविक क्रय के समय प्रवृत्त कीमत में, जिसमें से उत्पादक/रजिस्ट्रीकृत स्टाकिस्ट से प्राप्त कोई व्यापारिक/नकद छूट घटा दी जाएगी के बीच अन्तर है । निविदाकारों को स्पष्टतः कथन करना चाहिए कि अपव्यय की बाबत कीमत में परिवर्तन का दावा करने का उनका आशय है या नहीं । यदि हां तो ऐसे निविदाकारों को, ऐसे अपव्यय के आधार पर कीमत में परिवर्तन का वह प्रतिशत लिखना चाहिए जिसका कि दावा करना चाहेंगे । सरकार सफल निविदाकार से, लौह और इस्पात नियंत्रक/संयुक्त संयंत्र समिति के, प्रदाय की तारीख को लागू कीमत परिपत्र के अनुसार, निविदाकार द्वारा रखे जाने वाले स्क्रैप के मूल्य के लिए, पूर्ण मुजरा का दावा करने की हकदार होगी।

सफल निविदाकार, इस्पात/कच्चे लोहे की कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के अपने दावे के समर्थन में, क्रय किए गए इस्पात/कच्चे लोहे के वाउचर प्रस्तुत करेगा जो निविदाकार ऐसे वाउचर प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

टिप्पण : इस समय इस्पात पर कानूनी नियंत्रण नहीं है अतः पद "नियंत्रित कीमत", "एल" और "एस० सी०" "कीमत" तथा "रजिस्ट्रीकृत स्टाकिस्ट" के स्थान पर, जहां कहीं वे उपर्युक्त खण्ड में आए हैं, क्रमशः पद "पी पी सी कीमत" परिपत्र और "उत्पादक/रजिस्ट्रीकृत स्टाकिस्ट" रखे जाएंगे।

14. गारण्टी/वारण्टी

निविदाकार, अपनी कोटेशनों के साथ निम्नलिखित गारण्टी/वारण्टी प्रस्तुत करेगा :—

(i) यदि और जब अपेक्षित हो तय पाए गए आधार पर तय पाई गई कीमत पर फालतु पुर्जे प्रदाय करने की गारण्टी।

(ii) इस आशय की वारण्टी कि फालतु पुर्जों का उत्पादन बंद करने पूर्व वे उपस्कर के क्रेता को पर्याप्त पूर्व सूचना देंगे जिससे कि वह जीवन भर अपनी शेष अपेक्षाओं की पूर्ति करवा सके।

(iii) इस आशय की वारण्टी कि वे यदि और जब मुख्य उपस्कर के संबंध में अपेक्षित हो, फालतु पुर्जों के ब्लू प्रिन्ट उपलब्ध कराएंगे।

(iv) ठेकेदार, यदि उससे संविदा की जाती है तो, निम्नलिखित वारण्टी देगा :—

ठेकेदार/विक्रेता यह घोषित करता है कि इस संविदा के अधीन क्रेता को विक्रय किया जाने वाला माल/सामान/वस्तुएं क्वालिटी और कार्यकौशल की दृष्टि से सर्वोत्तम होंगी और पूर्णतः इसके खण्ड . . . में अन्तर्विष्ट/उल्लिखित विनिर्देशों और विशिष्टियों के अनुसार होंगी। ठेकेदार/विक्रेता यह गारण्टी करता है कि उक्त माल/सामान/वस्तुएं, क्रेता को उक्त माल/सामान/वस्तुओं के परिदान की तारीख से 12/18 मास की अवधि तक पूर्वोक्त वर्णन और क्वालिटी के अनुरूप और इस बात के होते हुए भी, बनी रहेंगी कि क्रेता (निरीक्षण) ने उक्त माल/सामान/वस्तुओं का निरीक्षण और/या अनुमोदन पर दिया गया था यदि पूर्वोक्त 12/18 मास की अवधि के दौरान, यह पाया जाता है कि उक्त माल/सामान/वस्तुएं पूर्वोक्त वर्णन और क्वालिटी के अनुरूप, नहीं है या उनमें क्षय हो गया है (इस संबंध में क्रेता का विनिश्चय अन्तिम और निश्चायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/सामान/वस्तुएं या उनका वह भाग जो उक्त वर्णन और क्वालिटी के अनुरूप नहीं है, रद्द करने का हकदार होगा। इस प्रकार रद्द किए जाने पर, वह माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी और तब माल आदि के रद्दकरण से संबंधित इसमें अन्तर्विष्ट शर्तें लागू होंगी। ठेकेदार/विक्रेता, यदि उनसे कहा जाए तो, 3 मास की अवधि के भीतर या ठेकेदार द्वारा आवेदन किए जाने पर क्रेता द्वारा अपने विवेकानुसार समय-समय पर बढ़ाई गई, अवधि के भीतर, ऐसे माल/सामान/वस्तुओं या उनके उस भाग को जो क्रेता द्वारा रदद् कर दिया गया है, बदल देंगे और ऐसा किए जाने पर उपर वर्णित वारण्टी-अवधि ऐसे माल/सामान/वस्तुओं के बदले जाने की तारीख से लागू होगी। ऊपर वर्णित वारंटी से, क्रेता का, संविदा की शर्तों और इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के भंग के कारण अद्भूत होने वाली नुकसानी का दावा निराकृत नहीं होगा।

15. अधिकारिता

यदि संविदा हो जाती है तो उसके अधीन या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद या मतभेद उस न्यायालय की अनन्य अधिकारिता के अधीन होंगे जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थान स्थित है जहां से निविदा की स्वीकृति जारी की जाती है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

विशेष अनुदेश

निविदाकार, यह प्ररूप सम्यक्‌तः हस्ताक्षर करके अपनी संविदा के साथ लौटा दें।

1. यदि संविदा की जाती है तो वह, समय-समय पर यथापुनरीक्षित प्ररूप पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय-68 (पुनरीक्षित) की अनुसूची "ख" में अन्तर्विष्ट संविदा की साधारण शर्तों से शासित होगी।

2. कोट की जाने वाली कीमतें, यावत्‌साध्य स्थिर और निश्चित होंगी। यदि किसी कारणवश कीमतों में परिवर्तन अपेक्षित है तो कीमत परिवर्तन का विस्तृत सूत्र स्पष्टतः विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कोट की गई कीमतों में सम्मिलित की गई आधारिक कीमतें/दरें उपदर्शित की जाएंगी।

जो निविदाकार स्थिर और निश्चित कीमतों के आधार पर कोटेशन देंगे उन्हें अधिमान दिया जाएगा।

3. निविदाकार, पोतपर्यन्त निःशुल्क प्रेषण/गंतव्य स्टेशन के आधार पर कोटेशन दें:—

(क) यदि किसी विशिष्ट कारणवश वे किसी संकर्म-द्वार आधार पर कोटेशन देना चाहें तो उन्हें संकर्म-द्वार प्रस्थापना और प्रेषण स्टेशन प्रस्थापना का अन्तर उपदर्शित करना चाहिए, अन्यथा उनकी प्रस्थापना पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

(ख) रेल पर्यन्त निःशुल्क प्रेषण/गंतव्य स्टेशन के लिए कीमतें कोट करने के साथ-साथ निविदाकार वे कीमतें भी कोट करें जो वे, सामान स्थानीय रक्षा निरीक्षण डिपो या स्थानीय प्रेषिती को माल खुली दशा में परिदत्त किए जाने की दशा में प्रभारित करेंगे।

4. निविदाकारों को निविदा प्ररूप में यह अवधि उपदर्शित करनी चाहिए जिस तक वे अपनी निविदा स्वीकृति के लिए खुली रखना चाहते हैं। निविदा प्ररूप में ऐसा कोई संकेत न होने पर, यह उपधारणा की जाएगी कि उनकी प्रस्थापनाएं, निविदा-अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अवधि तक स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी।

5. (क) क्रेता को, सफल निविदाकारों द्वारा कोट की गई दरों पर उनके द्वारा प्रस्थापित मात्रा की 25 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा के लिए उन्हें आदेश देने का अधिकार है।

(ख) यदि संविदा के चालू रहने के दौरान ठेकेदार को अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश दिया जाता है तो इस खण्ड के अधीन निविदाकार ऐसा आदेश स्वीकार करने के लिए आबद्ध होंगे।

(ग) यदि विनिर्दिष्ट सामान के लिए विभिन्न दरें या सोपानी दरें कोट की जाती हैं तो निविदाकार, विनिर्दिष्ट मदों की अतिरिक्त मात्रा का और प्रत्येक सोपान के लिए उनके द्वारा कोट की गई सोपानी दरों पर, प्रदाय करेगा।

6. **विक्रय-कर :** यदि निविदाकार यह चाहते हैं कि विक्रय कर के लिए अतिरिक्त संदाय किया जाए तो वे विनिर्दिष्टतया निविदा में ऐसा कथन करें। निविदा में ऐसा कोई अनुबन्ध न होने पर, यह उपधारणा की जाएगी कि निविदाकार द्वारा कोट की गई कीमतों में विक्रय-कर सम्मिलित है और क्रेता का विक्रय-कर के संदाय की बाबत कोई दायित्व नहीं होगा। निविदाकारों द्वारा "विक्रय-कर अतिरिक्त" कोट किए जाने पर विक्रय-कर, विक्रेता को उसी दर पर संदत्त किया जाएगा जिस पर वह निर्धारित किया जाना हो या वस्तुतः किया गया हो। परन्तु यह तब जब विक्रय-संव्यवहार पर तर्कसंगत रूप से विक्रय-कर सदेय हो, और वह संविदा के निबंधनों के अनुसार देय हो।

7. **उत्पाद शुल्क :** यदि उत्पाद शुल्क या किन्हीं अन्य प्रभारों के अतिरिक्त रूप में संदाय की वांछा की जाती है तो विनिर्दिष्टतया ऐसा कथन किया जाना चाहिए। ऐसे किसी कथन के अभाव में, इस बाबत कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

8. **प्रदायकर्ताओं द्वारा सामान का पूर्वनिरीक्षण:** सरकारी निरीक्षक को सामान निविदत्त करने से पहले, प्रदायकर्ता अपना यह समाधान करने के लिए, प्रत्येक परिदान का भली प्रकार पूर्व निरीक्षण करेगा कि सामान पूर्णतया विनिर्देश पत्र आदि में कोट की गई विशिष्टियों के अनुरूप है। प्रदायकर्ता, पूर्व निरीक्षण के परिणाम, निरीक्षण के लिए निविदत्त परेषण के साथ ही सरकारी निरीक्षण को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।

9. निविदाकारों को जारी किए गए रेखाचित्र और विनिर्देश सरकार की संपत्ति है अतः वे कोटेशनों के साथ अवश्य लौटा दिए जाएं। ऐसे निविदाकार भी, जो सामान की मदों के लिए कोटेशन नहीं देना चाहते हैं, विनिर्देश/रेखाचित्र लौटा दें। निविदाकारों को यह ध्यान रखना है कि वे उक्त दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु उन व्यक्तियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, प्रकट न करें, जो उन्हें देखने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

shall be

varrantly
2 months
plied are
site.

upply the
may be

10. क्रेता अभिवहन बीमे के लिए अलग से संदाय नहीं करेगा और माल को, गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच के लिए, ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

11. **वारंटी खण्ड :** इस आदेश पर प्रदाय किए गए सामान की बाबत, प्रेषिती के डिपो पर सामान की प्राप्ति की तारीख से 2 मास की अवधि के लिए, ठेकेदार की यह वारण्टी समझी जाएगी कि सामान, सामग्री, कार्यकौशल और सम्पादन की दृष्टि से दोषरहित है। यदि इस अवधि के दौरान प्रदाय किया गया सामान प्रेषिती द्वारा दोषयुक्त पाया जाता है तो ठेकेदार उसे स्थल पर ही निःशुल्क बदलेगा।

12. **स्वीकृति की शर्तें :** यदि प्रदाय के किसी भाग से कोई नमूना, परीक्षा की जाने पर, प्रदाय को शासित करने वाले विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो सम्पूर्ण प्रदाय रद्द किया जा सकेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर :

स्पष्ट अक्षरों में नाम :

हैसियत जिसमें निविदा पर हस्ताक्षर किए गए है :

तारीख :

फर्म का पूरा नाम और पता :

दूरभाष : 3018483

रजिस्ट्री डाक से

रक्षा मंत्रालय
कार्यालय महानिदेशक
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
"एम" ब्लाक, नई दिल्ली-110001

18706, आर ई /टी एस सी /म०नि० सं०ब०चि० से०/85 म०नि० 2सी० (टी०सी०)

केवल देश में विनिर्मित चिकित्सीय सामान का क्रय

प्रिय महोदय,

1. भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित की बाबत आपकी न्यूनतम कोटेशन आमंत्रित करते हैं :—

क्र०सं०	पी वी एम एस सं०	नाम तालिका	ए/यू	मात्रा	विनिर्देश

2. निविदा, सम्यक् रूप से भरे गए प्ररूप "क" की दो प्रतियों के साथ, इस कार्यालय में तारीख ———— को 12.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए।

निविदाएं 14.30 बजे खोली जाएंगी। आप उस समय उपस्थित रह सकते हैं ।

3. सम्यक् रूप से मुहरबंद निविदा, रजिस्ट्री डाक से निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए :—

म०नि०स०ब०चि०से०म०नि० 2 सी० (टी०सी०) का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, "एम" ब्लाक, कमरा सं० 48, नई दिल्ली-110001 या "एम" ब्लाक, नई दिल्ली के स्वागत कक्ष में रखी गई निविदा पेटी में डाली जा सकती है।

निविदा लिफाफे पर स्पष्ट रूप में :—

18706/आर ई /टी एस सी -/ म०नि०स०ब०चि०से०/म०नि० 2 सी० (टी०सी०) लिखा जाना चाहिए। निविदाएं तारीख———— को खोली जाएंगी।

तार से भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

कृपया ध्यान दें :

I कृपया देय कर/शुल्क प्रथक्तः उपदर्शित करें।

II आपको सूचित किया जाता है कि आप अपनी कोटेशन देते समय, अपने निविदा नमूने के निरीक्षण के लिए अपेक्षित समय (3 मास), सुझाव दिए गए किसी उपान्तर को आप द्वारा निगमित किए जाने के लिए अपेक्षित समय, आदेश देने के लिए अपेक्षित समय (3 मास), थोक प्रदाय के विनिर्माण और प्रेषिती को मदें पैक करके भेजी जाने में लगने वाले समय पर, विचार कर लें।

III. मात्रा संबंधी कटौती, यदि कोई हो, प्रमुख रूप से उपदर्शित की जानी चाहिए।

(क) कोट किए गए "विनिर्देश" ———— रु० का संदाय करके ————पे, जो निरीक्षक प्राधिकारी है या अपने प्रादेशिक म०नि०, लेखन सामग्री से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

(ख) सामान का परिदान ———— तक अपेक्षित है। कृपया प्ररूप "क" के स्तंभ ———— में यह उपदर्शित करें कि आपको आदेश दे दिए जाने के पश्चात् आप आदिष्ट मद का परिदान कितनी अवधि में कर देंगे।

(ग) **विधिमान्यता :** जैसा कि उक्त 3(घ) में उल्लिखित है, आपको कोटेशन, सुसंगत निरीक्षणालय और उपभोक्ता द्वारा आपके निविदा नमूने अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् से दो मास की अवधि तक, विधिमान्य रहेगी।

C..... by
y supplied

anufacturer/

—— Delhi

r is required
s conform to

consignee(s)

ee (s).

s contracted

d on your firm.

y be produced
of the above, if

(च) यह अपेक्षित है कि आप अपने निविदा नमूने तारीख------तक (i) सी आई जी सं० सी आई एम, सी आई एल/सी आई टी आई सी ---------- को प्रेषित कर दें, अन्यथा आपकी कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपने पहले किसी मदों का प्रदाय सफलतापूर्वक किया है तो कृपया उसका ब्यौरा नीचे दें।

यथोक्त परीक्षण के लिए निविदा-नमूने, विनिर्माता/प्रदायकर्ता की जोखिम और व्यय पर, भेजे जाएंगे।

(ङ) परेषिती : म०नि०म०वि०चि०से०

लखनऊ ---------- मुम्बई ----------
दिल्ली छावनी ----------पुणे
----------स०व०चि०से०का०----------
स०व०चि०से० ----------

4. **पूर्व निरीक्षण** : सरकारी निरीक्षक को सामान परिदत्त करने से पूर्व प्रदायकर्ता, अपने इस समाधान के लिए कि सामान कोट किए गए विनिर्देशों के अनुरूप है, प्रत्येक परिदान का पूर्णत : पूर्व निरीक्षण करेगा।

5. **संदाय** : (i) निरीक्षण टिप्पण दिखाए जाने पर, 95 प्रतिशत का संदाय, परेषिती (परेषितियों) को सामान भेजे जाने का सबूत पेश किए जाने पर, कर दिया जाएगा।

शेष 5 प्रतिशत अतिशेष का संदाय परेषिती (यों) को, परेषण अच्छी हालत में प्राप्त हो जाने पर, किया जाएगा।

(ii) 100 प्रतिशत का संदाय परेषिती से सामान प्राप्त हो जाने पर किया जाएगा।

6. **अभिवहन बीमा** : जब तक कि संविदा किया गया पूरा सामान संबंधित गंतव्य स्थान तक अच्छी हालत में नहीं पहुंच जाता, तब तक प्रदायकर्ता उसके लिए पूर्णत: जिम्मेदार होगा।

7. **निविदा**–नमूने के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें प्रस्तुत करें :—

(1) प्रचालन अनुदेश
(2) सर्विसिंग/अनुरक्षण निर्देशिका
(3) सर्किट/वायरिंग आरेख
(4) फालतू पुर्जों के आरेख
(5) पांच वर्ष की अवधि तक अनुरक्षण के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों की सिफारिश की गई सूची।
(6) पहचान सूची।
(7) विशेष अनुरक्षण औजारों की सूची।

यदि आपकी फर्म को आदेश दिया जाता है तो ( ) चिह्नित मद का प्रदाय निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(क) प्रत्येक उपस्कर के साथ एक सेट।
(ख) निरीक्षक आफिसर को दो सैट।
(ग) निरीक्षक प्राधिकारी को दो सेट।
(घ) प्रत्येक परेषिती को एक सेट।
(ङ) म०नि०स०चि०से०/म०नि० 2सी० (टी सी) के दो सेट।
(च) सं०वि०चि०से० पुणे को पांच सेट।

यदि आपके पास ऊपर ( ) चिह्नित अपेक्षित मदें आसानी से उपलब्ध नहीं है तो उनका अब उत्पादन कर लिया जाए जिससे कि आदेश दे दिए पर निरीक्षण के लिए अनुपलब्धता के कारण उनके प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब न हो।

8. **पैक करना और चिह्नांकन** : निरीक्षक अधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, सर्वोत्तम व्यापार पैकिंग स्वीकार्य होगी। ठेकेदार यह निश्चित करेगा कि की गई पैकिंग सड़क/रेल यात्रा में होने वाली जोखिमों को सहन कर सकेगी और यदि मार्ग में किसी मद से टूट फूट होती है तो वह उसे बदलने की व्यवस्था करेगा। पैकेज के बाएं सिरे पर अन्य चिह्नांकन के अतिरिक्त निरीक्षण टिप्पणी का संख्यांक और तारीख चिह्नांकित करें।

पैकिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:— सामान के प्रत्येक पैकेट पर, विनिर्माता के नाम के अतिरिक्त, नामावली भी दी जाएगी स्वीकृत प्रदाय प्रेषित करते समय क्रमशः प्रत्येक पैकेट के बाहरी भाग पर, पैक की गई कुल मात्रा का उल्लेख सुपाठ्य और अमिट रूप में किया जाएगा।

9. **वारण्टी** : प्रदाय किए गए सामान की बाबत यह वारण्टी दी गई समझी जाएगी कि अन्तिम परेषण के स्वीकार किए जाने की तारीख से 24 मास की अवधि के भीतर उसमें सामग्री, कौशल, कार्य सम्पादन की दृष्टि से कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। यदि परेषिती द्वारा प्रदाय किए गए सामान में इस अवधि के दौरान ऐसा कोई दोष पाया जाता है तो ठेकेदार ऐसे दोषपूर्ण सामान को स्थल पर ही कोई अतिरिक्त प्रभार लिए बिना, सेवा योग्य दशा में तुरन्त ला देगा या बदल देगा अथवा ऐसे दोषपूर्ण सामान प्रदत्त करने वाला ठेकेदार उसके लिए, परेषिती/निरीक्षक अधिकारी की सिफारिश पर क्रय आफिसर द्वारा यथा विनिश्चित उपयुक्त कीमत-शास्ति स्वीकार करेगा।

10. **पोतपर्यन्त निःशुल्क परिदान:** कृपया यह ध्यान रखें कि "पोतपर्यन्त निःशुल्क" से अभिप्रेत है कि माल पैक की गई दशा में परिदत्त किया जाएगा।

11. **आदेश का रद्द किया जाना** : यदि विनिर्माता, संविदा की तारीख से तीन मास के भीतर प्रपूर्ण उत्पादन निकासी प्राप्त करने में असफल रहता है तो क्रेता आदेश रद्द कर सकेगा और इस बाबत उसका कोई वित्तीय दायित्व भी नहीं होगा।

12. **परिशुद्धि** : यदि बताए गए दोष की परिशुद्धि के लिए सामान विनिर्माता को वापस कर दिया जाता है तो विनिर्माता, ऐसी परिशुद्धि के पश्चात् सामान को शीघ्र पुनः भेजे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इस बात का ध्यान रखा जाए की विनिर्माता, परिशुद्धि के लिए लौटाए गए, किन्तु अस्वीकृत न किए गए, सामान के व्ययन का, निरीक्षक की पूर्व अनुज्ञा के बिना, हकदार नहीं है।

13. **कीमत कोटेशन** : सामान के प्रदाय की आवश्यकता रक्षा मंत्रालय को है। अतः उसकी कीमत में विशेष छूट दी जाए।

14. **विशेष शर्तें** : (क) प्रपुंज उत्पादन निकासी दिए जाने के पूर्व क्रेता, बिना किसी वित्तीय दायित्व के, संविदा की गई मात्रा में 25 प्रतिशत तक की कमी कर सकता है। क्रेता, संविदा के चालू रहने की अवधि के दौरान संविदा की गई मात्रा में, संविदा कीमत पर या तय हुई किसी कम कीमत पर, 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि कर सकेगा।

(ख) यदि, विनिर्माण के दौरान मांगकर्ता किसी मद में किसी उपान्तरण का सुझाव देता है तो वह क्रियान्वित किया जाएगा। कीमत में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि मांगकर्ता ऐसे परिवर्तन को महत्वपूर्ण नहीं समझता।

15. **निरीक्षक आफिसर** : प्रदाय क्षेत्र का म०नि०प्र० या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि।

16. इस दर-आमंत्रण के निबन्धनों और शर्तों के स्वीकार किए जाने से संबंधित प्रमाणपत्र, कोटेशन के साथ अवश्य भेजें।

17. आपसे अनुरोध है कि आप 2 वर्ष/5 वर्ष तक प्रसामान्य कार्यकरण के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों की कीमत कोट करें। प्रत्येक फालतू पुर्जे के लिए पृथकतः कीमत कोट करें। सभी फालतू पुर्जों के लिए एक मुश्त कीमतें कोट न करें। कृपया यह भी बताएं कि क्या आप उपरोक्त 5 वर्ष या 24 मास की अवधि के लिए इन कीमतों को अपरिवर्तित रखेंगे, यदि नहीं तो यह बताएं कि आप अपनी विनिर्माण कीमत पर कितना लाभ प्रभारित करेंगे।

18. यदि निविदाकार चाहें तो वे सामान के ऐसे विकल्पों की बाबत प्रस्ताव कर सकते हैं जिनकी डिजाइन में, मूल उपस्कर में कोई परिवर्तन किए बिना, नवीनतम सुधार किए गए हैं। साथ ही ऐसा आवश्यक साहित्य चित्र और ब्यौरा संलग्न करें जिससे कि यह पता लग सके कि निविदा में अपेक्षित वस्तु की तुलना में ऐसा विकल्प किस प्रकार अधिक उपयोगी है।

19. ठेकेदार निम्नलिखित का प्रदाय करेगा :—

(क) भौतिक विशेषताएं,
(ख) कार्य सम्पादन संबंधी विशेषताएं,
(ग) किस मानक के अनुसार मद का विनिर्माण किया गया है और प्रापण रेखांक'
(घ) वास्तविक विनिर्माता और उसका पता, आदि।

S&D or
efence in
officer or
egistered
will not
hotocopy
the item

Sewa :—

महत्वपूर्ण टिप्पण :

प्ररूप "क" की एक प्रति संलग्न है। यदि आपकी फर्म पू०नि०म०वि० या रा०ल०उ०नि०के० यहां उक्त मद के लिए एकल बिन्दु कार्यक्रम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है या आपने रक्षा मंत्रालय को पहले कभी उक्त मदों का प्रदाय नहीं किया है तो क्षमता सत्यापन के लिए कृपया प्रादेशिक इलेक्ट्रानिक रक्षा निरीक्षक आफिसर के पास सम्यक्तः भरे गए प्ररूप "क" की 4 प्रतियां तारीख———तक भेजें। ऐसी फर्मों (रजिस्ट्रीकृत या पूर्व प्रदायकर्ता से भिन्न) की, जो उक्त नियत तारीख तक उपरोक्त रूप में सम्यक्तः भरा गया प्ररूप प्रस्तुत नहीं करेगी, विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी फर्में जो विनिर्दिष्ट रूप से उक्त मद के लिए पू०नि०म०न०/रा०ल०उ०नि० के० यहां रजिस्ट्रीकृत हैं, अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भेजें और/या उस संविदा का ब्यौरा दें जिसके अधीन उक्त मद का प्रदाय रक्षा मंत्रालय को किया गया है।

ले० कर्नल
डी०ए०डी०जी(टी०सी०)
कृते महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

प्रति निम्नलिखित को—

1.
2.
3.
4.

टेलीफोन 3011193

रक्षा मंत्रालय
कार्यालय महानिदेशक
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
रक्षा मुख्यालय
नई दिल्ली - 110011

स० ——————————

——————————

——————————

——————————

महोदय,

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में ———————— का प्रयोग प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। अतः अनुरोध है कि आप निम्न-लिखित ब्यौरे/दस्तावेजों के साथ नवीनतम कीमत कोटेशन तारीख ———————— को या उससे पूर्व इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

(क) उत्पाद का ब्रांड नाम

(ख) विनिर्देश/सूत्र

(ग) क्या मद औषधि नियंत्रक/पू०नि०म०नि० ने अनुमोदित कर दी है।

(घ) साहित्य (दो प्रतियों में)

(ङ) परीक्षण रिपोर्ट

(च) शैल्फ में कब तक ठीक रह सकती है

(छ) पैकिंग ब्यौरा

(ज) भंडारण की शर्तें

(झ) परिदान के निबन्धन

(ञ) संदाय के निबन्धन

(ट) क्या आपकी फर्म मुख्य निरीक्षणालय, कानपुर द्वारा सामग्री के किए जाने वाले निरीक्षण/परीक्षण के लिए तैयार है।

धन्यवाद,

भवदीय,

ले० कर्नल

कृते महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

that latest
ffice on or

Inspectorate

ikitsa Sewa,

टेली०न० : 3011193

रजिस्ट्री डाक से
रक्षा मंत्रालय
कार्यालय महानिदेशक
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
डाकघर, नई दिल्ली-110011
रक्षा मुख्यालय

सं० ————

————　　————
————　　————
————　　————

चिकित्सा उपस्कर और सामान

महोदय,

1. हमें निम्नलिखित मद/मदों की आवश्यकता है :—

क्र०सं०	मद	ए/यू	परिमाण

2. कृपया अपनी कोटेशन, निम्नलिखित जानकारी के साथ, इस कार्यालय को शीघ्र भेज :—

(क) मद/मदों के साथ उपयोग के लिए अपेक्षित उपसाधनों की सूची और उनकी कीमतें।

(ख) अनुरक्षण के लिए सिफारिश किए गए आवश्यक फालतू पुर्जों/संघटकों की कीमत सहित उनकी सूची।

(ग) क्या संस्थापन के लिए किसी विशेष उपस्कर/उपसाधन की आवश्यकता होगी, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।

(घ) क्या उपस्कर के संस्थापन के लिए कोई प्रभार अपेक्षित है।

(ङ) (आई एस पी एल) फालतू पुर्जों की सचित्र सूची जिससे विभिन्न संघटकों का स्पष्ट रूप दर्शित होता हो।

(च) गंतव्य स्थान के लिए परिदान के निबन्धन।

(छ) उपस्कर की वारंटी/वारंटी अवधि उपदर्शित करें।

(ज) क्या उपस्कर की कीमत रुपए में भी ले सकते हैं।

(झ) सूचीपत्र/साहित्य की तीन प्रतियां संलग्न करें।

3. यदि उपस्कर प्रमाण के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है तो क्या आप निम्नलिखित प्रदाय कर सकेंगे :—

(i) उपयोगकर्ता-निर्देशिका और अनुदेश-निर्देशिका।

(ii) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सर्विस-निर्देशिका।

(iii) मशीन का परिपथ आरेख।

(iv) यदि सर्विसिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उस स्थान का ब्यौरा दें जहां वे उपलब्ध होंगी।

4. **रक्षा क्रय के लिए संदाय के निबंधन:** परेषिती द्वारा सामान का निरीक्षण कर लिए जाने अथवा उसके स्वीकार कर लिए जाने तथा अच्छी और सेवा योग्य दशा में अपने भारसाधन में ले लिए जाने के पश्चात् 100 प्रतिशत का संदाय किया जाएगा। र०ले०नि० को दस्तावेज/बिल प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् संदाय किया जाएगा। र०ले०नि० संदाय के लिए चैक आपके बैंकर को देगा।

5. कोटेशन छह मास तक विधिमान्य रहेगी और वह इस कार्यालय को तारीख ———— तक भेज दी जाए।

धन्यवाद

भवदीय
ले० कर्नल
कृते महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

8. इस करार में इसमें पूर्व किसी बात के होते हुए भी और यदि सरकार ने अन्यथा कोई विनिश्चय नहीं किया है तो, इस करार की तारीख के पश्चात् यदि सरकार, केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के अधिकारियों को लागू सेवा की शर्तों और निबन्धनों में कोई अभिवृद्धि मंजूर करती है तो पहला पक्षकार ऐसी अभिवृद्धि का भागतः या पूर्णतः, जैसा भी सरकार प्राधिकृत करे, हकदार होगा और पहले पक्षकार की सेवा की शर्तों और निबंधनों में इस प्रकार की अभिवृद्धि के बारे में सरकार के विनिश्चय से इस करार के उपबंध उसी सीमा तक उपान्तरित हो जाएंगे ।

9. इस करार के अधीन अपनी सेवा के दौरान पहला पक्षकार, समय-समय पर प्रवृत्त सरकारी नियमों और आदेशों के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत पाने का हकदार होगा ।

10. इस करार में इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, इस करार के अधीन अनुज्ञेय वेतन तथा छुट्टी वेतन में से, चाहे उसका भुगतान भारत में किया जाए या कहीं और, उतनी अवधि के लिए और उन शर्तों पर कटौती की जा सकती है जो सरकार अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अन्य अधिकारियों के लिए आदिष्ट करें ।

11. पहले पक्षकार को, भारत सरकार की किसी भी सेवानिवृत्ति योजना में सम्मिलित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

12. आचरण, अनुशासन तथा सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जिसके बारे में इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 या संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए या बनाए गए समझे गए किसी भी अन्य नियम या संविधान के अनुच्छेद 313 में अन्तर्विष्ट नियम पहले पक्षकार को उस सीमा तक लागू होंगे जिस तक कि वे लागू होने योग्य हैं और उनके लागू होने के संबंध में सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

13. इस करार पर देय स्टाम्प शुल्क का संदाय सरकार करेगी ।

इसके साक्ष्यस्वरूप, पहले पक्षकार ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ———— ने इस करार पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर किए ।

श्री ———— ने,

1. ————

2. ————

की उपस्थिति में इसका निष्पादन दिल्ली में किया ————
(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से

श्री ———— संयुक्त संचिव, भारत सरकार ने,

1. ————

2. ————

की उपस्थिति में इसका निष्पादन दिल्ली में किया । ————
(हस्ताक्षर)

थल सेना अनुदेश...../एस, 1978 का परिशिष्ट–3

बन्धपत्र, जिस पर राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी में प्रवेश पाने वाले बालक के माता-पिता या संरक्षक को हस्ताक्षर करने होंगे

यह करार एक पक्षकार के रूप में ———— जो ———— का पुत्र है और ———— का निवासी है (जिसे इसमें इसके आगे "प्रत्याभूतिदाता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उसका वैयक्तिक प्रतिनिधि भी है) और अपने संरक्षक ———— के माध्यम से, पूर्वोक्त प्रत्याभूतिदाता के पुत्र/प्रतिपाल्य———— ———— (जिसे इसमें इसके आगे कैडेट कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच ———— को किया गया।

2. सरकार ने कैडेट का चयन इसमें आगे बताए गए निबन्धनों पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए किया है। उक्त अकादमी में प्रवेश का प्रयोजन यह है कि वह (कैडेट) इस दृष्टि से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करे कि यदि सरकार उसे सभी प्रकार से उपयुक्त समझती है और यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो वह सरकार के विनिश्चय के अनुसार नियमित सेना या भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना के आफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त कर ले।

3. उक्त पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि सरकार द्वारा कैडेट को, उपर्युक्त प्रशिक्षण के प्रयोजन से, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश दिए जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रत्याभूतिदाता सरकार से यह प्रसंविदा करता है कि कैडेट प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में और ऐसे अन्य प्रशिक्षण स्थापनों में (जिसके अन्तर्गत नौसैनिक प्रशिक्षण पोत भी सम्मिलित है) जो सरकार समय-समय पर अवधारित करे, विहित अवधि के लिए या तब तकहा जिर रहेगा जब तक कि उसे कमीशन दिए जाने के योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता (इसके बारे में सरकार द्वारा तत्समय विहित समुचित प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा) और यह कि यदि कैडेट को नियमित थल सेना या भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना में आफिसर के रूप में कमीशन की प्रस्थापना की जाती है तो वह ऐसा कमीशन स्वीकार करेगा जब तक कि वह (कैडेट), मृत्यु हो जाने के कारण या अस्वस्थता के कारण या ऐसे किसी अन्य कारणवश जिस पर कैडेट का नियंत्रण न हो अथवा इस आधार पर हटाए जाने के कारण कि उक्त समुचित प्राधिकारी ने कैडेट को, कैडेट के रूप में बने रहने के लिए या कमीशन दिए जाने के लिए अयोग्य समझा है, ऐसा करने से निवारित न हो।

4. यदि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए अपने आवेदन में जानबूझकर मिथ्या विशिष्टियां देने या महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट न करने के कारण उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अपनी पदच्युति या सेवोन्मुक्ति या वापस बुला लिए जाने के कारण अथवा यदि उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर पदच्युत या सेवोन्मुक्त कर दिए जाने या वापस बुला लिए जाने के कारण अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए विवाह कर लेने के कारण अथवा किसी ऐसे कारणवश जो कैडेट के नियंत्रण के परे नहीं है, वह (कैडेट) प्रशिक्षण की विहित अवधि पूरी नहीं करता है अथवा यदि उक्त प्रसंविदा के अनुसार कमीशन की प्रस्थापना किए जाने पर वह (कैडेट) कमीशन स्वीकार नहीं करता है तो प्रत्याभूतिदाता और कैडेट, संयुक्ततः और पृथक्कृतः सरकार को ऐसी राशि का तुरन्त नकद संदाय करने के लिए दायी होंगे, जो सरकार नियत करे किन्तु जो उन व्ययों, जो सरकार द्वारा कैडेट के लेखे उसके प्रशिक्षण पर किए गए हों, तथा कैडेट द्वारा, वेतन और भत्तों के रूप में, सरकार से प्राप्त समस्त धन और उस पर सरकारी उधारों के लिए तत्समय प्रवृत्त दर से लगाए गए ब्याज, से अधिक नहीं होगी।

5. अन्त में यह करार किया गया है कि यदि इस विलेख के प्रभाव या अर्थ के बारे में कोई ऐसा विवाद है, जिसके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व अभिव्यक्त रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है तो वह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सचिव द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस बाबत विनिश्चय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर किए।

प्रत्याभूतिदाता ने,

1. ————
(साक्षी)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

————
(प्रत्याभूतिदाता)

————
(संरक्षक)

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
————ने

1. ———— (साक्षी)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

————

he necessary
The value of
on which the
erintedent of

Commissioned

andant of the

been selected

(क) यह करार न्यायिकेतर स्टाम्प-पत्र पर निष्पादित किया जाए। प्रत्याभूतिदाता आवश्यक स्टाम्प पत्र स्थानीय राजस्व अधिकारी से खरीदेगा। स्टाम्प पत्र का मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। प्रत्याभूतिदाता को चाहिए कि वह उस स्टाम्प-पत्र का जिस पर करार निष्पादित किया जाना है, वास्तविक मूल्य उस जिले के जिसमें वह सामान्य रूप से निवास करता है स्टाम्प अधीक्षक से सुनिश्चित कर ले।

(ख) प्रत्याभूतिदाता के हस्ताक्षर का साक्षी सेवारत या पेंशन पाने वाला कमीशन आफिसर या जूनियर कमीशन आफिसर या कोई राजपत्रित सिविलियन सरकारी सेवक होगा।

(ग) करार पर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमाण्डेट हस्ताक्षर करेगा।

(घ) करार के प्ररूप पर तब तक स्टाम्प नहीं लगाया जाना चाहिए और न उसका निष्पादन किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार ने प्रवेश के लिए बालक का चयन न कर लिया हो।

उपाबंध 1

वैयक्तिक बंधपत्र

यह सबको ज्ञात हो कि मैं————जो श्री ———— का पुत्र हूं (जिसे इसमें आगे "आबद्ध" कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति, जो भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं) (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) ———— रुपए की रकम का सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए मैं स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा आबद्ध करता हूं।

आज तारीख ———— को हस्ताक्षर किए गए।

आबद्ध ने ———— नाम से ज्ञात और ———— में अवस्थित भवन निर्माण सोसाइटी में जिसका विस्तृत वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है और जो एक सहकारी सोसाइटी है तथा जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ———— में है (जिसे इसमें आगे "सोसाइटी" कहा गया है) एक आवासिक फ्लैट क्रय/निर्मित करने के प्रयोजन के लिए ———— रुपए के उधार (जिसे इसमें आगे "उक्त उधार" कहा गया है) के लिए सरकार से आवेदन किया है और जो सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इस निर्बन्धन और शर्त पर सम्यक् रूप से मंजूर कर लिया है कि आबद्ध इसमें इसके आगे अन्तर्विष्ट रीति में एक बंधपत्र सरकार के पक्ष में निष्पादित करेगा।

अतः इस बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि आबद्ध,—

(क) सरकार को ———— रुपए की उक्त राशि का सम्यक् रूप से संदाय तारीख ———— से ———— वर्ष की अवधि के भीतर ———— रुपए की ————समान मासिक किस्तों में जो प्रत्येक कलैंडर मास के प्रथम सप्ताह में संदेय है और जिनमें से पहली किस्त का संदाय ————19 ———— के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा और पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय प्रत्येक उत्तरवर्ती कलैंडर मास के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा, करेगा आबद्ध द्वारा उक्त उधार की मूल रकम का ऊपर यथा उपबंधित रूप में नियमित किस्तों में संदाय कर दिए जाने के पश्चात् आबद्ध ————वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर उक्त उधार पर (उक्त किस्तों के संदाय के कारण घटते जाने वाले अतिशेष पर संदाय पूरा होने तक) ———— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की रकम का सम्यक् रूप से संदाय ———— रुपए की ———— समान मासिक किस्तों में इस प्रकार करेगा कि सम्पूर्ण उधार और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय तारीख ———— से ———— वर्ष के भीतर हो जाए: परन्तु यदि आबद्ध मूलधन और/या उस पर ब्याज की किसी किस्त का देय तारीख को संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रत्येक मामले में मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्त की बकाया रकम पर ———— प्रतिशत प्रतिवर्ष की उच्चतर दर पर ब्याज लगाया जाएगा और उक्त ब्याज की प्रत्येक किस्त की राशि आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी परन्तु यह और कि इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि मूलधन और ब्याज की उक्त किस्तों का, संबंधित देय तारीखों को, सम्यक् और नियमित रूप से संदाय करने की आबद्ध की बाध्यता को शिथिल किया गया है। सरकार के किसी अधिकार या उपचार पर भी उसका अन्यथा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर ———— में स्थित ———— सोसाइटी में, जिसका विशिष्ट वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है आवासिक फ्लैट के क्रय/निर्माण के लिए उक्त उधार की प्रत्येक किस्त का उपयोग करेगा।

(ग) मकान या प्लॉट का उसके पक्ष में अन्तरण हो जाने पर, भारत सरकार से अभिप्राप्त उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में उसे भारत सरकार के पास बंधक रखेगा।

(घ) सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना उक्त फ्लैट या उसमें के किसी हित का अन्तरण, समनुदेशन, उपपट्टा नहीं करेगा या उसके कब्जे को विलग अथवा उक्त शेयरों/डिबेन्चरों का अन्तरण या अन्यथा अन्य संक्रमण नहीं करेगा।

(ङ) जब तक उक्त उधार या ब्याज या उसका कोई भाग परदेय रहता है, सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर, उक्त उधार के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में सोसाइटी के शेयर/डिबेन्चर और समुचित रूप से हस्ताक्षरित निरंक अन्तरण प्ररूप सरकार को सौंप देगा;

तो यह बंधपत्र शून्य हो जाएगा।

आबद्धकर्ता द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :—

(1) आबद्ध से सरकार को तत्समय शोध्य उक्त उधार या उसका कोई अतिशेष और इस विलेख के अधीन शोध्य अन्य सभी धन निम्नलिखित प्रत्येक दशा में तत्काल संदेय हो जाएगा :—

(क) यदि आबद्ध, शोध्य और संदेय हो जाने पर किसी किस्त या मूलधन का नियत तारीख को संदाय या प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है।

(ख) यदि आबद्ध इसमें ऊपर उपबंधित रूप में ब्याज की किसी किस्त का उसके लिए नियत तारीख को संदाय करने में व्यतिक्रम करता है।

(ग) यदि आबद्ध की किसी संपत्ति के विरुद्ध कोई करस्थम् या कुर्की उद्गृहीत की जाती है या उसके लिए कोई रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

(घ) यदि आबद्ध उक्त प्रसंविदाओं या उपबंधों में से किसी को, जिनका पालन या अनुपालन उसकी ओर से किया जाता है, भंग करता है।

(ङ) यदि आबद्ध की मृत्यु हो जाती है या वह सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाता है या उसमें नहीं रह जाता है।

(च) यदि आबद्ध दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए अर्जी प्रस्तुत करता है या दिवालिया न्याय-निर्णीत कर दिया जाता है।

(2) सरकार को प्रत्येक मास आबद्ध से मासिक किस्त की राशि की कटौती करने का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता होगी तथा वह मूलधन या ब्याज के प्रतिसंदाय के लिए उक्त मासिक किस्तें विनियोजित कर सकेगी। उपरोक्त प्रयोजन के लिए आबद्ध सरकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसी कटौतियां करने के लिए प्राधिकृत करता है और आबद्ध से उस बाबत कोई और संपत्ति या सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(3) यदि आबद्ध सेवानिवृत्त हो जाता है या सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार, ऐसी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के समय उक्त उधार का संपूर्ण असंदत्त अभिशेष और उस पर असंदत्त समस्त ब्याज आबद्ध से, उसे लागू सेवा नियमों के अधीन मंजूर किए जाने वाले उपदान से, यदि कोई हो, वसूल करने की हकदार होगी।

(4) यदि इस विलेख के अधीन आबद्ध द्वारा मूलधन या ब्याज की या किसी अन्य संदेय राशि/शोध्य धन की कोई किस्त बकाया रहती है तो सरकार उसकी वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करने की हकदार होगी, परन्तु यह सदैव कि वह खण्ड सरकार के किसी अन्य अधिकार, शक्ति और उपचार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप उपरोक्त आबद्ध ने इसमें इसके पूर्व सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर हस्ताक्षर किए।

अनुसूची, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

उक्त आबद्ध श्री————————————ने,

1. ————————————

2. ————————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया।

————————————

(आबद्ध के हस्ताक्षर)

प्ररूप 6

प्रतिभू-बंधपत्र

यह सबको ज्ञात हो कि मैं——————————जो ——————————का पुत्र और——————————जिले में——————————का निवासी हूं और इस समय——————————में स्थायी——————————के रूप में नियोजित हूं जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) ——————————रु० (केवल——————————रुपए) की रकम का सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं। यह संदाय पूर्णतः, और सही रूप में करने के लिए मैं, स्वयं को. अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं। इसके साक्ष्यस्वरूप आज तारीख——————————को इस पर मैंने हस्ताक्षर किए।

——————————ने, जो ——————————का पुत्र और——————————जिले में ——————————अस्थायी/स्थायी——————————के रूप में . . . . में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है) और जिसे तारीख——————————को सेवानिवृत्त होना है) भूमि का क्रय करने और/या नए मकान का निर्माण करने या विद्यमान मकान में वास-स्थान का विस्तार करने/बने बनाए मकान का क्रय करने के लिए——————————रु० के अग्रिम के लिए सरकार से आवेदन किया है।

सरकार ने, मकानों के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए उन नियमों में, जो——————————मंत्रालय/कार्यालय पत्र सं० ——————————तारीख——————————द्वारा जारी किए गए थे और जिनकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है, वर्णित निबंधनों और शर्तों पर——————————रु० (केवल——————————रुपए) का संदाय मंजूर कर दिया है।

उधार लेने वाले ने उक्त रकम का प्रतिसंदाय——————————मासिक किस्तों में करने का वचनबंध किया है और उधार लेने वाले ने यह भी वचनबंध किया है कि वह उक्त रकम की सहायता से निर्मित/क्रय किए गए मकान को सरकार के पास बंधक रख देगा और उक्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। सरकार द्वारा उधार लेने वाले को पूर्वोक्त अग्रिम मंजूर किए जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रतिभू ने उपर्युक्त बंधपत्र नीचे लिखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है।

उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त उधार लेने वाला उक्त या किसी अन्य मंत्रालय/कार्यालय में नियोजित रहने के दौरान, पूर्वोक्त अग्रिम की रकम का सरकार को तब तक सम्यक् और नियमित रूप से किस्तों में संदाय करता है या करवाता है जब तक कि —————————— रुपए (केवल——————————रुपए) की उक्त राशि सम्यक् रूप से चुकता नहीं हो जाती या उपरोक्त निर्मित/क्रय किए गए मकान को सरकार के पास बंधक रख देता है, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, तो यह बंधपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा वह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा। किन्तु यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या किसी भी समय सरकार की सेवा में नहीं रह जाता है तो——————————रु० (केवल——————————रुपए) का उक्त पूरा मूलधन या उसका उतना भाग जितना उस समय शेष रह जाता है तथा उक्त मूलधन पर देय ब्याज, जो उस समय असंदत्त रह जाता है, सरकार को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगा और इस बंधपत्र के आधार पर प्रतिभू से एक किस्त में वसूली हो जाएगा।

प्रतिभू ने जो बाध्यता स्वीकार की है, वह सरकार द्वारा समय बढ़ाए जाने या उक्त उधार लेने वाले के प्रति कोई अन्य उदारता बरती जाने के कारण न तो उन्मोचित होगी न किसी प्रकार प्रभावित होगी।

इस विलेख की बाबत देय स्टाम्प शुल्क सरकार वहन और संदत्त करेगी।

उक्त——————————ने, आज तारीख——————————को,

1. ——————————

2. ——————————

विशिष्टियां सत्यापित की गईं।

lent of India)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया।

नाम——————————

पदनाम——————————

कार्यालय जिससे संबद्ध है

——————————

——————————मंत्रालय के श्री——————————ने

1. ——————————

2. ——————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

——————————

(भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनके ओर से)

उपाबंध II

प्रतिभू-बंधपत्र

हम (1) ----------

(2) ----------

श्री----------(विभाग आदि) में कार्यरत हैं, श्री----------(जिसे इसमें आगे "आबद्ध" कहा गया है) के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं और यह प्रत्याभूति देते हैं कि आबद्ध वे सब कार्य करेगा जिनको करने का वचनबद्ध उसने भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में तारीख----------को निष्पादित बंधपत्र के अधीन, किया है और हम भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) ----------रु० (----------रुपए) की राशि का संदाय करने के लिए स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों को आबद्ध करते हैं। यह राशि वह राशि है जो उक्त बंधपत्र के अधीन शोध्य और उक्त आबद्ध द्वारा संदेय है या जो सरकार, आबद्ध के व्यतिक्रम के कारण हुई किसी हानि का नुकसान की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझे। हम यह भी करार करते हैं कि सरकार, किन्हीं अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त राशि हमसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी। इसके अतिरिक्त हम यह भी करार करते हैं कि उक्त बंधपत्र के प्रवर्तन में कोई प्रविरति, अथवा आबद्ध पर किया गया कोई अन्य अनुग्रह या उक्त बंधपत्र के, निबंधनों में कोई परिवर्तन या आबद्ध को दिया गया कोई समय अथवा ऐसी अन्य शर्तें या परिस्थितियां, जिनके अधीन विधि की दृष्टि में प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है, उक्त राशि का संदाय करने के हमारे दायित्व से हमें उन्मोचित नहीं करेंगी तथा इस बंधपत्र के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए इस बंधपत्र के अधीन हमारा दायित्व मूल श्रेणियों के रूप में तथा आबद्ध के दायित्व के साथ संयुक्त और पृथक् रूप में होगा।

तारीख----------19----------को उक्त प्रतिभुओं, अर्थात्—

श्री----------

और

श्री----------ने

श्री----------(साक्षी का नाम, पता, कार्यालय और विभाग)

----------(साक्षी के हस्ताक्षर)

श्री----------(साक्षी का नाम, पता, कार्यालय का विभाग)

----------(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उक्त प्रतिभुओं के हस्ताक्षर

1. ----------

2. ----------

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री----------,----------में स्थायी/स्थानापन्न----------है और तारीख----------को सेवानिवृत्त होने वाला है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री----------,----------में स्थायी/स्थानापन्न----------है और तारीख को----------सेवानिवृत्त होने वाला है।

प्रतिहस्तांतरण विलेख

यह प्रतिहस्तांतरण विलेख एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में——————————(जिसे इसमें आगे "बंधककर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख——————————को किया गया।

एक पक्षकार के रूप में बंधककर्ता और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधकदार के बीच तारीख—————— को किए गए बंधक करार द्वारा, जो——————में पुस्तक सं०——————जिल्द सं०—————— पृष्ठ सं०——————से——————तक में सं०——————के रूप में——————के लिए रजिस्ट्रीकृत है (जिसे इसमें आगे मूल-करार कहा गया है) बंधककर्ता ने——————में स्थित संपत्ति, जिसका अधिक विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे अनुसूची में किया गया है, बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को दिए गए——————रु० के अग्रिम को प्रतिभूत करने के लिए, बंधक करार द्वारा बंधक कर दी है।

मूल करार की प्रतिभूति पर शोध्य और देय समस्त धन का पूरा संदाय कर दिया गया है और तदनुसार बंधककर्ता के अनुरोध पर बंधकदार इसमें आगे अन्तर्विष्ट रूप से बंधक परिसर का प्रतिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है। यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और इस विलेख के प्रतिफलस्वरूप बंधकदार, ——————में स्थित उक्त संपूर्ण भूखंड का, जो मूल करार में समाविष्ट है और जिसका विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे अनुसूची में किया गया है, अपने उन अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो मूल करार में उल्लिखित है तथा मूल करार के आधार पर उक्त परिसर में, उसमें से या उस पर बंधकदार की सभी संपदा, अधिकार, हक, हित, संपत्ति, दावे और मांग का इसके द्वारा बंधकर्ता को अनुदान, समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण करता है। इसके द्वारा बंधककर्ता को और उसके उपयोग के लिए जिस परिसर का अनुदान समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण किया जाना अभिव्यक्त है उसे बंधककर्ता, उक्त मूल करार द्वारा प्रतिभूत किए जाने के लिए आशयित समस्त धन और उक्त धन या उसके किसी भाग के लिए या इसके संबंध में अथवा मूल करार के या परिसर की बाबत किसी चीज के संबंध में सभी अनुयोजनों, वादों, लेखाओं, दावों और मांगों से निर्मुक्त रूप में प्राप्त और धारण करेगा। बंधकदार इसके द्वारा बंधककर्ता से प्रसंविदा करता है कि उसने (बंधकदार ने) न तो ऐसी कोई बात की है, न जानबूझकर सहन की है, और न उसमें पक्षकार या संसर्गी रहा है जिससे उक्त परिसर या उसका कोई भाग हक या संपदा की दृष्टि से किसी भी प्रकार अधिक्रिप्त, विलंगमित या प्रभावित होता है या किया जा सकता है। इसके साक्ष्यस्वरूप बंधकदार ने अपनी ओर से——————द्वारा इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को हस्ताक्षर करवा दिए हैं।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है

——————

——————

बंधकदार के लिए और उसकी ओर से——————ने,

1. ——————(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

——————(साक्षी के हस्ताक्षर)

——————
(हस्ताक्षर)

2. ——————(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

——————(साक्षी के हस्ताक्षर)

——————
(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

89-M/B (N)205MofSJ&CA—6

निविदा आमन्त्रण प्राधिकारी

सचिव,
झंडा दिवस निधि,
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड,
रक्षा मंत्रालय,
मौलाना आजाद रोड़,
रक्षा मुख्यालय डाकखाना,
नई दिल्ली-110011.

निविदा जारी करने की तारीख :
निविदा प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख :
निविदा दस्तावेजों का क्रम संख्यांक :

टिप्पण :

कोटेशन के साथ अग्रिम धन के रूप में 500 रुपए की राशि बैंक ड्राफ्ट/संदाय आदेश के रूप में भेजी जाएगी। बैंक ड्राफ्ट/संदाय आदेश "सचिव, झंडा दिवस निधि, नई दिल्ली" के पक्ष में तैयार किया जाएगा। सफल निविदाकार से संविदा कर ली जाने के पश्चात् अग्रिम धन वापस कर दिया जाएगा। यदि निविदाकार कोई व्यतिक्रम करता है या अपना कोटेशन वापस ले लेता है तो उक्त अग्रिम धन अधिहृत कर लिया जाएगा। यदि निविदा दस्तावेज के साथ अग्रिम धन किसी अन्य रूप में भेजा जाएगा तो ऐसे निविदाकार निरर्हित हो जाएंगे।

निविदा जारी करने वाले
प्राधिकारी के हस्ताक्षर।

सशस्त्र बल झंडा दिवस..........के लिए अपेक्षित टोकन और कार झंडे के विनिर्देश तथा निविदा के निबंधन

(क) कार झंडा

अपेक्षित मात्रा	5.5 लाख......................
माप	8 सें० मी० × 11 सें० मी० (समग्र)......
रंग	2 गहरा मैरून और हलका............
ब्लीड	मैरून.....सभी ओर
	(कार के झंडे का नमूना संलग्न है)

मुद्रण के लिए प्रयुक्त होने वाला कागज

(i) ठेकेदार को अपने भण्डार में से 60 ग्राम क्रोम आर्ट सफेद कागज प्रदाय करना होगा। प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित कागज की आधी शीट नमूने के लिए संलग्न करें। इस नमूने पर मुद्रक हस्ताक्षर करके अपनी रबड़-स्टाम्प लगाएगा।

(ii) ऊपर बताए गए नमूने के अनुसार झंडे मुद्रित किए जाने चाहिएं। अन्तर-सेवा संप्रतीक, झंडे के केन्द्र में होना चाहिए। संलग्न नमूने के पूर्णत: अनुसार "सशस्त्र बल झंडा दिवस" संप्रतीक के ऊपर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तथा शब्द "——————" संप्रतीक के नीचे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित किए जाएंगे। ऐसा मुद्रण संलग्न नमूने के पूर्णत: अनुसार किया जाएगा। झंडा, जिसका आकार ————सेन्टीमीटर × ————सेन्टीमीटर होगा, समग्र रूप से वार्निश से लेपित होगा। झंडे के पृष्ठ भाग पर कोई आसंजक नहीं लगाया जाएगा। झंडे आर्द्रतासह: सामग्री में पैक किए जाएंगे और प्रत्येक बन्डल में 100 झंडे रखे जाएंगे।

(ख) टोकन झंडे :

अपेक्षित संख्या [विनिर्देश (i) और (ii) के अनुसार] माप :	.... लाख (टोकन झंडे का नमूना संलग्न है)
	(i) बीच से समग्रत: 6½ सें० मी० × 2 सें० मी० का, जिसे बीच में मोड़कर मोड़ पर पिन लगा कर, पृष्ठ भाग से पृष्ठ भाग पर चिपका दिया जाएगा। तत्पश्चात झंडा आकार में 3¼ सेन्टीमीटर × 2¼ सेन्टीमीटर का तैयार होगा : ...... लाख
	(ii) 3¼ सेन्टीमीटर × 2 सेन्टीमीटर जिसके पृष्ठ भाग पर स्टिकर होगा। चिपकाने वाला आसंजक इतना पतला होना चाहिए कि जिस वस्तु पर उसे चिपकाया जाए वह खराब न हो : ..... लाख।
रंग :	गहरा मैरून और हल्का मैरून
ब्लीड् :	सभी ओर से

(ग) मुद्रण के लिए प्रयुक्त होने वाला कागज

(i) उक्त पैरा (क) (i) के अनुसार

(ii) ऊपर बताए गए नमूने के अनुसार झंडे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में मुद्रित किए जाएंगे। अन्तरसेवा संप्रतीक सफेद सतह पर गहरे मैरून रंग के होंगे। झंडे की समग्र माप 6½ सेन्टीमीटर × 2 सेन्टीमीटर होगी। वे बीच से तह किए हुए होंगे और पृष्ठ भाग से पृष्ठ भाग पर 2 सेन्टीमीटर × 3¼ सेन्टीमीटर के आकार में चिपके होंगे और मुड़े हुए स्थान पर एक पिन लगने की जगह बनी होगी। टोकन झंडों पर चमकीले वार्निश का लेप कर दिया जाएगा। प्रत्येक झंडे में 1/½ इंच लम्बी 21 गेज की गोल ठप्पे वाली इस्पात चढ़ी हुई पिन झंडे में लगाई जाएगी। पिन लगे हुए टोकन झंडे आर्द्रतासह सामग्री में पैक किए जाएंगे और प्रत्येक बन्डल में 1,000 झंडे रखे जाएंगे। ऐसे बीस पैकेट गत्ते के बने डिब्बे के अन्दर रखे जाएंगे और उन्हें टाट में पैक कर दिया जाएगा। स्टिकर लगे टोकन झंडे भी आर्द्रतासह सामग्री में पैक किए जाएंगे और प्रत्येक पैकेट में ऐसे 5,000 झंडे रखे जाएंगे। अंतिम पैकिंग गत्ते के डिब्बों में की जाएगी और टाट से उन्हें पैक किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक अंतिम पैकेट में 50,000 झंडे होंगे। स्टिकर लगे टोकन झंडों की प्रत्येक शीट में 100 झंडे होंगे। ऐसी 100 शीटों को आर्द्रतासह सामग्री में पैक किया जाएगा। क्वालिटी में कोई परिवर्तन किए बिना उक्त डिजाइन में कोई परिवर्तन, प्रदाय, आदेश करते समय निविदाकार को, सूचित कर दिया जाएगा।

कोटेशन

(i) टोकन झंडे	ऊपर बताए गए रूप में पूर्ण
पिन लगे हुए	प्रति 1 लाख......... रुपए
स्टिकर लगे हुए	प्रति 1 लाख......... रुपए
(ii) कार लगे हुए झंडे	ऊपर बताए गए रूप में पूर्ण
स्टिकर लगे हुए :	प्रति 1 लाख .... रुपए
बिना स्टिकर लगे हुए :	प्रति 1 लाख .... रुपए

(iii) जिन लिफाफों के अन्दर कोटेशन रखे जाएंगे उन पर "झंडा दिवस 19.... के लिए टोकन और कार झंडों के लिए कोटेशन" शब्द लिखे होने चाहिएं और वे लिफाफे में मोहरबन्द होने चाहिएं और सचिव, झंडा दिवस निधि, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, मौलाना आजाद रोड, रक्षा मुख्यालय डाकखाना, नई दिल्ली 110011 के पते पर भेजे जाने चाहिएं।

(घ) समय अनुसूची

(i) प्रूफ देखना	: 10 दिन
(ii) परिदान	: प्रदाय आदेश जारी किए जाने की तारीख से 100 दिन के अन्दर, प्रत्येक अर्ध मास में 26 लाख की दर से टोकन झंडे और 80,000 की दर से कार झंडे परिदत्त किए जाएंगे। यह परिदान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड कार्यालय, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110011 में प्रत्येक कलैण्डर मास की 1 और 16 तारीख को किया जाएगा। यदि इन दिनों में छुट्टी है तो परिदान उसके ठीक अगले कार्य दिन को किया जाएगा।

(ङ) निविदा के निबंधन

1. मुद्रण कार्य इस दस्तावेज में पहले दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और झंडा दिवस निधि (जिसे इसमें आगे "सचिव" कहा गया है) कार्य के समाधानप्रद रूप में निष्पादन की बाबत एकमात्र निर्णायक होगा। यदि कार्य का निष्पादन समाधानप्रद नहीं पाया जाता है अथवा यह निविदा प्रदाय आदेश में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो प्रूफ या प्रपुंज प्रदाय, मुद्रक को कोई प्रतिकर दिए बिना, अस्वीकार किया जा सकेगा। किन्तु उक्त सचिव, दरों में अपने द्वारा यथा विनिश्चित कटौती करके प्रदाय स्वीकार कर सकता है। वह ऐसा प्रदाय उस दशा में भी स्वीकार कर सकेगा जब कहे जाने पर मुद्रक, अपने खर्च पर तथा सचिव के समाधानप्रद रूप में और नियत किए गए समय के भीतर दोषों या त्रुटियों को ठीक कर देगा। झंडा दिवस निधि की प्रबन्ध समिति की ओर से सचिव का इस बाबत विनिश्चय अंतिम और उस मुद्रक पर आबद्धकर होगा जिसने यह कार्य अपने हाथ में लिया है। यदि ऐसा प्रदाय पहले ही परिदत्त कर दिया गया है तो मुद्रक अपने खर्च पर उसे तुरन्त वहां से हटा लेगा। अस्वीकृत प्रदाय के लिए सचिव किसी भी प्रकार से दायी नहीं होगा। अस्वीकार किए गए प्रदाय को दुरुपयोग से बचाने के लिए, सचिव के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मुद्रक उसे जला कर नष्ट कर देगा।

2. प्रूफों के परिदान और आदेश की पूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट समय का कठोरता से पालन किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसका ऐसे पालन किया गया है। यदि प्रूफ देखे जाने, मुद्रित किए जाने या प्रेषित किए जाने के दौरान कार्य में ऐसे किसी कारणवश विलम्ब होता है जो मुद्रक के नियंत्रण से परे है तो सचिव अपने विकल्पानुसार या तो,—

(क) आदेश रद्द कर सकेगा, या

(ख) मुद्रक से, विलम्ब के लिए संविदा कीमत के 20 प्रतिशत के बराबर रकम परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, न कि शास्ति के रूप में, उस दशा में वसूल कर सकेगा जब समय बढ़ाए जाने के लिए लिखित रूप में पहले ही अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली गई है। इस बाबत कि विलम्ब मुद्रक के नियंत्रण से परे किसी कारणवश हुआ है या नहीं और मुद्रक से वसूलनीय परिनिर्धारित नुकसानी की रकम कितनी होगी, सचिव का विनिश्चय अन्तिम और मुद्रक पर आबद्धकर होगा। यदि उक्त (क) के अधीन कार्रवाई की जाती है तो उसका मुद्रक से ऐसी कोई हानि वसूल करने के सचिव के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो उस कारण सरकार ने उपगत की है और ऐसे रद्दकरण के लिए मुद्रक किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

3. मुद्रक इस बाबत पूर्ण सतर्कता बरतेगा कि कार्य या उसका कोई भाग किसी अप्राधिकृत व्यक्ति के हाथ में न चला जाए। सभी प्रूफ और परीक्षण तथा फालतू प्रतियां मुद्रक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नष्ट कर दी जाएंगी। इस बात का एक प्रमाणपत्र कि उक्त पूर्वावधानियों का पालन किया गया है, कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्, सचिव को भेजा जाएगा।

4. मुद्रक ऐसे सभी ब्लाक, आर्ट संकर्म आदि, जो कार्य के समाधान प्रद रूप में निष्पादन के लिए मुद्रक द्वारा तैयार किए गए हों, आदेशित कार्य के पूरा हो जाने के पन्द्रह दिन के भीतर सचिव के पास जमा कर देगा। इस बाबत मुद्रक किसी प्रतिकर का न तो दावा करेगा और न वह उसको दिया जाएगा।

5. मुद्रण के लिए प्रयुक्त स्याही इतनी उच्च क्वालिटी की होगी कि खुली रखी जाने पर कम से कम 8 मास तक उसका रंग धूमिल न हो। यदि उक्त अवधि के पूर्व स्याही धूमिल हो जाती है तो उक्त खण्ड 1 का अवलम्ब लिए जाने के लिए वह एक पर्याप्त कारण होगा। इस बाबत सचिव का विनिश्चय अन्तिम और मुद्रक पर आबद्धकर होगा।

6. यदि,—

(i) उक्त खण्ड (क) में कहे गए रूप में प्रूफ या प्रपुंज प्रदाय अस्वीकार कर दिया जाता है; या

(ii) मुद्रक किसी मांग या अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफल रहता है, उससे इन्कार करता है, उसकी उपेक्षा करता है या उसमें विलम्ब करता है या अन्यथा संविदा के निबंधनों के अनुसार कार्य निष्पादित नहीं करता है तो सचिव (ऐसे किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो सरकार, संविदा के ऐसे भंग या अननुपालन के कारण सरकार को हुई हानि और असुविधा के विरुद्ध प्रतिकर के लिए किसी दावा लेखे उपलब्ध हो) ऐसा प्रदाय, जो अस्वीकार कर दिया गया है अथवा जिसका प्रदाय करने में मुद्रक असफल रहा है, इन्कार किया है या उपेक्षा की है या विलम्ब किया है, मुद्रक के खर्च पर, क्रय कर सकेगा या सरकारी स्टाक से या अन्यथा उपाप्त कर सकेगा या उसकी व्यवस्था कर सकेगा और संविदा कीमत के आधिक्य में उपगत खर्च, ऐसा प्रदाय क्रय करने, उत्पादित करने या उसकी व्यवस्था करने में उपगत सभी आनुषंगिक प्रभारों और व्ययों तथा यदि प्रतिस्थापनों की पूर्ति सरकारी स्टॉक से की जाती है तो सभी आनुषंगिक प्रभारों या व्ययों सहित ऐसे भण्डार की कीमत या मूल्य सहित, मुद्रक से वसूलनीय होगा। यदि मुद्रक के व्यतिक्रम के कारण यथापूर्वोक्त कार्य के किए जाने के परिणामस्वरूप कोई लाभ होता है तो मुद्रक उसका हकदार नहीं होगा।

7. सचिव लिखित सूचना देकर यह संविदा विखंडित कर सकेगा यदि मुद्रक,—

(i) (क) सचिव के अनुमोदन के बिना यह संविदा समनुदेशित करता है या उप पट्टे पर देता है; या

(ख) इस संविदा या सरकार के साथ उसके द्वारा की गई किसी अन्य संविदा के संबंध में कपट का दोषी है; या

(ग) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सरकार के नियोजन में किसी आफिसर या व्यक्ति को, ऐसे आफिसर या व्यक्ति के नियोजन या पद के संबंध में रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलब्धि, इनाम या फायदा (धनीय या अन्यथा) देता है, देने का वचन देता है या उसकी प्रस्थापना करता है; या

(ii) किसी मांग या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से इन्कार करता है, उपेक्षा करता है या विम्लब करता है अथवा इस संविदा की किसी शर्त का पालन या निष्पादन करने में किसी प्रकार असफल रहता है; और/या

(iii) दिवालिया हो जाता है या दिवालिया ऋणी के रूप में किसी अनुतोष के लिए आवेदन करता है या कोई दिवाला विषयक कार्यवाही प्रारंभ करता है या अपने लेनदेनों से कोई प्रशमन करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या उस दशा में जब मुद्रक कोई रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो, ऐसी कम्पनी के परिसमापन के लिए सम्यकतः कोई आदेश किया जाता है या संकल्प पारित किया जाता है। ऐसे विनिश्चय की दशा में प्रतिभूति निक्षेप भारत सरकार को समपहृत हो जाएगा और ऐसे समपहरण का प्रभाव सरकार को उपलब्ध किसी अन्य उपचार पर नहीं पड़ेगा।

8. यदि निविदा की स्वीकृति के पश्चात् किसी समय सचिव किसी भी कारणवश कार्य या उसके किसी भाग को निष्पादित नहीं कराना चाहता है तो वह इस बात की लिखित सूचना मुद्रक को देगा और मुद्रक ऐसे किसी फायदे या लाभ की बाबत, जो वह पूरे कार्य के निष्पादित किए जाने की दशा में प्राप्त करता, किन्तु कार्य के ऐसे रोक दिए जाने के परिणामस्वरूप उसने प्राप्त नहीं किया है, किसी प्रतिकर या अन्यथा के संदाय का दावा करने का हकदार नहीं होगा। यदि कार्य का ऐसा रोक दिया जाना उसके कार्य प्रारंभ करने से पहले किया जाता है तो वह किसी भी प्रकार के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा किन्तु यदि मुद्रक ऐसा कार्य, ऐसे रोके जाने से पूर्व प्रारंभ कर चुका है तो सचिव यह विनिश्चत करेगा कि किए जा चुके कार्य के लिए प्रभारों या प्रतिकर के रूप में मुद्रक को कितनी रकम संदत्त की जाएगी और इस बाबत उसका विनिश्चय अन्तिम और मुद्रक पर आबद्धकर होगा।

9. निविदा प्ररूप या संविदा के भागरूप किसी दस्तावेज पर किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह यह वारण्टी देता है कि उसे ऐसे अन्य व्यक्ति को आबद्ध करने का प्राधिकार है और यदि जांच की जाने पर यह पता लगता है कि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है तो सचिव, किसी अन्य सिविल या दाण्डिक उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा रद्द कर सकेगा और हस्ताक्षरकर्ता को सभी खर्च और नुकसानियों के लिए दावी ठहरा सकेगा।

10. निविदा, उसके प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत अन्तिम तारीख से तीन मास की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

11. **विक्रय कर और/या शुल्क**

सरकार किन्हीं केन्द्रीय या राज्य करों या शुल्कों का वहन तभी करेगी जब मुद्रक उन्हें अपनी कोटेशन में स्पष्टतः विनिर्दिष्ट करेगा।

(च) प्रतिभूति निक्षेप

जिस मुद्रक की निविदा स्वीकार कर ली जाती है वह स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव के पास, उसके द्वारा मांगी गई रकम के बराबर प्रतिभूति निक्षिप्त करेगा। प्रतिभूति निक्षेप ऐसे रूप में होगा जो सचिव विनिर्दिष्ट करे। यदि सचिव प्रतिभूति निक्षेप देने की अवधि बढ़ाता नहीं है तो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूति निक्षेप करने में मुद्रक की असफलता के कारण संविदा भंग हो जाएगी और सचिव, संविदा के अधीन प्रदाय किए जाने के लिए करार की गई सामग्री प्राप्त करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था, मुद्रक की जोखिम और व्यय पर, करने का हकदार होगा।

2. सरकार, अपने भारसाधन में के सभी प्रतिभूति निक्षेप दस्तावेजों के खो जाने के लिए जिम्मेदार होगी किन्तु ऐसी किसी वस्तु के मूल्य में हानि या कमी हो जाने के लिए अथवा उस पर किसी ब्याज की हानि के लिए, जिम्मेदार नहीं होगी।

3. संविदा के सभी दृष्टियों से पालन और पूर्ति के पश्चात् और सचिव के ऐसे सभी ब्लाकों, नमूनों या अन्य सम्पत्ति के जो मुद्रक को दी गई हों, अच्छी हालत में वापस कर दिए जाने पर प्रतिभूति निक्षेप, यदि समपहृत नहीं किया गया है, मुद्रक को वापस कर दिया जाएगा।

he printer,
same from
ie contract
nt of the
he printer
unt due to
ay at any
ment.

icluding all
y over pay-
ove.

iny reasons

ct on behalf
ich officer in

the bundles,
flags will be

the supplies
inal payment
Fund.

d will also be

g the contract
anaging Com-
the person is
ontract relates
views in all/or
il and binding
rator to whom
ble to act for
ition of office,
vith the terms
rence from the
person nomi-
ny reason, that
the Arbitration

icidental to the

tion proceedings
h proceedings.

Kendriya Sainik
w Delhi or such

OF THE FIRM/
ONTRACTORS)

(छ) मुद्रक से वसूली

यदि संविदा के अधीन कोई धनराशि मुद्रक से वसूलनीय या उसके द्वारा देय हो जाती है और वह, माँग की जाने पर उसका संदाय नहीं करता है तो सरकार उसकी कटौती, मुद्रक को इस संविदा के अधीन या सरकार के साथ उसकी किसी अन्य संविदा के अधीन तत्समय शोध्य या तत्पश्चात् किसी समय शोध्य होने वाली किसी राशि से अथवा उसके प्रतिभूति निक्षेप से, कर सकेगी। यदि प्रतिभूति निक्षेप में ऐसी किसी कटौती या विक्रय के कारण कमी हो जाती है तो मुद्रक तत्पश्चात् ग्यारह दिन के अन्दर उसकी नकदी या प्रतिभूति के रूप में पूर्ति करेगा। इस संविदा के अधीन मुद्रक को शोध्य किसी रकम का ऐसी किसी रकम के विरुद्ध समायोजन किया जा सकेगा जो तत्समय या तत्पश्चात् किसी समय इस संविदा के अधीन या सरकार के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अधीन शोध्य हो।

2. सरकार को मुद्रक के बिलों की, जिसके अन्तर्गत उनके समर्थक सभी वाउचर भी हैं, उत्तर लेखा परीक्षा कराने का अधिकार है। यदि ऐसी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप किसी अतिसंदाय का पता लगता है तो सरकार, ऊपर विहित किसी या सभी रीति में उसकी वसूली प्रवर्तित कराने की भी हकदार है।

(ज) साधारण

1. सचिव को कोई कारण बताए बिना किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है और वह निम्नतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

2. सचिव, सरकार की ओर से निविदा के प्रवर्तन के लिए ऐसे किसी आफिसर को प्राधिकृत कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और मुद्रक, इस संविदा के संबंध में ऐसे आफिसर द्वारा दिए गए अनुदेशों को स्वीकार तथा कार्यान्वित उसी रूप में करेगा मानो वे स्वयं सचिव ने दिए हों।

3. यदि किसी प्रक्रम पर यह पता चलता है कि बन्डलों में गलत मुद्रित टोकन/कार झंडे पैक कर दिए गए हैं अथवा ऐसे बन्डलों/पैकेटों में अपेक्षित संख्या से कम संख्या में झंडे हैं तो ऐसे झंडों की कीमत काट ली जाएगी या हानि को पूरा करने के लिए मुद्रक से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी कमी को पूरा करने लिए बकाया झंडों का प्रदाय करे।

4. **बिलों का निरन्तर भुगतान** : कार्य का कम से कम 50 प्रतिशत भाग समाधानप्रद रूप में पूरा हो जाने के पश्चात् परिदत्त प्रदाय के लिए 75 प्रतिशत तक का संदाय कर दिया जाएगा। अंतिम और शेष संदाय, सचिव, झण्डा दिवस निधि के समाधानप्रद रूप में कार्य पूरा कर दिए जाने के पश्चात्, किया जाएगा।

5. यदि अतिरिक्त टोकनों/कार झंडों की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार अपेक्षित/आदिष्ट संख्या में उनका भी प्रदाय, समान निबन्धनों या शर्तों पर, किया जाएगा।

6. यदि इस संविदा के संबंध में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह झंडा दिवस निधि की प्रबन्ध समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसी किसी नियुक्ति पर यह आक्षेप नहीं किया जाएगा कि ऐसा नियुक्त व्यक्ति कोई सरकारी सेवक है और यह कि उसे उन विषयों के बारे में कार्रवाई करनी पड़ी है जिनसे यह संविदा संबंधित है और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किसी विषय के बारे में अपना मत व्यक्त किया है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस संविदा के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। संविदा का एक निबन्धन यह भी है कि यदि ऐसे मध्यस्थ का, जिसे उक्त विवाद आदि मूलतः निर्देशित किया गया है, स्थानान्तरण हो जाता है या वह अपना पद छोड़ देता है या किसी अन्य कारणवश वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे स्थानान्तरण, पद छोड़ने, कार्य करने में असमर्थता के समय यथापूर्वोक्त प्रबन्ध समिति इस संविदा के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ऐसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी। ऐसा व्यक्ति निर्देश में उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करने का हकदार होगा जिस पर उसे उसके पूर्वाधिकारी ने छोड़ा है। इस संविदा का यह भी एक निबन्धन है कि मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए निधि की प्रबन्ध समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो ऐसा मामला, मध्यस्थ को निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्रवाई को माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 लागू होगा।

यथापूर्वोक्त प्रत्येक निर्देश और अधिनिर्णय के आनुषंगिक खर्च का निर्धारण एकमात्र मध्यस्थ के स्वविवेक पर आधारित होगा।

माध्यस्थम् कार्रवाई के दौरान संविदा के अधीन कार्य यथासंभव जारी रहेगा और सरकार को शोध्य या उसे देय संदाय ऐसी कार्रवाई के कारण रोका नहीं जाएगा।

माध्यस्थम् कार्रवाई का स्थान सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, झण्डा दिवस निधि, रक्षा मंत्रालय, मौलाना आजाद रोड, रक्षा मुख्यालय डाकखाना, नई दिल्ली का परिसर या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जो एकमात्र मध्यस्थ विनिश्चित करे।

(फर्म/मुद्रक/ठेकेदार के हस्ताक्षर)

एस०ओ० (पुनरीक्षित)

(निविदाएं भाण्डागार नियंत्रक, नौसेना स्टोर डिपो,
——————————को प्रस्तुत की जाएं)

(निविदाकारों को, निविदाएं खोली जाने के समय भाण्डागार नियंत्रक, नौसेना स्टोर डिपो. . . . . . . .में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है) ।

प्ररूप 'ङ'

मुम्बई में भारतीय नौ सेना के जलयानों, यार्डों, यानों और स्थापनों में कोयला भरने, हटाने और बदलने के लिए निविदा

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

——————

——————

महोदय,

तारीख· · · · · · · · · · · · · · के· · · · · · · · · · · · · ·नामक समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं/हम भारतीय नौसेना, मुम्बई के लिए, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर तथा निम्नलिखित शर्तों पर कोयला की सम्हलाई का कार्य करने की प्रस्थापना करता हूं/करते हैं ।

2. संविदा· · · · · · · · · · · · · · ·से· · · · · ·तक की 12 मास की अवधि के लिए या कोई अनुकल्पी व्यवस्था की जाने तक के लिए प्रवृत्त रहेगी और तत्पश्चात् संविदा का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक मास की लिखित सूचना देकर यह संविदा समाप्त कर सकेगा किन्तु यदि ठेकेदार की ओर से इस करार को कोई भंग किया जाता है तो यह संविदा ठेकेदार को कोई प्रतिकर दिए बिना ही, भारत के राष्ट्रपति की ओर से भाण्डागार नियंत्रक, नौसेना स्टोर डिपो· · · · ·अविलम्ब समाप्त कर सकेगा । संविदा की समाप्ति के समय स्टोर में रखे हुए कोयले के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और वह उसके समाप्त होने तक उसे करार की गई दर पर, यथा अपेक्षित रूप में जारी करता रहेगा ।

3. **जारी की गई मात्रा :** ठेकेदार प्रत्येक अवसर पर पोत के फलक पर ले जाए जाने वाले कोयले की मात्रा की बाबत कमान आफिसर, भा० नौ० पोत, भारसाधक आफिसर, यार्ड जलयान और स्थापन के साथ एक करार करेगा ।

4. **परिदान :** भाण्डागार नियंत्रक, के कोई लिखित विशेष आदेशों के न होने पर, समस्त कोयले का प्रदाय, मांग की जाने पर तथा वायु और मौसम अनुकूल होने पर, भा० नौ० पोतों को, आदिष्ट रूप में यथासंभव शीघ्रता से आवश्यकतानुसार तुरन्त किया जाएगा ।

5. **कोयले की प्रतिदिन भराई** की दर 100 टन स्वीकार्य होगी ।

6. (क) मैं/हम किसी भी विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए दिए जाने वाले कोयला-भराई/कोलिंग आदेश को निष्पादित करने का करार करता हूं/करते हैं । मैं/हम एक टन तक की छोटी मात्रा में कोयले के प्रदाय की मांग की पूर्ति लारी से पूरी और निष्पादित करूंगा/करेंगे ।

(ख) मैंने/हमने यह भी समझ लिया है कि स्थल पर रखे गए कोयला वैगनों से उतराई का कार्य, भाण्डागार नियंत्रक · · · · · · · · · ·के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, "छूट अवधि" के भीतर किन्तु केवल उक्त यार्ड के कार्य-घण्टों के (सभी कार्य दिवसों को प्रातः 8 बजे से सांय 4.30 बजे तक और छुट्टी के दिनों में प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक) दौरान, किया जाना है । उपरोक्त निबंधन के स्पष्टीकरण के रूप में,–

"यदि वैगन निष्क्रिय (साइलेण्ट) घण्टों के दौरान और रविवार/छुट्टी के दिन पहुंचते हैं तो ठेकेदार भाण्डागार नियंत्रक के प्रतिनिधि को इसकी सूचना देगा और वैगनों से उतराई की तुरन्त कार्रवाई करेगा जिससे कि 5 घण्टे की छूट अवधि के भीतर किसी डेमरेज प्रभार का संदाय न करना पड़े ।"

7. मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम नौ सेना स्टोर डिपो· · · · ·को महाराष्ट्र सरकार के बाट और माप निरीक्षक द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित तुला (बीम स्केल) और बाट इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध करूंगा/करेंगी कि मेरे/हमारे द्वारा सभी सामान उक्त तुला से तौल कर ही जारी किया जाए । यदि आवश्यक हुआ तो मैं/हम मांग अफिसर को परिदान से पूर्व कोयले की तुलाई नौ सेना डाक यार्ड में लगे तुलन ब्रिज पर करूंगा/करेंगे । परिवहन की सम्हलाई के लिए मेरे/हमारे बिलों का निपटारा, पियसा मैदान नौसेना स्टोर डिपो· · · · · · · ·में उतारे गए/लादे गए कोयले की मात्रा के आधार पर ही किया जाएगा ।

8. **आदिष्ट कार्य के निष्पादन में असफलता** : यदि ठेकेदार आदिष्ट कार्य, उसके लिए विहित समय के भीतर, निष्पादित करने में असफल रहता है तो भाण्डागार नियंत्रक, ... उसका ऐसी रीति में अन्तरण कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे और इस बाबत संविदा दर से ऊपर उपगत अतिरिक्त खर्च तथा ऐसे अन्तरण के कारण उपगत सभी प्रभार और व्यय तथा इस कारण हुई असुविधा के लिए प्रतिकर के रूप में ऐसे अतिरिक्त खर्च के 10 प्रतिशत के बराबर रकम, ठेकेदार से वसूलनीय होगी।

9. यदि भाण्डागार नियंत्रक मुम्बई की राय हो कि ठेकेदार उससे अपेक्षित कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में, निष्पादित करने में असमर्थ है तो वह किसी भी समय किसी भी रूप में ऐसी अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे और ऐसी कार्रवाई के कारण उपगत अतिरिक्त खर्च ठेकेदार पर प्रभारित किया जाएगा।

(क) विभिन्न जलयानों को किए गए प्रदायों के लिए ठेकेदार, कमान आफिसर और/या मुख्य इंजीनियर और/या अन्य प्राधिकृत स्टोर प्रापक द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करेगा और ये रसीदें बिलों के साथ संलग्न की जाएंगी।

(ख) यदि मुम्बई (पत्तन) में या उसके निकट प्रत्यक्ष शत्रु कार्य के कारण प्रदाय और/या श्रमिक खर्च प्रभावित होता है तो संदाय की स्वीकृत दरें परिवर्तित की जा सकेंगी। ऐसे अतिरिक्त खर्च का समाधानप्रद सबूत ठेकेदार द्वारा भाण्डागार नियंत्रक. . . . . को प्रस्तुत किया जाएगा।

10. किए/दिए गए सभी प्रदायों/सेवाओं के लिए सभी संदाय, रक्षा लेखा नियंत्रक. . . . . द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के नाम लिखे गए चैक से किया जाएगा।

11. चैक ठेकेदार को डाक से भेजे जाएंगे और ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे चैकों की प्राप्ति, जिनमें अंतरिम संदाय के चैक भी सम्मिलित हैं, उनकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर, अभिस्वीकार करे अन्यथा चैक से संदाय का उसका विशेषाधिकार समपहृत किया जा सकेगा। ऐसे व्यतिक्रम की दशा में ऐसे चैक जारी करने वाला समुचित प्राधिकारी ठेकेदार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह चैकों से संदाय की अभिस्वीकृति न भेजने के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। ठेकेदार से समाधानप्रद स्पष्टीकरण मिलने पर ही डाक से चैक भेजना पुनः प्रारंभ किया जाएगा अन्यथा ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह संबंधित संविदा के संबंध में आगे संदाय के लिए चैकों, उचित रसीद देकर समुचित प्राधिकारी से प्राप्त करे।

12. **दिवालिया होना** : भाण्डागार नियंत्रक, ... निम्नलिखित किसी भी दशा में ठेकेदार को कोई प्रतिकर दिए बिना, कोई लिखित सूचना देकर किसी भी समय संविदा समाप्त कर सकेगा :—

(क) यदि ठेकेदार को किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध रिसीवर की नियुक्ति का आदेश या उसकी सम्पदा के प्रशासन के लिए आदेश कर दिया जाता है अथवा वह तत्समय प्रवृत्त किसी दिवाला विषयक अधिनियम के अधीन समापन या प्रशमन आदेश के लिए कोई कार्यवाही करता है अथवा दिवालिया हो जाने पर अपने लेनदारों को कोई हस्तान्तरण या समनुदेशन कर देता है या ऐसा करना तात्पर्यित है।

(ख) यदि ठेकेदार कोई कंपनी होते हुए अपने कार्यकलाप के समापन के लिए कोई संकल्प पारित करता है या न्यायालय डिबेन्चरधारकों की ओर से रिसीवर या प्रबंधक को नियुक्ति के लिए कोई आदेश पारित करता है अथवा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें डिबेन्चरधारक कोई रिसीवर नियुक्त करने के हकदार हो गए हों।

13. **शोध्य राशि की वसूली** : जब कभी इस संविदा के अधीन कोई राशि ठेकेदार से वसूलनीय या उसके द्वारा देय हो जाती है तब ऐसी राशि ऐसी किसी रकम से काट ली जाएगी जो इस संविदा या भारत सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के साथ ठेकेदार की किसी अन्य संविदा के अधीन शोध्य हो या भविष्य में किसी समय शोध्य हो जाए।

14. इस संविदा के लिए निविदा करने वाले निविदाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निविदाएं भेजते समय, उसके साथ इस संविदा के लिए अग्रिम के रूप में 600 रु० (. . . . रुपए) की राशि वचनपत्रों या स्थानीय खजाने में जमा की गई राशि की खजाना रसीदों के रूप में, संलग्न करें। यदि निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो ये रसीदें लौटा दी जाएगी किन्तु यदि स्वीकार कर ली जाती है तो ये रसीदें तब लौटाई जाएंगी जब नीचे खण्ड 15, में यथाउल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप भाण्डागार नियंत्रक . . . . . . .को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जिन निविदाओं के साथ अग्रिमधन नकद भेजा जाएगा। वे निविदाएं अविधिमान्य मान ली जाएंगी।

15. **प्रतिभूति निक्षेप** : निविदा स्वीकार कर ली जाने पर प्रतिभूति निक्षेप मद्धे . . . . . . रुपए (. . . . . .रुपए) की राशि, भारत सरकार के वचनपत्रों, प्रान्तीय या नगरपालिक डिबेंचरों या पत्तन न्यास बंधपत्रों, उनके निक्षेप के समय उनके बाजार मूल्य आदि पर, डाकघर नकद प्रमाणपत्रों, उनके क्रय मूल्य पर, के रूप में, भाण्डागार नियंत्रक . . . . के पास जमा की जाएगी। भाण्डागार नियंत्रक. . . . . इन्हें संविदा के निबंधनों की पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में रख लेगा और ऐसी पूर्ति हो जाने पर उन्हें वापस कर देगा।

16 भाण्डागार नियंत्रक ..... निम्नतम या कोई निविदास्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। सामग्री अधीक्षक ..... का संविदा से संबंधित सभी विषयों के बारे में विनिश्चय अंतिम होगा।

17. इस निविदा में जहां कहीं शब्द "कोयला" का प्रयोग हुआ है वहां उसके अन्तर्गत भारतीय स्टीम कोयला, गिट्टी कोयला, हार्डकोक, स्मिथी नट आदि भी हैं।

18. मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि यह निविदा स्वीकार की जाने के सात दिन के भीतर मैं/हम अपना आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे अन्यथा मेरी/हमारी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी और अग्रिम धन समपहृत कर लिया जाएगा।

19. यदि इस करार की बाबत ऐसा कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है जिसके निपटारे के लिए इसमें पहले उपबंध नहीं किया गया है तो वह संविदा स्वीकार करने वाले आफिसर द्वारा माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और ऐसे मध्यस्थ का उस पर विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

20. इससे उपाबद्ध अनुसूची की मद सं० 9 में, पद "निरोध समय" का अर्थ मेरे/हमारे द्वारा वह समय जो, कोयले के आदेश के समय से उसके परिदान तक आदिष्ट है, न कि वस्तुतः लगने वाला समय, समझा जाएगा। उक्त खण्ड 4 के संदर्भ में मैंने/हमने यह समझ लिया है कि अतिकाल कार्य के लिए संदाय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि समस्त कोयले का परिदान यथासंभव शीघ्रता से, दिन में और आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में भी, किया जाएगा।

21. डेमरेज, साइडिंग प्रभार आदि के लिए भाण्डागार नियंत्रक ..... सैनिक प्रत्यय पत्र जारी कर सकेगा।

22. यद्यपि डेमरेज प्रभार भाण्डागार नियंत्रक ..... द्वारा संदत्त किए जाएंगे, तथापि उसकी वसूली ठेकेदारों से कर ली जाएगी क्योंकि वह जिम्मेदारी ठेकेदार की है कि बैगनों की निकासी छूट अवधि के भीतर किन्तु केवल डाकयार्ड कार्यकरण घन्टों के दौरान, कर ली जाए। ऊपर खण्ड 6(ख) देखिए।

अनुसूची की मद सं० 17 को, अपेक्षा होने पर, सुभिन्न और स्वतन्त्र मद माना जाएगा। इसे अनुसूची की मद सं० 2, 11 और 13 के सम्बद्ध तत्र तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे आशय का लिखित अनुदेश विनिर्दिष्टतः नहीं दिया जाता।

हस्ताक्षर

नाम और पता

मुम्बई;

तारीख :

.....से..... तक की अवधि के दौरान भा० नौ० जलयानों और यार्ड यानों में कोयले की भराई, हटाए जाने और बदली के लिए संविदा की अनुसूची ड० की मद सं० 1 से 21 तक की सभी मद स्वीकार करता हूं।

हस्ताक्षर

16 भाण्डागार नियंत्रक ..... निम्नतम या कोई निविदास्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। सामग्री अधीक्षक ..... का संविदा से संबंधित सभी विषयों के बारे में विनिश्चय अंतिम होगा।

17. इस निविदा में जहां कहीं शब्द "कोयला" का प्रयोग हुआ है वहां उसके अन्तर्गत भारतीय स्टीम कोयला, गिट्टी कोयला, हार्डकोक, स्मिथी नट आदि भी हैं।

18. मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि यह निविदा स्वीकार की जाने के सात दिन के भीतर मैं/हम अपना आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे अन्यथा मेरी/हमारी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी और अग्रिम धन समपहृत कर लिया जाएगा।

19. यदि इस करार की बाबत ऐसा कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है जिसके निपटारे के लिए इसमें पहले उपबंध नहीं किया गया है तो वह संविदा स्वीकार करने वाले आफिसर द्वारा माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और ऐसे मध्यस्थ का उस पर विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

20. इससे उपाबद्ध अनुसूची की मद सं० 9 में, पद "निरोध समय" का अर्थ मेरे/हमारे द्वारा वह समय जो, कोयले के आदेश के समय से उसके परिदान तक आदिष्ट है, न कि वस्तुतः लगने वाला समय, समझा जाएगा। उक्त खण्ड 4 के संदर्भ में मैंने/हमने यह समझ लिया है कि अतिकाल कार्य के लिए संदाय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि समस्त कोयले का परिदान यथासंभव शीघ्रता से, दिन में और आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में भी, किया जाएगा।

21. डेमरेज, साइडिंग प्रभार आदि के लिए भाण्डागार नियंत्रक .....सैनिक प्रत्यय पत्र जारी कर सकेगा।

22. यद्यपि डेमरेज प्रभार भाण्डागार नियंत्रक .....द्वारा संदत्त किए जाएंगे, तथापि उसकी वसूली ठेकेदारों से कर ली जाएगी क्योंकि वह जिम्मेदारी ठेकेदार की है कि बैगनो की निकासी छूट अवधि के भीतर किन्तु केवल डाकयार्ड कार्यकरण घन्टों के दौरान, कर ली जाए। ऊपर खण्ड 6(ख) देखिए।

अनुसूची की मद सं० 17 को, अपेक्षा होने पर, सुभिन्न और स्वतन्त्र मद माना जाएगा। इसे अनुसूची की मद सं० 2, 11 और 13 के सम्बद्ध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे आशय का लिखित अनुदेश विनिर्दिष्टतः नहीं दिया जाता।

हस्ताक्षर

नाम और पता

मुम्बई :

तारीख :

.....से..... तक की अवधि के दौरान भा० नौ० जलयानों और यार्ड यानों में कोयले की भराई, हटाए जाने और बदली के लिए संविदा की अनुसूची ड० की मद सं० 1 से 21 तक की सभी मद स्वीकार करता हूं।

हस्ताक्षर

टेलीफोन.....

सामग्री अधीक्षक
कार्यालय
नौसेना स्टोर डिपो

कोटेशन सं०.....

मैसर्स.....
.....

प्रिय महोदय,

निविदा-सूचना

वर्ष----------के दौरान भारतीय नौ सेना, मुम्बई के पक्ष में निम्नलिखित सेवाओं के लिए मोहरबन्द निविदा, निविदा प्ररूप और विहित करार प्ररूप में उपवर्णित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए आमंत्रित की जाती हैं। ये निविदाएं तारीख----------को----------बजे तक स्वीकार की जाएंगी। निविदा प्ररूप और विहत करार प्ररूप भाण्डागार नियंत्रक ----------के कार्यालय से, 10 रुपए प्रति सेट का संदाय करके, कार्य दिवसों के दौरान----------बजे से---------- बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा-वर्णन

1. ----------से----------तक की अवधि के दौरान भा० नौ० जलयानों और यार्ड, जलयानों में कोयला भरने, हटाने और बदलने के लिए निविदा।

2. आशा है कि उक्त विषय की विस्तृत निविदा सूचना, स्थानीय समाचारपत्रों में तारीख--------की और तत्पश्चात तारीख----------और----------को प्रकाशित कर दी जाएगी।

3. निविदाएं भाण्डागार नियंत्रक----------के कार्यालय में तारीख----------को--------बजे, ऐसे निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो वहां उपस्थित रहना चाहेंगे।

4. नियत तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय

निविदा प्ररूप सं०————————————का उपाबंध

निबंधन और शर्तें

1. अग्रिम धन के संदाय के साक्ष्य के बिना निविदा/ओं पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निविदा के साथ ही अग्रिम धन के लिए 100 रुपए एक सौ रुपए का एक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखा गया हो, और भाण्डागार नियंत्रक————————के पक्ष में————————देय हो, संलग्न करें।

2. निविदाकार निविदा प्ररूप के प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम लिखेगा या टाइप कराएगा या हस्ताक्षरित करेगा।

3. यदि किसी निविदा में अपेक्षाओं के प्रतिकूल कोई सर्शत खण्ड है या ऐसा कोई अनुबंध है, जिसका इस सूचना, निविदा या अनुसूची प्ररूपों में उपबंध नहीं किया गया है, तो वह अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. भाण्डागार नियंत्रक, कोई भी कारण बताए बिना, किसी भी निविदा के लिए कोई कोटेशन स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा। वह निम्नतम निविदा भी स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है।

5. ऐसी निविदाएं अस्वीकार की जा सकेंगी जिनमें निविदाकार के हस्ताक्षर नहीं होंगे अथवा दरें, अंकों और शब्दों दोनों में, विनिर्दिष्ट नहीं होंगी, कोई मिटाई गई या परिवर्तित की गई प्रविष्टि अधिप्रमाणित नहीं की गई होगी या कोटेशन में किसी भी स्थान पर उपरिलेखन किया गया होगा।

6. पक्षकार निविदा प्ररूप क्रम करके स्वयं भरे अन्यथा कोटेशन अविधिमान्य माना जाएगा।

7. अपूर्ण कोटेशन रद्द कर दिए जाएंगे।

8. यदि निम्नतम कोटेशन देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकार कर ली जाती है, और वह संविदा स्वीकार करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसका अग्रिम धन समपहृत कर लिया जाएगा।

9. सफल निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कुल विक्रय मूल्य का 2 0 प्रतिशत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो भाण्डागार नियंत्रक के पक्ष में मुम्बई स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखा जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करेगा। संविदा का समाधानप्रद निष्पादन पूरा हो जाने पर प्रतिभूति निक्षेप ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा।

10. सफल निविदाकार को पूरा विक्रय मूल्य, एक किस्त में, सेना प्राप्य आदेश की मार्फत भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराना होगा। उक्त प्राप्य आदेश भाण्डागार नियंत्रक,————————जारी करेगा।

11. निविदाकार या उसका प्रतिनिधि, भाण्डागार नियंत्रक, ————————के कार्यालय में तारीख————————को————————बजे निविदाएं खोली जाने के समय, उपस्थित रह सकता है।

12. यह संविदा————————से————————तक प्रवृत्त रहेगी।

रजिस्ट्रीकृत

सं० प० अ० वि० सं०/020/जे/85
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय,
पद्धति अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, डी-44,
मैटकाफ हाऊस, दिल्ली-110054
तारीख .....

सेवा में,

_____
_____
_____

विषय : विदेशी/भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रदाय के लिए निविदा-आमंत्रण

निविदाएं खुलने के लिए नियत की गई तारीख----------

प्रिय महोदय,

संलग्न सूची के अनुसार वर्ष----------के लिए भारतीय/विदेशी वैज्ञानिक और तकनीकी नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रदाय के लिए तारीख----------तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने कोटेशन के साथ निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

1. अपने बैंककार के पूरे पते के साथ अंतिम आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र।
2. विदेशी मूल की वैज्ञानिक और तकनीकी पत्र-पत्रिकाओं के प्रदाय संबंधी कार्य में अनुभव का (वर्षों के रूप में) ब्यौरा।
3. इस संबंध में निष्पादित आदेशों का मूल्य तथा उन संगठनों के नाम जिन्हें प्रदाय किए गए हैं।
4. विदेशी नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रदाय के लिए विदेशी मुद्रा की रुपयों में, वह विनिमय दर (छूट का, यदि कोई हो, उल्लेख करते हुए) जो आप प्रभारित करेंगे।
5. भारतीय नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रदाय के लिए निबंधन (छूट का, यदि कोई हो, उल्लेख करते हुए अलग से कोट करें।
6. उन प्रकाशकों के नाम (यदि कोई हों) जिनका प्रतिनिधित्व आप अभिकर्ता के रूप में करते हैं या अन्यथा जिनके प्रकाशन आप हवाई डाक से मंगाते हैं और जिनका प्रदाय आप दस्ती रूप में कर सकते हैं।
7. अभिवहन में या अन्यथा खो जाने वाली नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं की प्रतियों की पूर्ति का ढंग।
8. प्रत्येक मद के लिए कोट की जाने वाली दरें शुद्ध होनी चाहिएं और मांगे जाने पर प्रकाशनों की कीमत का सबूत दिया जाना चाहिए।
9. लगातार दो या तीन वर्ष के लिए अभिदायी नियतकालिक पत्रिकाओं के लिए अभिदाय किए जाने पर दी जाने वाली रिबेट भी, यदि कोई हो, कोट करें।

सफल निविदाकार को भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्य करते हुए निदेशक, प०अ०वि०सं० मेटकाफ हाऊस, दिल्ली-110054 से, एक करार करना होगा। निदेशक, प०अ०वि०सं०, मेटकाफ हाऊस, दिल्ली-110054 से अनुरोध करके प्रारूप-करार की एक प्रति प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदाकार को नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं का अभिदाय अग्रिम रूप में किया जाना हो तो, प्रदायकर्ता को उसे अग्रिम रूप में अभिदाय की गई रकम के लिए, किसी अनुसूचित बैंक से, ऐसी किसी अवधि के लिए एक बैंक प्रत्याभूति निष्पादित करनी होगी जिसमें वह इस बात का सबूत दे सकेगा कि संबंधित प्रकाशक को अपेक्षित अभिदाय विप्रेषित कर दिया गया है। फर्म द्वारा समायोजन बिल, संदाय के ब्यौरों के साथ, प्रस्तुत किए जाने तक बैंक प्रत्याभूति मान्य रहेगी। जहां प्रदायकर्ता प्रदाय-आदेश प्राप्त होने पर अभिदाय, प्रकाशकों को, अग्रिम की प्राप्ति से पूर्व, विप्रेषित कर देता है, वहां उनसे बैंक प्रत्याभूति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वे, निदेशक, प०अ०वि०सं०, मेटकाफ हाउस, दिल्ली को ओर से किए गए भुगतान के ब्यौरे के साथ विप्रेषण का सबूत प्रस्तुत करके, अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। निविदाकार, पुस्तकालय के भारसाधक अधिकारी से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर, खो गए अंकों के प्रदाय की व्यवस्था करेगा। तथापि यदि प्रकाशक खो गए अंकों का किसी भी कारणवश पुनः प्रदाय नहीं करते हैं तो निविदाकार खो गए अंकों की पूर्ण कीमत लौटा देगा।

कोई कारण बताए बिना कोई भी निविदा, पूर्णतः या अंशतः स्वीकार/अस्वीकार की जा सकती है।

भवदीय,
भारसाधक अधिकारी,
कृते निदेशक

संलग्नक : पत्रिकाओं की सूची।

सं०.....प०अ०वि०सं० 10151.....
रक्षा मंत्रालय,
आई एस एस ए/अनुसंधान और
विकास संगठन, टी-44, भवन
मेटकाफ हाऊस काम्पलेक्स,
दिल्ली–110054
तारीख.....

सेवा में,
.....
.....
.....

विषय : निविदा-आमंत्रण (निविदाएं खुलने के लिए नियत तारीख.....)

प्रिय महोदय,

हमें इस पृष्ठ के पीछे वर्णित मदों की आवश्यकता है। कृपया अपना कोटेशन विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर भेजें।

2. निविदा का लिफाफा सम्यक् रूप से मोहरबंद करके भेजें। उस पर सबसे ऊपर निविदा देने की अन्तिम तारीख और इस कार्यालय के पत्र का निर्देश स्पष्टतः लिखें।

3. प्रत्येक मद के लिए कोट की गई दरें शुद्ध होनी चाहिएं। सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किए जाने वाले विक्रयकर और अन्य करों का, यदि लागू हैं, उल्लेख अलग से करें।

4. हमारी आवश्यकताएं विनिर्दिष्ट होने के कारण फर्मों को केवल उन्हीं मदों के लिए कोटेशन देना चाहिए जिनका प्रदाय वे, हमारे विनिर्देशों के यथावत अनुसार और हमारा प्रदाय-आदेश प्राप्त होने के पश्चात् तत्परता से कर सकते हैं। कोटेशन इस कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख से सामान्यतः दो सप्ताह की अवधि के लिए मान्य होगा। एक बार प्रदाय-आदेश दे दिए जाने पर, करार से पीछे नहीं हटा जा सकेगा।

5. संदाय माल का प्रदाय और निरीक्षण पूरा होने के पश्चात् संदाय, रसीद सहित बिलों पर, के०र०ले० (मुख्यालय) नई दिल्ली के माध्यम से किया जाएगा।

6. जिन फर्मों की, अपेक्षित मदों के लिए भारत सरकार के साथ दर संविदाएं हुई हैं वे ऐसी दर संविदा की कीमतें/शर्तें ही कोट करें और दर-संविदा का हवाला भी दें।

7. स्थानीय फर्में इस कार्यालय को माल के निःशुल्क परिदान करने के आधार पर, कोटेशन दें।

8. प्रदाय पूरा होने से पूर्व इस कार्यालय को, प्रदाय-आदेश संशोधित करने का अधिकार है।

9. यदि प्रश्नगत सामान कोई सांपत्तिक मद है तो इस आशय का प्रमाणपत्र कोटेशन पर ही पृष्ठांकित कर दिया जाए।

10. प्रेषण के स्थान से दिल्ली तक रेल भाड़ा प्रभार पूरा करने के लिए सनिक जमा-पत्र दिया जाएगा। अभिवहन के दौरान माल के खो जाने/नुकसानग्रस्त हो जाने की जोखिम परेषक की होगी।

11. सभी किस्मों के कागजों के, अर्थात्, डुप्लीकेटिंग, मैपलिथों, एयर मेल बांड कागज आदि के, और कार्ड शीटों के नमूने मोहरबंद कोटेशन के साथ संलग्न करें।

कृते निदेशक

क्रम सं०	सामान का वर्णन	टिप्पण

नियतकालिक पत्रिकाएं उपाबंध–क

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्ष के रूप में मैसर्स ..... (जिसे इसमें आगे "प्रदायकर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख ..... को किया गया।

सरकार को कार्यालय में प्रयोग के लिए तारीख ..... के आदेश सं० ..... के संलग्नक में सूचीबद्ध समाचारपत्रों, पत्रिकाओं या अन्य नियतकालिक पत्रिकाओं की, ... से ..... तक या उपर्युक्त संलग्नक में प्रत्येक के सामने दर्शित अवधि के लिए, आवश्यकता है।

प्रदायकर्ता ने उपरवर्णित अवधि के लिए सरकार को, परस्पर करार पाए गए निबंधनों पर, उक्त पत्र-पत्रिकाओं के प्रदाय की प्रस्थापना की है और सरकार ने इस करार की अनुसूची I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विनिमय दरों पर उक्त समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और अन्य नियतकालिक पत्रिकाओं के लिए प्रदायकर्ताओं की प्रस्थापना स्वीकार कर ली है।

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार और घोषणा की जाती है :—

1. प्रदायकर्ता, ऊपर निर्दिष्ट आदेश के संलग्नकों की सूची में वर्णित समाचारपत्रों और पत्र-पत्रिकाओं के सभी अंकों की प्रतियां संबंधित प्रकाशक द्वारा उनके प्रकाशन से समुचित अवधि के भीतर, जो किसी भी दशा में 60 दिन से अधिक की नहीं होगी, (भारतीय समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के मामले में ऐसा प्रदाय प्रकाशन के तुरंत बाद कर दिया जाएगा) परस्पर करार पाए गए निबंधनों पर, ... को प्रदाय करेंगे।

2. सरकार प्रदायकर्ता को, उक्त समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का वार्षिक चन्दा अग्रिम रूप में संदत्त करेगी किन्तु यह तब जब प्रदायकर्ता ऐसे शुल्क की रकम के लिए बैंक प्रत्याभूति, जो 30 दिन तक विधिमान्य रहेगी, देगा। प्रदायकर्ता को संदाय ऐसे संदाय, जिस प्रस्तुत किए जाने की तारीख को विद्यमान दरों के आधार पर भारतीय रुपयों में किया जाएगा। बिलों के साथ प्रकाशक के संबंधित बीजक या कीमत सूची संलग्न की जाएगी।

3. प्रदायकर्ता, प्रत्येक पत्रिका के चन्दा की रकम, सरकार से उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद, संबंधित प्रकाशक को विप्रेषित करेगा और निदेशक प० अ० वि० सं० या उसके प्रतिनिधि के समाधानप्रद रूप में विप्रेषण के सबूत के साथ ही, संबंधित प्रकाशकों को रकम के विप्रेषण की, बैंक प्रत्याभूति की विधिमान्यता की अवधि के भीतर, पुष्टि करेगा। ऐसे प्रकाशनों की, जिनके लिए प्रकाशक किसी कारणवश चन्दा स्वीकार नहीं करते हैं या प्रकाशकों को, बैंक प्रत्याभूति की विधिमान्यता की अवधि के भीतर, चन्दा विप्रेषित नहीं किए जाते हैं, रकम सरकार को तुरन्त, किन्तु एक मास के अपश्चात् लौटा दी जाएगी अन्यथा उस पर, अग्रिम की प्राप्ति के (चैक जारी किए जाने की तारीख) 46वें दिन से प्रकाशक को ऐसे चन्दा के संदाय तक के लिए, तत्समय विद्यमान बैंक दर से दुगुनी दर पर, ब्याज प्रभारित किया जाएगा। यदि ऐसी पत्रिकाओं के प्रदाय अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया जाता है तो प्रदायकर्ता, पत्रिकाओं पर किए गए अतिरिक्त खर्च की बाबत, यदि कोई हो, सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

4. प्रदायकर्ता, सरकारी संस्थानों/पुस्तकालयों की उक्त पत्रिकाओं के प्रदाय के बारे में प्रकाशक द्वारा अनुज्ञात की जाने वाली कोई संस्थागत छूट, दरों में कमी/रियायत अभिप्राप्त करके सरकार को अंतरित कर देगा। ऐसी छूट, दरों में कमी/रियायत प्रदायकर्ता द्वारा दिए जाने वाले जमा-पत्रों/क्रेडिट मेमों द्वारा समायोजित की जाएगी।

5. यथा आदिष्ट किन्हीं पत्रिकाओं की प्रति/प्रतियों के अभिवहन में खो जाने की दशा में सरकार, उनके जारी किए जाने की तारीख से उपयुक्त समय के भीतर, उसकी सूचना प्रदायकर्ता को देगी। खो जाने की सूचना प्राप्त होने पर, प्रदायकर्ता, सरकार की ओर से,—

(i) उस प्रकाशक से, बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के, उसके बदले में अन्य प्रति प्राप्त करने का या चन्दा की अवधि आनुपातिक रूप में बढ़वाने का, प्रयत्न करेगा,

(ii) ऐसे खो गए अंकों के बदले में दूसरी प्रतियां प्राप्त न होने की दशा में, सरकार को उसका चन्दा आनुपातिक रूप में, वापस करेगा।

6. प्रदायकर्ता उन पत्रिकाओं के चन्दा की पूरी रकम सरकार को लौटाएगा जिनकी एक भी प्रति, संविदा की समाप्ति की अवधि तक, प्राप्त नहीं हुई है।

7. यदि सरकार उक्त समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में से किसी एक या अधिक के लिए चन्दा न देने का विनिश्चय करता है तो सरकार प्रदायकर्ता को, भारतीय पत्रिकाओं और समाचारपत्रों की दशा में एक दिन की और विदेशी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की दशा में एक मास की लिखित सूचना देकर अपना ऐसा आशय सूचित करेगी और प्रदायकर्ता उक्त सूचना के अवसान पर, अनवसित अवधि के लिए चन्दे की आनुपातिक रकम सरकार को लौटा देगा।

8. सरकार इस करार के अधीन सरकार को शोध्य कोई रकम, इस करार या सरकार के साथ किसी अन्य करार के अधीन प्रदायकर्ता को शोध्य रकमों में से वसूल कर सकेगी। यदि ऐसी कोई रकम पर्याप्त नहीं है तो सरकार ऐसी रकम की वसूली किसी भी अन्य रीति से कर सकेगी।

9. तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित विनिमय बैंककारों द्वारा कोट की गई टी० टी० विक्रय विनिमय दर के अनुसार कीमतें 100 रुपए को के बराबर मान कर नियत की गई हैं। यहां पर फर्म को निविदा दर का उल्लेख करें।

यदि संदाय की तारीख और विदेशी प्रकाशकों को विप्रेषण की तारीख के बीच संविदा-कीमतों में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ($\pm$) का अन्तर हो जाता है तो संविदा-कीमतों) जो रेलपर्यन्त निःशुल्क कीमतों के उस भाग तक सीमित रहेंगी जो संविदा के निबंधनों के अनुसार विदेशी करेंसी में फर्म के विदेशी प्रधानों को विप्रेषित किया जाता है) का समायोजन, विनिमय की टी० टी० विक्रय दर के अनुसार, जैसा कि फर्म द्वारा अपने विदेशी प्रशासकों को संदाय की तारीख को यथा प्रवृत्त प्राधिकृत, विनिमय बैंककारों द्वारा कोट की गई है, किया जाएगा। यदि विनिमय दर में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक का अंतर होता है तो कीमत में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

10. यदि इस विलेख के या उसके अर्थान्वियन, अर्थ, कार्यान्वियन, प्रभाव के संबंध में या इसके पक्षकारों के अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्वों की बाबत कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है (ऐसे विचारों को छोड़ कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है) तो वह ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के उस मंत्रालय/विभाग के, जो ऐसी नियुक्ति के समय इस करार की बाबत प्रशासनिक कार्य कर रहा है सचिव द्वारा या यदि कोई सचिव न हो तो उस मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक प्रधान द्वारा किया गया है। ऐसी नियुक्ति के बारे में यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी सेवक है, कि उसे उन विषयों के संबंध में कार्रवाई करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी या सभी विषयों में अपने विचार व्यक्त कर चुका है। ऐसे नियुक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस विलेख के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस विलेख का एक निबंधन यह भी है कि यदि वह मध्यस्थ, जिसे मामला मूल रूप से निर्देशित किया गया है, स्थानान्तरित हो जाता है या अपना पद त्याग देता है या किसी भी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे स्थानान्तरण, पद-त्याग या कार्य करने में असमर्थता के समय उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान, इस विलेख के निबंधनों के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति निर्देश संबंधी कार्रवाई उस प्रक्रम से आगे आरंभ कर सकेगा जिस पर उसके पूर्वाधिकारी ने उसे छोड़ा था। इस विलेख का एक निबंधन यह भी है कि उक्त मंत्रालय या विभाग के सचिव या प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मध्यस्थ रूप में कार्य, नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो मामला मध्यस्थम् के लिए निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। मध्यस्थ, पक्षकारों की सहमति से, अधिनिर्णय देने का समय, समय-समय पर बढ़ा सकेगा। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम और उसके कानूनी उपांतरण, जो उस समय प्रवृत्त हों, ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाही को लागू होंगे।

माध्यस्थम् कार्यवाहियों का स्थान वह होगा जो एकल मध्यस्थ विनिश्चित करे।

11. इस करार का स्टांप शुल्क प्रदायकर्ता वहन करेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने मैसर्स के लिए और उनकी ओर से तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

मैसर्स . . . . . . के लिए और उसकी ओर से ऊपर नामित श्री ने,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ऊपर नामित श्री ने,

साक्षियों के नाम और पते
1.
2.
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

साक्षियों के नाम और पते
1.
2.
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर

(पतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्रत्याभूति बंधपत्र (प्रतिभूति निक्षेप के बदले में)

(अनुमोदित अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए)

निष्पादन का स्थान.....राज्य का नाम.....तारीख..... स्टांपित कागज का मूल्य.....रु०

इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि भारत के राष्ट्रपति हमारे अनुरोध पर उस नकद निक्षेप के बदले, जो....और ..... के बीच.....की बावन तारीख.....को किए गए करार के (जिसे इसमें आगे "उक्त करार" कहा गया है) के निबंधनों और शर्तों के*.....द्वारा.....से.....तक की अवधि के दौरान या यदि कोई अवधि बढ़ाई गई हो तो उस अवधि के दौरान सम्यक् रूप से पालन किए जाने के लिए*.....से अपेक्षित है, हम.....बैंक लिमिटेड.....की प्रत्याभूति स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं, हम.....बैंक लिमिटेड यह बचनबंध करते हैं कि हम किसी ऐसी हानि या नुकसान के प्रति, जो उक्त.....द्वारा उक्त करार के किसी निबंधन या शर्त के किसी भंग के कारण सरकार को हुआ है या उसने उठाया है अथवा उसे होगा या वह उठाएगी, ...रु० (.....रु०) तक की राशि का संदाय भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) करेंगे।

2. हम.....बैंक लिमिटेड, यह बचनबंध करते हैं कि हम सरकार की केवल इस मांग पर कि दावाकृत रकम उस हानि या नुकसान के कारण देय है जो उक्त.....द्वारा उक्त करार के किसी निबंधन और शर्त के किसी भंग के कारण या उक्त करार के पालन में उक्त.....के असफल रहने के कारण सरकार को हुआ है या उसने उठाया है अथवा उसे होगा या वह उठाएगी, बिना किसी आपत्ति के इस प्रत्याभूति के अधीन देय और संदेय रकम का संदाय करेंगे। बैंक से की गई ऐसी मांग, जहां तक इस प्रत्याभूति के अधीन हमारे द्वारा देय और संदेय रकम का संबंध है निश्चायक होगी, किन्तु इस प्रत्याभूति के अधीन हमारी बाध्यता..... रु० (.....रु०) की, रकम तक सीमित रहेगी। हम.....बैंक लिमिटेड सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत करते हैं कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास हमारे नकद और/या प्रतिभूतियों के निक्षेप में से उक्त रकम की वसूली उक्त बैंक से कर ले। .....बैंक लिमिटेड के अनुरोध पर उक्त भारतीय रिजर्व बैंक, मांग की जाने पर, उक्त निक्षेपों में से ऐसी किसी रकम का संदाय सरकार को करने के लिए सहमत हो गया है जो संदाय की इस प्रत्याभूति के अधीन सरकार को संदेय हो जाए।

3. हम.....बैंक लिमिटेड, यह भी करार करते हैं कि इसमें दी गई प्रत्याभूति ऊपर निर्दिष्ट तारीख .....तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, या यदि अवधि बढ़ाई गई है तो बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति तक पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी और यह तब तक प्रवर्तनीय रहेगी जब तक सरकार को उक्त करार के अधीन या उसके आधार पर शोध्य सभी रकमों का पूर्णतः संदाय नहीं कर दिया जाता और उसके दावों की तुष्टि नहीं कर दी जाती या उन्हें उन्मोचित नहीं कर दिया जाता अथवा जब तक.....मंत्रालय का.....(कार्यालय/विभाग) यह प्रमाणित नहीं कर देता कि उक्त.....ने उक्त करार के निबंधनों और शर्तों का पूर्णतः और उचित रूप से पालन किया है और तदनुसार प्रत्याभूति को उन्मोचित नहीं कर देता। यदि इस प्रत्याभूति के अधीन कोई लिखित मांग या दावा तारीख ..... तक या इससे पूर्व नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात् हम इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जाएंगे।

4. हम.....बैंक लिमिटेड सरकार से यह भी करार करते हैं कि हमारी सहमति से बिना और इसके (प्रत्याभूति बंधपत्र के) अधीन हमारी बाध्यताओं पर किसी भी रीति से प्रभाव डाले बिना सरकार को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त करार के निबंधनों और शर्तों में से किसी में परिवर्तन कर दे या उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा किए जाने के समय को, समय-समय पर, बढ़ा दे या उक्त ठेकेदार के विरुद्ध प्रयोग की जा सकने वाली सरकार की किसी शक्ति को किसी समय के लिए समय-समय पर मुल्तवी कर दे और उक्त करार में संबंधित निबंधनों और शर्तों में से किसी को लागू करे या उनके लागू करने में प्रविरति रहे। ऐसे किसी परिवर्तन, या उक्त ठेकेदार को और समय दिए जाने, या सरकार की ओर से किसी प्रविरति, कार्य या लोप अथवा उक्त ठेकेदार के प्रति सरकार द्वारा कोई उदारता बरती जाने के कारण अथवा अन्य किसी भी ऐसे विषय या बात के कारण जिसका प्रभाव, यदि यह उपबंध न होता तो, प्रतिभूतियों से संबंधित विधि के अधीन हमें ऐसे दायित्वों से निर्मोचित करना होता, हम अपने दायित्वों से निर्मोचित नहीं होंगे।

5. हम .....बैंक लिमिटेड अन्त में यह बचनबंध करते हैं कि हम इस प्रत्याभूति के चालू रहने के दौरान इसे सरकार की लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिसंहृत नहीं करेंगे।

तारीख.....बैंक लिमिटेड, ...के लिए

भारत के राष्ट्रपति ने उक्त प्रत्याभूति को स्वीकार कर लिया है।

हस्ताक्षर .....

तारीख .....

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

नाम और पदनाम .....

*अंतर्वेशन देखिए।

अनुसूची 6

(नियम 21 देखिए)

निर्माण स्थल का पट्टा

सूचना

सूचित किया जाता है कि इसमें नीचे विनिर्दिष्ट स्थल का पट्टा, इसमें नीचे कथित किराए और अवधि तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, (.....द्वारा विक्रय की पुष्टि कर दी जाने पर).....में तारीख.... को .....बजे नीलाम द्वारा मंजूर किया जाएगा ।

क्रेता, निष्पादित किए जाने वाले पट्टे के प्ररूप और स्थल-रेखांकों का निरीक्षण, सैन्य सम्पदा अधिकारी/छावनी बोर्ड कार्यालय में कर सकता है ।

सैन्य सम्पदा अधिकारी
कार्यपालक अधिकारी

विशिष्टियां

(1) वार्ड, सर्वेक्षण संख्यांक या सीमाएं
(2) क्षेत्रफल
(3) किराया
(4) पट्टे की अवधि*

भू-धृति की शर्तें

(1) पट्टेदार, पट्टे में विनिर्दिष्ट तारीखों को किराए का नियमित रूप से संदाय करेगा †(और उसका, कम से कम तीस वर्ष के अन्तरालों पर, पुनरीक्षण किया जा सकेगा) ।

(2) पट्टेदार, इसके साथ संलग्नक रेखांक में वर्णित और दर्शित विमाओं के अनुसार तथा छावनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन छावनी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित रूप में, स्थल पर भवन या भवनों के पट्टे के निष्पादन की तारीख से.....मास के भीतर, निर्माण करेगा और उक्त भवन या भवनों की अच्छी तरह मुरम्मत करते हुए उनका अनुरक्षण करेगा तथा सेना सम्पदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति के बिना उक्त भवन या भवनों में किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा ।

(3) स्थल या उस पर निर्मित किए जाने वाले किसी भवन या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे की सूचना, ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे की तारीख से एक मास के भीतर, सेना सम्पदा अधिकारी को दी जाएगी ।

(4) राष्ट्रपति, स्थल पर या उसके नीचे किसी भी वर्णन के सभी खनिज, खनिज पदार्थ, रेत या मिट्टी तथा स्थल पर इस समय या भविष्य में उगने वाली सभी इमारती लकड़ी और फलदार वृक्षों को अपने लिए आरक्षित करते हैं, किन्तु वृक्षों की गिरी हुई शाखाएं, फल या पत्ते और सेना सम्पदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति से वृक्ष की काटी गई शाखाएं, ऐसे आरक्षित नहीं हैं ।

(5) यदि सेना सम्पदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की राय में पट्टेदार की ओर से पालन और निवर्हन की जाने वाली किसी शर्त को भंग किया जाता है तो राष्ट्रपति स्थल और भवन या भवनों में, यदि कोई निर्मित किए गए हैं, प्रवेश करके उनका कब्जा ले सकेंगे और पट्टा समाप्त कर सकेंगे तथा इस बाबत पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

विक्रय की शर्तें

(1) सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, पट्टे के विक्रय के लिए कमान आफिसर कमांडिंग इन चीफ छावनी बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, क्रेता होगा और यदि दो या अधिक बोली लगाने वालों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे स्थल को अन्त में अविवादित बोली पर पुनः नीलाम किया जाएगा, विक्रय के समय बोली बढ़ाने में कोई भी व्यक्ति नीलामकर्ता द्वारा नियत की गई राशि से कम राशि की वृद्धि नहीं करेगा तथा बोली वापस नहीं लेगा । विक्रेता को बोली लगाने का अधिकार होगा ।

*यहां लिखें कि पट्टा नवीकरण योग्य है या नहीं ।
†यदि पट्टा तीस वर्ष से कम की अवधि के लिए है और नवीकरण योग्य नहीं है तो कोष्ठक में दिए गए भाग को काट दें ।

(2) क्रेता, विक्रय के पश्चात् नीलामकर्ता को अग्रिम धन और अपने क्रय-धन मद्दे, अपनी बोली की 10 प्रतिशत रकम तुरन्त जिम्मा करेगा और इन शर्तों के अनुसार अपने क्रय को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए करार प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा ।

(3) क्रय धन की शेष राशि का संदाय और क्रय की पूर्ति, सेना सम्पदा आफिसर, छावनी बोर्ड में ..... द्वारा विक्रय की पुष्टि से तीस दिन के भीतर, कर दिया जाएगा । यदि विक्रय की पुष्टि नहीं की जाती है तो विक्रेता को उक्त राशि वापस कर दी जाएगी ।

(4) विशिष्टियों में स्थल के दिए गए वर्णन पर विश्वास किया गया है और उसे सही समझा जाएगा तथा यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उससे विक्रय व्यावित नहीं होगा और न ही उस बारे में कोई प्रतिकर अनुज्ञात किया जाएगा ।

(5) यदि क्रेता इन शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो विक्रेता उसकी निक्षिप्त राशि समपहृत कर लेगा और वर्तमान विक्रय के क्रेता को कोई सूचना देकर या उसके बिना लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा करके, ऐसे स्थल का पुनः विक्रय कर सकेगा और यदि दूसरे विक्रय से कोई नुकसान होता है तो उसकी तथा ऐसे दूसरे विक्रय के प्रभारों की पूर्ति ऐसे विक्रय के तुरंत पश्चात्, वर्तमान विक्रय के व्यतिक्रमी को करनी होगी और यदि वह असंदेह रह जाता है तो विक्रेता उसकी वसूली क्रेता से परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में कर सकेगा । यदि ऐसे पुनर्विक्रय से कोई लाभ होता है तो विक्रेता उसे प्रतिधारित करने का हकदार होगा ।

(6) स्थल का उपयोग, ... के लिए भवन के निर्माण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, नहीं किया जाएगा ।

ज्ञापन—उक्त स्थल का, जिसकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, पट्टा आज तारीख .....को नीलाम विक्रय द्वारा किया गया, जिसमें श्री .....ने. .....रुपए की सर्वोच्च बोली दी थी और उन्हीं को, ...द्वारा विक्रय की पुष्टि के अधीन रहते हुए, उक्त स्थल का क्रेता घोषित किया गया है और उक्त श्री.....ने निक्षेप और क्रय धन के भागतः संदाय के रूप में .....रुपए की राशि, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्यरत श्री ....को संदत्त कर दी है और इसके द्वारा वह उपरोक्त शर्तों के अनुसार क्रम पूरा करने का तथा इसके साथ उपाबद्ध प्ररूप* में (जिसके अधीन विक्रय की पुष्टि की तारीख से किराया संदेय होगा) पट्टा निष्पादित करने का करार करता है तथा विक्रेता के अभिकर्ता के रूप में उक्त....., इसके द्वारा उक्त निक्षेप की प्राप्ति अभिस्वीकृत करता है ।

आज तारीख .. .. को .....छावनी में इस पर हस्ताक्षर किए गए ।

.....

हस्ताक्षर

* निर्धारित किए जाने वाले पट्टे का प्ररूप हस्ताक्षर के पूर्व, इस ज्ञापन से उपाबद्ध करें ।

अनुसूची 11

[नियम 31 (2) देखिए]

लोक प्रयोजन के लिए अनुकूल निबंधनों पर भवन का शाश्वत पट्टा

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में .....(जिसे इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख..... को किया गया। छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 280 के अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर .....छावनी बोर्ड (जिसे इसमें आगे "छावनी बोर्ड" कहा गया है) ने पट्टाकर्ता की ओर से इसमें आगे वर्णित भूखण्ड, इसमें आगे उल्लिखित रीति में .....के निर्माण के लिए, पट्टेदार को पट्टांतरित करने का करार किया है।

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि इसमें आगे आरक्षित किराए के और पट्टेदार की ओर से की गई इसमें आगे दी गई प्रसंविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को वह सम्पूर्ण भूखण्ड अंतरित करता है जो.....छावनी में..... .....में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल .....है। इस भूखंड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखण्ड के लिए उस भूखण्ड की सीमाएं, इस विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा गया है। इस भूखण्ड का अंतरण, भूखंड में या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित परिसर को तारीख.....से शाश्वत रूप में धारण करेगा। यह अन्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार उक्त भूखण्ड के लिए वार्षिक किराए के रूप में .....रुपए का अग्रिम रूप में संदाय, सभी कटौतियों से मुक्त रूप में .....छावनी बोर्ड के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर करेगा जो छावनी बोर्ड समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। ऐसा प्रथम संदाय आगामी .....को किया जाएगा।

I. पट्टेदार पट्टाकर्ता से प्रसंविदा करता है कि वह :—

(1) पट्टाकर्ता को इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराए का संदाय, उन तारीखों को और उस रीति में करेगा जो इसमें इसके पूर्व नियत की गई है।

(2) समय-समय पर और सभी समयों पर हर प्रकार के ऐसे सभी रेटों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उसके संबंध में भू-स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे के जारी रहने के दौरान इसके बाद किसी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए गए हों या किए जाएं।

(3) इस करार की तारीख के पश्चात् से .....कलैण्डर मास के भीतर वह अपने ही खर्च पर, छावनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन छावनी बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किए जाने वाले नक्शों के अनुसार, इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर .....का परिनिर्माण करेगा और उसे उपयोगी दशा में प्रस्तुत करेगा और इसके द्वारा अन्तरित परिसर या उसके किसी भाग पर, कमान के आफिसर कमांडिंग इन चीफ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसा कोई भवन निर्माण नहीं करेगा जो निर्मित किए जाने के लिए इसके द्वारा प्रसंविदा किए गए भवन से भिन्न या उसके सिवाय है।

(4) उक्त .....के नक्शे या उत्थापन में, यथापूर्वोक्त सम्मति के बिना, कोई परिवर्तन नहीं करेगा और .....के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उसका न तो प्रयोग करेगा और न करने की अनुज्ञा ही देगा।

(5) उक्त .....को और परिसर को सदैव यथावश्यक अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा और इस पट्टे की समाप्ति पर उसका कब्जा पट्टाकर्ता को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में वापस करेगा।

(6) इसके द्वारा अन्तरित परिसर या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अन्तरण या उपपट्टे की सूचना, ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उपपट्टे के एक कलैण्डर मास के भीतर, सेना सम्पदा आफिसर को देगा, जिसमें ऐसे समनुदेशन अन्तरण या उपपट्टे के पक्षकारों के नाम और वर्णन तथा अन्य प्रविष्टियां और उसका प्रभाव दर्शित किया जाएगा।

II. परन्तु यह सदैव कि यदि इसके द्वारा आरक्षित किराए का कोई भाग, उसके शोध्य हो जाने की तारीख के पश्चात् से एक कलैण्डर मास तक बकाया या असंदत्त रह जाता है, चाहे उसके लिए मांग की गई हो या नहीं, अथवा यदि इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का, पट्टेदार द्वारा या उसकी सम्मति या उसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भंग किया जाता है तो ऐसे मामले में पट्टाकर्ता, किसी पूर्वगत हेतु या पुनः प्रवेश के अधिकार के अधित्यजन के होते हुए भी, इसके द्वारा अन्तरित परिसर के किसी भाग में या उस पर बने भवन में समग्र रूप में प्रवेश कर सकेगा और तब उक्त परिसर और भवन पट्टाकर्ता के उपयोग में और उसमें निहित रहेगा और यह अंतरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

III. परन्तु यह भी कि इसमें इसके पहले प्रयुक्त पद "राष्ट्रपति" और "पट्टेदार" के अन्तर्गत, जब तक कि ऐसा निर्वचन संदर्भ के प्रतिकूल न हो, पूर्व कथित, पद की दशा में उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती है तथा पट्टेदार के अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है।

ऊपर उल्लिखित अनुसूची

उक्त सम्पूर्ण भू-भाग .....में स्थित है और छावनी के साधारण भूमि रजिस्टर में सर्वेक्षण संख्या.....के रूप में (भागतः) दर्ज है। उसकी सीमाएं निम्नलिखित है :—

उत्तर में

दक्षिण में

पूर्व में

पश्चिम में

इसके साक्ष्यस्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

.....ने .....

1. ..... हस्ताक्षर

2. .....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उक्त श्री.....ने

1. .....

2. ....

हस्ताक्षर

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

टिप्पणी:— पट्टे के निष्पादन से पूर्व केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली जाए।

छावनी 7-अ. (भाग I)
(छावनी बोर्ड—एकल पट्टा)

अनुसूची 8
[नियम 28(1) देखिए]

तीस वर्ष की अवधि के लिए भवन का पट्टा जिसका पट्टेदार के विकल्प पर नब्बे वर्ष तक के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में——————(जिसे इसमेंआगे "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख——————को किया गया। छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर——————छावनी बोर्ड (जिसे इसमें आगे "छावनी बोर्ड" कहा गया है) ने पट्टेकर्ता की ओर से——————द्वारा पुष्टि कर दी जाने पर इसमें आगे वर्णित भू-भाग का पट्टा, पट्टेदार के पक्ष में, इसमें आगे बताई गई रीति में, करने का करार किया है।

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन के पूर्व दिए गए——————रुपए के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) के और इसमें आगे आरक्षित किराए के तथा इसमें आगे दी गई और पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को वह सम्पूर्ण भूखण्ड अन्तरित करता है जिसका क्षेत्रफल ——————है और जो——————छावनी में——————में स्थित है। इस भूखण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखण्ड की सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शित की गई है और उसमें रंग भरा गया है। इस भूखण्ड का अन्तरण, भूखण्ड के या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित परिसर को तारीख——————से शाश्वत रूप में धारण करेगा किन्तु इस अन्तरण के अन्तर्गत, इस करार द्वारा अंतरित परिसर में या उसके नीचे सभी प्रकार की खान, खनिज, खनिज पदार्थ बालू और मिट्टी नहीं हैं जो पट्टाकर्ता के लिए आरक्षित हैं और जिनकी बाबत उसे ऐसे सभी कार्य और बातें करने के सभी अधिकार और पूर्ण स्वतन्त्रता है जो उनकी खुदाई, खनन, अभिप्राप्ति, हटाए जाने और उपयोग के लिए आवश्यक या समीचीन हैं किन्तु यह तब जब पट्टेदार को हुए नुकसान के लिए उचित प्रतिकर दिया जाए और ऐसी सब टिम्बर, फलदार वृक्ष और अन्य वृक्ष (किन्तु छावनी बोर्ड की लिखित सहमति से तोड़े गए फलों, पत्तियों या वृक्षों की गिरी हुई शाखाओं को छोड़कर) भी, उन्हें चिह्नांकित करने, काटने, गिराने और ले जाने के लिए परिसर में प्रवेश करने के अधिकार सहित, उसके अन्तर्गत नहीं है। पट्टेदार को उक्त परिसर का पट्टा तारीख——————से 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है किन्तु यह तब जब पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान वार्षिक किराए के रूप में छावनी बोर्ड के कार्यालय में या उस स्थान पर, जो छावनी बोर्ड इस निमित्त समय-समय पर नियत करे, सभी कटौतियों से मुक्त में, संदाय प्रत्येक वर्ष——————को और——————को बराबर की छमाही किस्तों में करे। ऐसी प्रथम किस्त का संदाय——————की——————तारीख को किया जाएगा।

I. पट्टेदार, पट्टाकर्ता से प्रसंविदा करता है कि वह,—

(1) पट्टाकर्ता को, इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराए का संदाय, उन तारीखों को और उस रीति में करेगा जो इसमें इसके पूर्व नियत की गई है।

(2) समय-समय पर और सभी समय हर प्रकार के ऐसे सभी रेटों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू-स्वामी या अधिधारी पर इस समय या इस पट्टे की उक्त अवधि के दौरान इसके पश्चात् किसी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं।

(3) छावनी बोर्ड की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी किसी टिम्बर, फलदार वृक्षों या अन्य वृक्षों को नहीं काटेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर इस समय उगे हैं या बाद में उगें, अपितु उनका भली प्रकार अनुरक्षण करेगा।

(4) छावनी बोर्ड की लिखित सहमति के बिना और उसके द्वारा विहित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पर के सिवाय, इसके द्वारा अन्तरित भूमि में कोई उत्खनन नहीं करेगा या उक्त भूमि से कोई खनिज, खनिज पदार्थ चाहे वे किसी भी वर्णन के हों, बालू या मिट्टी नहीं हटाएगा।

(5) इस करार की तारीख के पश्चात्——————कलैन्डर मास के भीतर अपने ही खर्च पर, इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर, छावनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन छावनी बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित नक्शों के अनुसार निवास उपयोग के लिए निवास गृहों का, उनके बहिर्गृहों, मलानलियों, नालियों और अन्य अनुलग्नकों का निर्माण करेगा और उन्हें उस प्रयोजन के लिए सुव्यवस्थित करेगा। साथ ही इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर, कमान के आफिसर कमांडिंग इन चीफ की लिखित पूर्व सहमति के बिना, निर्मित किए जाने के लिए इसके द्वारा प्रसंविदाकृत निवास गृहों से भिन्न और उसके सिवाय, कोई निर्माण न तो करेगा और न करने देगा।

(6) यथापूर्वोक्त सहमति के बिना उक्त निवास गृहों के नक्शे या उन्नादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और ऐसे गृहों का निवासीय प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए न तो उपयोग करेगा और न करने की अनुज्ञा देगा ।

(7) उक्त अवधि के दौरान सभी समयों पर उक्त निवास गृहों और परिसर को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा और उक्त अवधि की समाप्ति या पूर्वतर समाप्ति पर उनका कब्जा पट्टाकर्ता को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में, सौंप देगा ।

(8) इसके द्वारा अन्तरित परिसर या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अन्तर या उपपट्टे की सूचना लेखा सम्बद्ध अधिकारी को ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उपपट्टे के एक कलैण्डर मास के भीतर देगा, जिसमें ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उपपट्टे के पक्षकारों के नाम और वर्णन तथा अन्य प्रविष्टियां और उनका प्रभाव दर्शित किया जाएगा ।

II. परन्तु यह भी कि यदि इसके द्वारा आरक्षित किराए का कोई भाग, उसके शोध्य होने की तारीख के पश्चात् से एक कलैण्डर मास तक बकाया या असंदत्त रह जाता है, चाहे उसके लिए मांग की गई हो या नहीं, अथवा यदि इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का, पट्टेदार द्वारा या उसकी मार्फत या उसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भंग किया जाता है तो ऐसे मामले में पट्टाकर्ता, किसी पूर्वतन हेतुक या पुनर्प्रवेश के अधिकार के अधित्यजन के होते हुए भी, इसके द्वारा अन्तरित परिसर के किसी भाग में या उस पर बने भवन में प्रवेश कर सकेगा और तत्पश्चात् से परिसर और भवन पट्टाकर्ता के प्रभोग में और उसमें निहित रहेंगे और यह अन्तरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

III. परन्तु यह और कि इसके द्वारा मंजूर की गई अवधि की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् समय-समय पर मंजूर की जाने वाली उत्तरोत्तर प्रत्येक अतिरिक्त अवधि की समाप्ति पर पट्टाकर्ता पट्टेदार के अनुरोध पर उसे इसके द्वारा मंजूर किए गए परिसर का तीस वर्ष की अवधि के लिए नया पट्टा, नवीकरण के रूप में, मंजूर कर सकेगा किन्तु ऐसे मंजूर की गई नवीकृत अवधि या अवधियों का, पट्टे की मूल अवधि सहित योग सब्बे वर्ष से अधिक नहीं होगा और ऐसे नवीकृत पट्टे, मूल पट्टे या तत्समय प्रवृत्त पट्टे के अधीन आरक्षित किराए के पचास प्रतिशत से अनधिक उतने वर्धित किराए पर दिए जा सकेंगे जो पट्टाकर्ता अवधारित करे । इस प्रकार आरक्षित किए जाने वाले किराए की रकम और तद्द्वारा मंजूर की जाने वाली अवधि के अधीन रहते हुए, इसके द्वारा अन्तरित उक्त परिसर के नवीकृत पट्टे में, इस करार में अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं, उपबन्धों और शर्तों में से ऐसी प्रसंविदाएं आदि सम्मिलित की जा सकेंगी जैसा लागू होती हों ।

IV. परन्तु यह और भी कि इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त पद "पट्टाकर्ता" और "पट्टेदार" के अन्तर्गत, जब तक कि ऐसा निर्वचन संदर्भ के प्रतिकूल न हो, "पट्टाकर्ता" की दशा में उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती और "पट्टेदार" की दशा में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं ।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

उक्त सम्पूर्ण भू-भाग————————पर स्थित है और छावनी के साधारण भूमि रजिस्टर म, सर्वेक्षण संख्यांक ————————के (भाग) रूप में दर्ज है । उसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

उत्तर में————————
दक्षिण में————————
पूर्व में————————
पश्चिम में————————

इसके साक्ष्यस्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ————————ने

————————
हस्ताक्षर

1.
2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

उक्त श्री————————ने

1.
2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

————————
हस्ताक्षर

टिप्पण :—पट्टे के निष्पादन से पूर्व कलक्टर/कमांड के आफिसर कमांडिंग इन चीफ/केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली जाए ।

अनुसूची 3ख
(उन क्षेत्रों में जहां भाटक नियंत्रण विधि प्रवृत्त है, भवन किराए पर लेने के लिए करार)

यह पट्टा विलेख एक पक्षकार के रूप में श्री————————, जिनकी जाति————————और उपजीविका ————————है तथा जो इस समय————————के निवासी हैं (जिसे इसमें इसके आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है और जिसके अन्तर्गत, जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है (और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति) जिन्हें इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख————————को किया गया।

1. इसके द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है :—

इसमें आगे आरक्षित किराए और इसमें अन्तर्विष्ट अन्य शर्तों के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता————————नामक और————————पर स्थित अपनी शहरी/ग्रामीण भूमि, उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति और परिसर को, उस पर खड़े भवनों, परिनिर्माणों, वृक्षों, फिक्सचरों और फिटिंगों सहित (जिसे इसमें आगे "उक्त परिसर" कहा गया है और जो अनुसूची "क" में अधिक विशिष्टि रूप से वर्णित है तथा इस विलेख के साथ संलग्न रेखांक में लाल रेखा से दर्शित किया गया है) पट्टेदार को किराए पर देने का करार करता है और इसके द्वारा देता है।

2. यह पट्टा तारीख————19————से आरम्भ होगा और इसके निबंधनों के अधीन रहते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए चालू रहेगा।

3. (i) पट्टेदार इसके निबंधनों के अधीन रहते हुए, उक्त परिसर के लिए————रुपए की दर से (——— रुपए प्रतिमास) किराए का संदाय करेगा जो प्रतिमास उत्तरवर्ती मास की 10 तारीख तक संदेय होगा। यदि इसके द्वारा सृजित अवधि, इसके खण्ड 2 और 10 में उपबंधित रूप में समाप्त कर दी जाती है तो पट्टेदार ऐसी समाप्ति की तारीख तक के लिए ही किराए का संदाय करेगा।

(ii) पट्टाकर्ता, शोध्य किराए के लिए, रसीद सहित बिल तीन प्रतियों में खण्ड 3(i) में अनुबंधित तारीख से कम-से-कम दस दिन पूर्व, प्रस्तुत करेगा। यदि वह/वे रसीद सहित तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने में असफल रहता है/रहती है/रहते हैं या किराया प्राप्त करने के लिए स्वयं उपस्थित नहीं होता है/होती है/होते हैं/या अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त नहीं करता है/करती है/करते हैं/तो पट्टेदार, पाने वाले के खाते क्रास चैक द्वारा ऐसा किराया रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज सकेगा और यह पट्टेदार द्वारा किराए का संदाय समझा जाएगा। किराए का संदाय, पट्टाकर्ता की जोखिम, जिम्मेदारी और खर्च पर, मनीआर्डर द्वारा भी किया जा सकेगा।

4. उक्त परिसर पर विद्यमान और ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची "क" में यथादर्शित फिक्सचर और फिटिंग परिसर में सम्मिलित समझी जाएंगी और पट्टेदार, इसके द्वारा सृजित अवधि या नवीकरण की अवधि की समाप्ति पर खण्ड 10 के अधीन रहते हुए उक्त परिसर, जिसके अन्तर्गत उसके फिक्सचर और फिटिंग भी हैं, वैसी ही अच्छी हालत में सौंपेगा जिसमें उसने उसे प्राप्त किया था, किन्तु उसमें उचित टूट-फूट, अग्नि, दैवकृत, बल्वे या किसी अन्य सिविल अशांति, शत्रु-कार्य और/या ऐसे अन्य कारणों से से हुई क्षति सम्मिलित नहीं है, जो पट्टेदार के नियंत्रण से परे है, परन्तु पट्टेदार किसी ऐसी संरचनात्मक क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इसके द्वारा सृजित अवधि या किसी नवीकृत अवधि के दौरान हो।

5. पट्टेदार, किरायेदारी के जारी रहने के दौरान उक्त परिसर का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए करने का हकदार होगा।

6. पट्टाकर्ता सभी प्रकार के ऐसे रेटों, करों, निर्धारणों, प्रभारों का और अन्य सभी प्रकार की देनदारियों का भुगतान करेगा, जो कानून के अधीन प्रथमतः पट्टाकर्ता पर उद्ग्रहणीय है और उक्त परिसर को इस बाबत सभी विल्लंगमों और हस्तक्षेपों से मुक्त रखेगा। प्रथमतः अधिभोगी पर उद्ग्रहणीय सभी रेटों और करों का संदाय सरकार करेगी।

7. पट्टेदार, इस विलेख के जारी रहने के दौरान उक्त परिसर में उपयोग की गई पावर, बिजली, गैस और पानी की बाबत सभी प्रभारों का संदाय करेगा। पट्टेदार, संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त सभी बिल, उनकी प्राप्ति से एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा और पट्टाकर्ता से उनकी प्राप्ति के पश्चात् से एक मास के भीतर, उनका भुगतान करेगा।

8. पट्टाकर्ता, उक्त परिसर के पट्टेदार के अधिभोग के दौरान, सभी समयों पर अपने खर्च पर,—

(i) सभी भवनों, परिसर तथा उसकी बाहरी दीवारों, छत और भवन के बाह्य भागों, मल निकासों, सिस्टर्नों गैस और जल पाइपों, विद्युत तथा अन्य संस्थापनों, चार दीवारी और उस पर के बाड़ों और उसके सभी फिक्सचरों तथा परिवर्धनों को पट्टेदार के समाधानप्रद रूप में अच्छी किराए योग्य और यथाशक्य मरम्मत हुई की दशा में रखेगा; और

(ii) ऐसे सभी संकर्म निष्पादित करेगा जो उक्त परिसर को स्वास्थ्यकर और अच्छी मरम्मत की दशा में रखे जाने के लिए आवश्यक है : परन्तु यदि पट्टाकर्ता, पट्टेदार से लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् से पन्द्रह दिन के भीतर पट्टेदार के समाधानप्रद रूप में ऐसी मरम्मत और/या संकर्म निष्पादित करने में असफल रहता है तो पट्टाकर्ता को अधिकार होगा कि वह पट्टेदार के खर्च पर ऐसी आवश्यक मरम्मत और/या कार्य निष्पादित करा ले और उसके पूरे खर्च की (जिसमें पर्यवेक्षण और/या विभागीय व्यय भी सम्मिलित हैं) इस विलेख के अधीन पट्टाकर्ता को शोध्य किसी राशि से, पट्टाकर्ता के अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कटौती कर ले किन्तु यदि यह कटौती किराए में से की जाती है तो ऐसी कटौती की रकम उस रकम से जो सम्पत्ति को लागू भाटक नियंत्रण विधि के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक वर्ष में की जा सकती है या एक मास के किराए से, दोनों में से जो भी अधिक हो उससे, अधिक नहीं होगी अथवा ऐसी सफलता के आधार पर पट्टे को अकृत और शून्य मान ले किन्तु यह और कि जहां पट्टाकर्ता या उसके सम्यक् रूप से प्रत्यायित प्रतिनिधियों की राय में उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा या उसके अधिभोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऊपर निर्दिष्ट प्रकृति की मुरम्मत तत्काल की जानी आवश्यक है या जहां पट्टेदार की राय में, पट्टाकर्ता या उसके अधिकर्ताओं या कर्मकारों की अपेक्षित मरम्मत के लिए उक्त परिसर में प्रविष्टि अनुज्ञात करना लोकहित के विरुद्ध है तो वहां पट्टेदार, पट्टाकर्ता को सूचना दिए जाने के पश्चात्, ऐसी मरम्मत करवा सकेगा और उसका खर्च (जिसमें पर्यवेक्षण और विभागी व्यय भी सम्मिलित हैं) इस विलेख के अधीन पट्टाकर्ता को शोध्य किसी रकम से या अन्यथा, जो पट्टेदार ठीक समझे, वसूल कर सकेगा किन्तु शर्त यह होगी कि इस प्रकार कटौती की जाने वाली रकम इस प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति को लागू भाटक नियंत्रण विधि के अधीन एक वर्ष में कटौती की जा सकने वाली या एक मास के किराए की रकम से, दोनों से जो भी अधिक हो, उससे नहीं होगी ।

9. पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा सृजित अवधि और किसी नवीकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय, विद्यमान भवनों में ऐसी संरचनात्मक परिनिमितियां कर सकेगा और उक्त परिसर में ऐसे भवन या प्रतिष्ठापन या अन्य संकर्म परिनिर्मित कर सकेगा और ऐसी फिटिंगें और फिक्सचर लगा सकेगा जो वह ठीक समझे । परन्तु सर्वदा यह कि ऐसे भवन, प्रतिष्ठापन या अन्य संकर्म, फिटिंग और फिक्सचर पट्टेदार की सम्पत्ति बने रहेंगे और वह इस पट्टे की या उसके नवीकरण की अवधि को समाप्ति पर उन सबको हटा सकेगा और अपने उपयोग में ला सकेगा । परन्तु यह और कि पट्टेदार उक्त परिसर को, उसी स्थिति में जैसी में वह इस विलेख के प्रारम्भ की तारीख को थी, वापस सौंप देगा किन्तु उचित टूट-फूट और अग्नि से या किसी अन्य कारणवश, जो पट्टेदार के नियंत्रण से परे था, हुए नुकसान को ध्यान में नहीं लिया जाएगा या पट्टेदार अपने विकल्पानुसार उसके लिए प्रतिकर दे सकेगा । परन्तु यह भी कि ऐसा प्रतिकर इस विलेख की समाप्ति पर या पर्यवसान की तारीख को परिसर के मूल्य से अधिक नहीं होगा किन्तु यह तब जब उसका संरचनात्मक स्वरूप और मरम्मत की दशा वही ही जो पट्टे के प्रारम्भ के समय थी ।

10. यदि बल, दैवकृत, बलवे या अन्य सिविल अशांति, शत्रुकार्य और/या पट्टेदार के नियंत्रण के परे किसी अन्य कारणवश उक्त परिसर या उसका कई भाग रहने योग्य नहीं रह जाता है तो पट्टेदार को तत्संबंधी किराया देने से निर्मुक्त किया जा सकता है और उस दशा में पट्टेदार, इस खंड के अधीन संकर्म, फिटिंग, फिक्सचर और मशीनरी हटाने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस विलेख को समाप्त कर सकेगा ।

11. पट्टेदार उक्त परिसर के अपने अधिभोग के कारण उत्पन्न किसी लाभ की या गुडविल की हानि के लिए या यथापूर्वोक्त उक्त परिसर की बाबत संदेय किराए से भिन्न प्रतिकर की किसी रकम के लिए, जिम्मेदार नहीं होगा और पट्टाकर्ता इस बाबत कोई दावा नहीं करेगा ।

12. पट्टाकर्ता पट्टेदार से यह करार करता है कि यदि पट्टेदार इसमें आरक्षित किराए का संदाय करता है और पट्टेदार की ओर से पालन और अनुपालन की जाने वाली इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों और अनुबन्धों का अनुपालन और पालन करता है तो पट्टेदार, उक्त परिसर को शांतिपूर्वक धारण और उसका उपयोग कर सकेगा तथा उक्त अवधि के दौरान पट्टाकर्ता या उसकी ओर से या माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसमें कोई रुकावट या विघ्न नहीं डालेगा ।

13. पट्टेदार इस पट्टे को समाप्त करने के अपने आशय की पट्टाकर्ता को एक मास की लिखित पूर्व सूचना देकर यह पट्टा किसी भी समय समाप्त कर सकेगा ।

14. यदि इस विलेख के अधीन या उक्त परिसर के संबंध में पट्टेदार को दी जाने वाली सभी सूचनाएं पट्टाकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक से पट्टेदार की ओर से रक्षा सम्पदा अफिसर को भेज दी जाती हैं तो यह समझा जाएगा कि वह पट्टेदार को सम्यक्तः दे दी गई हैं और यदि पट्टाकर्ता को दी जाने वाली कोई सूचना पट्टेदार की ओर से रक्षा सम्पदा आफिसर को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दी जाती है (और यदि पट्टाकर्ता एक से अधिक हों तो उनमें से किसी एक को उनके अन्तिम ज्ञात पते पर) तो यह समझा जाएगा कि वह पट्टाकर्ता को सम्यक्तः दे दी गई है ।

15. इसमें इसके पूर्व अन्यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, पट्टेदार की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और की जाने वाली सभी कार्रवाइयां रक्षा सम्पदा आफिसर या ऐसा कोई आफिसर, जिसे उस समय उक्त रक्षा सम्पदा आफिसर के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हैं, दे सकेगा या कर सकेगा।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

उत्तर में——————————

दक्षिण में ——————————

पश्चिम में——————————

पूर्व में—————————— ।

इसके साक्ष्यस्वरूप पट्टेदार और पट्टाकर्ता (र० स० भा०) ने राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को यह विलेख निष्पादित किया।

नामित पट्टेदार ने,

(i)——————————

(ii)—————————— हस्ताक्षर

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री——————————ने

(i)——————

(ii)—————— हस्ताक्षर

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

तुला मशीनों की मरम्मत और ओवरहॉल किए जाने की संविदा की बाबत निविदा-आमन्त्रण का प्ररूप

नौसैनिक स्थापन कोचीन/अलवाई/कोयम्बतूर में तुला मशीनों की सर्विस के लिए निविदा

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

द्वारा

फलैग आफिसर कमांडिंग,

दक्षिण नौसैनिक क्षेत्र,

कोचीन।

मैं/हम भारत के राष्ट्रपति की (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) ओर से और अन्य प्रकार की तुला मशीनों की देखभाल/मरम्मत/रखरखाव संबंधी कार्य के बारे में प्रति संविदा निरीक्षण के लिए प्रीमियम के रूप में शुद्ध ———— रु० (———— रुपए) के संदाय के प्रतिफलस्वरूप ———— से ———— तक की अवधि के दौरान छमाही या सरकार द्वारा वस्तुतः अपेक्षित रूप में, इस संविदा (जिसके अन्तर्गत इसमें अन्तर्विष्ट और उससे उपाबद्ध कोई अनुसूची और "विनिर्देश और शर्तें" भी हैं) या स्वीकृति पत्र में (जो संयुक्ततः संविदा गठित करते हैं और जिन्हें आगे "संविदा" कहा गया है) विनिर्दिष्ट शर्तों और अनुबन्धों के अधीन रहते हुए, निरीक्षण करने का वचन देता हूं/देते हैं। उक्त अवधि बारह मास से कम नहीं होगी और सरकार अपने विकल्पानुसार उसे, उसकी समाप्ति पर नवीकृत कर सकेगी किन्तु ऐसा नवीकरण एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया जाएगा। कम्पनी संविदा के अधीन निरीक्षित/मरम्मत की गई प्रत्येक मशीन के लिए, ऐसी मशीनों को पूर्णतः चालू हालत में लाए जाने से पूर्व, प्रभार पाने की हकदार होगी। आरम्भिक मरम्मत की बाबत ऐसे सभी प्रभार, अनुसूची में दर्शित दरों के अनुसार प्रथम प्रीमियम के साथ देय होंगे और वे अनावर्ती होंगे।

2. मैं/हम अर्धवार्षिक रूप में प्रत्येक मशीन की सभी प्रकार जांच करूंगा/करेंगे, टूटफूट को ठीक करूंगा/करेंगे और सभी खराबियों और दोषों को, बढ़ने से पहले ही, ठीक करूंगा/करेंगे और अन्ततः मशीन में समायोजन करूंगा/करेंगे और शुद्धता के लिए उसका परीक्षण करूंगा/करेंगे। ऐसी सेवाएं बिना किसी पारिश्रमिक के, उस प्रीमियम को छोड़कर जो इसमें ऊपर उल्लिखित है, की जाएंगी।

3. सरकार को, मेरे/हमारे नियमित निरीक्षणों के बीच किसी भी अवसर पर कोई अतिरिक्त प्रभार दिए बिना, मुझे/हमें बुलाने का अधिकार होगा और मेरी/हमारी सलाहकार-सेवा सरकार को सदैव उपलब्ध रहेगी।

4. उक्त नियमित अर्धवार्षिक निरीक्षणों के अतिरिक्त मैं/हम ऐसे समयों पर और स्थान पर (संविदा की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में), जो सरकार या संविदा मंजूर करने वाला आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई आफिसर निदिष्ट करे, मशीनों का, अपने खर्च पर निरीक्षण करूंगा/करेंगे।

5. इसमें उल्लिखित प्रीमियम न केवल नीचे विनिर्दिष्ट चालू मूल पुर्जों में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत के लिए है अपितु वह उनकी यथावश्यक बदली करने और फिटिंग के लिए भी है :—

"सभी छुर धार (नाइफ एज्ड) केन्द्र, इस्पात या एगेट वियरिंग, पिटवां लोहा पाश, पिटवां लोहा युग्मक, पिटवां लोहा इस्पात पाए आदि और स्टे, प्रतितुला, लम्बित राड, रिबन, रबड़, नट, बोल्ट और पेंच।"

ऊपर उल्लिखित पुर्जों से भिन्न पुर्जों की बदली के लिए प्रभार चालू दर पर प्रभारित किए जाएंगे।

6. सरकार अपनी ओर से संविदा के क्रियान्वयन के लिए ऐसे किसी आफिसर को प्राधिकृत कर सकेगी जिसे वह नियुक्त करना चाहे और मैं/हम तथा मेरे/हमारे अभिकर्ता ऐसे आफिसर (या उसके/उनके प्रतिनिधि द्वारा) संविदा के संबंध में दिए गए अनुदेशों का उसी प्रकार अनुपालन करूंगा/करेंगे मानो वे स्वयं सरकार ने दिए हों।

7. मैं/हम मशीनों का निरीक्षण और उनकी मरम्मत आदि प्रायः स्थापनों में ही करूंगा/करेंगे किन्तु यदि आवश्यक समझा जाता है तो, मशीनों को मरम्मत आदि के लिए मेरे/हमारे डिपों में भी ले जाया जा सकेगा। मेरे/हमारे डिपो में मशीनों की सर्विस और मरम्मत उन्हीं दरों पर की जाएगी जो अनुसूची में कथित हैं। स्थापनों में मशीनों का निरीक्षण सामान्यतः कार्य घंटों के दौरान, अर्थात्, 10.00 बजे प्रातः से 5.00 बजे सांय-काल के दौरान, किसी भी कार्य दिवस पर तथा सार्वजनिक छुट्टी को छोड़ कर शनिवार को 10.00 बजे प्रातः से 1.00 बजे अपराह्न के बीच किया जाएगा।

मैं/हम मशीनों को अपने डिपो में तब ले जाऊंगा/जाएंगे जब स्थापन उसके लिए अकुशल श्रमिक उपलब्ध करेगा। यदि मशीन/मशीनों का कंपनी के डिपो में ले जाया जाना आवश्यक है तो सरकारी परिवहन उपलब्ध करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थापन/कार्यालय की होगी।

8. मैं/हम, अग्रिम धन के रूप में संविदा के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से स्टाफ प्रदाय आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन के पक्ष में निक्षिप्त ———————— रु० (———————— रुपए) की बैंक रसीद इसके साथ भेज रहा हूं/रहे हैं। इसे सरकार उस दशा में प्रतिकर के रूप में प्रतिधारित कर सकेगी जब मैं/हम, अपेक्षा की जाने पर, औपचारिक संविदा। विलेख निष्पादित करने और संविदा के अनुमानित मूल्य के ———— प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति, जो भारत सरकार के बचतपत्रों और/या प्रान्तीय या नगरपालिका के डिबेन्चरों निक्षेप के समय उनके बाजार मूल्य पर, पत्तन न्यास बंधपत्रों, डाकघर नकद प्रमाणपत्रों, जिस मूल्यों पर वे क्रय किए गए हों, भारतीय स्टेट बैंक की नकदी रसीदों, आवश्यक डाकघर प्रतिभूति निक्षेप पत्रों के साथ, डाकघर बचतपत्र पुस्तिका के रूप में हो सकेगी, निक्षेप करने के लिए इस निविदा की स्वीकृति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर मुख्यालय, दक्षिण नौसेना क्षेत्र, को चीन में हाजिर होने में असफल रहता हूं/रहते हैं। नकद रकम सेना प्राप्य आदेशों पर सरकारी खजाने/भारतीय स्टेट बैंक में भी जमा की जा सकती है। उक्त सेना प्राप्य आदेश फ्लैग आफिसर कमांडिंग, दक्षिण नौसेना क्षेत्र, कोचीन से प्राप्त किए जा सकते हैं। नकदी के रूप में जमा किए गए निक्षेप पर सरकार कोई ब्याज नहीं देगी।

9. मैं/हम यह संविदा या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को, सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, न तो अन्तरित करूंगा/करेंगे और न उसका प्रयत्न ही करूंगा/करेंगे।

10. इस संविदा के निबन्धनों के अधीन मेरे/हमारे द्वारा सरकार को देय सभी धन या प्रतिकर मेरे/हमारे प्रतिभूति निक्षेप के पर्याप्त भाग के विक्रय से या उस पर उद्भूत ब्याज से अथवा ऐसी किसी राशि से काटा जा सकेगा या प्राप्त किया जा सकेगा जो उस समय मुझे/हमें इस संविदा के अधीन या किसी अन्य लेखे सरकार से शोध्य हो या शोध्य हो जाएं। यदि यथापूर्वोक्त कटौती या विक्रय के कारण मेरा/हमारा प्रतिभूति निक्षेप कम हो जाता है अथवा ऐसे प्रतिभूति निक्षेप के रूप में धारण किए जाने की अवधि के दौरान ऐसी रसीदों या प्रतिभूतियों का मूल्य कम हो जाता है तो मैं/हम, मुझसे/हमसे ऐसी अपेक्षा की जाने की तारीख से दस दिन के भीतर, ऐसी कमी की पूर्ति कर दूंगा/देंगे और प्रतिभूति निक्षेप की रकम यथापूर्व कर दूंगा/देंगे। अन्यथा सरकार को यह संविदा, कोई सूचना दिए बिना, समाप्त करने का अधिकार होगा।

11. सरकार किसी प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी हुए बिना इस संविदा को मुझे/हमें लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकती है:—

(i) यदि मैं/हम अपनी संविदा, सरकार के लिखित अनुमोदन के बिना, समनुदेशित करता हूं/करते हैं या उपपट्टे पर देता हूं/देते हैं अथवा उसका प्रयत्न करता हूं/करते हैं ;

(ii) यदि मैं/हम या मेरा/हमारा कोई अभिकर्ता या सेवक :—

(क) इस संविदा या सरकार के साथ मेरे/हमारे द्वारा की गई किसी अन्य संविदा के संबंध में कपट का दोषी पाया जाता है ;

(ख) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी आफिसर या व्यक्ति को, जो सरकार के नियोजन में है, ऐसे आफिसर या व्यक्ति के पद या नियोजन के संबंध में कोई रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलब्धि, इनाम या फायदा, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, देता है, देने का वचन देता है या उसकी प्रस्थापना करता है।

(iii) यदि इस पैरा के उपपैरा (ii) (ख) में उल्लिखित कोई आफिसर या व्यक्ति इस संविदा से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हितबद्ध हो जाता है ;

(iv) यदि मैं/हम या मेरा हमारा अभिकर्ता या सेवक किसी अनुदेश, मांग या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करता है, उसकी अपेक्षा करता है या उसमें विलम्ब करता है या किसी अन्य रूप में इस संविदा की किसी शर्त का पालन या अनुपालन करने में असफल रहता है ;

(v) यदि कंपनी के समापन के लिए कोई आदेश सम्यक्तः कर दिया जाता है अथवा कोई संकल्प सम्यक्तः पारित कर दिया जाता है।

ऐसी समाप्ति की दशा में मेरे/हमारे प्रतिभूति निक्षेप (या उसका कोई ऐसा भाग जो संविदा मंजूर करने वाला आफिसर ठीक या पर्याप्त समझे) सरकार को तुरन्त समपहृत हो जाएगा और वह पूर्णतः उसके व्ययनाधीन हो जाएगा। ऐसे समपहरण आदि का किसी ऐसे अन्य उपचार या कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो सरकार करने का विनिश्चय करे। यह भी करार किया जाता है कि इस खंड के अर्थान्वयन के प्रयोजन के लिए यह संविदा ऐसी संविदा समझी जाएगी जिसमें, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अपवाद के अधीनतर्गत जनता हितबद्ध है।

12. इसमें किसी बात के होते हुए भी और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा प्रवर्तन आफिसर प्रतिकर के रूप में हमसे ऐसी कोई राशि वसूल कर सकेगा जैसी वह उचित समझे, --

(i) यदि संविदा के अधीन मुझे/हमें न्यस्त कोई माल खो जाता है, नुकसानग्रस्त हो जाता है या उसका अवक्षयण हो जाता है किन्तु यह तब जब ऐसे खोना, नुकसानग्रस्त होना या अवक्षयण दैव कृत्य के कारण न हुआ हो,

(ii) यदि मैं/हम इस संविदा के किसी निबन्धन या शर्त के पालन या अनुपालन में असफल रहता हूं/रहते हैं।

13. मेरे/हमारे व्यय पर किए क्रम या व्यवस्था के संबंध में मुझसे/हम से वसूली, पैरा 11 या 12 के अधीन संविदा प्रवर्तन आफिसर के आदेश और उक्त पैरा 12 के अधीन संविदा मंजूर करने वाले आफ़िसर द्वारा संविदा समाप्त करने के लिए आदेश की बाबत विनिश्चय के विरुद्ध अपील लिखित रूप में मेरे/हमारे द्वारा, ऐसे विनिश्चय या आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे आफ़िसर से ठीक वरिष्ठ आफ़िसर को की जा सकेगी और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम तथा पक्षकारों पर आबद्धकर माना जाएगा। यदि ऐसी अपील की अधिसूचना अव्यवहित वरिष्ठ आफ़िसर को उक्त अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो प्रश्नगत मूल विनिश्चय या आदेश अन्तिम तथा पक्षकारों पर आबद्धकर माना जाएगा।

14. इस संविदा के अधीन किसी भी सेवा के लिए अग्रिम रूप में मुझे/हमें कोई संदाय नहीं किया जाएगा।

15. सेवाओं के स्वीकार कर लिए जाने पर, मैं/हम सरकार के उचित आफ़िसर से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र पाने का हकदार होऊंगा/होंगे कि ऐसी सेवाएं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं जिससे कि ऐसी सेवाओं के संबंध में चुंगी-शुल्क के लिए मेरे/हमारे द्वारा संदत्त रकम मैं/हम वापस प्राप्त कर सकूं/सकें, परन्तु यह तब जब ऐसी वापसी उस विधि के अधीन अनुज्ञेय हो जिसके अधीन ऐसा चुंगी-शुल्क उद्गृहीत किया गया है।

16. यदि संविदा के चालू रहने के दौरान, उसके अधीन प्रदाय की जाने वाली किसी वस्तु या वस्तुओं के विनिर्देश परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो मैं/हम नए विनिर्देशों के अनुसार ऐसी वस्तु या वस्तुओं का प्रदाय ऐसी दरों पर करता रहूंगा/करते रहेंगे जो ऐसे परिवर्तन के समय लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से तय हों और यदि ऐसी कोई पारस्परिक सहमति नहीं होती है तो संविदा, जहां तक कि उसका संबंध या उस वस्तु या उन वस्तुओं से है जिसके या जिनके संबंध में ऐसी सहमति नहीं हुई है, विखण्डित कर दी जाएगी किन्तु ऐसे किसी परिवर्तन का प्रभाव संविदा के अधीन किन्हीं अन्य वस्तुओं के प्रदाय पर नहीं पड़ेगा या मुझे/हमें उसके लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा।

17. ———————————— रु० (————————————रुपए) के प्रीमियम का संदाय, न कि प्रति संविदा निरीक्षण के अनुसार, बिलों के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर देय होगा।

मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम, संबंधित पुर्जों के प्रदाय के आगामी मास की 20 तारीख के अपश्चात्, इस संविदा के खंड 5 में उपबंधित रूप में अन्य पुर्जों की बदली के संबंध में संविदा मंजूर करने वाले आफिसर को अपना बिल, जिनके समर्थन में वाउचर (अध्यपेक्षाएं और प्राप्तियां) भी संलग्न किए जाएंगे और जो संविदा प्रवर्तन आफिसर से प्राप्त किए गए मुद्रित प्ररूपों में तैयार किए जाएंगे, दो प्रतियों में प्रस्तुत करूंगा/करेंगे और इन बिलों को भेजने पर होने वाला डाक व्यय, मैं/हम वहन करूंगा/करेंगे।

यदि पहले चुकता कर दिए गए मेरे/हमारे बिल या बिलों में किसी अधिक प्रभार (ओवरचार्ज) का पता लगता है तो इस प्रकार अधिक प्रभारित रकम की वसूली या तो संदाय के लिए तत्पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले मेरे/हमारे बिलों से की जा सकती है या फिर मैं/हम मांग की जाने पर, संविदा मंजूर करने वाले आफिसर को ऐसे अधिक प्रभार की संपूर्ण रकम संदत्त करूंगा/करेंगे। यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो ऐसी रकम ऐसे किसी धन से, मुझे/हमें शोध्य हो, अथवा मेरे/हमारे प्रतिभूति निक्षेप से, काटी जा सकेगी।

चैक की प्राप्ति मेरे/हमारे द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर अभिस्वीकार की जाएगी। यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहता हूं/रहते हैं या विलम्ब करता हूं/करते हैं तो डाक से चैक भेजे जाने का मेरा/हमारा विशेषाधिकार समपहृत किया जा सकेगा।

18. यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किसी बल के संदाय में से ऐसी कोई कटौती की जाती है जो साधारण लेखा परीक्षा संबंधी आक्षेप और उक्त पैरा 11 और 12 के अधीन वसूलियों से, जिन पर अन्तिम विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है, संबंधित नहीं है तो ऐसी कटौती के विरुद्ध मैं/हम ऐसे अन्तिम विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लिखित रूप में अपील संविदा मंजूर करने वाले आफिसर को कर सकूंगा/सकेंगे। जिस पर उसका विनिश्चय मुझे/हमें अन्तिम रूप से स्वीकार्य होगा। यदि ऐसी कटौती वापस ले ली जाती है और ऐसे काटी गई रकम के लिए नए बिल प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी दे दी जाती है तो मैं/हम संविदा मंजूर करने वाले आफिसर को ऐसा नया बिल, सभी आवश्यक समर्थक वाउचरों सहित, ऐसे विनिश्चय के किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तुत करूंगा/करेंगे और ऐसा न किए जाने पर कटौती किया गया बिल मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपयुक्त बिल समझा जाएगा।

19. (i) यदि ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें यह संविदा की गई है, कमांडिंग कमोडोर, दक्षिण नौसेना क्षेत्र, कोचीन द्वारा आपातकाल स्थिति आदिष्ट कर दी जाती है और संविदा के अधीन अपेक्षित सेवाओं पर नियंत्रण, सिविल या सैनिक प्राधिकारियों द्वारा, ग्रहण कर लिया जाता है तो मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संविदा के प्रयोजन के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन और उनके माध्यम से करूंगा/करेंगे और इसके लिए मैं/हम सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं डालूंगा/डालेंगे, अर्थात् संविदा के अधीन सेवाओं के लिए मूलतः निविदत्त दरों में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा/करेंगे ।

(ii) इसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि सैनिक स्थिति के कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाता है तो संविदा मंजूर करने वाला आफिसर इस संविदा को किसी भी समय मुझे/हमें साठ दिन की लिखित सूचना देकर, समाप्त कर सकता है और उस दशा में मैं/हम उस लेखे किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होऊंगा/होंगे ।

(iii) यदि ऐसी आपातस्थिति संविदा के प्रवृत्त रहने के दौरान और संविदा अवधि की समाप्ति के 61 दिन के भीतर आदिष्ट की जाती है तो मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि, यदि संविदा मंजूर करने वाला आफिसर चाहे तो संविदा की समाप्ति के लिए मूलतः नियत तारीख के पश्चात् 61 दिन तक यह संविदा प्रवृत्त रहेगी ।

(iv) कमांडिंग कमोडोर, दक्षिण नौसेना क्षेत्र, कोचीन वह तारीख विनिश्चित करेगा जिसमें संविदा के अन्तर्गत वाले क्षेत्र में आपात स्थिति विद्यमान है और यह कि सैनिक स्थिति के अनुसार संविदा की समाप्ति आवश्यक है या नहीं। ऐसी तारीख मुझे/हमें लिखित रूप में सूचित की जाएगी और मैं/हम ऐसे विनिश्चय को अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर मानने का करार करता हूं/करते हैं।

20. मैं/हम अभिस्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उन शर्तों और परिस्थितियों की, जिनमें संविदा के अधीन अपेक्षित सेवाएं की जानी हैं या प्रस्तुत की जानी हैं और संविदा के सभी निबन्धनों, खंडों, शर्तों, विनिर्देशों और अन्य ब्यौरों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और यदि मेरे/हमारे द्वारा की गई सेवाओं के प्रति कोई आक्षेप किया जाता है या वे अस्वीकार कर दी जाती हैं तो मैं/हम इनमें से किसी की अनभिज्ञता को न तो प्रतिहेतुक के रूप में प्रस्तुत करूंगा/करेंगे और न संविदा में करार की गई दरों में वृद्धि के लिए या संविदा के अधीन अपनी किसी बाध्यता से बचने के लिए प्रतिहेतुक बनाऊंगा/बनाएंगे ।

21. इसमें जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके अधीन रहते हुए, सरकार की ओर से दी जाने वाली सूचनाएं और सरकार की ओर से की जाने वाली सभी कार्यवाहियां, संविदा मंजूर करने वाले आफिसर अथवा ऐसे किसी आफिसर द्वारा, जिसे संविदा मंजूर करने वाले उक्त आफिसर के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां तत्समय न्यस्त की गई हों, सरकार की ओर से दी या की जा सकेंगी ।

22. इस संविदा से उत्पन्न या इससे किसी भी रूप में संबंधित सभी विवाद या मतभेद ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे जिनका नामनिर्देशन भारत सरकार के उस मन्त्रालय के, जो ऐसे विवाद या मतभेद के समय इस संविदा के संबंध में प्रशासनिक कार्य कर रहा हो, सचिव द्वारा या यदि कोई सचिव न हो तो उस मंत्रालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा किया गया है। ऐसी किसी नियुक्ति के बारे में यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी सेवक है, उसे उन विषयों के संबंध में कार्य करना पड़ा है जिनका संबंध इस संविदा से है और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी या सभी विषयों में अपना मत व्यक्त कर चुका है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और संविदा के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस संविदा का एक निबन्धन यह भी है कि यदि वह मध्यस्थ, जिसे मामला मूल रूप में निर्देशित किया गया है, स्थानान्तरित हो जाता है या अपना पद त्याग देता है या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे स्थानान्तरण, पदत्याग या कार्य करने में असमर्थता के समय उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान किसी अन्य व्यक्ति को, इस संविदा के निबन्धनों के अनुसार, मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को हक होगा कि वह ऐसे निर्देश में उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही आरम्भ करे जिस पर उसके पूर्वाधिकारी ने उसे छोड़ा है। इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि उक्त सचिव या मंत्रालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा।

पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, इस खंड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 लागू होगा ।

साक्षी के हस्ताक्षर	निविदाकार के हस्ताक्षर या चिह्न
नाम————	स्थान————
व्यवसाय————	तारीख————
पता————	

वचन बंध

(तीन प्रतियों में)

मैं, ——————————, जो किराए पर लिए गए मकान सं०——————————दिल्ली/नई दिल्ली का आबंटिती हूं, वचनबंध करता हूं कि मैं :—

(क) उक्त मकान के आबंटन की अवधि के दौरान सभी विद्युत/जल प्रभार नियत तारीखों का चुकता कर दूंगा।

(ख) विद्युत/जल के उपभोग के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली विकास प्राधिकरण से या स्वामी से विशेष बिल प्राप्त करूंगा और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को मकान का खाली कब्जा सौंपने के पूर्व उस बाबत देय राशियों का संदाय कर दूंगा।

(ग) परिसर खाली कर दिए जाने के पश्चात् भी विद्युत/जल के संयुक्त/त्रुटिपूर्ण मीटरों की दशा में प्रदायकर्ता या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किए गए उपभोग-निर्धारण को स्वीकार करूंगा, भले ही पहले बेबाकी प्रमाणपत्र मुझे जारी किया जा चुका हो।

(घ) मकान में मेरे ठहरने के दौरान यदि दैरक का कोई नुकसान होता है तो के० लो० नि० वि० द्वारा यथा निर्धारित लागत का संदाय करूंगा।

(ङ) स्थानांतरण होने/बाहर तैनात कर दिए जाने/सेवानिवृत्त आदि होने पर अपना नया पता मु० प्र० अ० क्यू० II को सूचित करूंगा।

मैंने स्पष्टतः समझ लिया है कि मेरा उपर्युक्त वचनबंध देय राशियों की, मांग की जाने पर, मेरे वेतन से वसूली के लिए मेरी अशर्त सम्मति के रूप में प्रवृत्त होगा। मैंने यह भी स्पष्टतः समझ लिया है कि मु० प्र० अ० द्वारा "बेबाकी प्रमाणपत्र" का जारी किया जाना इस बात के अधीन है कि मैं उपर्युक्त बाध्यताओं की पूर्ति करूंगा।

हस्ताक्षर——————————
रैंक और नाम——————————
व्यक्तिगत सं० ——————————
लेखा सं० ——————————
कार्यालय का पता ——————————
——————————
टेलीफोन ——————————

तारीख—— ——————————

करार

यह करार, एक पक्षकार के रूप में श्री/श्रीमती——————————, जिसे इसमें आगे "अनुज्ञापक" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक और समनुदेशिती भी हैं और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है, के बीच आज तारीख——————को किया गया। अनुज्ञापक दिल्ली/नई दिल्ली स्थित मकान/फ्लैट सं०—————— का स्वामी है और अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञापक से उक्त मकान/फ्लैट के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाने के लिए अनुरोध किया है और अनुज्ञप्तिधारी को उक्त क्रय-करार के निबंधनों और शर्तों से अवगत करा दिया गया है और उसने उक्त मकान/फ्लैट और उसमें लगे फिक्सचरों और फिटिंगों को देख लिया है और अनुज्ञापक उक्त संपूर्ण मकान/फ्लैट का जिसमें उपाबद्ध सूची के अनुसार भवन और उसमें के परिनिर्माण, फिक्सचर और फिटिंग समाविष्ट हैं, उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को, इसमें आगे यथा उल्लिखित अवधि, अनुज्ञप्ति फीस, निबंधनों और शर्तों पर देने के लिए सहमत हो गया है।

यह करार इस बात का साक्षी है और इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. अनुज्ञापक मकान/फ्लैट सं०——————और उसमें फिक्सचर और फिटिंगों का (जिसे इसमें आगे उक्त मकान/फ्लैट कहा गया है) अधिभोग और उपभोग करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को इजाजत और अनुज्ञप्ति प्रदान करता है और अनुज्ञप्तिधारी उसे स्वीकार करता है। यह इजाजत और अनुज्ञप्ति——————से प्रारंभ होकर ग्यारह मास की अवधि के लिए है और अनुज्ञप्तिधारी को विकल्प होगा कि वह——————तक अनुज्ञप्ति का दो बार नवीकरण करा सकता है। वह ऐसा नवीकरण अनुज्ञापक को पूर्वोक्त अवधि या उसके विस्तार की समाप्ति के एक मास पूर्व इस आशय की सूचना देकर, करा सकता है। किन्तु अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त अवधि या उसके किसी विस्तार की समाप्ति के पूर्व करार समाप्त करने के अपने आशय को अभिव्यक्त करते हुए अनुज्ञापक को लिखित रूप में एक मास की पूर्व सूचना देकर, करार समाप्त कर सकता है।

2. अनुज्ञापक अनुबंधित अवधि और उसके विस्तार की समाप्ति के पश्चात् न तो इस करार के नवीकरण के लिए आबद्ध है और न उसके लिए कोई कारण बताने के लिए आबद्ध है।

3. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापक द्वारा रसीद सहित बिल प्रस्तुत किए जाने पर अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप में——————रु० (केवल——————रुपए) की राशि अनुज्ञापक को संदाय करेगा। अग्रिम संदाय, इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति या पूर्वतर समाप्ति तथा सम्पत्ति का कब्जा लौटाए जाने के साथ ही, समायोजित/वापस कर दिया जाएगा।

उक्त अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी उक्त मकान/फ्लैट में प्रयुक्त विद्युत और जल के उपभोग के लिए सभी प्रभारों का संदाय करेगा। सभी अन्य प्रभारों का संदाय अनुज्ञापक करेगा। अनुज्ञापक उक्त मकान/फ्लैट के लिए विद्युत और जल के मीटरों की पृथक्-पृथक् व्यवस्था करेगा और जहां ऐसा नहीं किया जाता है वहां अनुज्ञापक उक्त मकान/फ्लैट के लिए विद्युत और जल के बिलों का संदाय करके उनका दावा अनुज्ञप्तिधारी से या तो आनुपातिक आधार पर करेगा या फिर उक्त मकान/फ्लैट के किराए पर दिए जाने के समय परस्पर तय पाए गए आधार पर करेगा।

अनुज्ञापक यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि बिल सही आधार पर तैयार किए जाएं, विद्युत और जल मीटर सभी सदैव अच्छी और चालू हालत में रखेगा। अनुज्ञापक मीटरों की, चाहे वे अलग-अलग हों चाहे संयुक्त, आवश्यक मरम्मत बदली की व्यवस्था, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो लिखित सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, करेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर अनुज्ञापक उस अवधि के लिए, जिसमें मीटर खराब रहते हैं, अंतिम रूप से तैयार किए गए बिलों के आधार पर विद्युत और जल प्रभारों का संदाय करेगा। और मीटरों की मरम्मत/बदली के पश्चात् नियमित बिल प्राप्त होने पर ही अनुज्ञाप्तिधारी से प्रतिपूर्ति का दावा करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान उक्त मकान/फ्लैट का प्रयोग किसी भी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत उसके कर्मचारी द्वारा परिसर का अधिभोग भी है, करने का हकदार होगा और उक्त मकान/फ्लैट और उसमें लगे वह फिक्सचरों और फिटिंगों का उसी प्रकार प्रयोग करेगा कि जिस प्रकार कि कोई बुद्धिमान स्वामी अपनी संपत्ति का करता है किन्तु उचित टूट-फूट और महाबल के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। अनुज्ञापक को या यदि अनुज्ञापक नई दिल्ली/दिल्ली का निवासी नहीं है तो उसके अभिकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी मरम्मत, जिसके अन्तर्गत खराब हुए नलों, बंद नालियों आदि की मरम्मत और वार्षिक सफेदी जैसा अनुरक्षण कार्य और ऐसी मरम्मत भी है जो उक्त सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के अतिरिक्त आवश्यक हो जाए और जो अनुज्ञप्तिधारी लिखित सूचना में विनिर्दिष्ट करे, ऐसे समय के भीतर कराए जो उसमें उल्लिखित किया जाए। यदि अनुज्ञापक का उसका अभिकर्ता सूचना के अनुसरण में कोई मरम्मत कराने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी सूचना में विनिर्दिष्ट मरम्मत अनुज्ञापक के खर्च पर, करा सकेगा और उसका खर्च, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापक को संदेय अनुज्ञप्ति फीस में काट सकेगा। मरम्मत के खर्च के बारे में के० लो० नि० वि० द्वारा किया गया निर्धारण या अनुमोदन अन्तिम रूप से स्वीकार्य होगा। भवन, फिक्सचरों, फिटिंगों आदि को हुए किसी नुकसान के कारण होने वाले नुकसान और पारिणामिक आवश्यक मरम्मत की माता तथा ऐसी मरम्मत कराने के लिए दायी पक्षकार, के बारे में के० लो० नि० वि० के संबद्ध इंजीनियरों के निष्कर्ष अंतिम और अनुज्ञापक पर आबद्धकर होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी उक्त मकान/फ्लैट के संपूर्ण, या ऐसे किसी भाग की बाबत, जो अग्नि, दैवेकृत्य, बलवा या अन्य नागरिक उपद्रव, शत्रु-कार्य और/या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारणवश रहने लायक नहीं रह गया है अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने से मुक्त हो जाएगा और ऐसे मामलों में, संदेय अनुज्ञप्ति फीस तदनुसार प्रभारित कर दी जाएगी या अनुज्ञप्तिधारी अपने विकल्पनानुसार संकर्म, फिटिंग, फिक्सचर और मशीनरी हटाने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस करार को तुरंत समाप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे सम्पूर्ण मकान या उसके किसी भाग की बाबत, जो के० लो० नि० वि० की राय में ऐसी मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों के कारण, जिन्हें अनुज्ञापक, लिखित रूप में उसे दी गई सूचना में विहित अवधि के भीतर, करवाने में असफल रहता है, अधिभोग के लिए अनुपयुक्त है, अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने से भी छूट प्राप्त हो जाएगी। इस प्रयोजन के लिए प्रभावी अवधि उस तारीख से, जिसको सूचना अनुज्ञापक को जारी की जाती है, प्रारंभ होकर उस तारीख को समाप्त होगी जिसको मकान स्वयं अनुज्ञापक द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई व्यवस्था के अधीन पुनः अधिभोग योग्य हो जाता है और के० लो० नि० वि० तद्विषयक प्रमाणन कर देता है।

6. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान, उक्त मकान/फ्लैट या उसके किसी भाग को उपपट्टे पर या शिकमी पट्टे पर नहीं देगा या उसका कब्जा विलग नहीं करेगा और न ही उसमें कोई सशुल्क अतिथि गृह चलाएगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापक की लिखित सहमति के बिना उक्त मकान/फ्लैट के मुख्य प्रवेश द्वार का ताला नहीं बदलेगा। अनुज्ञापक उक्त मकान/फ्लैट के मुख्य प्रवेश द्वार की चाबियां अनुज्ञप्तिधारी को सौंप देगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी उक्त मकान/फ्लैट में निवास के लिए आवश्यक फर्नीचर, वस्तुएं और चीजें ला सकेगा और इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति या पर्यवसान पर या इसके पूर्व उन्हें वहां से हटा सकेगा।

9. अनुज्ञापक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता और कर्मकार अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 48 घंटे की पूर्व सूचना देकर, दिन में उचित समय पर उक्त मकान/फ्लैट की दशा का निरीक्षण करने और मरम्मत तथा अनुरक्षण कराने के लिए उक्त मकान/फ्लैट में प्रवेश करने के हकदार होंगे और अनुज्ञप्तिधारी उन्हें ऐसा प्रवेश अनुज्ञात करेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी अपनी उपेक्षा के कारण उक्त मकान/फ्लैट या उसके किसी भाग या उसमें के फिक्सचरों या फिटिंग को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए सभी खर्चों और व्ययों का संदाय करने के लिए जिम्मेदार और दायी होगा और वह उस बाबत अनुज्ञापक को सभी प्रकार क्षतिपूरित रखेगा।

11. उक्त मकान/फ्लैट का प्रयोग ऐसे उचित रूप में किया जाएगा कि उससे अनुज्ञापक या उन भवनों के, जिनमें उक्त मकान/फ्लैट का अनुज्ञापक, अन्य फ्लैटों के स्वामियों के साथ, स्वामी है, अन्य भागों के अभिभोगियों के लिए न्यूसेंस या क्षोभ कारित न हो। अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर भवन के या भवन में फ्लैटों के प्रयोग के संबंध में विधि द्वारा यथा अधिकथित सभी नियमों, शर्तों, प्रसंविदाओं, अनुबंधों, और विनियमों का पालन और अनुपालन करेगा और उनके किसी अनुपालन/भंग के लिए अनुज्ञापक को क्षतिपूरित रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी उस भवन के, जिसका उक्त फ्लैट एक भाग है, स्वामियों द्वारा अधिकथित नियमों और शर्तों के अनुसार लिफ्टों का प्रयोग करने का हकदार होगा।

12. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात से, अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी के बीच, कोई पट्टान्तरण, अभिधृति या उप-अभिधृति का गठन नहीं होगा और न ही इससे उक्त मकान/फ्लैट या उसके किसी भाग में अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में अभिधृति के किसी अधिकार या किसी अधिकार या हित या हक का सृजन होगा। इसके पक्षकारों का अभिव्यक्तः यह आशय है कि यह मात्र अनुज्ञप्ति है।

13. अनुज्ञप्तिधारी यह वचनबंध करता है कि वह, इसके द्वारा अनुदत अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर या पूर्वतर समाप्त कर दी जाने पर, उक्त मकान/फ्लैट से अधिभोगियों सहित अपना या अपने अधिकारियों या अन्य सहयुक्त व्यक्तियों का फर्नीचर, फिटिंग, वस्तुएं और चीजें हटा लेगा और उक्त मकान/फ्लैट का कब्जा और उसमें लगे फिक्सचर और फिटिंग उचित टूट-फूट को छोड़कर, वैसी ही अच्छी स्थिति में सौंप देगा जैसी में उसने वे प्राप्त की थीं।

14. यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने में या इस करार के किसी उपबंध का सम्यक् रूप से पालन या अनुपालन करने में कोई भंग करता है तो अनुज्ञापक इस करार के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति समाप्त करने की एक मास की लिखित सूचना देकर इस अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकेगा और सूचना की ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी और तब अनुज्ञप्तिधारी उक्त मकान/फ्लैट और उसमें लगे फिक्सचरों और फिटिंगों का शांतिपूर्ण कब्जा अनुज्ञापक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को सौंप देगा।

15. अनुज्ञापक उन सभी निबंधनों और शर्तों का, जिन पर वह उक्त मकान/फ्लैट धारण करता है, पालन और अनुपालन करेगा और उसकी बाबत उन दायित्वों और बाध्यताओं को छोड़कर जिनका इस करार के अधीन पालन और अनुपालन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना है, अपने सभी दायित्वों और बाध्यताओं का निर्वहन करेगा।

16. इस करार की विषय-वस्तु से या उसके संबंध में या इस करार से अन्यथा उत्पन्न होने वाला विवाद या मतभेद, को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें अन्यथा उपबंध किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सी व्यक्ति को, उसके एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और ऐसे मध्यस्थ का विनिश्चय निश्चायक और के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध और तत्समय प्रवृत्त उसके कोई कानूनी तरण ऐसे माध्यस्थम् को लागू होंगे।

17. अनुज्ञप्तिधारी इस विलेख पर संदेय स्टांप शुल्क का वहन करेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप अनुज्ञापक ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्यू) ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

उपर्युक्त श्री . . . . (अनुज्ञापक) ने

1. . . . .

2. . . . .

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :—

(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री. . . . . उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (क्यू) ने,

1. . . . .

2. . . . .

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

(हस्ताक्षर)

करार का उपाबंध

(भवन और परिनिर्माणों तथा फिक्सचरों और फिटिंगों की सूची)

मकान सं०————————

1. भवन और परिनिर्माण :
2. फिक्सचर और फिटिंग :

अनुज्ञापक (स्वामी) और कें० लो०नि० वि० के बीच हस्ताक्षरित तालिका के अनुसार

'——————————————''फिल्म के लिए तारीख——————————को किया गया करार ।

करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री——————————————जो श्री——————————————का पुत्र है, के बीच आज तारीख————————————को किया गया । श्री ——————————————, के एकमात्र स्वत्वधारी और निर्माता के रूप में ——————————————नाम और अभिनाम से, जिसका कार्यालय और कारबार का मुख्य स्थान——————————————————————————में है, चलचित्र के निर्माण का कारबार करता है और जिसे इसमें आगे "निर्माता" कहा गया है (जिसके अन्तर्गत उसका वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं) ।

निर्माता ने अपनी——————————————नामक फिल्म (जिसे इसमें आगे "फिल्म" कहा गया है) के निर्माण को सुकर बनाने के लिए सेना के अधिकारियों, सैनिकों और यानों की सेवाओं के लिए सरकार से अनुरोध किया है ।

सरकार उक्त प्रयोजन के लिए, इसमें आगे बताए गए निबंधनों और शर्तों पर, अपने अधिकारियों, सैनिकों और यानों को उपलब्ध करने के लिए सहमत हो गई है ।

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :—

1. सरकार निर्माता को——————————से——————————————तक की ————— की अवधि के लिए निम्नलिखित सहायता देवलाली में उपलब्ध करेगी :—

(i) एक सम्पर्क अधिकारी	(. . . . . के लिए)
(ii) अन्य रैंक के बीस अधिकारी (तोपखाना)	(. . . . . के लिए)
(iii) एक जीप और उसका ड्राइवर	(. . . . . के लिए)
(iv) तीन टन वाली आठ लारियां और उनके ड्राइवर	(. . . . . के लिए)

निर्माता और सम्पर्क अधिकारी परस्पर जो विनिश्चय करें उसके अनुसार फिल्मांकन देवलाली प्रशिक्षण केन्द्र के निकट 60 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर किया जाएगा ।

2. यदि सरकार किसी भी कारणवश किसी एक दिन या सभी दिन सैनिक यान अथवा उनमें से कोई एक या अधिक उपलब्ध करने में असमर्थ रहती है तो सरकार उस बाबत निर्माता को कोई भी प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं होगी और फिल्मांकन के लिए वैकल्पिक तारीखें निर्माता और सम्पर्क अधिकारी स्थानीय तौर पर तय कर सकते हैं ।

3. सैनिकों और यानों की सेवाएं और उनका उपयोग स्वयं निर्माता को उक्त फिल्म के निर्माण के प्रयोजन के लिए और उस प्रयोजन को अग्रसर करने के लिए ही उपलब्ध होगा ।

4. निर्माता फिल्मांकन का कार्य उन सभी दिनों में, जब किसी भी सैनिक सेवा का उपयोग किया जाता है, सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए तैनात सेना सम्पर्क अधिकारी के कड़े पर्यवेक्षण और आदेशों के अधीन करेगा ।

5. निर्माता दी गई अनुज्ञा, सुविधा और सहायता के प्रतिफलस्वरूप सरकार को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संदाय करेगा :—

(क) उपर्युक्त खण्ड 1 में उल्लिखित सैनिकों और यानों के उपयोग के लिए उन दरों पर प्रभार, जो सरकार ने नियत की हो या नियत करे ।

(ख) निर्माता सरकारी नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन सैनिकों के वेतन, भत्तों, राशन और अन्य हकों की प्रतिपूर्ति, जब वे उसी स्टेशन से लिए गए हों तो उस तारीख से जब से उनका उपयोग किया जाता है और जब वह बाहर के स्टेशन या स्टेशनों से लिए गए हों तो उस तारीख से जब वे अपने स्टेशन या स्टेशनों से हटते है, उस तारीख तक जब वे उसी या अन्य स्टेशन या स्टेशनों को लौटते हैं, सरकार को करेगा ।

यदि निर्माता किसी समय सैनिकों और उपस्कर आदि संबंधी अपनी आवश्यकता को रद्द या कम करना चाहता है तो वह ऐसा करने का हकदार होगा परन्तु ऐसा करने पर भी वह उक्त वेतन, भत्तों और सभी अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, यथास्थिति, उस स्थान या स्थानों से, जहां सैनिक उस समय तैनात थे जब निर्माता के फिल्मांकन कार्यक्रम के रद्द किए जाने की सूचना सेना प्राधिकारियों को प्राप्त हुई थी, और उस समय तक, जब तक सैनिक आदि अपने स्टेशन या या स्टेशनों पर वापस नहीं पहुंच जाते हैं, परिवहन और अन्य आनुषंगिक प्रभारों का संदाय करने के लिए दायी होगा । ऐसे प्रत्येक मामले में, सरकार द्वारा निर्धारित व्यय अंतिम और निर्माता पर आबद्धकर होगा ।

(ग) निर्माता, सरकार को उक्त प्रभारों के अतिरिक्त ऐसे व्ययों की, जो उसने (सरकार) सैनिकों और उनके उपस्करों के यूनिट लाइनों से शूटिंग के स्थानों तक और फिल्म रिकार्डिंग पूरा हो जाने के पश्चात् उसी स्टेशन या किसी अन्य स्टेशन या स्थान पर वापस संचलन और परिवहन के लिए, चाहे वह सड़क द्वारा हो या वायुमार्ग से हो, किए हैं तथा ऊपरी खर्च और प्रशासनिक प्रभारों की पूर्ति के लिए उक्त व्यय के पच्चीस प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगा। सरकार द्वारा निर्धारित व्यय अंतिम और निर्माता पर आबद्धकर होगा :

परन्तु यानों के मामले निर्माता, सरकारी यानों के उपयोग के लिए भाड़ा प्रभार का संदाय, सरकार द्वारा नियत दूरी-दर से करेगा किन्तु ऐसा संदाय निम्नलिखित अनुबंधों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) निर्माता द्वारा एक न्यूनतम दैनिक दर, जो सरकार द्वारा नियत की जाएगी, संदेय होगी।

(ii) यदि परिवहन का उपयोग ऐसे स्टेशन से किया जाता है जहां भाड़ा परिवहन संविदा विद्यमान है, तो वसूली की दरें (दूरी दरें तथा न्यूनतम दैनिक दरें) उन दरों से कम नहीं होंगी जो भाड़ा परिवहन संविदा के अधीन उसी प्रकार के यानों के भाड़े के लिए जाने के लिए निर्धारित दरों में उसका 10 (दस) प्रतिशत जोड़कर आती है।

(iii) इसके अतिरिक्त निर्माता, उसे दिए गए डीजल या पैट्रोल, स्नेहकों, गोला बारूद और खपत वाली अन्य वस्तुओं और सामान के पूरे मूल्य का संदाय, सरकार द्वारा की गई तौल और माप तथा किए गए निर्धारण के अनुसार, सरकार को करेगा।

6. यदि इस करार के अधीन फिल्मांकन में भाग लेने के कारण कार्य करते हुए सेना सम्पर्क अधिकारी और अन्य कोई सैनिक, जिसकी सेवाएं निर्माता को उपलब्ध कर दी गई हैं, क्षतिग्रस्त या किसी प्रकार नियोग्य हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो निर्माता, सरकार को उसकी चिकित्सीय और अस्पताली उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा। साथ ही निर्माता, उनकी पेंशन या कुटुम्ब पेंशंस के सभी अन्य प्रभारों तथा हकों का, जो सरकारी नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन उन्हें देय हों, संदाय करेगा।

7. निर्माता, अक्रियाशील हो जाने पर मिलने वाले उन फायदों के, जो सैनिकों और सम्पर्क अधिकारी या उनके आश्रितों को सरकारी नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं, सरकार द्वारा निर्धारित संराशित मूल्य का और ऐसी अन्य रकम का संदाय भी सरकार को करेगा जिसकी मांग सरकार, सेना सम्पर्क अधिकारी या सैनिकों की इस करार के अधीन भाग लेते समय, निर्माता के किसी व्यतिक्रम के कारण या अन्यथा, हुई मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में करे।

8. निर्माता भाग लेने वाले सैनिकों के उपयोग के लिए ऐसे सभी सामान, वस्त्र, हथियार, आयुध आदि या अन्य उपस्कर अपने खर्च पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। जो या तो विहित नहीं है या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। किन्तु निर्माता सरकार द्वारा दिए गए सरकारी सामान, शस्त्रों, आयुधों, हथियारों और उपस्कर में कोई उपांतरण, मरम्मत करने या उसकी बदली करने के लिए सरकार द्वारा यथानिर्धारित पूरा खर्च तथा उन मदों का खर्च भी संदत्त करेगा जो सेना की मदद और सहायता से दृश्यों के फिल्मांकन के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाएं या खो जाएं।

9. निर्माता, सैनिकों या उनके आयुधों, हथियारों और उपस्करों या यानों को उस समय जब वे निर्माता के सेवा में या उसके उपयोग में हों, हुई किसी क्षति, नुकसान या मृत्यु की बाबत सरकार के खर्च की पूर्ति करेगा। इसी प्रकार वह हथियारों, आयुधों और अन्य सभी उपस्करों की जिनमें यान भी सम्मिलित हैं ऐसी किसी हानि या नुकसान की भी पूर्ति करेगा, जो सरकार को पहुंचाया गया है या हुआ है। धन संबंधी कमी के लिए जो निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा वह अन्तिम और निर्माता पर आबद्धकर होगा।

10. निर्माता सेना की सहायता से की जाने वाली शूटिंग और फिल्मांकन की पूरी अवधि के लिए अखपतयोग्य उपस्कर (Non-Expendible Equipment) भाड़े पर लेगा और उसके लिए संदाय उक्त पैरा में यथा उपदर्शित उपयोग की पूरी अवधि के लिए करेगा। चाहे निर्माता ने उसका उपयोग किया हो या न किया हो। उक्त अवधि के दौरान, उक्त उपस्कर दैनिक प्राधिकारियों की अभिरक्षा में रहेंगे किन्तु प्रतिदिन सैनिक जब अपनी संबंधित यूनिटों को लौटेंगे उस समय सम्पूर्ण उपस्कर उसी हालत में होने चाहिएं जिस हालत में वे इस करार के अधीन सहायता के लिए दिए गए थे। उपस्कर की ऐसी हालत के संबंध में सरकार का विनिश्चय और उक्त उपस्करों को भाड़े की अवधि के दौरान हुई हानि, कमी या नुकसान के संबंध में सरकार के निष्कर्ष, अंतिम और निर्माता पर आबद्धकर होंगे और वह उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार करेगा।

11. निर्माता (कार्मिक, हथियारों, आयुधों, यानों तथा सामान और उपस्करों के अतिरिक्त उपयोग वाले अतिरिक्त दिनों के लिए या अन्यथा) ऐसी सहायता के खर्च का संदाय भी सरकार को करेगा जो वस्तुतः उस सहायता के अतिरिक्त दी जाए जिसके लिए उक्त खण्ड 1 में अभिव्यक्ततः उल्लेख किया गया है। इस बारे में कि क्या ऐसी अतिरिक्त सहायता दी गई और उस सहायता की मात्रा उसके खर्च के संबंध में, सरकार का विनिश्चय अन्तिम और निर्माता पर आबद्धकर होगा।

12. निर्माता ऊपर निर्दिष्ट संदायों के अतिरिक्त कुल रकम, अर्थात् इसमें इसके पूर्व उल्लिखित शीर्षों के अधीन संदेय सभी रकमों के योग के 10 (दस) के बराबर रकम का संदाय भी सरकार को सैनिकों के लिए करेगा। इसी प्रकार वह कुल रकम के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के बराबर रकम का संदाय, कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, करेगा।

13. निर्माता ऐसे दावों के विरुद्ध सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी समय पर व्यक्ति द्वारा किए जाएं या जो इसमें ऊपर बताए गए अनुसार सरकार द्वारा सहायता की जाने के कारण, सेना यानों के संचलन, गोला-बारूद या विस्फोटक के फायर किए जाने अथवा फिल्म के निर्माण में लगे रहने के दौरान सेना सम्पर्क अधिकारी और सैनिकों द्वारा भाग लिए जाने या सेना के किसी सदस्य की मृत्यु, उसे कारित नियोग्यताओं या क्षतियों के कारण, चाहे वे निर्माता या सरकार और/या उसके कर्मचारियों के कार्यों के कारण कारित हों, उत्पन्न हों। उक्त प्रयोजनों के लिए सैनिकों और सेना सहायता की अन्य सभी खपत अयोग्य मदों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उस समय से, जब वे अपनी यूनिटें उक्त प्रयोजन के लिए छोड़ते हैं, उस समय तक, जब वे उन यूनिटों में अंतिम रूप से वापस लौटते हैं, फिल्म के निर्माण में लगे रहे हैं। निर्माता, सैनिक सहायता का लाभ उठाने से पूर्व जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम से निम्नलिखित रूप में व्यापक बीमा अपने खर्च पर कराएगा :—

(i) सेना सम्पर्क अधिकारी ----------रुपए
(ii) प्रत्येक सेना कार्मिक के लिए ----------रुपए
(iii) सेना के तीन टन वाले प्रत्येक ट्रक के लिए ----------रुपए
(iv) सेना की प्रत्येक जीप के लिए ----------रुपए

ऐसा बीमा सेनासम्पर्क अधिकारी, सेना कार्मिक और सेना यानों, हथियारों और आयुधों की बाबत उपर्युक्त सभी जोखिमों के विरुद्ध कराया जाएगा। निर्माता ये बीमा पालिसियां भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में समनुदेशित करेगा और सरकार को परिदत्त करेगा। उपर्युक्त बीमा पालिसियों के होने से निर्माता का सरकार की पूरी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व, जैसा इसमें उपबंधित है, किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। बीमा पालिसी/पालिसियों, सैनिक सहायता से फिल्म के दृश्यों की शूटिंग पूरी हो जाने के पश्चात् एक मास की अवधि तक प्रभावी होगी/रहेंगी।

14. यदि निर्माता, अपने नियंत्रण से परे वाले कारणों को छोड़ कर, जिनकी बाबत एकमात्र निर्णायक सरकार होगी इसमें दिए गए निबंधनों और शर्तों में से किसी के अनुपालन में कोई भंग करता है और सरकार की लिखित सूचना में उल्लिखित समय के भीतर उसका उपचार नहीं करता है तो सरकार को यह हक होगा कि वह----------में दी गई सैनिक सहायता की बाबत निर्माता द्वारा किए गए उपर्युक्त भंग के लिए निर्माता से----------रु० (केवल----------रुपए) की राशि, परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में न कि शास्ति के रूप में, वसूल कर ले तथा निर्माता वह राशि सरकार द्वारा उस निमित्त मांग की जाने पर, तुरन्त देगा और ऐसा संदाय वह बिना किसी आपत्ति के तथा ऐसी अन्य रकम के अतिरिक्त करेगा जो इस करार के अधीन उसके द्वारा सरकार को संदेय है अथवा सरकार उक्त रकम इसमें आगे उल्लिखित बैंक में प्रत्याभूति से या इसके पैरा 18 में उल्लिखित रूप में निर्माता द्वारा जमा की गई रकम से वसूल कर सकेगी अथवा सरकार अपने एकमात्र विवेकानुसार इस करार को, अपने प्रोद्भूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर सकेगी। सरकार का इस बारे में विनिश्चय कि निर्माता ने उक्त निबंधनों और शर्तों में से किसी को भंग किया है या नहीं, अंतिम और निर्माता पर आबद्धकर होगा।

15. निर्माता फिल्म के विमोचन से पूर्व सरकार को वह लेख (यदि कोई हो), जिसमें निर्माता इस तथ्य का उल्लेख करना चाहता है कि फिल्म को सेना की सहायता और अनुमोदन प्राप्त हुआ है, सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। लेख के बारे में सरकार का विनिश्चय अंतिम और निर्माता पर आबद्धकर होगा।

16. निर्माता पूरी की गई फिल्म जिसके साथ ध्वनि भी होगी, उसके विमोचन से पूर्व सरकार द्वारा जांच और अनुमोदन के लिए, प्रस्तुत करेगा और उस फिल्म में से ऐसी घटना या ऐसे भाग को निकाल देगा जिसे सरकार अनुपयुक्त, अवांछनीय, अनुचित या अविवेकी समझे। इस विषय में सरकार का विनिश्चय अंतिम और निर्माता पर आबद्धकर होगा।

17. फिल्म के वे भाग, जिन्हें सरकार अनुमोदित नहीं करती है, सरकार की सम्पत्ति हो जाएगी और निर्माता उन्हें सरकार को सौंप देगा। सरकार को सौंपे गए फिल्म के उक्त भागों के लिए, जिनमें उनके निगेटिव और पोजेटिव भी सम्मिलित हैं, सरकार कोई संदाय करने या प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं होगी और उसे यह हक होगा कि वे जैसा उचित समझे वैसे उनका उपयोग करे या उन्हें नष्ट कर दे।

18. इस करार के निबंधनों के अधीन निर्माता द्वारा किए जाने वाले संदायों की पूर्ति के लिए निर्माता ने नियंत्रक, रक्षा लेखा दक्षिण कमान, पुणे के पास----------रु० (केवल----------रुपए) की राशि जमा कर दी है (देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली की तारीख----------की रसीद सं०----------)। निर्माता ने----------रु० (केवल----------रुपए) की अन्य राशि के लिए----------की बैंक प्रत्याभूति भी सरकार को दे दी है (देखिए----------की----------) नियंत्रक रक्षा लेखा, दक्षिण कमान, पुणे के पास जमा की गई रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

19. सरकार, की गई सहायता के ब्यौरे का विवरण दिन प्रतिदिन तैयार करेगी। उक्त विवरण पर दोनों पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे। सरकार उस संदाय की वास्तविक रकम की, जो करार के निबंधनों के अधीन उक्त फिल्म की शूटिंग के लिए या अन्य कारणों से देय है, संगणना इस करार के निबंधनों के अधीन, इन विवरणों के आधार पर करेगी और निर्माता जितनी रकम दे चुका है उसके बारे में आवश्यक समायोजन किया जाएगा। यदि निर्माता द्वारा जमा की गई रकम सरकार को देय रकम से अधिक है तो अधिशेष रकम, ब्याज के बिना, निर्माता को लौटा दी जाएगी और बैंक प्रत्याभूति निर्मुक्त कर दी जाएगी। यदि जमा की गई रकम कम है तो अतिरिक्त रकम बैंक प्रत्याभूति से वसूल की जाएगी। किन्तु यदि खर्च की गई कुल रकम, जिसके अन्तर्गत सरकार को हुए नुकसान या हानि के लिए देय प्रतिकर या इस करार के अधीन शोध्य अन्य रकमें भी हैं, जमा की गई रकम तथा बैंक प्रत्याभूति की रकम को छोड़कर आने वाली रकम से अधिक है या बैंक प्रत्याभूति का अवसान हो गया है तो निर्माता अतिरिक्त रकम का संदाय, सरकार द्वारा मांग की जाने पर, बिना किसी आपत्ति के तुरन्त करेगा। यदि ऐसा संदाय मांग की जाने पर, एक मास की अवधि के भीतर, नहीं किया जाता है तो निर्माता रकम के देय होने की तारीख से उसके वस्तुतः संदाय की तारीख तक के लिए, उस रकम पर————————प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए दायी होगा।

20. निर्माता भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना उक्त फिल्म के किसी भी फुटमाल को किसी भी रूप में न तो विक्रय करेगा, न दान देगा, न उधार देगा और न उसका वाणिज्यिक उपयोग करेगा।

21. निर्माता यह वचनबन्ध करता है कि वह इस करार के प्रयोजन के लिए उन विभिन्न प्रतिष्ठापनों की, जिनमें वह जाएगा और ऐसे सैनिक उपस्करों, हथियारों और यानों की, जिनका वह उपयोग करेगा तथा भाग लेने वाले यूनिटों और सैनिकों के संबंध में सुरक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों का उन अनुदेशों के अनुसार पालन करेगा जो उसे सेना सम्पर्क अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे ।

22. निर्माता दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर तय की गई तारीख, समय और स्थान पर प्रथम प्रदर्शन (प्रीमियर शो) के लिए उक्त फिल्म की एक विमोचन-प्रति सरकार को देगा। उक्त प्रति के लिए कोई प्रभार देय नहीं होगा। सरकार उक्त फिल्म को किसी भी स्थान पर और किसी भी समय प्रदर्शित कर सकेगी। सरकार, उक्त प्रदर्शन के पूरे आगम प्राप्त करने की हकदार होगी। सरकार उक्त प्रदर्शन के समाप्त हो जाने के पश्चात् निर्माता को उक्त प्रिन्ट वापस दे देगी।

23. इस करार या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा के अधीन निर्माता द्वारा सरकार को देय धनराशि की वसूली सरकार, अपने एकमात्र विवेकानुसार उस धन में से कर सकेगी जो इस करार के अधीन निर्माता को संदेय है।

24. इसके पक्षकारों के बीच किसी भी समय उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न जो इस विलेख या उसकी विषयवस्तु के संबंध में या उससे उत्पन्न हों (उन विवादों, मतभेदों और प्रश्नों को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें आगे विनिर्दिष्टतः उपबंध किए गए हैं) ऐसे किसी व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, के सचिव द्वारा अथवा उक्त सचिव के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने वाले किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाए। ऐसी नियुक्ति पर यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि ऐसा नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवक है या उसे इन विषयों के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ी थी जिनके बारे में यह करार है, और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में उसने विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। यदि उस मध्यस्थ का, जिसे यह मामला मूलतः निर्देशित किया जाता है, स्थानान्तरण हो जाता है या वह अपना पद छोड़ देता है या किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे स्थानान्तरण, पद छोड़ने या कार्य करने में असमर्थता के समय यथा पूर्वोक्त सचिव या उपर्युक्त अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को, इस करार के निबंधनों के अनुसार, मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करने का हकदार होगा जिस पर वह उसके पूर्वाधिकारी ने छोड़ी है। इस करार का एक निबंधन यह भी है कि उक्त सचिव या उपर्युक्त अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो ऐसा मामला मध्यस्थता के लिए निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। उक्त मध्यस्थ, अधिनिर्णय करने और उसे प्रकाशित करने की अवधि, पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर, बढ़ा सकेगा। माध्यस्थम् कार्यवाही का स्थान नई दिल्ली होगा।

जैसा ऊपर कहा गया है कि उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्ध पर उसमें किए गए कानूनी उपान्तर या उसकी पुनर्धिनियमितियों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के, जो उस समय प्रवृत्त हों, उपबंध इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाही को लागू होंगे।

25. करार के संबंध में देय स्टाम्प शुल्क का संदाय निर्माता करेगा।

TS

OF
IA

26. इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस विलेख का निष्पादन किया है।
भारत के राष्ट्रपति ने, ———————————— भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से,

निदेशक, रक्षा मंत्रालय की मार्फत, नई दिल्ली में, ————————

(हस्ताक्षर)

1.————————(साक्षी के हस्ताक्षर),
2. ————————(साक्षी के हस्ताक्षर),

की उपस्थिति में निष्पादित किया गया।

——————————के एकमात्र स्वत्वधारी ————————

और निर्माता श्री——————————ने, (हस्ताक्षर)

1. ————————(साक्षी के हस्ताक्षर),

2. ————————(साक्षी के हस्ताक्षर),

की उपस्थिति में निष्पादित किया।

निविदाकारों को अनुदेश

(————————से————————तक दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतन्त्र दिवस शिविर, गैरिसन परेड ग्राउण्ड में पाक-सेवाओं के लिए निविदाएं तैयार करके प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में)

मैसर्स————————————

————————————

————————————

1. संलग्न निविदा प्ररूप में यथा उपदर्शित अवधि के लिए पाकशालाएं चलाने (कलेवा, दोपहर का भोजन, चाय और रात्रि का भोजन पकाने) के लिए मोहरबन्द निविदाएं महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, वैस्ट ब्लाक, रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली 110066, तारीख————————को पूर्वाह्न————————बजे तक प्राप्त करेगा। निविदाएं मजबूत मोहरबन्द लिफाफों में, जिन पर "पाक-सेवाओं के लिए निविदा" लिखा हो, महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, वैस्ट ब्लाक-4ए रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066 के पते पर भेजी जाएं। ये निविदाएं, निविदाकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक आफिसर-बोर्ड, तारीख————————को दोपहर————————बजे खोलेगा। निविदा पेटी तारीख————————को पूर्वाह्न————————बजे वैस्ट ब्लाक, रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली के प्रवेश द्वार (स्वागत द्वार) के निकट रखी जाएगी और उसी दिन पूर्वाह्न————————बजे वहां से हटा ली जाएगी।

2. निविदा प्ररूप संलग्न है, जिसमें संविदा के निबन्धन और शर्तें दर्शित की गई हैं तथा जिसमें आप पाक-सेवाओं और अन्य सेवाओं के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अपनी दरें शब्दों और अंकों दोनों में, भरेंगे।

3. प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में 500 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नई दिल्ली के पक्ष में, संलग्न किया जाएगा। यह ड्राफ्ट, कार्य समाधानप्रद रूप में पूरा हो जाने पर, लौटा दिया जाएगा। प्रतिभूति नकद रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। असफल निविदाकारों की प्रतिभूति लौटा दी जाएगी। सफल निविदाकारों को उनकी निविदा की स्वीकृति लिखित रूप में अधिसूचित की जाएगी। तत्पश्चात् उक्त निविदा संविदा का रूप ग्रहण कर लेगी।

4. निविदाकार प्रत्येक पन्द्रह कैडेटों, कोर के लिए एक के हिसाब से रसोइयों, सेवकों और जल वाहकों को नियोजित करेगा और सुचारू, तत्क्षण और तत्परता से सेवा के लिए प्रधान मैस आफिसर के निदेशों का पालन करेगा।

5. पाक सेवाएं/अन्य सेवाएं————————से————————तक लगभग 200 कार्मिकों के लिए और————————से————————तक लगभग 250 कार्मिकों के लिए सामान्यतः अपेक्षित होंगी। कार्मिकों की वास्तविक संख्या शिविर के प्रधान मैस आफिसर द्वारा बताई जाएंगी।

6. निविदाकार अपनी प्रस्तावित दरें————————तक जिसमें————————भी सम्मिलित है, खुली रखेंगे। निविदाएं स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नई दिल्ली को है। उसे कोई भी निविदा, कोई कारण बताए बिना, अस्वीकार करने का अधिकार है और इस बारे में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। यह आवश्यक नहीं है कि निम्नतम निविदा स्वीकार कर ली जाए।

7. उन कार्मिकों की संख्या, जिनके लिए पाक-सेवाएं/अन्य सेवाएं अपेक्षित होंगी, मात्र मार्गदर्शन के लिए मोटे तौर से सूचित की जा रही है। यदि ऐसे कार्मिकों की संख्या में वृद्धि/कमी हो जाती है तो उस बाबत किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा न तो किया जाएगा और न ग्रहण किया जाएगा।

8. आप, निविदाकारों के लिए इन अनुदेशों को समझकर, स्वीकृतिस्वरूप उन पर हस्ताक्षर करें और उन्हें अपनी निविदा के साथ लौटा दें।

(हस्ताक्षर)
स्थानापन्न उप महानिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर

उपर्युक्त सभी शर्तें मैंने/हमने समझकर स्वीकार की हैं।

————————————
निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थान———————————— पता————————————

तारीख———————————— ————————————

साक्षी

हस्ताक्षर----------

नाम ----------

व्यवसाय----------

पता----------

स्थान----------

तारीख----------

...5 रुपए

...टे कोर गणतन्त्र दिवस शिविर————————गैरिसन परेड ग्राउन्ड, दिल्ली छावनी के लिए पाक-सेवाओं के ...।

...जी गई प्रतिभूति का ब्यौरा :

(इसे निविदाकार भरे)

विशिष्टियां	मांग ड्राफ्ट सं०	तारीख	अंकित मूल्य (रुपयों में)

...रत के राष्ट्रपति,

————————

————————

.../हम करार करता हूं/करते हैं कि यदि यह निविदा पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर ली जाती है तो मैं/हम———— ————से————————तक की अवधि के दौरान अथवा ऐसी किसी तारीख तक, जिस तक उक्त ...दी जाती है, इससे संलग्न "निविदा प्ररूप", "स्वीकृति-पत्र" और "निविदाकारों को अनुदेश" में विनिर्दिष्ट शर्तों और ...अधीन रहते हुए (जो सब संयुक्ततः और पृथक्तः संविदा गठित करते हैं, और जिन्हें आगे "संविदा" कहा गया है) ...टे कोर गणतन्त्र दिवस शिविर, गैरिसन परेड ग्राउण्ड, दिल्ली छावनी, मारफत म० नि० रा० के० को० के लिए ...आगे "सरकार" कहा गया है (इस पद के अन्तर्गत म० नि० रा० के० को० रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में उसकी ...करनेके लिए सम्यकूतः प्राधिकृत अधिकारी भी हैं), कलेवा, दोपहर का भोजन, चाय और रात्रि का भोजन पकाने ...की सेवाएं करूंगा/करेंगे।

...	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दर
...परोसने की सेवाएं——	————————रु० (अंकों में) ————————रु० (शब्दों में) ————————

मैं/हम भोजन पकाने और परोसने संबंधी सेवाएं, अपने खर्च पर, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में, ऐसे ...लिए और ऐसे स्थानों पर (संविदा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के भीतर) करूंगा/करेंगे जो निविदा में विनिर्दिष्ट ...बाबत सरकार निदेश देगी।

...संविदा मंजूर करने वाला आफिसर, अपनी ओर से संविदा प्रवर्तित करने के लिए ऐसे किसी आफिसर को, जिसे वह ...ना चाहे, प्राधिकृत कर सकता है और मैं/हम तथा मेरे/हमारे अभिकर्ता, संविदा के संबंध में ऐसे आफिसर (आफिसरों) ...तिनिधियों द्वारा दिए गए अनुदेशों को उसी प्रकार स्वीकार करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करेंगे मानो ऐसे अनुदेश संविदा ...वाले आफिसर ने जारी किए हों।

(i) वह आफिसर, जिसके लिए संविदा के अनुसार सेवाएं की जाती हैं और जिसे संविदा में "संविदा-प्रवर्तन आफिसर" ...जिस पद के अन्तर्गत उसके सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि भी हैं, समस्त सेवाएं या उनके किसी भाग को अस्वीकार कर ...उसकी राय में वे सभी प्रकार से संविदा के अनुसार नहीं है।

...) मैं/हम ऊपर बताए गए रूप में अस्वीकार की गई सेवाओं के लिए कोई प्रभार नहीं लूंगा/लेंगे या उनकी बाबत कोई ...नहीं करूंगा/करेंगे।

...i) मैं/हम अस्वीकृत सेवाओं की बाबत किसी नुकसान के लिए संदाय का न तो दावा करूंगा/करेंगे और न उसका ...लूंगा/होंगे।

5. यह संविदा विनिर्दिष्ट अवधि तक लागू रहेगी किन्तु यदि मेरी/हमारी ओर से किसी भी समय इस करार का कोई भंग किया जाता है तो सरकार, मुझे/हमें कोई प्रतिकर दिए बिना, इस संविदा को समाप्त कर सकेगी। सरकार मुझे/हमें 18 घंटे की सूचना देकर भी यह संविदा समाप्त कर सकेगी।

6. मैं/हम प्रत्येक 45 कैडेटों के लिए एक के हिसाब से रसोइयों, सेवकों और जल वाहकों की नियुक्ति करूंगा/करेंगे और सुचारु सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बाबत प्रधान मैस आफिसर के अनुदेशों का पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि :—

(क) जारी की गई कच्ची सामग्री, इस प्रकार उचित रूप से साफ की जाए और भली प्रकार पकाई जाए कि वह पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। वह स्वास्थ्यकर रूप में भण्डारित की जाए तथा परेड कार्यक्रम और शिविर कमाण्डेन्ट द्वारा जारी की गई व्यंजन-सूची के अनुसार परोसी जाए। व्यंजन-सूची, प्रधान मैस आफिसर की सम्मति के बिना परिवर्तित न की जाए और उसमें उल्लिखित सभी मदें निर्देशित रूप में तैयार की जाएं।

(ख) पकाया गया भोजन, प्रधान मैस आफिसर द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैनात आफिसर/कनिष्ठ आयुक्त आफिसर/अनायुक्त आफिसर के पर्यवेक्षण के अधीन सुगठित रीति में कैडटों को गर्म परोसा जाए।

(ग) अत्याधिक मात्रा में भोजन परोस कर उसे बरबाद न किया जाए और परोसी जाने वाली खाद्य की मदों की अनुपलब्धता या अपर्याप्त मात्रा के कारण कोई कैडेट न तो भूखा रहे और न अल्पपोषित रहे।

(घ) शिविर पर्यवेक्षक कर्मचारिवृन्द द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और निदेशों का भोजन बनाने वाले और परोसने वाले कर्मचारी पालन करें। असहमति होने की दशा में मामला शिविर कमाण्डेन्ट/उप शिविर कमाण्डेन्ट/ड्यूटी आफिसर को निर्देशित किया जाए, जिसका उस पर विनिश्चय स्वीकार और कार्यान्वित किया जाएगा। कोई कर्मचारी तर्क-वितर्क न करे और न शिविर-परिसर के भीतर कोई दंगाई दृश्य या अननुशासन उत्पन्न करे।

(ङ) कोई भी कच्ची सामग्री या पकाया गया भोजन किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को न दिया जाए या ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी ऐसी सामग्री या भोजन का दुर्विनियोग न करे। ऐसी कच्ची सामग्री या पकाया गया भोजन, प्रधान मैस आफिसर के विनिर्दिष्ट निदेशों के बिना शिविर के भीतर या उसके बाहर किसी व्यक्ति को न दिया जाए।

(च) यदि मैं/हम कौशल या ज्ञान के अभाव के कारण या किसी अन्य कारणवश व्यंजन-सूची के अन्तर्गत किसी मद को उचित रूप में तैयार करने की व्यवस्था नहीं कर पाता हूं/पाते हैं तो सरकार अन्य ऐसे रसोइयों की सेवाएं प्राप्त कर सकेगी जो ऐसे व्यंजन/खाद्य मदें तैयार कर सकते हैं। भोजन पकाने/परोसने के लिए किए गए नियोजन के कारण उपगत प्रभार मेरे/हमारे नाम डाल दिए जाएंगे।

7. मैं/हम स्वयं अपने खर्च पर चूल्हों/भट्टियों का यथा अपेक्षित रख-रखाव करूंगा/करेंगे।

8. मैं/हम पाकशालाओं और भोजन कक्षों को साफ-सुथरा रखने और भोजन बनाने तथा परोसने वाले व्यक्तियों को अरोग्यता एवं सफाई संबंधी शिविर-स्थायी-आदेशों में प्रख्यापित, नियमों और विनियमों का पालन करूंगा/करेंगे। हम यह समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि यदि हम इन स्थायी आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहते हैं तो हम ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के लिए 10 रु० जुर्माना देने के दायी होंगे।

9. मैं/हम होने वाली किसी भी हानि को पूरा करने के लिए और ऐसा कोई प्रतिकर देने के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होंगे जिसकी अपेक्षा या मांग शिविर में जिम्मेदार आफिसरों द्वारा दिए गए मौखिक और लिखित आदेशों के अथवा शिविर स्थायी-आदेशों में प्रकाशित नियमों और विनियमों में अधिकथित आदेशों के और शिविर दैनिक आदेशों या शिविर चिकित्सा आफिसर या सफाई कर्मचारिवृन्द द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के किसी अनुपालन की दशा में, उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

10. मैं/हम सुनिश्चित करता हूं/करते हैं कि पाकशालाओं या भोजन कक्षों में आग लगने को रोकने के लिए मैं/हम सभी संभव पूर्वाविधानियां बरतेंगे और कार्रवाई करेंगे तथा यदि मेरी/हमारी ओर से अपेक्षा के कारण या आग को रोकने के लिए पूर्वाविधानियों से संबंधित शिविर स्थायी आदेशों के अननुपालन के कारण, आग लगने के परिणामस्वरूप, जीवन या सम्पत्ति की हानि या नुकसान होता है तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा/होंगे।

11. मेरे/हमारे द्वारा नियोजित सभी कार्मिक, जिनसे किसी भी रूप में भोजन बनाने और परोसने की सेवा अपेक्षित हो, चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ होंगे जो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होंगे और संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षित होंगे। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुमोदित शिविर चिकित्सा आफिसर या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से उनकी स्वास्थ्य परीक्षा करवा सकेंगे। जिन कार्मिकों में रोग के कोई लक्षण पाए जाएंगे उन्हें नियोजन से तुरन्त हटा दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को, शिविर में प्रवेश करने से पूर्व इस बाबत प्रमाणपत्र लाना होगा कि उसकी स्वास्थ्य परीक्षा कर ली गई है। ऐसे प्रमाणपत्र वे शिविर कमाण्डेन्ट को भेज देंगे। शिविर में रिपोर्ट करने से पूर्व उन्हें हैजा/टाइफाइड का टीका भी लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो वह शिविर चिकित्सा आफिसर के समक्ष जांच, उपचार तथा आदेशों के लिए उपस्थित होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ है तो उसे भोजन बनाने/परोसने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और शिविर से तुरन्त हटा दिया जाएगा।

12. मैं/हम और मेरे/हमारे कर्मचारी, कैडेटों के लिए पकाए गए भोजन में से भोजन नहीं करूंगा/करेंगे। वे उसकी व्यवस्था स्वयं करेंगे। सरकार उनके भोजन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। सभी कर्मचारी कैडेटों के भोजन के समय से पूर्व अपना भोजन कर लेंगे।

13. सरकार की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना बॉय कैडेटों के मैस में भोजन पकाने और परोसने के प्रयोजन के लिए मैं/हम किसी स्त्री को नियोजित नहीं करूंगा/करेंगे।

14. कोई सूचना मुझे/हम पर पर्याप्त रूप से तामील की गई समझी जाएगी यदि वह शिविर में मेरे/हमारे प्राधिक अवस्थान पर या अन्तिम ज्ञात स्थान या वास स्थल पर या कारबारी के प्राधिक परिसर में लिखित रूप में छोड़ दी जाती है।

15. मेरे/हमारे द्वारा नियोजित रसोइयों, जलवाहकों और सेवकों के शील और पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस से कराया जाएगा और मैं/हम गारंटी देता हूं/देते हैं कि संविदा अवधि के दौरान वे सद्व्यवहार और सदाचरण करेंगे केवल ऐसे व्यक्तियों को शिविर में प्रवेश की अनुज्ञा दी जाएगी जिनके पास शिविर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रवेशपत्र होंगे।

16. प्रधान मैस आफिसर किसी भी पकाए गए भोजन को अपौष्टिक, स्वाद रहित या अनुचित/अस्वास्थ्यकर रूप में पकाया गया और/या शिविर मैस समिति अथवा चिकित्सा आफिसर की सिफारिश पर कैडेटों के उपयोग के लिए अनुपयुक्त, घोषित कर सकता है। ऐसी घोषणा कर दी जाने पर ऐसा भोजन शिविर कमांडेंट की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा और मैं/हम उप महानिदेशक (प्रशासन) महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा विनिश्चित रूप में पूर्णतः या भागतः हानि को पूर्ति करने के लिए दायी हूँगा/होंगे तथा ऐसे भोजन के पकाए जाने संबंधी प्रभार भी समर्पहृत कर लिए जाएंगे।

17. शिविर चिकित्सा आफिसर या ऐसे चिकित्सा आफिसर द्वारा प्राधिकृत सफाई कर्मचारी ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच कर सकेगा जो भोजन पकाने या परोसने के लिए या किसी भी रूप में भोजन तैयार करने और परोसने के लिए नियोजित किए गए हैं। उसे पाकशालाओं और भोजन कक्षों, जल भण्डारों और भोजन वितरण केन्द्रों का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा। वह उचित सफाई और स्वास्थ्यकर दशाएं सुनिश्चित करने के उपायों की भी सिफारिश कर सकेगा। मुझसे/हमसे अपेक्षा की जाएगी कि मैं/हम ऐसे सभी निदेशों का अपने खर्च का अनुपालन करें।

17क. (i) मैं/हम अनुज्ञप्त शामियाना/तम्बू और फर्नीचर गृह धारक हूँ/हैं।

(ii) ठेकेदार अनुज्ञप्त इलैक्ट्रीशियनों/विद्युत फिटरों को ही, शिविर में विद्युतीकरण/विद्युत फिटिंग का कार्य करने के लिए नियोजित करेगा।

(iii) गणतंत्र दिवस शिविर में शामियाना लगाते समय ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यक शामियानों में चार द्वार हों।

(iv) ठेकेदार इस आशय का प्रमाणपत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करेगा कि तम्बू का कपड़ा और शामियाने में प्रयुक्त अन्य सामग्री को बोरेक्स घोल, बोरिक अम्ल, अलम, अमोनियम कारबोनेट, अमोनियम सल्फट और जल जैसी अग्नि-रोधी सामग्री से उपचारित किया गया है।

(v) बीमा भी करा लिया जाना चाहिए।

टिप्पण—इस समय दिल्ली प्रशासन इस संबंध में कुछ नियम बनाने पर विचार कर रहा है, अतः यदि इस संबंध में कोई आदेश जारी किया जाता है तो वह इस संविदा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

18. पाकशालाओं में रखे गए आधानों में फैंका गया अवशिष्ट और बचा हुआ पका खाद्य पदार्थ, भोजन परोसने का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् शिविर कमांडेंट के आदेशों के अनुसार, हमारी अपनी ही व्यवस्था द्वारा शिविर के बाहर व्ययन के लिए ले जाया जाएगा और उसके आगमों का उपयोग, कैडेटों के फायदे के लिए पाकशालाओं/भोजन कक्षों के सुधार के लिए, किया जाएगा।

19. ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को, बिना आज्ञा के पाकशालाओं और भोजनकक्षों में, जहां वे नियोजित हैं, भिन्न किसी निवास स्थान या भण्डार में जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी शिविर के भीतर कोई अवांछनीय, अनियमित या अनुचित क्रियाकलाप करता हुआ पाया जाएगा तो उसे शिविर से तुरन्त हटा दिया जाएगा।

20. सभी रसोइए और सेवक शिविर-स्थायी-आदेशों के अनुसार पोशाक, जिसमें शिरोवस्त्र सम्मिलित हैं, पहनेंगे।

21. कोई भी व्यक्ति शिविर में मद्यसारिक पेय नहीं पिएगा या ऐसा पेय पीकर ड्यूटी पर नहीं आएगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस शिविर से तुरन्त हटा दिया जाएगा और सिविल पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

22. कैडेटों का भोजन तैयार करने के लिए मैं/हम या मेरे/हमारे कर्मचारी बाहर से कोई राशन या अन्य संघटक या वस्तु नहीं लाएंगे। प्राधिकृत व्यंजन-सूची की मदों की तैयारी के लिए ही क्वाटर मास्टर, गणतंत्र दिवस शिविर से प्राप्त वस्तु का प्रयोग किया जाएगा ।

23. सरकार स्वविवेकानुसार ठेकेदार को 10 दिन के पश्चात् ऐसी किसी राशि का शायतः संदाय कर सकेगी जो भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संविदा अवधि में किसी भी समय ठेकेदार द्वारा की गई सेवाओं के लिए उसे देय रकम से अधिक नहीं है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

पता ....

....

स्थान ....

तारीख ....

साक्षी सं० 1

हस्ताक्षर ....

नाम ....

व्यवसाय ......

पता ....

....

स्थान ....

तारीख ....

साक्षी सं० 2

हस्ताक्षर ....

नाम ....

व्यवसाय ....

पता ....

....

स्थान ....

तारीख ....

राष्ट्रीय कैडेट और गणतंत्र दिवस शिविर . . . . .गैरिसन परेड ग्राउन्ड, दिल्ली छावनी को कर्नाविर की मदों के प्रदाय के लिए निविदा।

परिदान का ब्यौरा संलग्न है :

(इसे निविदाकार भरे)

बैंककारों की विशिष्टियां	मांगदेय ड्राफ्ट सं०	तारीख	अंकित मूल्य	रुपए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

. . . .

. . . .

1. मैं/हम यह करार करता हूँ/करते हैं कि यदि मेरी/हमारी यह निविदा भागतः या पूर्णतः स्वीकार कर ली जाती है तो मैं/हम भारत के राष्ट्रपति को, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, और जिस पद के अंतर्गत उनकी ओर से सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति भी हैं, महानिदेशालय, राष्ट्रीय कैडेट कोर, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा . . . . .से . . . . . . तक की अवधि के दौरान अथवा ऐसी किसी तारीख तक, जिस तक उक्त अवधि इस निविदा की शर्तों के अधीन बढ़ा दी जाती है, अपेक्षित वस्तुओं/सेवाओं का उस निविदा (जिसके अंतर्गत उसकी अनुसूचियां और उसमें अंतर्विष्ट या उससे उपाबद्ध विनिर्देश और शर्तें भी हैं) के स्वीकृति-पत्र और "निविदाकारों" को अनुदेश में (जो सब मिलकर संविदा गठित करते हैं और जिन्हें इसमें आगे "संविदा" कहा गया है) विनिर्दिष्ट शर्तों और अनुबंधों के अधीन रहते हुए, प्रदाय करूँगा/करेंगे।

मैं/हम उक्त प्रदाय ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे स्थान पर (अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट संविदा के अंतर्गत क्षेत्र के भीतर), जो सरकार निर्दिष्ट करे, अपने खर्च पर करूंगा/करेंगे।

2. साथ ही आपके इस बाबत सहमत हो जाने के प्रतिफलस्वरूप कि आप मुझसे/हमसे, न कि किसी अन्य ठेकेदार से, उन वस्तुओं/सेवाओं को (जिनके अंतर्गत अनुसूची में उल्लिखित उनके ये प्राधिकृत प्रतिस्थानी हैं जिनका सरकार स्वयं प्रदाय करे या राज्य सरकार, सैनिक बागों और यूनिट डेरियों से प्राप्त करे) छोड़कर जिनके लिए संविदाएं की गई हों, ऐसे समस्त प्रदाय/सेवाएं प्राप्त करेंगे जिनकी संविदा प्रवर्तन आफिसर, संविदा की अवधि के भीतर, अपेक्षा करेगा। मैं/हम इसके खण्ड 7 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्वोक्त अवधि के दौरान अपनी निविदा वापस न लेने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं/करते हैं।

3. यदि मेरी/हमारी फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है तो वह संविदा मंजूर करने वाले प्राधिकारी को मेरे/हमारे द्वारा लिखित रूप में तुरन्त अधिसूचित किया जाएगा और ऐसे परिवर्तन के कारण, इस संविदा के अधीन किसी दायित्व से फर्म का कोई पूर्ववर्ती सदस्य उन्मुक्त नहीं होगा। इस संविदा के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा फर्म में कोई नया भागीदार/नए भागीदार तब तक सम्मिलित नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे इस संविदा के सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए और संविदा मंजूर करने वाले आफिसरों के पास उस आशय का लिखित करार प्रस्तुत करने के लिए, सहमत नहीं हो जाते। मेरी/हमारी अथवा उपरोक्त रूप में बाद में स्वीकार किए गए किसी भागीदार की रसीद या अभिस्वीकृति, मुझ पर/हम सब पर आबद्धकर होगी और वह, इस संविदा के किसी भी प्रयोजन के लिए, पर्याप्ततः उन्मोचनकारी होगी।

4. संविदा मंजूर करने वाला आफिसर ऐसे आफिसरों को, जिन्हें वह चाहे, उसकी ओर से संविदा प्रवर्तन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और मैं/हम तथा मेरे/हमारे अभिकर्ता, इस संविदा के संबंध में ऐसे आफिसरों (या उनके प्रतिनिधियों) द्वारा दिए गए अनुदेशों को उसी प्रकार स्वीकार करूंगा/करेंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करूंगा/करेंगे मानो वे संविदा मंजूर करने वाले आफिसर ने दिए हों।

5. इस संविदा के निबंधनों के अधीन सरकार को मेरे/हमारे द्वारा देय प्रतिकर की सभी रकमें मेरे/हमारे प्रतिभूति निक्षेप से या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय से प्राप्त आगमों से या उस पर उद्भूत होने वाले ब्याज से अथवा ऐसी किसी राशि से, जो मुझे या हमें सरकार से इस संविदा या किसी अन्य संविदा या किसी अन्य लेखे शोध्य हैं या शोध्य हो जाएं, काटी जा सकती है। यदि यथापूर्वोक्त विक्रय या कटौती के कारण मेरा/हमारा प्रतिभूति निक्षेप कम हो जाता है अथवा ऐसे प्रतिभूति निक्षेप के रूप में धारण किए जाने की अवधि के दौरान ऐसी प्राप्तियों या प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हो जाता है तो मैं/हम, मुझसे/हमसे इस बाबत कहे जाने की तारीख से बीस दिन के भीतर, ऐसी प्राप्तियों या प्रतिभूतियों के मामले में ऐसी किसी रकम की पूर्ति करूंगा/करेंगे जिससे प्रतिभूति निक्षेप यथापूर्व मूल्य के बराबर हो जाए।

6. (क) जिस आफिसर को उक्त प्रदाय/सेवाएं परिदत्त की जानी हैं (जिसे इस संविदा में संविदा प्रवर्तन आफिसर कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत उसका सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है) वह ऐसे प्रदायों/सेवाओं को पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर सकेगा यदि उसकी राय में वे संविदा के अनुसार अपेक्षित विनिर्देश और क्वालिटी के/की नहीं हैं,

(ख) मैं/हम उक्त रूप में अस्वीकार किए गए प्रदायों/सेवाओं के लिए न तो कोई प्रभार लूंगा/लेंगे और न उस बाबत मुझे/हमें कोई रकम देय होगी। मैं/हम ऐसे अस्वीकृत प्रदाय/सेवाएं, अपने खर्च पर, तुरन्त हटवा लूंगा/लेंगे।

(ग) मैं/हम ऐसे किसी नुकसान के लिए किसी संदाय का न तो दावा करूंगा/करेंगे और न उसका हकदार हूंगा/होंगे जो उक्त अस्वीकृत प्रदाय के पूर्ण और उचित परीक्षण तथा जांच के आनुषंगिक रूप में ऐसे प्रदायों के काटे या फाड़े जाने के कारण या कोई अन्य क्षति हो जाने के कारण हो।

(घ) सरकार अस्वीकृत प्रदायों/सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार दायी नहीं होगी और वे मेरे/हमारे जोखिम पर होंगे/होंगी। यदि अस्वीकृति के पन्द्रह दिन के भीतर मैं/हम ऐसे अस्वीकृत प्रदाय हटा नहीं लेता हूं/लेते हैं तो संविदा प्रवर्तन आफिसर उन्हें हटवाने का हकदार होगा और ऐसे सभी व्यय मुझ पर/हम पर प्रभारित कर सकेगा जो ऐसा हटाए जाने के कारण उसने उपगत किए हों या उन्हें सरकारी परिसर में रहने देगा और मुझ पर/हम पर उपयोग में आए स्थान के लिए भाड़ा प्रभारित कर सकेगा। भाड़े की रकम की बाबत विवाद होने की दशा में उसका नियतन संविदा मंजूर करने वाला आफिसर करेगा अथवा मेरी/हमारी ओर से मेरी/हमारी जोखिम पर, संबंधित माल का विक्रय करके या अन्यथा उसके आगम मुझसे/हमसे शोध्य किसी राशि मद्दे (विक्रय व्यय का संदाय करने के पश्चात्) प्रतिधारित कर सकेगा।

(ङ) प्रदायों के अस्वीकृत कर दिए जाने की दशा में सरकार मेरे/हमारे खर्च पर ऐसे प्रदायों के अपेक्षित मात्रा तथा क्वालिटी के, प्रतिस्थापनों की मांग करने की हकदार होगी।

7. यदि,—

(क) ऊपर पैरा 6(क) में वर्णित रूप में मेरे/हमारे प्रदाय/सेवाएं अस्वीकार कर दी जाती हैं, या

(ख) मैं/हम किसी मांग या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता हूं/रहते हैं अथवा उससे इंकार, उपेक्षा या विलम्ब करता हूं/करते हैं या संविदा के निबंधनों के अनुसार उसका अन्यथा निष्पादन नहीं करता हूं/करते हैं,

तो संविदा प्रवर्तन आफिसर (सरकार की ऐसे किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसे संविदा के भंग या पालन न किए जाने के कारण हुई किसी हानि या असुविधा की बाबत प्रतिकर के लिए दावा करने के लिए उपलब्ध हो) ऐसे प्रदाय/सेवाएं, जो अस्वीकार कर दी गई हैं अथवा जिनके प्रदाय में मैं/हम असफल रहा हूं/रहे हैं, इंकार किया है, उपेक्षा की है या मैंने/हमने विलम्ब किया है, अथवा उसके ऐसे प्रतिस्थानी, जो इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, मेरे/हमारे खर्च पर, क्रय कर सकेगा, उपाप्त कर सकेगा या सरकारी भण्डार से अथवा अन्यथा उसकी व्यवस्था कर सकेगा और ऐसे सभी आनुषंगिक प्रभार तथा व्यय मुझसे/हमसे वसूल करने का हकदार होगा जो उसने ऐसे प्रदाय/सेवाएं या उनके प्राधिकृत प्रतिस्थानी क्रय, उपाप्त या व्यवस्था करने में उपगत किए हों और यदि प्रतिस्थापन के लिए माल सरकारी भण्डार या प्रदाय से दिया जाता है तो ऐसे भण्डार या प्रदाय की लागत और मूल्य (सभी आनुषंगिक प्रभारों या व्ययों सहित) मांग पर मुझसे/हमसे वसूलनीय होगा।

8. संविदा मंजूर करने वाला आफिसर या उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला आफिसर, निम्नलिखित परिस्थितियों में, मुझे/हमें लिखित सूचना देकर यह संविदा विखंडित कर सकेगा :—

(क) यदि मैं/हम उसके लिखित अनुमोदन के बिना संविदा समनुदिष्ट करता हूं/करते हैं, उप-पट्टे पर देता हूं/देते हैं अथवा यदि मैं/हम ऐसा करने का प्रयत्न करता हूं/करते हैं;

(ख) यदि मैं/हम अथवा मेरा/हमारा कोई अभिकर्ता या सेवक,—

(i) इस संविदा या ऐसी किसी अन्य संविदा के संबंध में जो मैंने/हमने सरकार से की हो, किसी कपट का दोषी होता हूं/होते हैं, या

(ii) सरकार के नियोजन में के किसी आफिसर या व्यक्ति को, ऐसे आफिसर या व्यक्ति के पद या नियोजन के किसी भी प्रकार के संबंध में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलब्धि, इनाम या फायदा, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा, देता हूं/देते हैं, वचन देता हूं/देते हैं, या प्रस्ताव करता हूं/करते हैं,

(ग) यदि इस पैरा के उपपैरा (ख)(ii) में उल्लिखित कोई आफिसर या व्यक्ति, इस संविदा की किसी शर्त का पालन या अनुपालन करने में असफल रहता है,

(घ) यदि मैं/हम किसी मांग या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार, उपेक्षा या विलम्ब करता हूं/करते हैं अथवा इस संविदा की किसी शर्त का पालन या अनुपालन करने में असफल रहता हूं/रहते हैं।

9. ऐसे विखण्डन की दशा में सरकार मुझसे/हमसे, मांग पर, ऐसा कोई अतिरिक्त व्यय वसूल करने की हकदार होगी जो इसके द्वारा करार किए गए प्रदाय/सेवाएं इस संविदा की शेष अवधि के लिए इसके खण्ड 7(क) में उल्लिखित किसी रीति में अन्यत्र से प्राप्त करने में उपगत करे सरकार द्वारा ऐसी वसूली का उसके ऐसे किसी उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उसे उपलब्ध हो।

10. यदि मैं/हम इस संविदा की किसी शर्त का पालन या अनुपालन करने में असफल रहता हूं/रहते हैं तो संविदा प्रवर्तन आफिसर, इसमें किसी बात के होते हुए भी और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिकर के रूप में मुझसे/हमसे ऐसी कोई राशि वसूल कर सकेगा जो वह उचित समझे।

11. उक्त पैरा 7 या 9 के अधीन संविदा प्रवर्तन आफिसर के आदेश से मेरे/हमारे व्यय पर किए गए क्रय या व्यवस्था के संबंध में मुझसे/हमसे धन की अथवा प्रतिकर की वसूली की बाबत विनिश्चय के और उक्त पैरा 8 के अधीन संविदा प्रवर्तन आफिसर द्वारा संविदा के विखण्डन के लिए दिए गए आदेश के विरुद्ध मैं/हम, ऐसे विनिश्चय या आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे आफिसर के वरिष्ठ प्राधिकारी को, अपील कर सकता हूं/सकते हैं और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि ऐसी अवधि के भीतर ऐसे ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को ऐसी अपील सम्यक्‌तः अधिसूचित नहीं की जाती है तो प्रश्नगत मूल विनिश्चय या आदेश, अंतिम मान कर, स्वीकार कर लिया जाएगा।

12. इस संविदा के अधीन किसी प्रदाय/सेवा के लिए अग्रिम रूप में कोई संदाय नहीं किया जाएगा।

13. यदि संविदा के चालू रहने के दौरान, उसके अधीन प्रदाय की जाने वाली किसी वस्तु या वस्तुओं के विनिर्देश परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो ऐसे परिवर्तन के समय लिखित रूप में परस्पर सहमत हुई दर से, नए विनिर्देशों के अनुसार उक्त वस्तु या वस्तुओं का प्रदाय करूंगा/करेंगे और यदि ऐसी सहमति नहीं होती है तो संविदा, जहां तक कि उसका संबंध उस वस्तु या वस्तुओं से संबंधित है जिनके बारे में ऐसी सहमति नहीं हो पाई है, संविदा विखंडित की जा सकेगी। किन्तु ऐसे किसी परिवर्तन का प्रभाव संविदा के अधीन प्रदाय की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा और मैं/हम किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होऊंगा/होंगे।

14. मैं/हम अपने अभिकर्ताओं और सेवकों की उपस्थिति या माल के प्रदाय में समय पालन, स्वच्छता और संविदा मंजूर करने वाले आफिसर या संविदा प्रवर्तन आफिसर के साथ आदरपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने संबंधी उचित अनुदेशों का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य करूंगा/करेंगे।

15. मैं/हम अपेक्षित मदों की अनुसूची के अनुसार बिल तैयार करूंगा/करेंगे उन पर सम्यक् प्राप्ति के परिणामस्वरूप कैम्प क्वार्टर मास्टर के हस्ताक्षर और कैम्प कमान्डेंट, राष्ट्रीय कैडेट कोर, गणतंत्रता दिवस शिविर, 19.....के प्रति-हस्ताक्षर करवा कर, उन्हें कैम्प कमाण्डेंट को प्रस्तुत करूंगा/करेंगे। मैं/हम शिविर प्राधिकारियों को माल के परिदान और प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप मूल प्रदाय आदेश भी संलग्न करूंगा/करेंगे। बिलों की उचित संवीक्षा करने के पश्चात् उनका भुगतान मुझे/हमें कास चैक से किया जाएगा।

16. संविदा के अंत में मेरा/हमारा प्रतिभूति निक्षेप या उसका अतिशेष मुझे/हमें तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक कि मेरे/हमारे लेखाओं की अंतिमतः लेखापरीक्षा करके उनका परिनिर्धारण नहीं कर लिया जाता और मैं/हम प्रायिक "बेबाकी प्रमाणपत्र" (आई०ए०एफ०ए० 451) निष्पादित नहीं कर देता/कर देते।

17. मैं/हम ऐसे किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होंगे जो आग लगने या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति तथा सामान्य टूट-फूट के कारण हमारे माल को होता है और ऊपर उल्लिखित लेखे मैं/हम सरकार से किसी प्रतिकर का दावा नहीं करूंगा/करेंगे।

18. (क) ठेकेदार के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर मैं/हम पूर्णतः यह समझता हूं/समझते हैं कि मैं/हम ऐसी कोई सैनिक जानकारी किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करूंगा/करेंगे जो सदस्य संख्या, संरचना, अवस्थान या स्थल आदि के बारे में मेरी/हमारी जानकारी में आएगी।

(ख) मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि ऐसी जानकारी प्रकट करना एक दांडिक अपराध है और यदि मैं/हम इन आदेशों का पालन नहीं करता हूं/करते हैं तो उस कारण न केवल यह संविदा समाप्त की जा सकेगी अपितु मैं/हम भारत रक्षा नियमों के अधीन अभियोजन के लिए दायी हूंगा/होंगे।

(ग) यह बात समय-समय पर मेरे/हमारे द्वारा नियोजित सेवकों और मेरे/हमारे विधिक प्रतिनिधियों को भी लागू होगी।

(घ) मैं/हम अपने संविदा विलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करूंगा/करेंगे

19. मैं/हम यह अभिस्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने वे सब शर्तें और परिस्थितियां तथा संविदा के सभी निबंधन, खण्ड, शर्तें, विनिर्देश और अन्य ब्यौरे पूर्ण रूप से जान लिए हैं जिनके अधीन संविदा के अधीन अपेक्षित प्रदाय/सेवाएं की जानी हैं तथा यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदत्त प्रदायों/सेवाओं की बाबत कोई शिकायत की जाती है या उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है तो मैं/हम उनकी अनभिज्ञता को और संविदा में करार की गई दरों में वृद्धि के लिए या संविदा के अधीन अपनी किसी बाध्यता से बचने के लिए प्रतिहेतु नहीं बनाऊंगा/बनाएंगे।

20. यदि संविदा के उपबंधों के निर्वचन या लागू किए जाने के बारे में कोई विवाद या मतभेद, जिसके निपटारे के लिए इसमें इसके पहले उपबंध नहीं किया गया है, उत्पन्न होता है तो वह संविदा मंजूर करने वाले आफिसर या उसके पदोत्तरकर्ती के अथवा महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका अधिनिर्णय अंतिम और मुझ/हम पर दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

21. मैं/हम अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को उचित मजदूरी देने का करार करता हूं/करते हैं। यदि इस बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है कि उचित मजदूरी क्या है तो उस पर क्षेत्रीय श्रमिक समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. मैं/हम करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम बारह वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं करूंगा/करेंगे तथा बारह से पन्द्रह वर्ष की आयु के बीच वाले व्यक्तियों के लिए कार्य-घण्टे प्रति दिन पांच से अधिक नहीं होंगे।

_____

निविदाकार (निविदाकारों) के हस्ताक्षर या निशान

साक्षी :

_____

(हस्ताक्षर)

नाम_____

पता_____

व्यवसाय_____

स्थान_____

तारीख_____

संचार उपस्कर आदि के प्रदाय के लिए संविदा करार

यह संविदा एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, (जिन्हें इसमें आगे भारत सरकार कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स - पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लिमिटेड जो पंजाब सरकार का उपक्रम है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बी-53, फेज VI, एस० ए० एस० नगर (मोहाली), चंडीगढ़ - 160055, भारत में हैं जिसे इसमें आगे "पनवायर" कहा गया है (इसके अन्तर्गत उस के उत्तरवर्ती और उनकी आस्तियों और कार्यों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख .....को की गई।

"पनवायर" ने भारत सरकार को बताया है कि वह एच एफ एस एस बी संचार उपस्कर पैकेज और उसके फालतू पुर्जों के विनिर्माताओं, प्रदायकर्ताओं और संस्थापन इंजीनियरों का समुत्थान है।

"पनवायर" ने इसमें आगे उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर इस संविदा की अनुसूची-I में दी गई सूची के अनुसार उपस्कर का प्रदाय और परिदान करने की प्रस्थापना भारत सरकार को की है और भारत सरकार ने यह प्रस्थापना स्वीकार कर ली है और वह "पनवायर" से उपस्कर क्रय करने और परिदान तथा सेवाएं लेने के लिए सहमत है।

अतः अब इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :–

अनुच्छेद 1

1.0 परिभाषाएं

इस संविदा और उद्देशिका के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वे होंगे जो नीचे दिए गए हैं :—

1.1 "उपस्कर" से इस संविदा की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध एच एफ एस एस बी 100 डब्ल्यू ट्रांसरिसीवर उपस्कर, सहयुक्त उपस्कर और फालतू पुर्जे अभिप्रेत हैं।

1.1.1 "संविदा की रकम" से संविदा का कुल मूल्य अभिप्रेत है।

1.2 "परिदान तारीख" से, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उपस्कर पनवायर, मोहाली से सम्यक् रूप से पैक करके और अभिवहन के लिए बीमा करवा कर भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट गंतव्य स्थान पर परेषिती को प्रेषित किए जाने के लिए परिवहन अभिकरण को सौंपा जाता है।

1.3 "विनिर्देश" से, इस संविदा की अनुसूची 3 में सूचीबद्ध किए गए तकनीकी विनिर्देश अभिप्रेत हैं।

1.4 "निरीक्षण प्राधिकारी" से, तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली -110011 अभिप्रेत है।

1.5 "निरीक्षक" से, निदेशक तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 का उसका प्राधिकृत अभिप्रेत है।

1.6 "प्रदाय" से, संविदा में विनिर्दिष्ट मुख्य उपस्कर, सहयुक्त उपस्कर और फालतू पुर्जे अभिप्रेत हैं।

1.7 "संविदा" में, इस करार के अनुच्छेद, अनुसूचियां और उपाबन्ध अभिप्रेत हैं और वे इसके अन्तर्गत आते हैं।

1.8 "सेवा" से, इस संविदा उपस्कर, सहयुक्त उपस्कर और फालतु पुर्जों के प्रदाय से भिन्न "पनवायर" की सभी बाध्यताएं अभिप्रेत हैं।

अनुच्छेद 2

प्रदाय के निबन्धन

"पनवायर" भारत सरकार को अनुसूची 1 और 3 में प्रदर्शित उपस्कर और सेवाओं का "भारत सरकार", द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों पर, प्रदाय और परिदान करेगा। "पनवायर" भारत सरकार द्वारा बताए गए स्थानों पर कम से कम दो एच एफ एस एस बी 100 डब्ल्यू प्रणालियों के सफल कार्यकरण का प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार स्थल पर आवश्यक कार्य सामग्री सेवाएं उपलब्ध करा कर सभी सहायता करेगी।

2.1 निरीक्षण और स्वीकृति

2.1.1 "पनवायर" निरीक्षक को कार्य की प्रगति के बारे में सूचित करता रहेगा और उसे परस्पर करार पाए गए अनुसार "पनवायर" के खर्च पर सभी आवश्यक और उचित सुविधाएं और कार्यालय स्थान देगा। यदि भारत सरकार का निरीक्षक कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण करने में असमर्थ है या यदि "पनवायर" द्वारा निरीक्षण के लिए बुलाए जाने पर प्राधिकारी द्वारा 2 सप्ताह के भीतर जवाब न दिया जाए तो "पनवायर" के क्वालिटी नियंत्रण विभाग द्वारा किया गया निरीक्षण और इसके बारे में "पनवायर" द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र भारत सरकार को स्वीकार्य होगा। निरीक्षक द्वारा उपस्कर का निरीक्षण इसकी अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। "पनवायर" समय-समय पर निरीक्षण प्राधिकारी को परस्पर करार पाई गई विस्तृत निरीक्षण प्रक्रिया और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ये प्रक्रिया सुविधाएं अनुसूची 3में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार एच एफ एस एस बी 100 डब्ल्यू ट्रांसरिसीवर उपस्कर पैकेज के परीक्षण को सुनिश्चित करेंगी। यदि निरीक्षण प्राधिकारी अनुमोदित फर्मकी निरीक्षण प्रणाली के अनुसार निरीक्षण करना चाहता है तो "पनवायर" निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा और ऐसी प्रणालियों और परीक्षणों के कार्यान्वयन और पालन के लिए निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। निरीक्षक को ऐसा उपस्कर, सामग्री अथवा साधित्र नामंजूर करने का पूरा अधिकार होगा जो इस संविदा के विनिर्देश के अनुरूप न हो या उस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो जिसके लिए वह आशयित है या कारीगरी अथवा परिसज्जा की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हो। पूर्णतः आयातित 15 सेटों के लिए विनिर्माता का कारखाना निरीक्षण स्वीकृति और परीक्षण-प्रमाणपत्र तथा विनिर्माता की वारंटी भारत सरकार को स्वीकार्य होगी।

2.1.2 सभी प्रदायों का अनुसूची 3 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा।

2.2 "संदाय के निबन्धन"

इस संविदा के अधीन उपस्कर और सेवाओं का प्रदाय रु० . . . . (. . . रुपए) मात्र की कीमत पर किया जाएगा। पनवायर को संदाय संविदा की अनुसूची 8 के अनुसार किया जाएगा।

2.2.1 "पनवायर" को कोई अग्रिम संदाय किए जाने से पहले पनवायर भारत सरकार के पक्ष में अनुसूची 7 में दिए गए प्ररूप में पब्लिक सैक्टर के किसी बैंक की प्रत्याभूति देगा।

तथापि, बैंक प्रत्याभूति 2.2.2 में यथा उपबन्धित सीमा को छोड़कर, प्रेषित किए गए माल के मूल्य के अनुपात में समय-समय पर समाप्त होती रहेगी।

2.2.2 "भारत सरकार" के समाधानप्रद रूप में उपस्कर प्राप्त हो जाने और स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् भी भारत सरकार "पनवायर" को देय प्रत्येक बिल का 10% (दस प्रतिशत) अपने पास रखेगी। यह 10% (दस प्रतिशत) रकम, उपस्कर की वारंटी की सम्पूर्ण अवधि के लिए "भारत सरकार" के पक्ष में इस 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) रकम के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रत्याभूति प्राप्त होने पर बिल वार क्रम से निर्मुक्त की जाएगी।

2.2.3 "पनवायर" वायु सेना की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए एच एफ एस एस बी 100 उपस्कर पैकेज के 15 नग आयात करेगा भारत सरकार इन परिरूपित यूनिटों के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति, विदेशी मुद्रा, आयात शुल्क छूट प्रमाणपत्र और डब्ल्यू पी सी निकासी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगी।

2.2.4 भारत सरकार शेष 64 यूनिटों का देश में ही विनिर्माण करने के लिए "पनवायर" द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री/घटकों पर आयात शुल्क में छूट दिलाने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगी।

2.3. "पनवायर" प्रत्येक पैकिंग प्रदाय नोट और निरीक्षण प्रमाणपत्र की 9 प्रतियां तैयार करके प्रेषित करेगा और इनका वितरण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा।

(i) निरीक्षण प्रमाणपत्र और प्रेषण के सबूत की 3 प्रतियों सहित पैकिंग/प्रदाय नोट की 3 प्रतियां, जिनमें से एक पर स्याही से हस्ताक्षर होंगे, नियंत्रक, रक्षा लेखा (वायु सेना) 107 राजपुरा रोड, देहरादून को भेजी जाएगी।

(ii) निरीक्षण प्रमाणपत्र और प्रेषण के सबूत की 3 प्रतियों सहित पैकिंग/प्रदाय नोट की तीन प्रतियां परेषिती को दी जाएंगी।

(iii) निरीक्षण प्रमाणपत्र और प्रेषण के सबूत की 3 प्रतियों सहित पैकिंग/प्रदाय नोट की 3 प्रतियां निदेशक, ग्राउंड इलेक्ट्रानिक्स वायु सेना मुख्यालय, पश्चिमी ब्लाक 6, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110022 को दी जाएंगी।

2.4 वारंटी

4.1 "पनवायर" वारंटी देता है कि इस संविदा के अधीन प्रदत्त उपस्कर हाल ही में विनिर्मित किया हुआ होगा और इसकी सामग्री, कारीगरी तथा डिजाइन अनुसूची 3 में अधिलिखित विनिर्देशों के अनरूप होंगी।

2.4.2 इसके अतिरिक्त इसमें वर्णित उपस्कर निम्नलिखित वारंटी के अधीन विक्रय किया गया है :—

"पनवायर" ऐसे उपस्कर, उसके पुर्जे या उपसमूह को, जो डिजाइन, कारीगरी या सामग्री की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हों, भारत सरकार से कोई प्रभार लिए बिना अपने खर्चे पर 60 (साठ) दिन के भीतर, मरम्मत करेगा या उन्हें बदल देगा, परन्तु वह तब जब :—

(क) "पनवायर" को, अधिकथित त्रुटि की सूचना परिदान की तारीख से अट्ठारह (18) मास के भीतर या उसके उपयोग में लाए जाने के बारह (12) मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दे दी गई हो।

(ख) "पनवायर" की ऐसी त्रुटि की सूचना उसका पता चलने के बाद से साठ (60) दिन के भीतर दी जाएगी, परन्तु यह तब जब पनवायर द्वारा किए गए निरीक्षण से यह उपदर्शित हो कि पुर्जे त्रुटिपूर्ण हैं।

(ग) उपस्कर को, उपस्कर-विनिर्देशों में प्रकाशित पर्यावरणीय परिस्थितियों से भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में रखे जाने पर उसके सामान्य और समुचित रीति से काम न कर पाने को इस खंड के अधीनवर्ती त्रुटि नहीं समझा जाएगा।

(घ) पनवायर, उत्पादों के प्रयोग से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हुई हानि, नुकसान या व्यय के लिए या पारिणामिक नुकसान के लिए अथवा पूरकतः या अन्य उपस्कर के साथ संयुक्ततः उसका उपयोग करने में असमर्थ रहने पर भी किसी भी प्रकार दायी नहीं होगा।

(ङ) मरम्मत करने/बदलने के लिए 60 (साठ) दिन की अवधि की गणना त्रुटिपूर्ण उपस्कर "पनवायर" को प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।

(च) त्रुटिपूर्ण पुर्जा मरम्मत करने/बदलने के लिए समुचित रूप से पैक करके और माल भाड़ा व्यय का पूर्व संदाय करके "पनवायर" के कारखाने को वापस भेज दिया जाएगा।

2.4.3 पेटेंट अधिकार या विनिर्माण, परिदान और प्रदाय के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिलंघन से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के लिए "पनवायर" जिम्मेदार होगा।

2.5 पैकिंग और अभिवहन बीमा :

"पनवायर" स्थल तक प्रेषित करने के लिए, अनुसूची 1 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार पैक करेगा और संविदा रकम तक का अभिवहन बीमा कराएगा।

2.6 परेषिती, उपस्कर प्राप्त होने पर यदि प्राप्त किए गए उपस्कर की मात्रा और बीजक में दी गई मात्रा में अन्तर है तो मात्रा में ऐसे अन्तर की रिपोर्ट तैयार करने का हकदार होगा। ऐसी रिपोर्ट, परेषिती द्वारा उपस्कर, प्राप्त किए जाने के 30 (तीस) दिन के भीतर "पनवायर" को भेज दी जाएगी। पनवायर ऐसी सूचना मिलने के 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर कमी की पूर्ति कर देगा।

2.7 भारत सरकार, उपस्कर की गई सीमा तक वास्तविक परिवहन प्रभार और बिल के 1 प्रतिशत की दर से अभिवहन बीमा प्रभार की प्रतिपूर्ति, "पनवायर" को करेगी।

2.8 परेषक अनुदेश :

2.8.1 इस संविदा के अधीन प्रदान किए जाने वाले उपस्कर की पहचान संविदा सं० 43651/1/एस टी सी से की जाएगी और वह संख्यांक संविदा से संबंधित सभी पत्र व्यवहार में लिखा जाएगा।

2.8.2 "पनवायर" उपस्कर केवल उन्हीं यूनिटों को प्रेषित करेगा जिनके लिए भारत सरकार ने समय-समय पर सूचित किया हो।

2.9 इस संविदा के अधीन संदत्त उत्पाद-शुल्क और विक्रय कर के भिन्न सभी करों या उद्ग्रहणों की, संदाय का सबूत पेश किए जाने पर, "पनवायर" को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.10 "पनवायर" इस संविदा के अनुसरण में क्रय किए गए उपस्कर के परिचालन के लिए अपेक्षित उत्पाद आलंब, वारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से 10 (दस) वर्ष की अवधि तक देने की प्रत्याभूति देता है। यदि इस अवधि के पश्चात् किसी समय "पनवायर" इस उपस्कर का उत्पादन बन्द करने का विनिश्चय करता है तो "पनवायर" उत्पादन बन्द करने से कम से कम 12 (बारह) मास पूर्व "भारत सरकार" को अपने इस आशय की सूचना देगा जिससे कि "भारत सरकार" फालतू पुर्जों की टाइप अपेक्षा की समीक्षा कर सके और "पनवायर" को बता सके और "पनवायर" उनका प्रदाय करेगा।

2.11 अन्य पैरामीटर को प्रभावित किए बिना विनिर्दिष्ट कार्य पालन को सुनिश्चित करने वाले उपान्तर किए जाने की दशा में, ऐसे उपान्तर भारत सरकार के परामर्श से, किसी उसे पर कोई खर्च डाले बिना, उपस्कर सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।

यदि उपस्कर का प्रदाय किए जाने के पश्चात् ऐसे उपांतर किए जाने का सुझाव दिया जाता है जिनसे उत्पाद विनिर्देशों या कार्यपालन में सारवान सुधार होना हो तो "पनवायर" इन सुधारों की सूचना भारत सरकार को देगा और परस्पर सहमति से करार पाई गई कीमत पर उपस्कर का प्रदाय करेगा/उपस्कर में इन सुधारों को सम्मिलित करके उन्हें उपांतरित करेगा। किंतु भारत सरकार इस प्रस्थापना को अस्वीकार कर सकेगी।

2.12 "पनवायर" यह प्रत्याभूति देता है कि प्रदाय के लिए भारत सरकार से ली जाने वाली कीमतें ग्राहक के लिए अधिकतम अनुग्रह पूर्ण निबन्धनों के अनुरूप होंगी अर्थात् "पनवायर" द्वारा किसी अन्य ग्राहक से उतनी ही मात्रा और उन्हीं परिदान निबन्धनों पर ली गई या ली जाने वाली कीमतों से कम अनुकूल नहीं होंगी।

2.13 **दस्तावेजों की सुरक्षा :**

"पनवायर" इस संविदा के सम्बन्ध में "भारत सरकार" द्वारा किए गए किन्हीं विनिर्देशों, रेखांकों, रेखाचित्रों, ब्लयू-प्रिंटों या अन्य तकनीकी जानकारी इस संविदा के निष्पादन से सम्बद्ध अपने कर्मचारियों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा या उपलब्ध नहीं कराएगा और ऐसे कर्मचारी/प्राधिकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी जानकारी किसी अन्य पक्षकार या फर्म को संसूचित न करे।

2.14 **संविदा का अन्तरण** : "पनवायर" भारत सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, इस संविदा या इसके किसी भाग का अंतरण या समनुदेशन नहीं करेगा।

2.15 "पनवायर" भारत सरकार द्वारा इस संविदा के अधीन क्रय किए गए उपस्कर में या उसके पुर्जों में सुधार, उपान्तरण परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी, कोई अतिरिक्त प्रभार के लिए बिना, प्रदाय करेगा।

2.16 "पनवायर" अभिहित किए गए स्थान पर उपस्करों के पहले दो सैटों को प्रतिष्ठापित और चालू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ भारत सरकार के पास निःशुल्क भेजेगा। जहां तक संभव है, भारत सरकार "पनवायर" के विशेषज्ञों को वायुसेना कैंपस के भीतर, भारत सरकार को संदाय किए जाने पर, भोजनालय और आवास की, यथासम्भव सुविधाएं प्रदान करेगी। स्थल पर आने वाले विशेषज्ञों के नाम सुरक्षात्मक, निर्बाधन प्राप्त करने के लिए, कम से कम एक मास पहले ही भारत सरकार को सूचित कर दिए जाएंगे। "पनवायर" के कार्मिकों को भारत सरकार के परिसर में ठहरने के दौरान समय-समय पर प्रवृत्त सामान्य-सुरक्षा विनियमों के अधीन रहना होगा और वे विनियम "पनवायर" के विशेषज्ञों पर आबद्धकर होंगे।

2.17 यदि भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की जाती है तो "पनवायर" भारत सरकार को अनुसूची 1 में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त उप-समुच्चयों पुर्जों के लिए किट और परीक्षण उपस्कर का प्रदाय ऐसी कीमतों पर करेगा जो भारत सरकार और "पनवायर" के बीच परस्पर करार पाई जाएं।

2.18 संविदा पर हस्ताक्षर होने की तारीख से चार मास के भीतर "पनवायर" कुल उप-समुच्चयों और कुल घटकों की मूल्य-सूची "भारत सरकार" को देगा जिससे कि भारत सरकार अतिरिक्त पुर्जों के लिए आदेश दे सके। एक यूनिट के लिए सम्पूर्ण उप-समुच्चय किट की कुल कीमत परिकलित उपस्कर की, आदेश करने के समय, विद्यमान कीमत से अधिक नहीं होगी।

2.19 "पनवायर" संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 12 मास के भीतर एच एफ एस एस बी 100 वाट ट्रांस रिसीवर उपस्कर के रखरखाव के लिए अपेक्षित परीक्षण उपस्कर, स्थल पुर्जों, डिपो पुर्जों को, जिनकी सिफारिश की गई हो, सूची देगा।

अनुच्छेद 3

परिनिर्धारित नुकसानी

3.1 यदि "पनवायर" इस संविदा की अनुसूची 2 में दी गई परिदान अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय या समयों के पश्चात् से दो मास की अवधि के भीतर किसी उत्पाद का परिदान करने में असफल रहता है तो "पनवायर" भारत सरकार को उक्त मास के पश्चात् वाले विलंब की बाबत परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, इस प्रकार के विलम्ब के प्रत्येक एक सप्ताह की अवधि के लिए ऐसे परिदान न किए गए उत्पादों के संविदा मूल्य के एक बटे चार प्रतिशत (एक चौथाई प्रतिशत) की दर से संगणित और अधिकतम 5% (पांच प्रतिशत) रकम का संदाय के बराबर करेगा।

3.2 यदि "पनवायर" इस संविदा की अनुसूची 2 में दिए गए रूप में संविदा में विनिर्दिष्ट समय या समयों के पश्चात् से आठ मास के भीतर ऐसे उत्पादों का परिदान करने में असफल रहता है तो भारत सरकार को, किसी दायित्व के बिना, ऐसे उत्पादों की बाबत संविदा रद्द करने का अधिकार होगा।

3.3 संविदा इस प्रकार रद्द कर दी जाने पर "भारत सरकार" दी गई संपूर्ण धनराशि उस पर ब्याज और यदि भारत सरकार ने कोई अतिरिक्त खर्च उपगत किया है तो वह जोड़कर, वसूल करेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, ऐसी रद्द की गई संविदा के अधीन उत्पादों के स्थान पर युक्तियुक्त रूप से प्राप्य उत्पाद और सेवाएं सर्वोत्तम निबन्धनों पर प्राप्त कर सकेगी और "पनवायर" उत्पादों और सेवाओं के स्थान पर प्राप्त उत्पादों और सेवाओं की अतिरिक्त लागत के लिए भारत सरकार के प्रतिदायी होगा : परन्तु भारत सरकार ऐसी अतिरिक्त लागत कम करने का भरसक प्रयास करेगी।

3.4 अनुच्छेद 3 के अधीन भारत सरकार के अधिकार और उपचार अनन्य हैं और वे विधि या इस संविदा के अधीन उपर बन्धित अन्य अधिकारों और उपचारों के बदले में नहीं हैं।

अनुच्छेद 4

प्रशिक्षण

"पनवायर" भारत सरकार को, भारत सरकार के कार्मिकों के दो बैचों में, जिनमें कुल 6 (छह) अधिकारी और 12 (बारह) कर्मचारी होंगे, कम से कम 2 (दो) सप्ताह की अवधि के लिए अपने कारखाना परिसर में और यदि आवश्यक हो तो अपने विक्रेताओं, सहयुक्तों या समनुषंगियों के परिसर में प्रशिक्षण, जिसमें वास्तविक कार्य प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, निःशुल्क देगा। इन कार्मिकों के अन्य सभी व्यय, जैसे वेतन, यात्रा, भोजन और आवास व्यय, भारत सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

अनुच्छेद 5

समाप्ति और व्यतिक्रम

5.1 इसमें किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार को, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा "पनवायर" को 60 (साठ) दिन की सूचना देकर इस संविदा को पूर्णतः या भागतः किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा। "पनवायर" ऐसी सूचना मिलने पर संविदा के इस रद्द किए गए भाग के कार्यान्वयन पर आगे कोई खर्च उपगत करने के लिए बाध्य नहीं होगा और अपनी ओर से और इसके उप ठेकेदारों की ओर से, इस संविदा के रद्द किए गए भाग के समापन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करेगा। भारत सरकार का, संविदा के रद्द किए गए भाग के लिए तत्पश्चात् कोई संदाय करने का कोई दायित्व नहीं होगा और संविदा के रद्द किए गए भाग के अधीन उसकी समस्त बाध्यताएं, उनको छोड़ कर जो इसके पश्चात् उपबन्धित हैं, समाप्त हो जाएंगी।

5.2 संविदा के रद्द किए गए भाग की बाबत दोनों पक्षकारों के अपने-अपने अधिकार और बाध्यताएं बनी रहेंगी।

5.3 भारत सरकार द्वारा संविदा को या उसके किसी भाग को "पनवायर" के किसी व्यतिक्रम के बिना, रद्द किए जाने की दशा में, "भारत सरकार" "पनवायर" को, संविदा के रद्द किए गए भाग के प्रयोजन के लिए "पनवायर" द्वारा युक्तियुक्त और समुचित रूप से उपगत खर्च के परिणामस्वरूप होने वाली अपरिहार्य हानि से उसे बचाने के लिए, उसे रद्दकरण प्रभारों का संदाय करेगा। उक्त रद्दकरण प्रभार संविदा के रद्द किए गए भाग के लिए वास्तव में उपगत कुल खर्च के बराबर होंगे, परन्तु सदैव यह कि,—

(क) संविदा के रद्द किए गए भाग मद्धे भारत सरकार द्वारा "पनवायर" को किए गए सभी संदाय इस खंड के अधीन भारत सरकार द्वारा "पनवायर" को देय किसी रकम मद्धे समायोजित किए जाएंगे।

(ख) किसी भी दशा और परिस्थितियों में इस खंड के भारत सरकार का, संविदा के रद्द किए गए भाग के लिए "पनवायर" के प्रति संदाय का कुल दायित्व उस रकम से अधिक नहीं होगा जो संविदा के अधीन भारत सरकार द्वारा उस दशा में देय होती जब संविदा के उस भाग को रद्द न किया गया होता।

(ग) इस खंड के अधीन "भारत सरकार" द्वारा ऐसे समाप्त किए जाने पर पनवायर, "भारत सरकार" को वे सभी परिरूपित/अपरिरूपित वस्तुएं दे देगा जो इस संविदा के रद्द किए गए भाग के अन्तर्गत हों और "पनवायर" के कब्जे में हों या जो संविदा के रद्द किए गए भाग का पालन करने के लिए किसी उप-ठेकेदार या विक्रेता/प्रदायकर्ता द्वारा "पनवायर" को प्रदाय की गई हों। किन्तु "पनवायर" भारत सरकार की सम्मति और सहमति से कोई ऐसी वस्तु, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और "पनवायर" द्वारा भारत सरकार को ऐसा संदाय किए जाने पर प्रतिधारित रख सकेगा जो पक्षकारों के बीच परस्पर करार पाई जाएं। भारत सरकार के अनुरोध पर, "पनवायर" परस्पर करार पाए गए निबन्धनों पर ऐसी वस्तुओं का विक्रय कर सकेगा। "पनवायर" वचन देता है कि वह ऐसी दशा में, भारत सरकार की ओर से अधिकतम कीमत प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेगा।

5.4 "पनवायर" समाप्त किए गए भारत के सम्बन्ध में युक्तियुक्त समय के भीतर एक लेखा तैयार करेगा और उसकी एक प्रति भारत सरकार को देगा। इस लेखा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) भारत सरकार से पनवायर द्वारा प्राप्त की गई वे सभी रकमें जो संविदा के रद्द किए गए भाग से सम्बंधित हैं,

(ख) पनवायर द्वारा क्रय की गई वस्तुओं या भारत सरकार की ओर से अन्य पक्षकार को विक्रय की गई वस्तुओं की बाबत भारत सरकार को संदेय रकमें,

(ग) रद्द किए गए भाग के लिए उपगत सब खर्च।

5.5 भारत सरकार द्वारा उक्त लेखा, ऐसे सत्यापन के पश्चात् जो भारत सरकार आवश्यक समझे और जिसके लिए पनवायर सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा, स्वीकार कर लिए जाने पर, दोनों पक्षकार इस खंड के अधीन अपनी-अपनी बाध्यताओं का पालन करेंगे।

5.6 इस खंड के अधीन इस संविदा के या इसके किसी भाग के समाप्त किए जाने की दशा में, तकनीकी सहायता और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पनवायर की प्रतिबद्धता अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।

5.7 यदि भारत सरकार खंड—परिदान में विलम्ब—के उपबन्धों के अधीन संविदा रद्द कर देती है तो निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :—

(क) यदि इस प्रस्थापना के अधीन उपस्कर की परिचालन क्षमता, प्रदायकर्ता की सीमित व्याप्ति के कारण गंभीर रूप से कम नहीं हो जाती तो भारत सरकार संविदा को पूर्णतः रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी।

(ख) ऐसे रद्द किए जाने पर "पनवायर" रद्द किए गए भाग के लिए भारत सरकार द्वारा संदत्त की गई सभी रकमों को, जिसमें मूलधन, वृद्धि और ब्याज संबंधी संदाय भी सम्मिलित हैं, पूर्णतः तुरन्त वापस कर देगा।

(ग) "पनवायर" उक्त (ख) में अनुबन्धित रकम पर वार्षिक रूप से चक्र वर्धित 9.9 प्रतिशत (नौ दशमलव नौ प्रतिशत) की दर से ब्याज का भी संदाय करेगा।

(घ) यदि रद्दकरण के अन्तर्गत परिदत्त की जा चुकी वस्तुएं भी हों तो वे वस्तुएं उसी स्थान पर "पनवायर" को वापस कर दी जाएंगी।

5.8 यदि भारत सरकार इस खंड के उपबन्धों के अधीन इस आधार पर संविदा रद्द करती है कि उपस्कर इस संविदा की अनुसूची III में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं तो पनवायर संविदा के रद्द किए गए भाग के लिए भारत सरकार द्वारा संदत्त सब रकमों के, जिनके अन्तर्गत मूलधन, ब्याज और वृद्धि संबंधी संदाय भी हैं, 105 प्रतिशत (एक सौ पांच प्रतिशत) का भारत सरकार को तुरन्त संदाय करेगा। यदि परिदत्त की जा चुकी वस्तुएं भी रद्दकरण के अन्तर्गत हों तो वे वस्तुएं पनवायर को उसी स्थान पर वापस कर दी जाएंगी।

अनुच्छेद 6

अपरिहार्य घटना

6.1 यदि "पनवायर" देवकृत, सरकारी कार्य, युद्ध के कार्य, नाके बन्दी, घाटबन्दी, तोड़ फोड़, महामारी, क्रांति, हड़ताल, तालाबन्दी, बाढ़, अग्नि या बड़ी दुर्घटनाओं के कारण, जिनके परिणामस्वरूप प्रदाय को नुकसान पहुंचा हो या उसी प्रकार की अन्य घटनाओं के कारण प्रदाय और सेवाओं का परिदान, उनके लिए नियत तारीखों को न कर सका हो तो ऐसे विलम्ब क्षम्य विलम्ब होंगे, परन्तु यह तब जब कि,—

(क) ऐसी घटना घटित होने और समाप्त होने के 30 (तीस) दिन के भीतर "भारत सरकार" को सूचनाएं दे दी गई हों।

(ख) पनवायर ने दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध कर दिया हो कि उक्त घटनाओं से,—

(i) पनवायर के कार्यों के सम्पादन में विलम्ब हुआ है, और

(ii) उक्त घटनाएं पनवायर के युक्तियुक्त नियंत्रण से बाहर थीं,

उस दशा में परिदान की अवधि, अधिक से अधिक ऐसी घटनाओं की अवधि के लिए, बढ़ाया जाएगा। ऐसे विलम्ब के कारण कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

6.2 यदि ऐसी घटनाओं के घटित होने की दशा में क्षम्य विलम्ब 90 (नब्बे) दिन से परे जारी रहता है तो दोनों पक्षकार अविलम्ब एक दूसरे से परामर्श करने के लिए मिलेंगे और स्थिति का समुचित उपचार खोजने और सहमत होने के लिए प्रयत्न करेंगे। यदि क्षम्य विलम्ब 330 दिन से अधिक निरन्तर जारी रहता है तो भारत सरकार को, पनवायर को एक लिखित सूचना देकर, यह संविदा, पूर्णतः या भागतः, समाप्त करने का अधिकार होगा। संविदा के ऐसे समाप्त कर दिए जाने की दशा में, पनवायर संविदा के इस प्रकार समाप्त किए गए भाग की बाबत अपने द्वारा प्राप्त की गई सब रकमें भारत सरकार को तुरन्त वापस कर देगा।

अनुच्छेद 7

क्षतिपूर्ति

7.1 भारत सरकार पनवायर की संविदा के सम्बन्ध में ऐसी सभी प्रकार की हानियां, खर्चों और व्ययों की क्षतिपूर्ति करेगी और क्षतिपूरित रखेगी जो पनवायर ने भारत सरकार के कार्मिकों के साशय कार्यों या उपेक्षापूर्ण लोपों के कारण उपगत किए हों। पनवायर "भारत सरकार" की संविदा के सम्बन्ध में ऐसी सभी प्रकार की हानियों, खर्चों और व्ययों की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा जो भारत सरकार ने "पनवायर" के कार्मिकों के साशय कार्यों या उपेक्षापूर्ण लोपों के कारण उपगत किए हों।

अनुच्छेद 8

माध्यस्थम्

8.1 यदि इस प्रस्थापना/संविदा से या उसके सम्बन्ध में या उसके परिणामस्वरूप या उसके अर्थान्वयन या पालन के संबंध में कोई विवाद, मतभेद या प्रश्न के (जिसके अन्तर्गत इस प्रस्थापना/संविदा की विधिमान्यता से संबंधित विवाद, मतभेद या प्रश्न भी है) उत्पन्न होता है तो पक्षकार सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे।

8.2 यदि इस प्रस्थापना/संविदा से या उसके सम्बन्ध में या उसके परिणामस्वरूप या उसके अर्थान्वयन या पालन के संबंध में उत्पन्न होने वाला ऐसा विवाद, मतभेद या प्रश्न (जिसके अन्तर्गत इस प्रस्थापना/संविदा की विधिमान्यता से संबंधित विवाद, मतभेद या प्रश्न भी हैं) जिसका सौहार्दपूर्ण समझौता उस तारीख से, जिसको किसी एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को यह टिप्पणी करते हुए लिखित सूचना दी हो कि ऐसा विवाद, मतभेद या प्रश्न विद्यमान है, 60 (साठ) दिन के भीतर (या इतनी अधिक अवधि के भीतर जिसके सम्बन्ध में परस्पर सहमति हो) नहीं हो सकता है, भारत सरकार के विधि मंत्रालय में सचिव द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अनुसार माध्यस्थम् कार्यवाही करके अन्तिम रूप में निपटाएगा ऐसे माध्यस्थम् द्वारा अन्तिम विनिश्चय किए जाने तक पक्षकार इस संविदा का तत्परता से पालन करेंगे। पक्षकार, माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान, इस संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन करते रहेंगे परन्तु शोध्य या संदेय किसी रूप को, उस रकम को छोड़कर जिसके संदाय के सम्बन्ध में विवाद है और जो माध्यस्थम् कार्यवाही की विषयवस्तु है, विधारित नहीं किया जाएगा या उसके संदाय में विलम्ब नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

हक, स्वामित्व और जोखिम

9.1 परिदान कर दिए जाने पर, सभी प्रदायों के सम्बन्ध में हक, स्वामित्व और जोखिम भारत सरकार को संक्रान्त हो जाएगी। ऐसा हक संक्रान्त हो जाने पर प्रदाय भारत गणराज्य की सैनिक प्रकृति की सम्पत्ति हो जाएगा।

अनुच्छेद 10

सामान्य निबन्धन

10.1 यह संविदा, इसकी अनुसूचियां/इसके अनुलग्नक पनवायर द्वारा और सम्बद्ध/सहयुक्त उपस्कर के संबंध में (मौखिक या लिखित रूप में) पहले किए गए सभी व्यपदेशनों का, अनुसूचियों/अनुलग्नकों में सूचीबद्ध अभ्यावेदन को छोड़कर, अधिक्रांत करती है।

10.2 इस प्रस्थापना/की जाने वाली संविदा के अधीन विश्वास में प्रकट किए गए सभी तथ्यों का पक्षकार पूर्णतः गोपनीय मानेंगे और वे दूसरे पक्षकार की सम्मति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताए जाएंगे।

10.3 अनुसूचियों, उनमें के दस्तावेज और पार्श्व पत्र यदि कोई हों, इस प्रस्थापना के अभिन्न अंग हैं और इस प्रस्थापना के सभी उपबन्धों का सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाएगा।

10.4 इस प्रस्थापना के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उसमें और की जाने वाली संविदा में किए जाने वाले सभी संशोधन लिखित रूप में किए जाएंगे और उन पर दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करेंगे।

10.5 विनिमय दर में परिवर्तन हो जाने की दशा में, आयातित संघटकों/मदों के लागत बीमा और भाड़ा मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा। कोट की गई कीमतों में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। "पनवायर" इस सम्बन्ध में "भारत सरकार" को सूचित करेगा। किन्तु कीमतों में कोई परिवर्तन उस दशा में लागू नहीं होगा जब विनिमय दर में परिवर्तन 3 प्रतिशत तक (कम/अधिक) होता है। कीमतों की संगणना करने के लिए एक डालर को———रु० के बराबर माना जाएगा।

89-M/B(N)205MoILI&CA—13

10.6 "पनवायर" वारंटी की अवधि बीत जाने पर, "भारत सरकार" के साथ सेवा/अनरक्षण संविदा करने के लिए तैयार रहेगा ।

अनुच्छेद 11

आयात अनुज्ञप्ति

"पनवायर" भारतीय वायु सेना की अत्यावश्यकता पूरी करने के लिए————————उपस्कर का आयात करेगा ।

भारत सरकार "पनवायर" को————————उपस्कर का आयात करने के लिए अधिक से अधिक———— रुपए की निःशुल्क विदेशी मुद्रा निर्मुक्त करेगी ।

भारत सरकार आयात अनुज्ञप्ति, विदेशी मुद्रा निकासी संचार मंत्रालय की डब्ल्यू०पी०सी० और आयात शुल्क छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने में "पनवायर" को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी ।

अनुच्छेद 12

सूचनाएं

12.1 इस संविदा के अधीन दी गई या दी जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं, अनुरोध, सम्मति, मांग या अन्य संसूचनाएं लिखित रूप में होंगी और वे रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएंगी ।

12.2 "पनवायर" की दशा में यह पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड, बी-53, फेज-VI, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, चण्डीगढ़-160055, (भारत) के पते पर और "भारत सरकार" की दशा में यह निदेशक, ग्राउण्ड इलैक्ट्रानिक्स, वायुसेना मुख्यालय, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली-110066 के पते पर भेजी जाएगी ।

12.3 उपरोक्त पते में होने वाला परिवर्तन दूसरे पक्षकार को ऊपर 12.1 में बताए अनुसार सूचित किया जाएगा ।

12.4 सूचना, रजिस्ट्री डाक से भेजी जाने की दशा में रजिस्ट्री कराए जाने की तारीख से 10 (दस) दिन के भीतर या वास्तव में प्राप्त होने की तारीख को दोनों से जो भी पूर्वतर हो, प्राप्त हुई समझी जाएगी ।

अनुच्छेद 13

संविदा की प्रतियां

यह संविदा अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में निष्पादित की गई है और प्रत्येक पक्षकार ने एक मूल प्रति अपने पास रखी है ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके प्रत्येक पक्षकार ने यह संविदा ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को निष्पादित की ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से,	पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से,
श्री ने	ने,
1.	1.
2.	2.
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए
(साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम और पते)	(साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम और पते)

अनुज्ञप्ति विलेख

यह अनुज्ञप्ति विलेख, एक पक्षकार के रूप में, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में————————(बैंक/सोसाइटी/संगठन का नाम) (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) के बीच आज तारीख————————को किया गया ।

अनुज्ञप्तिधारी ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि उसे बैंक का विस्तारण काउंटर स्थापित करने के प्रयोजन के लिए ————————में स्थित सरकार की विरासतीय संपत्ति और परिसर की बाबत, जिसका विशिष्ट वर्णन इसमें आगे अनुसूची में किया गया है (जिसे इसमें आगे "उक्त परिसर" कहा गया है) इजाजत और अनुज्ञप्ति दी जाए और सरकार इसमें आगे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर ऐसा करने के लिए सहमत हो गई है;

अतः निम्नलिखित रूप में परस्पर करार किया गया है :—

1. अनुज्ञप्ति तारीख————————————को प्रारंभ हुई समझी जाएगी और यह पूर्णतः अस्थायी है। सरकार यह अनुज्ञप्ति कोई कारण बताए बिना, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना देकर, किसी भी समय, समाप्त कर सकेगी।

2. अनुज्ञप्तिधारी, मुख्य प्रशासनिक आफिसर, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेना मुख्यालय और अंतर-सेवा संगठन के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संवितरण के लिए संव्यवहार और सेवा करने के लिए सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है और यह अनुज्ञप्ति उस समय तक सरकार के एकमात्र विवेकानुसार, विधिमान्य रहेगी जब तक कि पूर्वोक्त सेवाएं सरकार को अपेक्षित हैं। यदि बैंक की सेवाओं की अपेक्षा नहीं रह जाती है तो इस अनुज्ञप्ति को समाप्त करने की एक मास की सूचना सरकार द्वारा दी जाएगी।

3. अनुज्ञप्तिधारी, एकमात्र उक्त परिसर की बाबत ही अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा और इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उक्त परिसर या उनके किसी भाग का ऐसा विधिक पट्टान्तरण है जिससे अनुज्ञप्तिधारी को उसमें कोई अधिकार या हित प्राप्त हो गया है किन्तु अनुज्ञप्तिधारी हो, इसमें यथा उल्लिखित उक्त परिसर में प्रवेश करने की इजाजत होगी।

4. (i) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक मास की पांच तारीख के पूर्व, मुख्य प्रशासनिक आफिसर, रक्षा मंत्रालय को प्रत्येक मास अग्रिम रूप में उतनी अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा जितनी सरकार समय-समय पर नियत करे। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त परिसर के लिए, जिनका वर्णन इससे उपाबद्ध अनुसूची में किया गया है, विद्यमान अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास————————————रु० (————————————रुपए) है।

(ii) ऊपर के खंड 4(i) में उल्लिखित अनुज्ञप्ति फीस की रकम में, अतिरिक्त भाड़ा/अतिरिक्त सेवा/अतिरिक्त सुविधा प्रभार सम्मिलित नहीं है जिनका उदग्रहण, उक्त परिसर के उपयोग और अधिभोग के लिए के०लो०नि०वि० द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर या ऐसी अन्य दरों पर अलग से किया जाएगा जो, इस अनुज्ञप्ति के प्रारंभ की तारीख से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर खाली कर दिए जाने की तारीख तक के लिए भूतलक्षी तौर पर प्रभावी होगी।

(iii) यदि इस विलेख के खंड 1 के अनुसार सरकार द्वारा इस अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के लिए दी गई सूचना की समाप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी सरकार को उक्त परिसर का शांतिपूर्ण और खाली कब्जा देने में असफल रहता है तो सरकार, विधि की प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को बेदखल करने की हकदार होगी और सरकार को, उक्त परिसर के अप्राधिकृत उपयोग और अधिभोग के लिए अनुज्ञप्तिधारी से, प्रतिसंहरण की सूचना की समाप्ति की तारीख से सरकार को खाली कब्जा दिए जाने की तारीख तक के लिए, प्रतिकर के रूप में ऐसी दरों पर नुकसानी का दावा करने और वसूल करने का अधिकार होगा जैसी सरकार विनिश्चित करे।

5. अनुज्ञप्तिधारी को, इस अनुज्ञप्ति के प्रारंभ की तारीख से इस अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहृत या समाप्त कर दिए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर खाली किए जाने की तारीख तक के लिए, उक्त परिसर से संलग्न उद्यान के, यदि कोई हो, अनुरक्षण, उक्त परिसर से संबंधित विद्युत और जल की खपत और उक्त परिसर की देखभाल के लिए वे प्रभार भी वहन करने होंगे, जो सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

6. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर में भवनों या उसके विद्युत या स्वच्छता संबंधी संस्थापनों में कोई परिवर्धन या परिवर्तन मुख्य प्रशासनिक आफिसर, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली का लिखित पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, नहीं करेगा और ऐसा अनुमोदन, यदि आवश्यक हो तो, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परामर्श से दिया जाएगा।

7. खंड 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उक्त परिसर में किए गए किसी परिवर्धन/परिवर्तन पर उपगत व्यय का वहन अनुज्ञप्तिधारी करेगा। वह उक्त परिसर को इस अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या समाप्ति के समय ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन की बाबत किसी भी प्रकार के प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा और ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन का फायदा सरकार को होगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर को हुए नुकसान (उचित टूट-फूट को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति करेगा। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या परिसर को कोई नुकसान हुआ है और प्रतिकर की कितनी रकम उस नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधीक्षक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम और इसके पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। अनुज्ञप्तिधारी, नुकसान की प्रकृति या नुकसानी की मात्रा की बाबत कोई विवाद प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर का उपयोग केवल अपने कारबार के प्रयोजन के लिए, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर या उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी भी प्रयोजन के लिए, किए जाने की अनुज्ञा, सरकार की लिखित पूर्व सहमति के बिना नहीं देगा।

10. उक्त परिसर का रख-रखाव सामान्य मानकों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहृत या समाप्त कर दिए जाने पर, उक्त परिसर का खाली कब्जा वैसी ही अच्छी दशा में देगा जैसी में वह अनुज्ञप्ति के प्रारंभ की तारीख को (उचित टूट-फूट को छोड़ कर) था।

इसके साक्ष्यस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति की ओर से——————————, उपयुक्त प्रशासनिक आफिसर, रक्षा मंत्रालय, ने और सिंडिकेट बैंक——————————, नई दिल्ली (अनुज्ञप्तिधारी) के श्री——————————ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

परिसर और अवस्थान का ब्यौरा

कमरा सं०——————————

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री——————————

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने ——————

(हस्ताक्षर)

1. ——————————

2. ——————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और निष्पादन किया।

अनुज्ञप्तिधारी ने, ——————

1. —————— (हस्ताक्षर)

2. ——————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और निष्पादन किया।

मसालों के प्रदाय के लिए संविदा

विशेष शर्तें

(क) मसालों की प्रत्येक मद का मुहरबंद नमुना निविदा के साथ देना होगा।

(ख) जिन मसालों के लिए कोटेशन दिए गए हों, उनका प्रदाय राशन स्टैण्ड, वायु सेना आस्थान,—————— में करना होगा। प्रदाय किए गए मसाले अच्छी क्वालिटी के होने चाहिएं और उनमें कोई बाहरी पदार्थ या नाशकजीव नहीं होने चाहिए। कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को, ऐसे प्रदायों को, जो अपेक्षित स्तर के नहीं हैं, अस्वीकार करने का अधिकार है।

(ग) मांग की जाने की तारीख से 24 घंटे के भीतर, अपेक्षित स्तर की उक्त मदों का प्रदाय करने में असफल रहने पर, कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को, उन मदों का, ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, अन्यत्र से क्रय करने का अधिकार है।

(घ) यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी मद की दर में कमी हो जाती है तो ठेकेदार की लिखित सहमति से संविदा का पुनर्विलोकन किया जाएगा अथवा एक मास की प्राविक सूचना देकर संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

(ङ) कोट की गई दरें शुद्ध दरें होनी चाहिए और ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में ऐसे विक्रय-कर और/या आनुषंगिक खर्च की बाबत, जो प्रदाय प्राप्त करने और उक्त खण्ड (ख) में बताए गए स्थान पर उनका प्रदाय करने की प्रक्रिया के दौरान उसने उपगत किए हों, न तो कोई दावा करेगा और न कोई बिल देगा।

(च) इस संविदा के अनुसार किए गए प्रदायों की बाबत सभी बिल, प्रवृत्त वायुसेना विनियमों के अनुसार और प्रत्येक मद के प्रदाय के एक मास के भीतर, प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

(छ) कमान आफिसर को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार है जो गलत तैयार किए जाते हैं और/या उक्त खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर——————————

(स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता)

साक्षी

1. हस्ताक्षर——————————
   स्पष्ट अक्षरों में नाम——————————
   और पता——————————

2. हस्ताक्षर——————————
   स्पष्ट अक्षरों में नाम——————————
   और पता——————————

दर्जीगीरी सेवा संविदा
संविदा की विशेष शर्तें

1. कार्य का समाधानप्रद रूप में किया जाना

यह सेवा कुशलता से की जाएगी और सभी वस्तुओं का निरीक्षण उनकी मरम्मत/विनिर्माण के पश्चात् कमान आफिसर या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य आफिसर द्वारा किया जाएगा। वह ऐसी किसी मरम्मत/विनिर्माण को, जो समाधान-प्रद रूप में नहीं किया गया है, ठेकेदार के खर्च पर नए सिरे से किए जाने का आदेश कर सकेगा।

2. सरकारी सम्पत्ति को हानि या नुकसान की जोखिम

ठेकेदार यह प्रत्याभूति देता है कि वह उसको जारी की गई सभी सरकारी सम्पत्ति सम्यक् रूप से लौटा देगा और यदि ठेकेदार, उसके सेवक, कर्मकार या अभिकर्ताओं के कब्जे या नियंत्रण में रहते हुए किसी भी कारणवश कोई वस्तु खो जाती है या उसे नुकसान पहुंचता है तो वह कमान आफिसर द्वारा निर्धारित दर पर उसके लिए संदाय करेगा। ठेकेदार के कब्जे में जो वस्तुएं हैं उनका हिसाब इस प्रयोजन के लिए नियुक्त आफिसर द्वारा किसी भी समय लिया जा सकेगा और ठेकेदार इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता देगा।

ठेकेदार उन वस्तुओं को, जो उसके कब्जे में हैं, चोरी या अग्नि से बचाने के लिए पूर्वावधानी बरतने की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा।

3. कामकाज का समय

परिसर, कमान आफिसर द्वारा अधिकथित निर्बंधनों के अनुसार कामकाज के लिए खुला रहेगा और कमान आफिसर उसका निरीक्षण सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा।

4. प्रतिभूति

यदि अपेक्षा की जाती है तो ठेकेदार संविदा के समाधानप्रद रूप में पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ———— रु० (———— रुपए) की बैंक प्रत्याभूति देगा या नकद निक्षेप करेगा।

5. किराया और विद्युत प्रभार

ठेकेदार ऐसे किराये और (जल, विद्युत आदि) अन्य प्रभारों के लिए दायी होगा, जो सैनिक इंजीनियरी सेवा उस भवन के लिए निर्धारित करे जो उसे आबंटित किए गए हैं। वह ऐसे किसी नुकसान के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा जो उसे आबंटित भवन या तम्बुओं को होता है।

6. कीमतें

इसमें कोट की गई सभी कीमतें शुद्ध और उसमें संग्रहण और परिदान के प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।

7. इस या किसी अन्य आदेश के स्वीकार किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि ठेकेदार को भारतीय वायु सेना की सम्पत्ति पर कोई प्राइवेट कार्य करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसा प्राधिकार कमान आफिसर के विवेकानुसार ही दिया जाएगा।

8. यदि अपेक्षा की जाए तो ठेकेदार आवश्यकतानुसार वस्त्र परेड में हाजिर होगा।

9. संविदा के कियान्वयन के लिए अपेक्षित सभी सामग्री का प्रदाय ठेकेदार करेगा।

10. फेरबदल के लिए दिए गए कपड़े सामान्य रूप से 72 घंटे (बहत्तर घंटे) के भीतर उनमें सम्यक् रूप से फेरबदल करके वापस कर दिए जाएंगे। यह अवधि असाधारण मामलों में ज्येष्ठ संभार (लाजिस्टिकस) आफिसर और ठेकेदार की परस्पर सहमति से शिथिल की जा सकेगी।

11. विनिर्माण सेवा विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए और विनिर्मित वस्तुएं उनके लिए पक्का आदेश दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर प्रदाय कर दी जाएंगी।

12. ठेकेदार, आस्थान पर किसी विनिर्दिष्ट पते पर सभी कार्य दिवस में सुगमता से उपलब्ध रहेगा।

13. इस संविदा के अनुसार किए गए कार्य की बाबत सभी बिल प्रवृत्त वायुसेना विनियमों के अनुसार और संबंधित कार्य के पूरा होने के एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।

14. कमान आफिसर को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो गलत तैयार किए गए हैं और/या जो उक्त पैरा 13 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए है।

15. यदि ठेकेदार उसको सौंपे गए कामकाज को समाधानप्रद रूप में करने में असफल रहता है या वह इस संविदा के निबंधनों के अनुसार किसी अनुदेश का अनुपालन नहीं करता है तो कमान आफिसर को ठेकेदार पर अपने विवेकानुसार जुर्माना अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर ————————

(स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता)————————

————————

तारीख ————

धुलाई संविदा

विशेष शर्तें

1. **कार्य का समाधानप्रद रूप में किया जाना**—यह सेवा कुशलता से की जाएगी और धुलाई के पश्चात् सभी वस्तुओं का निरीक्षण कमान आफिसर या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य आफिसर द्वारा किया जाएगा। वह ऐसी धुलाई को, जो समाधानप्रद रूप में नहीं की गई है, ठेकेदार के खर्च पर नए सिरे से किए जाने का आदेश कर सकेगा :

2. **सरकारी सम्पत्ति को हानि या नुकसान की जोखिम**—ठेकेदार यह प्रत्याभूति देता है कि वह, उसे जारी की गई सभी सरकारी सम्पत्ति सम्यक् रूप से लौटा देगा और यदि ठेकेदार, उसके सेवक, कर्मकार और अभिकर्ताओं के कब्जे या नियंत्रण में हुए, किसी भी कारणवश, कोई वस्तु खो जाती है या उसे नुकसान पहुंचता है तो वह कमान आफिसर द्वारा निर्धारित दर पर उसके लिए संदाय करेगा। ठेकेदार के कब्जे में जो वस्तुएं हैं उनका हिसाब इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कमान आफिसर द्वारा किसी भी समय लिया जा सकेगा और ठेकेदार इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता देगा।

ठेकेदार उन वस्तुओं को जो उसके कब्जे में हैं, चोरी या अग्नि से बचाव के लिए पूर्वावधानी बरतने की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा।

3. **काम काज का समय**—परिसर, कमान आफिसर द्वारा अधिकथित निर्बंधनों के अनुसार कामकाज के लिए खुला रहेगा और कमान आफिसर उसका निरीक्षण सभी युक्ति युक्त समयों पर कर सकेगा।

4. **प्रतिभूति**—यदि ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है तो वह संविदा के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ———— रु० (———— रुपए) की बैंक प्रत्याभूति देगा या नकद निक्षेप करेगा।

5. **किराया और विद्युत प्रभार**—ठेकेदार ऐसे किराए और (जल, विद्युत आदि) अन्य प्रभारों के लिए दावी होगा जो सैनिक इंजीनियरी सेवा उस भवन के लिए निर्धारित करे जो उसे आवंटित किए गए हैं। वह ऐसे किसी नुकसान के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा जो उसे आवंटित भवन या वस्तुओं को होता है।

6. **कीमत**—सभी कीमतें शुद्ध होंगी और संग्रहण तथा परिदान का खर्च ठेकेदार वहन करेगा।

7. इस या किसी अन्य आदेश के स्वीकार किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि ठेकेदार को भारतीय वायुसेना की सम्पत्ति पर कोई प्राइवेट कार्य करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसा प्राधिकार कमान आफिसर के विवेकानुसार ही दिया जाएगा।

8. ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह धुलाई के लिए अपनी सभी सामग्री का प्रदाय स्वयं करे।

9. कमान आफिसर, जल का निःशुल्क प्रदाय करेगा।

10. (क) कपड़े जमीन पर नहीं सुखाए जाएंगे।

(ख) जब कभी आवश्यक हो, कपड़ा को विसंक्रामक युक्त जल में उबाला जाएगा।

(ग) कपड़े अप्रवाहित जल में नहीं धोए जाएंगे।

(घ) कलफ लगाने के लिए मांड का उपयोग नहीं किया जाएगा बल्कि उपयुक्त वाणिज्यिक स्टार्च (कलफ) का उपयोग किया जाएगा।

(ङ) कपड़ों पर पड़े सभी धब्बों को हटाना होगा।

(च) धोने के पश्चात् सभी कपड़ों पर अच्छी तरह से इस्त्री की जाएगी।

11. धुलाई के लिए दिए गए कपड़े सम्यक् रूप से धोकर 72 घंटे (बहत्तर घंटे) के भीतर वापस कर दिए जाने चाहिएं किन्तु यह अवधि परस्पर सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

12. ठेकेदार, आस्थान पर किसी विनिर्दिष्ट पते पर सभी कार्य दिवस में सुगमता से उपलब्ध रहेगा।

13. इस संविदा के अनुसार किए गए कार्य की बाबत सभी बिल प्रवृत्त वायुसेना विनियमों के अनुसार और संबंधित कार्य के पूरा होने के एक मास के भीतर, प्रस्तुत किए जाएंगे ।

14. कमान आफिसर को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो गलत तैयार किए गए हैं और/या जो उक्त पैरा 13 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए हैं ।

15. यदि ठेकेदार उसको सौंपे गए काम को समाधानप्रद रूप में करने में असफल रहता है या वह इस संविदा के निबंधनों के अनुसार किसी अनुदेश का अनुपालन नहीं करता है तो कमान आफिसर को ठेकेदार पर अपने विवेकानुसार जुर्माना अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर ————————————
नाम और पता (पूरा) ————————————
स्पष्ट अक्षरों में ————————————

कम्बलों की निर्जल धुलाई (ड्राईक्लीनिंग) के लिए विशेष शर्तें

1. **कार्य समाधानप्रद रूप में किया जाएगा**—यह सेवा कुशलता से की जाएगी और निर्जल धुलाई के पश्चात् सभी कंबलों का निरीक्षण कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले किसी आफिसर द्वारा किया जाएगा । उक्त आफिसर ऐसी किसी निर्जल धुलाई को, जो समाधानप्रद रूप से नहीं की गई है, ठेकेदार के खर्च पर, नए सिरे से किए जाने का आदेश कर सकेगा ।

2. **सरकारी सम्पत्ति को हानि या नुकसान**—ठेकेदार यह प्रत्याभूति देता है कि वह, उसे जारी किए गए सभी कम्बल सम्यक् रूप से लौटा देगा और यदि ठेकेदार, उसके सेवक, कर्मकार या अभिकर्ताओं के कब्जे या नियंत्रण में रहते हुए, किसी भी कारणवश कोई कंबल खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो वह कमान आफिसर द्वारा निर्धारित दर पर उसके लिए संदाय करेगा । ठेकेदार के कब्जे में जो कम्बल हैं उनका हिसाब कमान आफिसर या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी आफिसर द्वारा किसी भी समय लिया जा सकेगा और ठेकेदार इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता देगा ।

3. ठेकेदार उन कंबलों को जो उसके कब्जे में हैं, चोरी या अग्नि से बचाने के लिए पूर्वावधानी बरतने की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा ।

4. निर्जल धुलाई किए गए कम्बलों के परिदान और संग्रहण की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी ।

5. कंबलों पर पड़े सभी धब्बे हटाए जाएंगे और निर्जल धुलाई के पश्चात् कंबलों पर ठीक से इस्त्री की जाएगी ।

6. ठेकेदार को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो गलत तैयार किए गए हैं ।

7. यदि निर्जल धुलाई करने वाला ठेकेदार, उसे सौंपे गए काम को समाधानप्रद रूप से करने में असफल रहता है या वह विशेष शर्तों के अनुसार, उसे जारी किए गए अनुदेशों का, अनुपालन नहीं करता है तो कमान आफिसर को अपने विवेकानुसार जुर्माना अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।

8 **दरें**—कम्बलों की निर्जल धुलाई के लिए कोट की गई दरें शुद्ध होंगी और उन में संग्रहण और परिदान का खर्च सम्मिलित नहीं होगा । ऐसा खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा ।

9. इस या किसी अन्य आदेश के स्वीकार किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि ठेकेदार को भारतीय वायु सेना की सम्पत्ति पर कोई प्राइवेट कार्य करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया है । ऐसा प्राधिकार कमान आफिसर के विवेकानुसार ही दिया जाएगा ।

10. ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि कंबलों की निर्जल धुलाई करने के लिए सभी सामग्री का प्रदाय करे । कम्बलों की निर्जल धुलाई के लिए वायुसेना किसी सामग्री का प्रदाय नहीं करेगी ।

11. निर्जल धुलाई के लिए दिए गए कम्बल, सम्यक् रूप से निर्जल धुलाई करके एक सप्ताह की अवधि के भीतर, वापस कर दिए जाने चाहिए किन्तु यह अवधि परस्पर सहमति से घटाई-बढ़ाई जा सकेगी ।

12. ठेकेदार विनिर्दिष्ट पते पर सभी कार्य-दिवसों में सुगमता से उपलब्ध रहेगा ।

13. इस चालू संविदा के अनुसार किए गए कार्य की बाबत सभी बिल प्रवृत्त वायुसेना विनियमों के अनुसार और संबंधित कार्य के पूरा होने के एक मास के भीतर, प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

14. इस संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार सेवाएं इस यूनिट के कमान आफिसर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार ———————————— में की जानी है और इस प्रकार की गई सेवाओं की बाबत बिल संदाय के लिए कमान आफिसर को भेजे जाएंगे ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर ————————————
नाम और पता
(स्पष्ट अक्षरों में) ————————————

रंगीन चिथड़ों के प्रदाय के लिए संविदा

विशेष शर्तें

1. रंगीन चिथड़ों की मद के मुहरबंद नमूने निविदा के साथ देने होंगे।

2. रंगीन चिथड़ों की जिस मद के लिए कोटेशन ऊपर दिया गया है उसका प्रदाय ———— में करना होगा। ऊपर वर्णित मद अनुमोदित विनिर्देश/नमूनों के अनुरूप होनी चाहिए। कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को ऐसे प्रदायों को, जो अपेक्षित स्तर के नहीं हैं, अस्वीकार करने का अधिकार है।

3. अपेक्षित स्तर की उपर्युक्त मदों का, उनकी मांग की जाने के 10 दिन के भीतर, प्रदाय न किए जाने पर कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को, ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, उसका अन्यत्र से क्रय करने का अधिकार है।

4. कोट की गई दरें शुद्ध होनी चाहिए और ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में ऐसे विक्रय कर और/या आनुषंगिक व्यय की बाबत, जो प्रदायों को प्राप्त करने और उक्त खंड 2 में बताए गए स्थान पर उनका प्रदाय करने की प्रक्रिया के दौरान उसने उपगत किए हैं, न तो कोई दावा करेगा और न कोई बिल देगा।

5. इस संविदा के अनुसार किए गए प्रदायों की बाबत सभी बिल प्रवृत्त वायुसेना विनियमों के अनुसार और मद के प्रदाय के एक मास के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

6. कमान आफिसर को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो गलत तैयार किए गए हैं और या उक्त खंड 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात प्रस्तुत किए गए हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर————

स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————

साक्षी

1. हस्ताक्षर— ————
   स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————
2. हस्ताक्षर————
   स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————

कपड़े धोने के सोडा के प्रदाय के लिए संविदा

विशेष शर्तें

कपड़े धोने के सोडा के मुहरबंद नमूने निविदा के साथ देने होंगे।

विनिर्देश :—विनिर्देश ———— के अनुरूप।

2. कपड़े धोने के सोडा की जिस मद के लिए कोटेशन दिया जाता है, उसका प्रदाय उपस्कर अनुभाग, वायुसेना आस्थान,— ————में करना होगा। ऊपर वर्णित मद अनुमोदित विनिर्देश/नमूना के अनुरूप होनी चाहिए। कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को, ऐसे प्रदाय अपेक्षित स्तर के नहीं है, अस्वीकार करने का अधिकार है।

3. अपेक्षित स्तर की उपर्युक्त मदों का, उनकी मांग की जाने के 10 दिन के भीतर, प्रदाय न किए जाने पर कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को, ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, उसका अन्यत्र से क्रय करने का अधिकार है।

4. कोट की गई दरें शुद्ध दरें होनी चाहिए और ठेकेदार भी परिस्थिति में ऐसे विक्रय-कर और/या आनुषंगिक व्यय की बाबत, जो प्रदाय प्राप्त करने और उक्त खंड 2 में बताए गए स्थान पर उनका प्रदाय करने की प्रक्रिया के दौरान उसने उपगत किए हों, न तो कोई दावा करेगा और न ही कोई बिल देगा।

5. इस संविदा के अनुसार किए गए प्रदायों की बाबत सभी बिल प्रवृत्त वायुसेना विनियमों के अनुसार और मद के प्रदाय के एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।

6. कमान आफिसर को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो गलत तैयार किए जाते हैं और/या उक्त खंड 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात प्रस्तुत किए जाते हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर ————

स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————

साक्षी

1. हस्ताक्षर ————
   स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————
2. हस्ताक्षर ————
   स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————

पीले साबुन के प्रदाय के लिए संविदा

विशेष शर्तें

(क) नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पीले साबुन के मुहर बंद नमूने (प्रत्येक बार का भार 340 ग्राम या लगभग 12 औंस होना चाहिए) निविदा के साथ देने होंगे ।

विनिर्देश :—रूप आकार और भार निम्नानुसार होंगे :–

नौकोर बार :—लगभग 12 से॰मी॰ × 5.5 से॰ मी॰ × 5 से॰ मी॰ भार लगभग 340 ग्राम और प्रत्येक बार में फलहाइड्रस साबुन अंतर्वस्तु 240 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) पीले साबुन की जिस मद के लिए कोटेशन दिया जाना है उसका प्रदाय———————————————— में करना होगा। प्रदाय किया जाने वाला साबुन ऊपर वर्णित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को ऐसे प्रदाय जो अपेक्षित स्तर के नहीं है, अस्वीकार करने का अधिकार है ।

(ग) अपेक्षित स्तर की उपर्युक्त मदों का, उनकी मांग की जाने के 10 दिन के भीतर, प्रदाय न किए जाने पर कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को और ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, उनका अन्यत्र से क्रय करने का अधिकार है।

(घ) कोट की गई दरें शुद्ध होनी चाहिए और ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में ऐसे विक्रय-कर और/या आनुषंगिक व्यय की बाबत, जो प्रदायों को प्राप्त करने और उक्त खंड (ख) में बताए गए स्थान पर उनका प्रदाय करने की प्रक्रिया के दौरान उसने उपगत किए हों, न तो कोई दावा करेगा और न कोई बिल देगा ।

(ङ) इस संविदा के अनुसार किए गए प्रदायों की बाबत सभी बिल प्रवृत्त वायु सेना विनियमों के अनुसार और मद के प्रदाय के एक मास के भीतर, प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

(च) कमान आफिसर को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो गलत तैयार किए जाते हैं और/या उक्त खंड ।

(छ) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर ————————
स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————————
————————————————

साक्षी

1. हस्ताक्षर ————————————————
 स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————————————
2. हस्ताक्षर————————————————
 स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————————————

रूई की छीजन के प्रदाय के लिए संविदा

विशेष शर्तें

1. रूई की छीजन के मुहरबंद नमूने निविदा के साथ देने होंगे ।

विनिर्देश :—विनिर्देश ———————— के अनुरूप ।

2. रूई की छीजन की जिस मद के लिए कोटेशन दिया जाता है उसका प्रदाय ———————————————— में करना होगा। ऊपर वर्णित मद अनुमोदित विनिर्देश/नमूनों के अनुरूप होनी चाहिए। कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को ऐसे प्रदायों को, जो अपेक्षित स्तर के नहीं हैं, अस्वीकार करने का अधिकार है।

3. अपेक्षित स्तर की उपर्युक्त मदों का, उनकी मांग की जाने के 10 दिन के भीतर, प्रदाय न किए जाने पर कमान आफिसर या उसके लिए कार्य करने वाले आफिसर को, ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर, उसका अन्यत्र से क्रय करने का अधिकार है ।

4. कोट की गई दरें शुद्ध होनी चाहिए और ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में ऐसे विक्रय-कर और/या आनुषंगिक व्यय की बाबत जो प्रदायों को प्राप्त करने और उक्त खंड 2 में बताए गए स्थान पर उनका प्रदाय करने की प्रक्रिया के दौरान उसने उपगत किए हों, न तो कोई दावा करेगा और न कोई बिल देगा।

5. इस संविदा के अनुसार किए गए प्रदायों की बाबत सभी बिल प्रवृत्त वायुसेना विनियमों के अनुसार और मद के प्रदाय के एक मास के भीतर, प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

6. कमान आफिसर को उन बिलों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो गलत तैयार किए गए हैं और/या उक्त खंड 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए हैं ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर ————————
स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————————
————————————————

साक्षी

1. हस्ताक्षर ————————————————
 स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————————————
2. हस्ताक्षर ————————————————
 स्पष्ट अक्षरों में नाम और पता ————————————

शपथ-पत्र का नमूना प्ररूप

मैसर्स ---------- के स्वत्वधारी / भागीदार/ निदेशक/ कुटुम्ब या एसोसिएशन का/के सदस्य मैं/हम निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरा/हमारा उस करादेय राज्यक्षेत्र के, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 में परिनिश्चित है, बाहर आय का कोई स्थान नहीं है और यह कि गत प्रत्येक पांच वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से मेरी/हमारी आय करादेय परिसीमा से कम रही है अथवा गत प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान मेरी/हमारी आय का मुख्य स्रोत कृषि रहा है जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा (3) के अधीन कर के संदाय से मुक्त है। मेरी/हमारी किसी अन्य स्रोत से ऐसी कोई आय नहीं है जिस पर उक्त अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता है।

तारीख ----------

ठेकेदार के हस्ताक्षर

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

तटरक्षक (बल) में सहायक कमांडेंट के पद के लिए आरंभिक अंतिम साक्षात्कार (प्रमाण-पत्र या अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेगा)

मैं (नाम) ----------, जो सहायक कमांडेंट के पद के लिए अभ्यर्थी हूं, यह प्रमाणित करता हूं कि मैं इस बात से पूर्णतः अवगत हूं कि मैं, यदि अपेक्षा की गई तो, अपनी पूर्ण और स्वतंत्र सहमति से और अपनी जोखिम पर आरंभिक और अंतिम साक्षात्कार बोर्डों के समक्ष उपस्थित होऊंगा और मैं किसी क्षति की बाबत जो मुझे उक्त साक्षात्कार बोर्डों के समक्ष ली जाने वाली परीक्षा के दौरान या परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की उपेक्षा के कारण या अन्यथा होती है, सरकार से कोई प्रतिकर या अन्य अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होऊंगा।

स्थान ----------

तारीख ----------

हस्ताक्षर ----------

संलग्नक–1

[तटरक्षक मुख्यालय के तारीख————————
के पत्र सं० आर टी/0103/————————
का पैरा 4 (ग) देखिए]

तटरक्षक बल में सहायक कमांडेंट के रूप में आरंभिक प्रशिक्षण के लिए चुने गए अभ्यर्थी तथा उसके माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला बंधपत्र

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री————————————(माता-पिता/संरक्षक का पूरा नाम), जो ————————————(माता-पिता/संरक्षक के पिता का पूरा नाम) का पुत्र है और———————— ————————का निवासी है, (जिसे इसमें आगे "प्रत्याभूति दाता" कहा गया है जिस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ (निवास-स्थान का पता)
के अनुकूल है, उसके वैयक्तिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री———————— (अभ्यर्थी का पूरा नाम) जो पूर्वोक्त प्रत्याभूति दाता का पुत्र/प्रतिपाल्य है (जिसे इसमें आगे आफिसर कहा गया है) और तीसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख————————, को किया गया ।

2. सरकार ने तटरक्षक (बल) में एक आफिसर के रूप में नियुक्त करने की दृष्टि से आरंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए इसमें आगे दर्शित निबंधनों पर, आफिसर का चयन किया है परन्तु यह तब जब सरकार उसे सभी प्रकार से उपयुक्त समझे ।

3. ऊपर निर्दिष्ट पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उक्त आफिसर का चयन किए जाने के परिणामस्वरूप, प्रत्याभूतिदाता सरकार के साथ यह प्रसंविदा करता है कि आफिसर समनुदेशित पद धारण करने के लिए ऐसी विहित अवधियों का जो सरकार समय-समय पर अवधारित करे, पूर्वोक्त प्रशिक्षण तब तक प्राप्त करेगा जब तक वह योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता (जिसके बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर विहित समुचित आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा और वह विहित परिवीक्षाधीन अवधि पूरी नहीं कर लेता)। यह निबंधन उस दशा में लागू नहीं होगा जब वह आफिसर मृत्यु या अस्वस्थ होने के कारण या ऐसे किसी अन्य कारणवश जो उसके नियंत्रण से परे हो, ऐसा करने से निवारित हो जाता है या उसे इस आधार पर हटा दिया जाता है कि उक्त समुचित आफिसर ने उक्त आफिसर को परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त मान लिया है ।

4. यदि आफिसर किसी कारणवश, जो उसके नियंत्रण से परे नहीं है, अपने प्रशिक्षण और परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी नहीं करता है या उसे समनुदेशित पद धारण नहीं करता है तो प्रत्याभूतिदाता और आफिसर संयुक्ततः और पृथकतः ऐसी रकम का, जो सरकार नियत करे और जो ऐसे व्यय की रकम से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने उस आफिसर के प्रशिक्षण मद्दे किया है, और सरकार से वेतन और भत्ते के रूप में प्राप्त सभी धन का और उक्त धन पर सरकारी ऋण के लिए प्रवृत्त दर पर ब्याज का, सरकार को तुरन्त नकद संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

5. प्रत्याभूतिदाता यह भी करार करता है कि प्रत्याभूति दाता किसी निबंधन में किसी परिवर्तन या सरकार द्वारा आफिसर के प्रति किसी उदारता के बरते जाने के कारण या किसी ऐसे विषय या बात के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा जो यदि यह उपबंध न होता तो, प्रतिभू से संबंधित विधि के अधीन प्रत्याभूतिदाता को अपने दायित्व से मुक्ति देती ।

6. अंत में यह करार किया जाता है कि यदि इस विलेख के प्रभाव या अर्थ के संबंध में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व कोई उपबन्ध नहीं है, तो वह विनिश्चय के लिए, रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस बाबत विनिश्चय अंतिम होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए :—

प्रत्याभूतिदाता श्री————————————ने,
(नाम, पदनाम और पता स्पष्टतः लिखिए)
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

————————
(हस्ताक्षर)

साक्षी श्री————————
नाम :
पदनाम :
पता (स्पष्टतः लिखिए) :

————————
(साक्षी के हस्ताक्षर)

उक्त आफिसर श्री—————————————ने,
(नाम और पता स्पष्टतः लिखिए)
निम्नलिखित साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

——————————
(हस्ताक्षर)

साक्षी श्री——————————————
(नाम, पदनाम और पता स्पष्टतः लिखें)

——————————
(साक्षी के हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित साक्षी की उपस्थिति में
हस्ताक्षर किए गए :—

——————————
(हस्ताक्षर)

साक्षी :——————————————
(नाम, पदनाम और पता स्पष्टतः लिखिए)

——————————
(साक्षी के हस्ताक्षर

बंधपत्र में सम्मिलित न किया जाए

टिप्पणी 1. बंधपत्र (या करार) माता-पिता या संरक्षक और चुने गए अभ्यर्थी द्वारा, चयन की प्रस्थापना स्वीकार की जाने पर, तुरंत निष्पादित किया जाएगा।

2. यह न्यायिकेतर स्टांपपत्र पर निष्पादित की जानी चाहिए। प्रत्याभूतिदाता (प्रत्याभूतिदाता शब्द के स्पष्टीकरण के लिए कृपया पैरा 3 देखें) आवश्यक स्टांपपत्र स्थानीय राजस्व अधिकारी से क्रय करेगा। अपेक्षित स्टांप-पत्र का मूल्य विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। स्टांपपत्र जिस पर करार (अर्थात् बंधपत्र) निष्पादित किया जाना है, का वास्तविक मूल्य, प्रत्याभूतिदाता उस जिले के जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है, स्टांपपत्र अधीक्षक से सुनिश्चित करेगा।

3. "प्रत्याभूतिदाता" शब्द से अभिप्रेत है, यथास्थिति, माता-पिता (पिता) या संरक्षक। यदि पिता जीवित है तो बंधपत्र अभ्यर्थी की माता द्वारा निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए।

4. प्रत्याभूतिदाता के हस्ताक्षर किसी सेवारत या पेंशन प्राप्त आयुक्त, आफिसर या राजपत्रित प्रास्थिति के किसी सिविल सरकारी सेवक द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। यदि प्रत्याभूतिदाता स्वयं राजपत्रित अधिकारी है तो भी उसके हस्ताक्षर ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में अनुप्रमाणित किए जाएंगे।

5. पूरा किया गया बंधपत्र उस यूनिट को सौंपा जाएगा जहां रिपोर्ट की जानी है।

6. बंधपत्र पर राष्ट्रपति की ओर से महानिदेशक, तटरक्षक (बल) हस्ताक्षर करेगा।

संलग्नक–II

(तटरक्षक मुख्यालय पत्र सं० आर टी/0103/
तारीख——————का पैरा 5 देखें)

तटरक्षक (बल) में नियुक्ति के लिए चुने गए आफिसर द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री——————————(अभ्यर्थी का पूरा नाम), जो श्री—————— (पिता का पूरा नाम लिखें) का पुत्र और——————————(निवास-स्थान का पता लिखिए), का निवासी है, जिसे इसमें आगे "आफिसर" कहा गया है, (जिस पद के अंतर्गत जब तक संदर्भ के अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री——————————जो श्री——————(पिता

(प्रतिभू का पूरा नाम)

का पूरा नाम) का पुत्र है (जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है) जिस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी हैं, तथा भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख——————को किया गया।

सरकार ने श्री——————————(आफिसर का नाम) का, इस बात के अधीन रहते हुए चयन किया है कि वह ——————————तक या ऐसी पश्चात्‌वर्ती तारीख तक, जो सरकार इस निमित्त नियत करे, नीचे वर्णित दस्तावेज (जिन्हें इसमें आगे उक्त दस्तावेज कहा गया है) सरकार को प्रस्तुत कर देगा :—

(क) जन्म की तारीख उपदर्शित करने वाला हाई स्कूल प्रमाणपत्र या समतुल्य;

(ख) पद के लिए आधारभूत अर्हताएं उपदर्शित करने वाला डिग्री प्रमाणपत्र।

अत: यह इस बात का साक्षी है और इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि,—

1. आफिसर के अनंतिम चयन के प्रतिफलस्वरूप, आफिसर और प्रतिभू सरकार के साथ यह प्रसंविदा करते हैं कि उक्त दस्तावेज महानिदेशक, तटरक्षक को——————————19——————तक या ऐसी पश्चात्‌वर्ती तारीख तक, जो सरकार नियत करे, प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

2. यदि किसी कारणवश उक्त दस्तावेज, ऊपर की गई प्रसंविदा के अनुसार, उनके प्रस्तुत किए जाने के लिए सरकार द्वारा नियत किए गए समय के भीतर, प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो आफिसर को तटरक्षक की सेवा से हटाया जा सकता है और प्रतिभू तथा आफिसर संयुक्तत: और पृथक्‌त: ऐसे व्ययों से अनधिक ऐसी रकम का, जो सरकार उक्त प्रशिक्षण की बाबत आफिसर मद्दे उपगत करे, और उसके साथ आफिसर द्वारा वेतन और भत्तों के रूप में सरकार से प्राप्त सभी धन (इस प्रकार संदेय रकम के बारे में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा) तथा उक्त धन पर सरकारी ऋण के लिए प्रवृत्त दर पर परिकलित ब्याज का सरकार को तुरंत नकद संदाय करने के लिए दायी होंगे।

3. यदि सरकार द्वारा उक्त धन की वसूली के लिए आफिसर को कोई समय दिया जाता है या उसके प्रति कोई अन्य अनुग्रह दर्शित किया जाता है तो उससे न तो प्रतिभू के दायित्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इसके अधीन देय रकम के लिए प्रतिभू के विरुद्ध वाद लाने से पूर्व आफिसर के विरुद्ध वाद लाए।

4. यदि इस विलेख के आशय या अर्थ के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव को, विनिश्चय के लिए, निर्देशित किया जाएगा और इस बाबत उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

ऊपर नामित आफिसर ——————————ने,
(नाम और पता स्पष्टत: लिखिए)

निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :— ——————————
(हस्ताक्षर)

साक्षी ——————————————
(नाम, पदनाम और पता स्पष्टतः लिखें)
ऊपर नामित प्रतिभू ने (नाम, पदनाम और पता स्पष्टतः लिखिए) निम्नलिखित साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :—

——————————
(साक्षी के हस्ताक्षर)

——————————
(हस्ताक्षर)

साक्षी ——————————————ने,
(नाम, पदनाम और पता स्पष्टतः लिखिए)

——————————
(साक्षी के हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से————ने,
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :—

——————————
(हस्ताक्षर)

साक्षी——————————————
(नाम, पदनाम और पता स्पष्टतः लिखिए)

——————————
(साक्षी के हस्ताक्षर)

करार में सम्मिलित न किया जाए

1. चयन की प्रस्थापना स्वीकार करते ही यह करार प्ररूप, प्रतिभू और चुने गए अभ्यर्थी द्वारा निष्पादित किया जाए।

2. यह न्यायिकेतर स्टांपपत्र पर निष्पादित किया जाना चाहिए। आवश्यक स्टांपपत्र प्रतिभू स्थानीय राजस्व अधिकारी से क्रय करेगा। अपेक्षित स्टांपपत्रों का मूल्य विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। प्रतिभू उन स्टांपपत्रों का, जिन पर करार (अर्थात् करार प्ररूप) निष्पादित किया जाना है, वास्तविक मूल्य उस जिले के, जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है, सटांप अधीक्षक से सुनिश्चित करेगा।

3. प्रतिभू के हस्ताक्षर राजपत्रित प्रास्थिति के किसी व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। यदि प्रतिभू स्वयं राजपत्रित अधिकारी है तो भी उसके हस्ताक्षर ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में अनुप्रमाणित किए जाएंगे।

4. करार पर राष्ट्रपति की ओर से महानिदेशक, तटरक्षक, हस्ताक्षर करेगा।

संविदा करार

यह करार, स्थापन निदेशालय, अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, "ख" खण्ड, सेना भवन, नई दिल्ली को अपेक्षित रूप में डी० एल० वाई० कारें किराए पर दी जाने के लिए मैं————————की प्राधिकृत प्रदायकर्ता के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, स्थापन निदेशालय, अनुसंधान और विकास संगठन रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली और मैं————————, जिसकी कोटेशन सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित कर दी है, के बीच आज तारीख————————को किया गया।

डी० एल० वाई० कारें किराए पर लेने के लिए निबन्धन और शर्तें

1. **पूरे दिन के लिए**—मील दूरी 100 कि० मी० और अवधि 11 घंटे होगी। यदि डी० एल० वाई० कार का उपयोग 100 कि० मी०/11 घंटे से अधिक किया जाएगा तो आपके तारीख————————के कोटेशन सं०————————में कोट की गई दरों के अनुसार अतिरिक्त किराए का संदाय किया जाएगा।

2. डी० एल० वाई० कारों की किलोमीटर रीडिंग सेना भवन, "ख" खण्ड, भूतल से प्रारम्भ होकर वहीं पर समाप्त होगी।

3. दोपहर का भोजन करने या चाय पीने के लिए जाने पर कोई मील दूरी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

4. ड्राइवर अपना दोपहर का भोजन ला सकते हैं।

5. डी० एल० वाई० कारों में ध्वज लगाने के लिए ध्वज-दण्ड और तारा प्लेट लगाने के लिए ब्रेकेट लगे होंगे। कारें पूर्ण रूप से साफ-सुथरी और अच्छी स्थिति में रखी जाएंगी।

6. **आधे दिन के लिए**—मील दूरी 50 कि०मी० और अवधि $6\frac{1}{2}$ घंटे होगी।

7. डी० एल० वाई० कारों के ड्राइवर उपयुक्त वर्दी पहनेंगे और दिल्ली के मानचित्र से भलीभांति परिचित होंगे। वे विनम्र और चुस्त होने चाहिएं।

8. किराए पर केवल डी० एल० वाई० कारें ही ली जाएंगी। प्राइवेट कारें स्वीकार्य नहीं होंगी।

9. बिलों का भुगतान, रक्षा लेखा नियंत्रक (आर० एण्ड डी०) द्वारा पास कर दिए जाने, जिनमें 30 दिन से अधिक नहीं लगेंगे, के पश्चात् ही किया जाएगा।

10. एक बार विनिश्चित की गई दरें————————से————————तक की एक वर्ष की अवधि में, किसी भी परिस्थिति में, परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

11. आप डी० एल० वाई० कारों के रजिस्ट्री संख्यांक के साथ ही कारों के संख्यांक भी उपदर्शित करें। इस बात का सत्यापन, निविदा स्वीकार किए जाने के पश्चात्, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अभिलेख से किया जाएगा।

12. निम्नतम कोटेशन और प्रदायकर्ता की विश्वसनीयता तथा अच्छी सेवा ही कोटेशन स्वीकार किए जाने की कसौटी होंगे।

13. डी०एल०वाई० कारें किराए पर कब ली जानी हैं, इसकी सूचना स्थापन निदेशालय का प्रतिनिधि ठेकेदार को देगा।

14. यदि ठेकेदार द्वारा की गई सेवाएं असमाधानप्रद पाई जाती हैं तो स्थापन निदेशक यह संविदा समाप्त कर सकते हैं।

नई दिल्ली में तारीख————————को निष्पादित किया गया।

निदेशक
(स्था०/प्रशा०)

फर्म की मोहर और हस्ताक्षर

वायुसेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय सेवा संस्थान, केमरो काम्पलैक्स, सुब्रतो पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–10

करार

1. करार का यह ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अध्यक्ष, सेवा संस्थान, वायु सेना, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, सुब्रतो पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-10, जिन्हें इसमें आगे "अध्यक्ष, सेवा संस्थान" कहा गया है और जिसके अंतर्गत उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं, तथा दूसरे पक्षकार के रूप में श्री——————————, जिन्हें इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है के बीच आज तारीख————————————को किया गया।

2. यह करार यदि इसके उपबंधों के अधीन उसे पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता तो तारीख————————से तारीख——————————तक की 12 मास की अवधि के लिए मान्य होगा।

3. अध्यक्ष, सेवा संस्थान, ठेकेदार को केमरो काम्पलैक्स में सेवारत सेवा और सिविलियन कार्मिकों के उपयोग के लिए संलग्न परिशिष्ट "क" में दी गई मदों के विक्रय का व्यापार करने के प्रयोजन के लिए सिविल जोन, सुब्रतो पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-10 में एक रेजिमेंटल पान की दुकान खोलने के अनुज्ञा देने के लिए सहमत है। अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए बनाई गई उक्त रजिमेंटल दुकान ठेकेदार को आवंटित की जाएगी।

4. ठेकेदार, अध्यक्ष, सेवा संस्थान के पास प्रतिभूति धन के रूप में——————————रु० (केवल——————————रुपए) जमा करेगा और इस प्रतिभूति धन या उसके शेष रहे भाग के लिए लिखित रसीद प्राप्त करेगा। उक्त प्रतिभूति धन इस करार के अन्य खंडों के अधीन रहते हुए, करार की समाप्ति पर या उसके शीघ्र समाप्त कर दिए जाने पर, बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

5. ठेकेदार रिबेट के रूप में प्रत्येक मास की 10 तारीख तक अध्यक्ष सेवा संस्थान को——————————रु० (केवल——————————————रुपए) की रकम अग्रिम रूप में संदत्त करेगा। यदि प्रत्येक मास की 10 तारीख तक उक्त रिबेट का संदाय नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष, सेवा संस्थान, अपने द्वारा की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऊपर खंड 4 में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप समपहृत करने का हकदार होगा। सेवा संस्थान को, किसी अन्य अनुबंधित कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार से शोध्य कोई अन्य राशि भी उक्त प्रतिभूति निक्षेप से वसूल करने का अधिकार है।

6. ठेकेदार उक्त रेजिमेंटल दुकान प्रतिदिन——————————बजे से ——————————बजे तक खोले रखेगा और साप्ताहिक छुट्टी ——————के लिए दुकान बंद रखेगा।

7. ठेकेदार उक्त दुकान चलाने के लिए किसी फर्नीचर, साधित्र आदि की व्यवस्था करने/लगाने के लिए जिम्मेदार होगा। किन्तु ठेकेदार, अध्यक्ष, सेवा संस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना, परिसर और उसमें विद्यमान फिक्सचरों/फिटिंगों में कोई फेरबदल/मरम्मत नहीं करेगा।

8. ठेकेदार अपनी दुकान में किसी सहजदृश्य स्थान पर एक शिकायत/सुझाव रजिस्टर रखेगा और वह रजिस्टर, किसी भी ग्राहक को, जो कोई शिकायत/सुझाव अभिलिखित करना चाहता हो, उपलब्ध रहेगी। ठेकेदार यह रजिस्टर, अध्यक्ष, सेवा संस्थान, या उसके द्वारा इस निमित्त तैनात किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार (अर्थात्, प्रत्येक सोमवार को) या जब भी अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार शिकायतों के आधार पर या उनके परिणामस्वरूप अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश का पालन करेगा।

9. यदि इस बाबत ग्राहक कोई शिकायत करता है या अन्यथा वह अध्यक्ष, सेवा संस्थान के ध्यान में लाई जाती है कि ठेकेदार ने माल के स्टाक या विक्रय के संबंध में अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा दिए गए अनुदेशों में से किसी का अतिक्रमण किया है तो अध्यक्ष, सेवा संस्थान को ठेकेदार की खाता वहियों और स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

10. ठेकेदार अपने ग्राहकों से शोध्य रकम या बकाया धन सीधे प्राप्त करेगा और अध्यक्ष, सेवा संस्थान उसकी वसूली के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या किसी ग्राहक द्वारा ठेकेदार को देय किसी रकम के लिए दायी नहीं होगा।

11. ठेकेदार, उसके अभिकर्ता या सेवक, अध्यक्ष, सेवा संस्थान की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी स्थान पर माल का न तो भंडार करेंगे और उसका विक्रय करेंगे, जो ठेकेदार को आबंटित नहीं किया गया है।

12. ठेकेदार उसे आबंटित परिसर को साफ-सुथरा और अच्छी तथा सुंदर हालत में रखेगा।

13. ठेकेदार उसे आबंटित परिसर का प्रयोग, निवास के प्रयोजन के लिए और/या इस करार द्वारा अनुज्ञात प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए, नहीं करेगा और न ही अपने कर्मचारियों को ऐसा प्रयोग करने देगा।

14. ठेकेदार, उसके अभिकर्ता और सेवक, केमरो काम्पलैक्स में सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में वायु सेना प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करेंगे।

15. ठेकेदार, उसे आवंटित परिसर का कब्जा किसी अन्य को नहीं देगा। यदि करार की समाप्ति के पूर्व ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है तो ठेकेदार का वारिस या विधिक प्रतिनिधि उक्त परिसर का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, किन्तु उसे ठेकेदार की मृत्यु हो जाने के एक मास के भीतर सभी देय रकमों/दावों को चुकाने के पश्चात्, और परिसर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, ठेकेदार के माल, चीजबस्त या आस्तियों को हटाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

16. ठेकेदार ऐसे किसी माल का विक्रय नहीं करेगा जिनका वर्णन, कैंटीन स्टोर, डिपार्टमेंट (इंडिया) की मूल्य सूची में दिए गए वर्णन के समान है। ठेकेदार उन्हीं वस्तुओं का विक्रय/व्यापार करेगा जिनका वर्णन इस करार के परिशिष्ट "क" में किया गया है।

17. ठेकेदार निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगा :

(क) **सेवाएं**—सेवाएं, वायुसेना कमान आफिसर, वायुसेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय, नई दिल्ली-10 और/या उसकी ओर से अध्यक्ष, सेवा संस्थान, द्वारा यथा विनिश्चित मानदंडों के अनुसार और अधिकथित शिष्टतापूर्वक की जाएंगी।

(ख) **कीमत सूची**—ठेकेदार प्रत्येक तीसरे मास की 15 तारीख को (अर्थात्, 15 जून, 15 सितम्बर और 15 दिसंबर को) मूल्यांकन समिति के विचारार्थ कीमत सूची अध्यक्ष, सेवा संस्थान, को प्रस्तुत करेगा और वह अध्यक्ष, सेवा संस्थान के अनुमोदन के पश्चात् भावी रूप से प्रभावित होगी। ठेकेदार दुकान में अध्यक्ष द्वारा सम्यकृतः हस्ताक्षरित अन्तिम कीमत-सूची प्रदर्शित करेगा। मूल्यांकन समिति के विवेकानुसार कीमत-सूची तिमाही के दौरान किसी भी समय परिवर्तित की जा सकेगी।

(ग) स्टेशन मूल्यांकन समिति, उपभोक्ताओं को विक्रय किए जा रहे माल की कीमत, क्वालिटी और मात्रा की जांच करने के लिए प्राधिकृत है।

(घ) ठेकेदार दुकान में एल्कोहलयुक्त पेय का विक्रय नहीं करेगा।

(ङ) ठेकेदार परिसर में निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग करने/रखने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा :—

(i) किसी भी प्रकार का ध्वान, चाहे वह वैयक्तिक उपयोग के लिए हो या व्यापारिक उपयोग के लिए।

(ii) टेलीफोन।

(iii) कोई बेतारग्राही/टी वी सैट।

(iv) फोटो चित्रण का कोई उपकरण।

(च) ठेकेदार स्वयं के लिए और अपने कर्मचारियों के लिए विधिमान्य पास रखेगा, जिसके/जिनके न होने पर ठेकेदार उस रीति से और उस सीमा तक, जो अध्यक्ष, सेवा संस्थान विनिश्चित करे, जुर्माने के लिए दायी होगा।

18. ठेकेदार से अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी। उसे आवंटित परिसर के लिए अनुज्ञप्ति फीस और संबद्ध प्रभार, यू०एफ० वी०एस०ओ०/अन्य समुचित प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए बिलों के अनुसार विहित किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार संबंधित विनियमों/आदेशों के अधीन प्रभार्य विद्युत और जल प्रभारों का संदाय करने के लिए भी दायी होगा। ठेकेदार विद्युत और जल प्रभारों के संदाय के लिए अध्यक्ष, सेवा संस्थान, द्वारा यथा अधिकथित "प्रतिभूति निक्षेप" करेगा। यदि विद्युत और जल प्रभारों/बिलों के लिए संदाय करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो अध्यक्ष, सेवा संस्थान, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त रकम प्रतिभूति निक्षेप से वसूल करने और/या विद्युत और जल कनेक्शन कटवाने का हकदार होगा। अध्यक्ष, सेवा संस्थान ऐसे कनेक्शन काटे जाने के कारण होने वाली किसी हानि/नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

19. ठेकेदार अपने कारबार के लिए————————————से व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा। व्यापार करने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति की एक फोटोस्टेट प्रति इस करार की तारीख से एक मास के भीतर, अध्यक्ष, सेवा संस्थान के कार्यालय में जमा की जाएगी।

20. ठेकेदार, स्टेशन कैंप क्षेत्र की किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, कैमरो काम्पलैक्स के कैंप क्षेत्र के भीतर, उसके द्वारा या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा लाए गए पशुओं या यानों या अन्य वस्तुओं से जानबूझकर या अपेक्षा के कारण हुए नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा। नुकसान की सीमा अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा अवधारित की जाएगी और उसका इस बाबत विनिश्चय ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। ठेकेदार, अध्यक्ष, सेवा संस्थान से लिखित सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर ऐसे नुकसान की पूर्ति करने के लिए दायी होगा।

21. ठेकेदार करार करता है कि वह अपने या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों के किसी क्रियाकलाप या उपेक्षा या लोप के कारण उद्भूत होने वाले ऐसे सभी दावों, नुकसानी, मांगों, अनुयोजन खर्च और प्रभारों के विरुद्ध, जो अध्यक्ष, सेवा संस्थान, को उपगत करने पड़ते हैं अध्यक्ष, सेवा संस्थान की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा।

22. ठेकेदार इस करार में वर्णित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, व्यापार में अपने स्टाक की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

23. अध्यक्ष, सेवा संस्थान यह करार, ठेकेदार को कोई सूचना दिए बिना, निम्नलिखित किसी भी दशा में समाप्त कर सकता है :—

(क) यदि ठेकेदार की ओर से इस करार के किसी निबंधन और शर्त का कोई भंग किया जाता है।

(ख) यदि ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या वह लेनदारों के साथ कोई प्रशमन करता है या करस्थम या निष्पादन सहन करता है।

(ग) यदि यूनिट विघटित कर दिया जाता है या किसी अन्य क्षेत्र में चला जाता है।

(घ) यदि सेवाएं अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा समाधानप्रद नहीं समझी जाती हैं (इस संबंध में सेवाओं के असमाधानप्रद होने के बारे में अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा)।

(ङ) सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर (इस विषय में विनिश्चय करने के लिए अध्यक्ष एकमात्र प्राधिकारी है)।

24. यदि उपर्युक्त खंड 23 प्रवृत्त हो जाता है और ठेकेदार/विधिक प्रतिनिधि, व्यापाराधीन स्टाक और अन्य माल हटाने में या उपर्युक्त खंड 3 में वर्णित रूप में ठेकेदार को आवंटित कमरों/दुकानों का खाली कब्जा सौंपने में असफल रहता है/रहते हैं तो अध्यक्ष, सेवा संस्थान, लिखित रूप में दो दिन की सूचना देकर, ठेकेदार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित हो और यदि ठेकेदार ऐसी लिखित सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो अध्यक्ष, सेवा संस्थान, ठेकेदार के विक्रय परिसर और/या भंडार कक्षों को, उसकी अनुपस्थिति में, खोलने और उनमें पाए गए सभी स्टाक और अन्य वस्तुओं को हटाने और कमरों/दुकानों का कब्जा लेने का हकदार होगा : परन्तु यह कार्य वायु सेना के ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा जो इस संविदा का पक्षकार नहीं है। इस खंड के प्रयोजन के लिए ठेकेदार के अंतिम ज्ञात पते पर भेजी गई रजिस्ट्रीकृत सूचना अध्यक्ष, सेवा संस्थान की जिम्मेदारी का पर्याप्त निर्वहन होगा।

25. जैसा कि ऊपर खंड 24 में निर्दिष्ट है, परिसर के खोले जाने या स्टाक और अन्य वस्तुओं के हटाए जाने में ठेकेदार को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए अध्यक्ष, सेवा संस्थान दायी नहीं होगा और ठेकेदार, वायु सेना प्राधिकारी द्वारा इस बाबत किए गए किसी व्यय का संदाय करने के लिए दायी होगा।

26. ठेकेदार उक्त रेजिमेंटल दुकान चलाने के संबंध में अध्यक्ष, सेवा संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों/आदेशों का पालन करेगा। अध्यक्ष, सेवा संस्थान, ठेकेदार को आवंटित दुकान से संबंधित सभी मामलों के संबंध में स्वयं या उसके द्वारा तैनात किसी अन्य अधिकारी/बोर्ड के माध्यम से, कार्य करेगा।

27. यदि किसी अवसर पर इस करार में कोई अतिरिक्त खंड जोड़ा जाना है तो ऐसा तभी किया जाएगा जब दोनों पक्षकार उसके लिए सहमत हों और लिखित रूप में अपनी सहमति दर्शित करें। तत्पश्चात करार किए गए खंड को इस संविदा के साथ जोड़ दिया जाएगा और वह इस संविदा का भागरूप होगा।

28. यदि इस करार का कोई खंड भंग किया जाता है तो ठेकेदार ऐसी किसी शास्ति/जुर्माने के लिए, जो अध्यक्ष, सेवा संस्थान उचित समझे, दायी होगा।

29. यदि इस करार की विषय-वस्तु के संबंध में या इस विलेख के अधीन उपर्युक्त किसी उपबंध के निर्वचन, प्रभाव या लागू होने के बारे में या उसके अधीन पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में या इस संविदा के अधीन देय रकम या ऐसी रकम के बारे में, जिसके लिए ठेकेदार दायी है, संविदागत पक्षकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद, उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पहले विशेष रूप से उपबंध किया गया है, उत्पन्न होता है तो वह वायु सेना के कमान आफिसर, वायु सेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय———को या उक्त वायु सेना कमान आफिसर द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैनात किसी अधिकारी के एकमात्र माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम और दोनों पक्षकारों पर, सभी दशाओं में, आबद्धकर होगा। ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है और उसे उन विषयों के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ी थी जिनका संबंध इस करार से है या यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी या सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर चुका है।

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष, सेवा संस्थान
———————

साक्षी सं० 1———————

साक्षी सं० 2———————

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)
——————— दुकान
कैमरो/कम्पलैक्स

(करार के पृष्ठ 1 का पैरा 3 देखें)

अध्यक्ष, सेवा संस्थान
वायु सेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय
सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली – 10

ठेकेदार का नाम ——————————

दुकान का प्रकार ——————————
(कैमेरो काम्पलैक्स)

संविदा की अवधि ——————————

वह कोई अन्य वस्तुएं नहीं रखेगा।

——————————
(ठेकेदार)
तारीख——————

अध्यक्ष,
सेवा संस्थान
तारीख ————

INDEX

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ/पैरा
अच्छे, किराए योग्य तथा मरम्मत की हुई दशा में रखना	62, 63
अतिरिक्त सहायता	47.9, 74.11
अधिकारिता	22.15
अधिभोग का प्रयोजन	70.4
अधिभोगियों को हटाना	71.13
अननुपालन के लिए प्रतिकर	81.9
अननुमोदित फिल्म	75.17
अनुज्ञप्ति की अवधि	71.13
अनुज्ञप्तिधारी का नामनिर्देशन	96.2
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंग	71.14
अनुज्ञप्ति फीस	70.3, 96.4, 110.18
अनुज्ञप्ति फीस आदि का संदाय	2.3
अनुज्ञप्ति फीस के संदाय से मुक्ति	71.5
अनुज्ञप्ति विलेख	95
अपरिहार्य घटना	93.6
अपीष्टिक भोजन	82.16
अभिवहन बीमा	18.5
आदेश के विरुद्ध अपील	67.13
आपातकाल	68.19
आफिसर संविदा विखण्डित कर सकेगा	87.8
आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र	48.18
आयात–अनुज्ञप्ति	95.9
आयात सिफारिश प्रमाणपत्र	18.8
इजाजत और अनुज्ञप्ति	70.1
उचित रीति में प्रयोग	71.11
उत्पाद शुल्क	23.7
उद्यान का अनुरक्षण	96.5
उधार के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं	2.15
उपपट्टा	2.16, 71.6
उपविधियों का पालन	2.5
करार की समाप्ति	111.23
करार के पक्षकार	1, 5, 31, 70
करार पर हस्ताक्षर	106
कर्मचारियों के लिए भोजन	82.12
कार्य दिन	3.20

कार्य निष्पादन में असफलता	47.8
कारबार के घंटे	98.3
कीमत	12.9, 17.4, 98.6
कीमत कोटेशन	29
कीमत में परिवर्तन	21.13
कीमत में वृद्धि	75.1
कीमत सूची	110.17
कैपों में कोई मजसारिक पेय नहीं	82.21
कोटे की विधिमान्यता	24(ग)
क्षतिपूर्ति	94.7, 110.21
खपत अयोग्य उपस्कर	74.10
ज्ञापन	57
चरित्र का सत्यापन	82.15
चिकित्सीय अफिसर द्वारा निरीक्षण	82.17
चिकित्सीय उपस्कर	30
चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ	81.11
चैक द्वारा भुगतान	47.10, 47.11
जारी की गई मात्रा	46.3
टोकन झण्डे	42(ख)
डी एल. बाई. कार भाड़े पर लेना	108
दस्तावेजों की सुरक्षा	91.2
दिवालिया होना	47.12
धन की वसूली	67.12
नमूना	13.11, 27 (ङ)
नमूनों की परीक्षा	14.12
नवीकरण	70.2
निबंधन और शर्तें	50
निबंधनों और शर्तों का पालन	71.15
निम्नतम निविदा	48.16
निर्माता द्वारा भंग	75.14
निर्माता द्वारा संदाय	73.5
नियतकालिक पत्रिकाएं	53
नियंत्रित प्रवर्ग	21.12
नियमों आदि की जानकारी	87.19
नियमों आदि का पालन	81.8
नियमों का पालन	2.6, 76.21, 81.8
निरंतर भुगतान	45.4
निरीक्षण	2.17

निरीक्षण और स्वीकृति	89.2
निविदा	16
निविदा अनुसूची का उपाबन्ध	17
निविदा आमंत्रण	11, 52
निविदा उपाबंध	19.9
निविदाकारों को अनुदेश	11, 78
निविदा की प्राप्ति के लिए अंतिम समय	12.6
निविदा के निबंधन	43
निविदा खोलना	12.8, 16
निविदा तैयार करना	11.3
निविदा देना	12.5
निविदा पर हस्ताक्षर करना	11.4
निविदा सूचना	49
निष्पादन में उपेक्षा, विलंब आदि	85.7
निष्पादन विवरण	21
नुक्सान के लिए प्रतिकर	110.20
पट्टेदार द्वारा सभी रेटों आदि का संदाय	62
पत्रिकाओं का चन्दा	53.2/3
पत्रिकाओं का प्रदाय	51
परिदान	46.4
परिदान के निबंधन	13.10
परिनिर्धारित नुक्सानी	91.8
परिवर्धन और परिवर्तन	96.6
परिशुद्धि	27.12
परिसर का कब्जा किसी और को देना	110.15
परेषक अनुदेश	90.2
परिसर का प्रयोग	96.9
परिसर रिक्त करना	3.21
पूर्ण फिल्म की प्रस्तुति	75.16
पूर्वतर परिदान के लिए कीमत अधिमान	18.6
पूर्ववधानियां	81.10
प्रतिभूति निक्षेप	3.19, 44, 47.15
प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण	3.19
प्रतिभूति निक्षेप का विक्रय	66.10
प्रतिभूति निक्षेप से कटौती	84.5
प्रतिभू बंधपत्र	39
प्रतिहस्तांतरण विलेख	40
प्रत्याभूति बारण्टी	22.14, 24.11, 27.9

प्रदाय नामंजूर करना	24.12, 85.6
प्रभार्य कीमत	2.7
प्रयुक्त होने वाला कागज	41, 42
प्रशिक्षण	92.4
प्रशिक्षण पूरा न करना	104.4
प्रसंविदाएं	58, 60
प्रस्ताव खुला रहने की अवधि	12.7
प्रत्याभूतिदाता की प्रसंविदा	104.3
प्राप्य आदेश	50.10
पैकिंग और अभिवहन बीमा	90.2
पैकिंग और चिह्नांकन	14.13
फल की स्टाल सरकार की संपत्ति	2.2
फिक्सचर और फिटिंग	62
फैके गए भोजन का निपटारा	82.18
बंधक का प्रयोजन	5
बंधक के लिए हक विलेख	9
बंधकदार द्वारा प्रसंविदा	6, 7
बंधपत्र का निष्पादन	105
बंधक पर उधार	5, 6
बिल प्रस्तुत करना	67.18
बिलों से कटौती	67.18
बैंक प्रत्याभूति	75.18
भराई दर	46.5
भारत रक्षा नियम	86.18
भूधृति की शर्त	56
मात्र अनुज्ञप्ति	71.12, 96.3
माध्यस्थम् खण्ड	4.27, 45.6, 48.19, 54.10, 68.22, 72.16, 94.8, 111.29
माल की क्वालिटी	2.8
मासिक किराया	5
मुद्रक से वसूली	45 (छ)
मेस में कोई महिला सेविका नहीं	82.13
रसीद सहित बिल	62
रसोईए आदि का नियोजन	81.6
रिक्त कब्जा	96.11
रखाचित्र आदि सरकार की संपत्ति	23.9
वचनबंध	69
वारण्टी	22.14, 24.11, 27.9, 89.2

विक्रय कर	23.6, 44.11
विक्रय की शर्तें	56
विक्रेता सरकारी संपत्ति को हानि के लिए जिम्मेदार	3.18
विखण्डन के परिणाम	86.9
विनिर्देशों का प्रदाय	14 (परिशिष्ट)
विनिर्देशों में परिवर्तन	67.16, 86.13
विनिर्देशों से विचलन	17.3
विमोचन प्रति	76.22
विशिष्टियां, विनिर्देश और रेखांक	11.2
विशेष अनुदेश	23
विशेष शर्त	27.14, 97
विवादों का निपटारा	104.6
व्यापार अनुज्ञप्ति	110.19
शर्तों और परिस्थितियों की जानकारी	68.20
शपथपत्र का प्ररूप	103
शिकायत पुस्तक	2.9
शिष्टतापूर्वक सेवा	110.17
शोध्य धन	76.23
शोध्य राशि की वसूली	47.13
संदाय	27.5
संदाय के निबंधन	18.7, 89.2
संपरिवर्तित मूल्य का संदाय	74.7
संविदा का अंतरण	91.2
संविदा की अवधि	2.1, 81.5
संविदा की प्रतियां	95.13
संविदा की शर्त	17.2
संविदा की समाप्ति की शर्त	66.11
संविदा के पक्षकार	53
संविदा भंग	3.25, 81.5
समय-अनुसूची	42
समाधानप्रद रूप में कार्य करना	98.1
समाप्ति और व्यतिक्रम	92.5
सरकारी संपत्ति को नुकसान	98.2
सरकार की प्रतिपूर्ति	74.13, 74.6
सरकारी रकमों की वसूली	3.23
सहायता का विवरण	76.19
साधारण	45. (ज)
साधारण निबंधन	94.10

सामान आदि की व्यवस्था	74.8
सामान का पूर्व निरीक्षण	23.8, 27.4
सुरक्षा नियमों का पालन	3.24
सेवा और उसकी स्वीकृति	67.15
सूचना	3.26, 56.6, 63.14, 68.31, 82.14, 95.12
सेवा करना	80
स्टाल का अनुरक्षण	2.12
स्टाल का प्रयोग	2.2
स्टाल की सफाई	2.4
स्टाल में कोई विज्ञापन नहीं	2.13
स्वीकृति का अधिकार	14.14
स्वीकृति की संसूचना	14.15
हक, स्वामित्व और जोखिम	94.9
हानि क्षति की पूर्ति	74.9, 81.9

MGIPMRND—M(N)205MofLJ&CA—800—6-8-92—GIPS